भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

अनुविनि

nsfdc

आज़ादी का अमृत महोत्सव

33वीं वार्षिक रिपोर्ट
33rd ANNUAL REPORT

2021-22

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी)

(An ISO 9001: 2015 Certified Company)

14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092

14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092

फोन/Phone: 011- 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स: 011-22054395

ई-मेल/E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/website: nsfdc.nic.in

33वीं वार्षिक रिपोर्ट
33rd ANNUAL REPORT
2021-2022

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी)
(An ISO 9001: 2015 Certified Company)

14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110092
14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092
फोन / Phone: 011- 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax : 011-22054395
ई–मेल / E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/website: www.nsfdc.nic.in

विषय–सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	कंपनी–सूचना	1
2.	नोटिस	2
3.	अध्यक्षीय संदेश	3
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	10
5.	तुलन–पत्र	91
6.	आय और व्यय लेखा	92
7.	नकद प्रवाह विवरण	96
8.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	161
9.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंध समिति का उत्तर	172
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	174
11.	पंजीकृत कार्यालय और संपर्क केन्द्र	175

कंपनी सूचना

निदेशक मंडल (21–22)

श्री रजनीश कुमार जैनव
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(01.01.2021 से प्रभावी)

श्री एस.एम. आवले
(04.06.2015 से प्रभावी)

श्री संजय पाण्डेय
(18.07.2019 से प्रभावी)

श्रीमती अंजुला सिंह माहुर
(स्वतंत्र निदेशक)
(06.12.2021 से प्रभावी)

श्री दुर्गा प्रसाद राय,
स्वतंत्र निदेशक
(29.12.2021 से प्रभावी)

श्रीमती कल्याणी चड्ढा
(27.04.2022 से प्रभावी)

श्री पीयूष श्रीवास्तव
(23.03.2018 से 29.07.2021 तक)

श्री बी. गणेशन
(25.03.2021 से 06.12.2021 तक)

श्रीमती उपमा श्रीवास्तव
(21.09.2020 से 29.12.2021 तक)

डॉ. के. रामलिंगम (स्वतंत्र निदेशक)
(20.03.2019 से 20.03.2022 तक)

सांविधिक लेखापरीक्षक

पी. के. चोपड़ा एंड कं., चार्टड अकाउंटटेंस
फ्लैट नं. 801, 8वीं मंजिल, रोहित हाऊस,
3 टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली–110 001

बैंकर्स

केनरा बैंक, दिल्ली/मुंबई/बेंगलुरु
एसबीआई, नई दिल्ली/कोलकाता
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
आईडीबीआई
बैंक ऑफ बड़ौदा
पंजाब एंड सिंध बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक
इंडियन बैंक
एयू स्मॉल फिन. बैंक
बंधन बैंक
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
इंडसइंड बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इक्विटास लघु वित्तीय बैंक

पंजीकृत कार्यालय

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 व 2,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110 092

कंपनी सचिव

सीए अन्नु भोगल
उप महाप्रबंधक

CIN : U93000DL1989NPL034967
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

एनएसएफडीसी/सचि/33वीं वाआबै/290/ 02 दिसम्बर, 2022

नोटिस

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 06.12.2022 (मंगलवार) को अपराह्न 5:00 बजे** सम्मेलन कक्ष सं. 627, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 6वीं मंजिल (ए विंग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110 001 में निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करने के लिए होगी:

<u>सामान्य कार्य:</u>

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, प्रबंध समिति के उत्तर और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका पर विचार करना, अपनाना और निम्नलिखित संकल्पों को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, उस पर प्रबंध समिति के उत्तर और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका को प्राप्त किया, विचार किया और अपनाया।"

कृते निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(अन्नु भोगल)
उप महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 02 दिसम्बर, 2022

<u>टिप्पणी:</u>

बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने के लिए एवं अपने स्थान पर परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है (परोक्षी फार्म संलग्न है)।

पंजीकृत एवं प्र. का. : 14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110092
Regd. & H.O. : 14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092
फोन/Phone: 011- 22054391, 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax : 22054395, 22054349
ई–मेल/E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/website: www.nsfdc.nic.in

दिनांक 06 दिसंबर, 2022 को एनएसएफडीसीकी 33वीं वार्षिक आम बैठक पर

अध्यक्षीय संदेश

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल की ओर से, मैं निगम की 33वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस विशिष्ट अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

आप सभी सदस्यों को दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखें को पहले ही परिचालित कर दिया गया है और आपकी अनुमति से, मैं इसे पढ़ा समझूंगा।

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक, आपके निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी ₹1500.00 करोड़ और प्रदत्त अंश पूंजी ₹1500.00 करोड़ थी ।

- **प्रमुख उपलब्धियां**

  प्रस्तावों की स्वीकृति

  वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को ₹574.47 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए।

  निधियों का संवितरण

  वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 76,219 लाभार्थियों को लाभांवित करने हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को 100% के लक्ष्य (समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) की तुलना में ₹572.01 करोड़ अर्थात् वर्ष 2021–22 के दौरान उपलब्ध कुल निधियों का 86.62% संवितरित किया।

  कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

  वर्ष के दौरान, आपके निगम ने पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के 16,395 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने

के लिए ₹32.88 करोड़ की अनुमानित लागत से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत और कार्यान्वित किए हैं और 48 (अड़तालिस) भागीदार कौशल प्रशिक्षण संस्थानों/क्षेत्रीय कौशल परिषदों को ₹30.34 करोड़ संवितरित किए हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने वाले 9,390 प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार/वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराया गया।

समझौता–ज्ञापन (एमओयू) (2021–22) लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां

वर्ष के दौरान, एमओयू मापदंडों के तहत आपके निगम की उपलब्धियां, COVID 19 महामारी के के कारण देश भर में लॉकडाउन के मद्देनजर ऋण परिदृश्य से प्रभावित हुई थी। ऑडिटेड डेटा के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल स्कोर 79.05 है जो 'बहुत अच्छी' रेटिंग के अनुरूप है।

- **विशेष पहल**

आपके निगम ने अपनी गतिविधियों को और व्यापक और मजबूत करने के लिए 2021–22 के दौरान विशेष पहल की है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैंः–

(i) राज्यों में समग्र जागरूकता शिविर

वर्ष के दौरान, कोविड–19 महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन के कारण, प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं में भौतिक भागीदारी पर प्रतिबंध था। वर्ष के दौरान, आपके निगम ने IITF, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला , फरीदाबाद, हरियाणा में भाग लिया ।

एनएसएफडीसी ने अपने चैनल पार्टनर्स को अधिकतम ₹25,000/– प्रति जागरूकता शिविर तक का अनुदान प्रदान किया। आजादी के अमृत महोत्सव (AKAM) के तहत चंडीगढ़, झांसी, खुर्जा , बीकानेर, बाड़मेर , लखनऊ, फतेहगढ़ साहिब, धलाई आदि में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

(ii) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर,

आनंद (गुजरात), जालंधर (पंजाब), इरोड (तमिलनाडु) और सिलगुरी (पश्चिम बंगाल) में स्थित 4 एनडीडीबी प्रशिक्षण केंद्रों में अनुसूचित जाति डेयरी किसानों के लिए डेयरी पशु उद्यमिता में 200 एससी सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), आनंद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। आणंद और जालंधर में दो सीबीपी आयोजित किए जा चुके हैं और इरोड में तीसरा सीबीपी शीघ्र ही लिया जा रहा है।

(iii) लाभार्थियों के लिए की गई पहल

एनएसएफडीसी ने ओडिशा, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश आदि में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को उधार देने के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स को संशोधित करने की पहल की है, ताकि इन राज्यों में निधि

के बहिर्वाह में सुधार हो सके जहां एनएसएफडीसी के पारंपरिक चैनलाइजिंग पार्टनर काम नहीं कर रहे हैं।

(iv) अनुसूचित जाति कारीगर समूहों का विकास

वस्त्र मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, एनएसएफडीसी ने चंदेरी साड़ी क्लस्टर, जिला अशोक नगर (एमपी) और बनारसी ब्लॉक काशी में साड़ी क्लस्टर विद्यापीठ, बनारस (यूपी) को लागू करने का प्रस्ताव दिया । एनएसएफडीसी ने अपनी क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से 150 बकरी उद्यमियों के लिए फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में बकरी पालन हेतु एक पशुधन क्लस्टर को भी स्वीकृति दी है ।

(v) क्लस्टरों का प्रौद्योगिकी उन्नयन

एनएसएफडीसी ने वर्ष 2021–22 के दौरान क्लस्टरों के प्रौद्योगिकी उन्नयन की एक योजना शुरू की, जिसमें यह क्लस्टर मोड में प्रति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ₹6.00 लाख या प्रति लाभार्थी ₹30,000/– तक की सहायता अनुदान प्रदान करेगा।

(vi) महिला लाभार्थियों का कवरेज

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत 52,393 महिला लाभार्थियों को 264.13 करोड़ रुपये की रियायती वित्तीय सहायता प्रदान की है। जो वर्ष के कुल संवितरण का 46.18% और कुल कवरेज का 68.74% था, जो क्रमशः वित्तीय और भौतिक दोनों शर्तों में 40% के मानदंड के एवज में था।

(vii) लाभार्थियों के लिए की गई पहल

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए ऋण नीति में संशोधन किया। संक्षेप में महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:

(क) वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र को सरल बनाने के लिए, एनएसएफडीसी ने एसईसीसी–2011 रिपोर्ट के अनुसार तीन या अधिक वंचन बिंदुओं पर विचार करने का निर्णय लिया है।

(ख) मियादी ऋण योजना में एनएसएफडीसी की सहायता की प्रमात्रा को इकाई लागत के 90% से बढ़ाकर इकाई लागत के 95% तक करना।

(ग) एक नई योजना की शुरुआत – स्माइल योजना (आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों के लिए योजना)।

(viii) कोविड–19 महामारी के दौरान एनएसएफडीसी का हस्तक्षेप

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 के द्वारा राष्ट्रीय लॉकडाउन

घोषित किया गया, जिसे समय–समय पर 17.05.2020 तक बढ़ाया गया। एनएसएफडीसी ने पैन इंडिया स्तर पर महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान कोविड–19 सीएसआर पहल की है। वर्ष के दौरान, आपके निगम ने हर समय हाशिए पर रहने वालों की मदद करने के अपने लोकाचार के अनुरूप अपनी दिनचर्या और सीएसआर हस्तक्षेपों के स्तर को बढ़ाया है। जो कि निम्नानुसार हैः

(क) एनएसएफडीसी ने दिल्ली एनसीआर में कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया के लिए 3.43 लाख रुपये की राशि का योगदान दिया।

(ख) एनएसएफडीसी ने कोविड–19 रोगियों के इलाज के लिए दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल को 1.76 लाख रुपये की राशि के चिकित्सा उपकरण प्रदान किए ।

(ग) एनएसएफडीसी ने कोविड–19 मरीजों का इलाज करने हेतु सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, दिल्ली को 4.83 लाख रुपये की राशि से 100 बिस्तरों के विस्तार के लिए ऑक्सीजन नियंत्रण पैनल प्रदान किया।

(घ) एनएसएफडीसी ने कोविड–19 आइसोलेशन केंद्र, हैदराबाद, तेलंगाना के विकास के लिए 3.60 लाख रुपये की राशि का योगदान दिया ।

(ङ) दिल्ली में 6.00 लाख रुपये की 200 मेडिसिन किट का वितरण।

(च) दिल्ली में 4.87 लाख रुपये की लागत से 05 आक्सीजन सांद्रकों का वितरण।

(छ) दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड–19 रोगियों के लिए 2.94 लाख रुपये की राशि के ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण ।

(ज) दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों के लिए दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में 5.91 लाख रुपये की राशि का भोजन वितरण।

(झ) सरकारी एससी छात्रावास, त्रिपुरा को 7.73 लाख रुपये की राशि का फर्नीचर दान किया ।

(ञ) दिल्ली में 2.25 लाख रुपये की प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीन की स्थापना।

(ट) बिहार में 3.34 लाख रुपये की लागत से आरओ प्लांट और कोविड 19 राहत किट का प्रावधान।

(ठ) राजस्थान में 4.55 लाख रुपये की लागत से 2 वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण।

(ड) "आजादी का अमृत महोत्सव 2021" और गांधी जयंती के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 3.70 लाख रुपये खर्च किए गए ।

(ढ) धारावी , मुंबई के सार्वजनिक शौचालयों की कीटाणुशोधन और स्वच्छता, पीपीई किट का वितरण, आरओ

प्लांट पंजाब, प्रयोगशाला उपकरण, स्वास्थ्य सह कोविड 19 जागरूकता शिविरों का आयोजन, राशन किटों का वितरण, चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान, बकरी आधारित आजीविका को मजबूत करना, कोविड 19 पर जागरूकता पर एनिमेटेड वीडियो तैयार करना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री प्रदान करना, के लिए प्रावधान बेघरों के लिए आश्रय और स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन की स्थापना जैसी विभिन्न गतिविधियों पर पिछले वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं पर 49.20 लाख रुपये की राशि खर्च की गई ।

(ix) <u>आईटी–सिस्टम का सुदृढ़ीकरण</u>

- एनईजीडी द्वारा मोबाइल ऐप सहित सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली का अद्यतन संस्करण विकसित किया गया है और वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन है।
- मेलों/प्रदर्शनियों आदि में ऋण पूछताछ, कौशल पूछताछ और आगंतुकों की प्रतिक्रिया लेने के लिए लाभार्थी पूछताछ आवेदन प्रबंधन (बीईएम) मोबाइल ऐप विकसित किया गया है । ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
- पीएम – दक्ष पोर्टल विकसित किया गया है।
- आपके निगम में 100% ई–ऑफिस कार्यान्वयन पूर्ण हो चुका है।
- आपके निगम ने फेसबुक और ट्विटर सहित सोशल मीडिया पर सभी गतिविधियों को सक्रिय रूप से अपडेट किया है।
- आपके निगम ने एक गतिशील, विकलांगों के अनुकूल, द्विभाषी वेबसाइट की मेजबानी और रखरखाव किया है जो भारत सरकार की वेबसाइट (GIGW) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में है।
- विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंतरिक रूप से तैयार किए गए मॉड्यूल में परियोजना से संबंधित डेटा के लिए डेटाबेस रखता है ।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक नई ब्याज सबवेंशन योजना अर्थात् वंचित इकाई समूह वर्गों की आर्थिक सहायता योजना (विश्वास) को लागू करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और इसी तरह के वित्तीय संस्थानों द्वारा पात्र स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और व्यक्तिगत लाभार्थियों का डेटा निगम को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद, पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में 5% की दर से ब्याज सबवेंशन स्थानांतरित किया जाता है।

- **प्रक्रियाधीन पहल**

(क) **चयनित एनबीएफसी–एमएफआई के माध्यम से ऋण देने की पायलट परियोजना**

एनएसएफडीसी ने बिहार, ओडिशा और झारखंड में कार्यरत चयनित एनबीएफसी–एमएफआई के माध्यम से ऋण देने की एक पायलट परियोजना को लागू करने के लिए एनबीएफसी–एमएफआई के लिए अपनी नीति को संशोधित करने की पहल की है। सा–धन (सामुदायिक विकास वित्त संस्थानों का संघ) – एक पेशेवर निकाय जिसमें एनबीएफसी–एमएफआई और एनएसएफडीसी सदस्य हैं, द्वारा पायलट प्रोजेक्ट को सुविधा और समर्थन दिया जाता है । सा–धन को आरबीआई द्वारा माइक्रोफाइनेंस सेक्टर के लिए स्व–नियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन (एनआरएलएम) द्वारा राष्ट्रीय सहायता संगठन (एनएसओ) के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह नीति बोर्ड स्तर पर विचाराधीन है और यदि इसे मंजूरी दे दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप इन तीन राज्यों में वर्ष 2022–23 के दौरान निधि का पर्याप्त बहिर्प्रवाह होगा जहां एनएसएफडीसी के एससीए/सीए गैर–कार्यात्मक हैं।

(ख) **गोट क्लस्टर**

आपका निगम उत्तर प्रदेश में आकांक्षी जिला, फतेहपुर के लिए द गोट ट्रस्ट, लखनऊ के साथ एक गोट क्लस्टर विकसित करना चाहता है, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एनएसएफडीसी को आवंटित किया गया है। क्लस्टर सदस्यों की पहचान एक सर्वेक्षण के माध्यम से की जाएगी और पशु–सखी प्रशिक्षण, पशु गर्भाधान केंद्र, चारा प्रबंधन और बाजार मूल्य श्रृंखला के विकास जैसी विभिन्न पहलों को गोट ट्रस्ट द्वारा लिया जाएगा, जो इस परियोजना के लिए जमीनी स्तर पर एनएसएफडीसी का तकनीकी आजीविका भागीदार होगा।

(ग) **ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म**

कोविड–19 महामारी के कारण लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण लक्ष्य समूह के लिए विभिन्न प्रदर्शनियों/मेलों/हाटों का आयोजन नहीं किया जा सका। आपका निगम एनबीसीएफडीसी के साथ संयुक्त रूप से एक ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल मार्केट प्लेस विकसित करने के लिए काम कर रहा है। इस तरह का मंच लाभार्थियों को अतिरिक्त आय, ज्ञान वृद्धि और उनके प्रयास में एक नया उद्यम प्रदान करेगा ।

(घ) **एसबीएमएस का अद्यतनीकरण**

लाभार्थियों को ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, राज्य और शीर्ष निगमों को सक्षम करने के लिए सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली (एसबीएमएस) विकसित की गई थी। हालाँकि, आपका निगम कुछ अतिरिक्त प्रावधानों को बढ़ाने और जोड़ने के लिए काम कर रहा है जैसे कि शीर्ष निगम स्तर पर ऋण की आंतरिक प्रक्रिया, एससीए स्तर पर बल्क अपलोडिंग सुविधाएं आदि और इसे अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए भी।

(ड़) **एसबीएमएस के लिए मोबाइल ऐप**

एसबीएमएस की व्यापक उपलब्धता के लिए, आपके निगम ने एसबीएमएस के मोबाइल ऐप संस्करण के विकास के लिए पहल की है। ऐप के उपयोग से, लक्षित लाभार्थी कंप्यूटर की उपलब्धता के बिना भी बहुत आसानी से ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। आय सृजन गतिविधियों और शैक्षिक ऋण आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए ऐप एक वरदान होगा।

आगे की राह

आपका निगम आर्थिक विकास में तेजी लाने और आय बढ़ाने के लिए लक्ष्य समूह की सहायता करने के लिए ऋण प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीन दृष्टिकोण का उपयोग करेगा। लक्ष्य समूह को सहायता के लिए आर्थिक गतिविधियों, पेशेवर/तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिससे रोजगारपरकता बढ़ेगी। भौगोलिक रूप से, मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां लक्ष्य समूह की सघनता अधिक है, विशेष रूप से देश के आकांक्षी जिलों में। आपका निगम मौजूदा सहयोगी संबंधों का निर्माण करना जारी रखेगा और चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ–साथ अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बहु–आयामी रणनीति का पालन करेगा।

आभारोक्ति

कंपनी के निदशेक मंडल की ओर से, मैं आपकी सतत् सहायता और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पर्याप्त सहायता और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, विभिन्न राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, चैनलाइजिंग एजेंसियों जिसमें विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–माइक्रो फाइनेंस, कौशल प्रशिक्षण संस्थान आदि शामिल हैं, से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं, अपने निगम के सभी कर्मचारियों के निष्ठापूर्वक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ जिसकी वजह से हम उच्च लक्ष्य प्राप्त कर सके। मैं इस यात्रा में सभी स्टेकहोल्डरों के सतत् सहयोग की आशा करता हूँ।

रजनीश

(रजनीश कुमार जैनव)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 06.12.2022

निदेशक मंडल की रिपोर्ट (2021–22)

आपके निगम की 33वीं वार्षिक आम बैठक में, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वार्षिक आम बैठकें, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकों की अभियुक्तियों के साथ आपके निगम की प्रगति पर चर्चा करने का अवसर है।

1. निगम की रूपरेखा

आपका निगम, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रूप में भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 1989 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा–8) के अंतर्गत 'लाभ–निरपेक्ष कंपनी' के रूप में स्थापित किया गया था। इसने दिनांक 09.04.2001 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। निगम का, दिनांक 10.04.2001 को, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के कारण द्विभाजन हुआ। इस द्विभाजन के परिणामस्वरूप, आपका निगम अब पूर्णतः अनुसूचित जाति के लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

1.1 दृष्टि

अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के माध्यम से व्यवस्थित प्रकार से गरीबी को कम करने के लिए, चैनलाइजिंग, एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ प्रभावी, उत्तरदायी और सहयोगात्मक तरीके से प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

1.2 लक्ष्य

वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार और कौशल विकास एवं अन्य नवीन पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों की समृद्धि को बढ़ावा देना।

1.3 उद्देश्य

आपके निगम के संस्था के ज्ञापन–पत्र (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) में, प्राप्त किए जाने वाले निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों की सूची दी गई हैः

(i) अनुसूचित जाति की आबादी के लिए ट्रेडों और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की पहचान करना।

(ii) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं को उन्नत बनाना।

(iii) छोटे, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना।

(iv) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्थान और आर्थिक कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रमों को वित्त पोषित करना।

(v) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक कल्याण के लिए उनके वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार करना।

(vi) लक्ष्य समूह को अपनी परियोजना स्थापित करने के लिए परियोजना तैयार करने, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के लिए सहयोग प्रदान करना।

(vii) भारत और विदेश में पूर्णकालिक व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को ऋण प्रदान करना।

(viii) पात्र युवाओं को भारत में वोकेशनल (व्यावसायिक) शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के बाद कौशल और नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए ऋण प्रदान करना।

उक्त उद्देश्य के अनुसरण में आपका निगम राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल भागीदारों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता देने और विभिन्न ऋणेत्तर योजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करा रहा है।

1.4 प्राधिकृत और प्रदत्त अंश पूँजी

वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी ₹1500.00 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के आरंभ और अंत में प्रदत्त अंश पूंजी ₹1500.00 करोड़ ही थी।

1.5 संगठन की संरचना

आपके निगम के कार्यालयाध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं, जिन्हें तीन मुख्य महाप्रबंधक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों की टीम द्वारा सहायता मिलती है। आपके निगम में 77 कर्मचारी हैं। परियोजना, वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन विभाग के अलावा निगमित सेवाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा, समन्वय, सतर्कता, विधि, एमआईएस, कौशल प्रशिक्षण, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, आरटीआई, आईएसओ, रिकार्ड प्रबंधन और राजभाषा कक्ष जैसे अन्य विभाग/कक्ष हैं। जहां तक आपके निगम के संचालन का संबंध है, परियोजना विभाग में तैनात डेस्क–प्रभारियों को विशिष्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपा गया है जहां वे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों, सहकारी समितियां, अन्य संस्थान और लास्ट माइल फाइनेंसर यानी पिछड़े क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर काम कर रहे एनबीएफसी–एमएफआई के माध्यम से एनएसएफडीसी योजनाओं का कुशल कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करते हैं। परियोजना विभाग के अलावा प्रशिक्षण विभाग को लक्ष्य समूह के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों को विशेष रूप से सौंपा गया है।

संगठन का चार्ट **अनुलग्नक–I** पर दर्शाया गया है।

1.6 संपर्क केंद्र

आपके निगम के तीन संपर्क केंद्र हैं, जो संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल पार्टनरों से संपर्क रखते हैं और संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करते हैं। संपर्क केंद्रों के स्थल और उनके क्षेत्राधिकार नीचे दिए जा रहे हैं:

क्रम सं.	संपर्क केंद्र	क्षेत्राधिकार
(i)	बैंगलूरू	तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुद्दुचेरी
(ii)	मुंबई	महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली
(iii)	कोलकाता	ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम

मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे उत्तरी राज्यों और दिल्ली व चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेशों को सीधे प्रधान कार्यालय द्वारा देखा जा रहा है।

1.7 चैनल वित्त प्रणाली

(i) आपका निगम संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नामित पूरे देश के 37 राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से लक्ष्य समूह को विभिन्न ऋण और ऋणेत्तर सुविधाएं देता है, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन द्वारा नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आपके निगम ने योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों – सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी–एमएफआई) और अन्य संस्थाओं को वैकल्पिक चैनल के रूप में स्थापित किया है। वर्तमान में दिनांक 31.03.2022 को आपके निगम के पास 53 ***(पीएसबी और आरआरबी के एकीकरण के बाद)*** वैकल्पिक चैनलाइजिंग एजेंसियां हैं।

(ii) राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची **अनुलग्नक–II (क) और (ख)** पर दी गई है।

(iii) स्थानीय जरूरतों, पात्र आवेदकों की पहचान और लाभार्थियों के चयन, ऋणी के साथ प्रलेखन, योजनाओं का कार्यान्वयन तथा लाभार्थियों से ऋण की वसूली पर आधारित परियोजना प्रस्तावों की तैयारी एवं प्रायोजन, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में है।

1.8 निधियों का नोशनल आबंटन

आपका निगम, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को निधियाँ नोशनल रूप से आबंटित करता है।

1.9 निधियों के संवितरण के लिए मानक (नॉर्म्स)

1.9.1 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के मानक

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को निधियों की निर्मुक्ति करने से पहले, निम्नलिखित मानकों पर विचार किया जाता है:

❖ **<u>गारंटी:</u>**

राज्य सरकार की गारंटी/बैंक गारंटी/राज्य सरकार के आदेशों/राज्य सरकार के आश्वासनों की पर्याप्त उपलब्धता।

❖ **<u>उपयोगिता स्तर:</u>**

फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

❖ **<u>देयों की चुकौती:</u>**

एक वर्ष से अधिक कोई अतिदेय राशि नहीं होनी चाहिए।

उक्त मानदंडों का ऋण योजनाओं में संवितरण के मामले में पालन किया जाता है। जहां तक दिनांक 01.12.2009 से आरंभ शिक्षा ऋण योजना का संबंध है, राज्य सरकार गारंटी की उपलब्धता और एक वर्ष से अधिक पुराना अतिदेय का न होना, शिक्षा ऋण की मंजूरी के समय सुनिश्चित किया जाता है।

1.9.2 <u>सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के लिए मानक</u>

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, पीएसबी और आरआरबी (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

➢ मांग के भुगतान के समय पूर्व संवितरण की कोई अतिदेय राशियाँ नहीं होनी चाहिए।

➢ फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

क. निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) संवितरण के वर्ष से पिछले 6 वर्षों में से कम–से–कम 3 वर्षों के दौरान 15% से कम होनी चाहिए।

ख. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) संवितरण के वर्ष से पिछले 6 वित्तीय वर्षों में से कम से कम 3 वर्षों के दौरान लाभ में होना चाहिए।

ग. किसी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

घ. समामेलित/विलय वाली संस्थाओं के मामले में, संबंधित प्रायोजक बैंक के पास आरआरबी के प्रमुख भागीदार के पिछले वर्षों के एनपीए मानदंडों पर विचार किया जाएगा।

1.9.3 अन्य संगठनों के लिए मानक

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पीएसबी) द्वारा जारी एनएसएफडीसी के पक्ष में एनएसएफडीसी के लिए सावधि जमा/बैंक गारंटी/उत्तर दिनांकित बहु–शहरीय (मल्टीसिटी पोस्ट डेटेड) चेक।

1.9.4 एनबीएफसी–एमएफआई के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार एनबीएफसी–एमएफआई (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष से अधिक के लिए एनएसएफडीसी निधियों का उपयोग लंबित नहीं होना चाहिए।

- फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अतिदेय राशि भुगतान योग्य नहीं होनी चाहिए।

- एनबीएफसी–एमएफआई को संवितरण प्रतिभूति की निम्नांकित शर्तों के अधीन होगाः–

    - क्लस्टर मोड के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) से गारंटी संवितरित की जाने वाली धनराशि के समतुल्य या उत्तर दिनांकित चेकों (पीडीसी) के रूप में 50% और पीएसबी से 50% सावधि जमा के रूप में हो। संवितरित की जाने वाली धनराशि के 50% के समतुल्य एक अदिनांकित पीडीसी हो।

    - गैर–क्लस्टर मोड के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से संवितरित की जाने वाली धनराशि के समतुल्य गारंटी/सावधि जमा या 50% तक संबंधित संपत्ति मालिक (मालिकों) की व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट गारंटी के साथ–साथ आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति के बंधक के रूप में और शेष पीएसबी से गारंटी/सावधि जमा के रूप में होनी चाहिए।

1.9.5 सहकारी बैंकों के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार सहकारी बैंकों (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अदायगी योग्य कोई अतिदेय नहीं होना चाहिए।

- परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, सहकारी बैंकों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगाः

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए।

अथवा

- पिछले 05 वित्तीय वर्षों का औसत निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का निवल एनपीए इन 05 वर्षों में से, कम से कम 03 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5% से कम होना चाहिए।

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ होने का ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

अथवा

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से कम से कम किसी भी 03 वित्तीय वर्षों में लाभ में होना चाहिए।

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को किसी भी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

- सहकारी बैंक के संबंध में वित्त पोषण संगठन की संतोषजनक साख राय (क्रेडिट ओपिनियन) रिपोर्ट।

1.9.6 सहकारी समितियों के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार सहकारी समितियों (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अदायगी योग्य कोई अतिदेय नहीं होना चाहिए।

- परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपरोक्त के अलावा, सहकारी समितियों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगाः

- सहकारी समिति की शेयर पूंजी में केंद्र/राज्य सरकार को हित धारक होना चाहिए।
- केंद्र/राज्य सरकार को सहकारी समिति के निदेशक मंडल/शासकीय निकाय में सदस्यों का नामित करना चाहिए।

➢ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए।

अथवा

पिछले 05 वित्तीय वर्षों का औसत निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) इन 05 वर्षों में से, कम से कम 03 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5% से कम होनी चाहिए।

➢ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ होने का ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

अथवा

➢ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से कम से कम किसी भी 03 वित्तीय वर्षों में लाभ में होना चाहिए।

➢ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की क्रिसिल के 'ए' के समकक्ष पर्याप्त सुरक्षा के साख की रेटिंग होनी चाहिए।

➢ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को किसी भी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

➢ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले तीन वर्षों में किसी बाह्य ऋण के पुनर्भुगतान का चूककर्ता या किसी कॉर्पोरेट ऋण को पुनर्गठन नहीं करना चाहिए।

➢ सहकारी समिति के संबंध में वित्त पोषण संगठन की संतोषजनक साख राय (क्रेडिट ओपिनियन) रिपोर्ट होनी चाहिए।

1.10 <u>आवेदकों का पात्रता मानदंड</u>

एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत शामिल होने के लिए आवेदकों के पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

(i) आवेदक अनुसूचित जाति समुदाय का होना चाहिए।

(ii) ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹3.00 लाख तक (दिनांक 08.03.2018 से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए) होनी चाहिए।

वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लागू नहीं होगा। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत राशि को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

1.11 महिला लाभार्थियों के समावेशन के लिए मानदंड

आपका निगम अपनी योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला लाभार्थियों को शामिल करने पर बल देता है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिमुखीकरण और समन्वय पर टास्क फोर्स की अनुशंसा के परिणामस्वरूप, आपके निगम में वित्तीय और प्रत्यक्ष दोनों रूप से 40% महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए मानदंड हैं।

1.12 निगम की योजनाएं

आपके निगम की लाभार्थियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न ऋण आधारित और गैर–ऋण आधारित योजनाएं हैं। लाभार्थियों को कृषि और समवर्गी, लघु उद्योगों और परिवहन सेक्टरों सहित सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आपका निगम उच्च शिक्षा लेने और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए भी ऋण प्रदान करता है।

आपके निगम द्वारा राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लक्ष्य समूह के लिए वित्तपोषित योजनाओं के विवरण निम्नलिखित हैं:

1.12.1 ऋण आधारित योजनाएं

बुटीक शॉप–एलवीवाई योजना के तहत रियासी, जम्मू व कश्मीर में एनएसएफडीसी लाभार्थी।

आपके निगम ने पिछले कुछ वर्षों में अपने लक्ष्य समूह के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए मियादी ऋण, लघु ऋण वित्त, महिला समृद्धि योजना, महिला किसान योजना, महिला अधिकारिता योजना, शिल्पी समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय योजना, शिक्षा ऋण योजना, वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना, हरित व्यवसाय योजना, स्टैंड–अप इंडिया योजना, आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना, उद्यम निधि योजना और स्वच्छता उद्यमी योजना सहित विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही ऋण राशि विस्तारित ऋण की प्रमात्रा के आधार पर 1% से 7% तक वार्षिक की रेंज में रियायती ब्याज–दर पर ऋण दिया जाता है, सिवाय स्टैंड अप इंडिया योजना के मामले में जिसमें योजना/ऋण की प्रमात्रा के आधार पर ब्याज दर 7% है। इसके अलावा, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उक्त ब्याज दरों में 2–3% (आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना और उद्यम निधि योजना के मामले में 8% को छोड़कर) जोड़ने की और लाभार्थियों से ब्याज प्रभारित करने की अनुमति दी जाती है।

1.12.1 (क) यूनिट लागत, एनएसएफडीसी का अंश और ब्याज दर

क्र. सं.	योजना	यूनिट लागत	निम्नलिखित पर प्रभारित वार्षिक ब्याज दर	
			चैनलाइजिंग एजेंसी	लाभार्थीगण
(i)	मियादी ऋण	₹50.00 लाख तक, तथापि एनएसएफडीसी अंश/इकाई के आधार पर निम्नानुसार ब्याज प्रभारित किया जाता है।		
(क)		₹5.00 लाख तक	3%	6%
(ख)		₹5.00 लाख से अधिक व ₹10.00 लाख तक	5%	8%
(ग)		₹10.00 लाख से अधिक और ₹50.00 लाख तक	6%	9%
(ii)	लघु ऋण वित्त	₹1.40 लाख तक	2%	5%
(iii)	महिला समृद्धि योजना	₹1.40 लाख तक	1%	4%
(iv)	महिला अधिकारिता योजना	₹5.00 लाख तक	2.5%	5.5%
(v)	लघु व्यवसाय योजना	₹5.00 लाख तक	3%	6%
(vi)	शिक्षा ऋण योजना	एनएसएफडीसी का अंश संपूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क का 90% तक अथवा ₹10.00 लाख तक (भारत में) और ₹20.00 लाख तक (विदेश में), जो भी कम हो।	1.5% (पुरूष) 1% (महिला)	4% (पुरूष) 3.5% (महिला)
(vii)	वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना	दो वर्ष की अवधि तक के पाठ्यक्रम के लिए ₹4.00 लाख तक	1.5% (पुरूष) 1% (महिला)	4% (पुरूष) 3.5% (महिला)
(viii)	हरित व्यवसाय योजना	₹7.50 लाख तक	2%	4%
		₹7.50 लाख से अधिक और ₹15.00 लाख तक	3%	6%
		₹15.00 लाख से अधिक और ₹30.00 लाख तक	4%	7%
(ix)	स्टैंड–अप इंडिया योजना	₹10.00 लाख से अधिक और ₹20.00 लाख तक	6%	9%
		₹20.00 लाख से अधिक और ₹30.00 लाख तक	7%	10%
(x)	स्वच्छता उद्यमी योजना	₹15.00 लाख तक	2% (पुरूष) 1% (महिला)	4% (पुरूष) 3% (महिला)
(xi)	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना *	₹1.40 लाख तक	3% (पुरूष) 2% (महिला)	11% (पुरूष) 10% (महिला)
(xii)	उद्यम निधि योजना#	₹5.00 लाख तक	4%	12%
(xiii)	स्माइल योजना (आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों के लिए योजना)	₹5.00 लाख तक	₹4.85 लाख तक	2%

* आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना एनबीएफसी–एफएमआई के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

उद्यम निधि योजना सहकारी सोसायटियों/बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

1.12.1(ख) वित्त के साधन

आपके निगम की ऋण नीति के अनुसार, निगम (एनएसएफडीसी) इकाई लागत का 90% तक ऋण उपलब्ध कराता है मियादी ऋण, स्माइल और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना को छोड़कर, जहां यह क्रमशः 95%, 97% और 100% है । चैनलाइजिंग एजेंसियां प्रमोटर परियोजना की लागत की शेष राशि प्रदान करते हैं।

ऑप्टिकल शॉप– केरल के कोट्टायम में एलवीवाई योजना के तहत एनएसएफडीसी लाभार्थी।

1.12.1(ग) <u>प्रवर्तक का अंशदान</u>

परियोजना में प्रवर्तक की हिस्सेदारी और योगदान के लिए प्रति इकाई ₹1.00 लाख से अधिक लागत की मियादी ऋण परियोजनाओं के अंतर्गत प्रवर्तक (प्रमोटर) के अंशदान पर नीचे दिए विवरण के अनुसार बल दिया जाता हैः

क्रम सं.	परियोजना/प्रति इकाई लागत	परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में प्रवर्तक का कम से कम अंशदान
(i)	₹1.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	बल नहीं दिया जाता
(ii)	₹1.00 लाख से अधिक तथा ₹5.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	2%
(iii)	₹5.00 लाख से अधिक तथा ₹10.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	3%
(iv)	₹10.00 लाख से अधिक तथा ₹50.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	5%

1.12.1(घ) <u>लाभार्थियों को आर्थिक सहायता (सब्सिडी)</u>

शिक्षा ऋण योजना तथा वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना को छोड़कर, सभी योजनाओं में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को जारी की गई अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता से ₹10,000/– की दर से अथवा इकाई लागत का 50%, जो भी कम हो, की आर्थिक सहायता (सब्सिडी) गरीबी रेखा से कम आय वाले लाभार्थियों

के लिए उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित लाभार्थी (12वीं कक्षा के बाद) मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी के भी पात्र हैं, जोकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए केंद्रीय ब्याज सब्सिडी की योजना के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

1.12.1(ङ) विलंबन काल (मोरेटोरियम)

लाभार्थियों को ऋण संवितरण के बाद मूलधन की अदायगी के लिए विलंबन काल (अदायगी अवधि छूट) दिया जाता है ताकि लाभार्थी अपने व्यवसाय क्रियाकलापों में मजबूती से खड़े हो सकें। तथापि, ब्याज राशि के भुगतान के लिए विलंबन काल नहीं दिया जाता है। योजना–वार विलंबन अवधि नीचे दी जा रही है:

योजना	विलंबन काल
➢ मियादी ऋण योजना	व्यापार कार्य की प्रकृति के आधार पर 6 माह से 12 माह
➢ लघु ऋण वित्त	3 माह
➢ महिला समृद्धि योजना	3 माह
➢ महिला अधिकारिता योजना	12 माह
➢ लघु व्यवसाय योजना	6 माह
➢ शिक्षा ऋण योजना	पाठ्यक्रम पूरा होने के छह माह बाद अथवा रोजगार पाने पर, जो भी पहले हो।
➢ वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना	पाठ्यक्रम पूरा होने के छह माह बाद अथवा रोजगार पाने पर, जो भी पहले हो।
➢ हरित व्यवसाय योजना	6 माह
➢ आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना	3 माह
➢ स्टैंड–अप इंडिया योजना	भारत सरकार की स्टैंड–अप इंडिया योजना के नॉर्म के अनुसार
➢ उद्यम निधि योजना	3 माह
➢ स्वच्छता उद्यमी योजना	3 माह
➢ स्माइल योजना	12 माह

1.12.1(च) ऋण अदायगी अवधि

ऋण अदायगी अवधि मोटे तौर पर नकदी प्रवाह अर्जन के मूल्यांकन, परियोजना परिसंपत्ति का जीवन—काल एवं परियोजना की गेस्टेशन (परिपक्वता) अवधि के आधार पर निश्चित की जाती है। विभिन्न योजनाओं और क्रियाकलापों के अंतर्गत ऋण अदायगी अवधियां नीचे दी जा रही हैं:

योजनाएं	अदायगी की अवधि
मियादी ऋण योजना	
भूमि आधारित कार्य (कृषि भूमि पर खेती, बागवानी व सिंचाई इत्यादि)	10 वर्ष तक
परिवहन कार्य (ऑटोरिक्शा, जीप, मालवाहक इत्यादि)	5 वर्ष तक
लघु उद्योग	5 वर्ष तक
सर्विस क्षेत्र गतिविधियां	5 वर्ष तक
महिला अधिकारिता योजना	10 वर्ष तक
लघु व्यवसाय योजना	6 वर्ष तक
वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना	दो वर्ष तक की अवधि वाले पाठ्यक्रमों के लिए 7 वर्ष तक
शिक्षा ऋण योजना	10 वर्ष तक (₹7.50 लाख तक के ऋण हेतु) और 15 वर्ष तक ₹7.50 लाख से अधिक ऋण हेतु)
लघु ऋण वित्त	3½ वर्ष तक
महिला समृद्धि योजना	3½ वर्ष तक
हरित व्यवसाय योजना	10 वर्ष तक
आजीविका माइक्रो फाइनेंस वित्त योजना	3½ वर्ष तक
स्टैंड—अप इंडिया योजना	भारत सरकार की स्टैंड—अप इंडिया योजना के नॉर्म के अनुसार
उद्यम निधि योजना	6 वर्ष तक
स्वच्छता उद्यमी योजना	10 वर्ष तक
स्माइल योजना	7 वर्ष तक

1.12.1(छ) <u>दूसरी बार ऋण सुविधा</u>

लाभार्थी, यदि उन्होंने एनएसएफडीसी की किसी भी योजना के अंतर्गत पहली बार ऋण लिया है, तो निर्धारित अवधि में पूरी ऋण राशि की अदायगी करने के पश्चात, आपके निगम की किसी भी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैः

(क) पहले लिए गए ऋण की समय पर पूरी अदायगी हो और

(ख) वास्तव में सृजित परिसंपत्ति तथा व्यापार के सफलतापूर्वक चलने की फील्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की हो।

1.12.1(ज) <u>वित्तपोषित परियोजनाओं की क्षेत्र–वार निदर्शी सूची</u>

विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं को चार मुख्य क्षेत्रों नामतः कृषि और समवर्गी, उद्योग, सेवा एवं परिवहन तथा शिक्षा ऋण योजना में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं की निदर्शी सूची नीचे दी जा रही हैः

कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र	
➢ कृषि भूमि खरीद	➢ ट्रैक्टर ट्रॉली
➢ पॉली हाऊस	➢ ट्रॉली के साथ पॉवर टिल्लर
उद्योग क्षेत्र	
➢ आटा चक्की और मिर्च पिसाई चक्की	➢ फ्लाई ऐश ईंट निर्माण
सर्विस एवं परिवहन क्षेत्र	
➢ लघु उद्यम	➢ टेंट हाऊस
➢ किराना और शीतल पेय	➢ सेंटरिंग मैटीरियल
➢ मिनी होटल	➢ दवाई की दुकान
➢ मिनी सुपर बाजार	➢ चमड़े की चप्पल उत्पादन इकाई
➢ कंक्रीट मिश्रण	➢ लेजर और स्क्रीन के साथ डीटीपी
➢ इंटरनेट के साथ जीरॉक्स मशीन	➢ वकील कार्यालय
➢ मशरूम प्रसंस्करण	➢ फास्ट फूड
➢ हरित व्यवसाय (ई–रिक्शा)	➢ गेस्ट हाऊस सह–लॉज
➢ पिकअप वैन	➢ ऑटो टैक्सी
➢ सामान वाहक ऑटो ट्रॉली	➢ जीप टैक्सी
➢ टैक्सी कार	➢ लघु व्यवसाय
➢ लघु व्यवसाय (कृषि एवं समवर्गी)	➢ सामान वाहक ऑटो
	➢ सवारी ऑटो

शिक्षा ऋण योजना	
➢ इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, बी.ई., बी.टेक, एम टेक इत्यादि)	➢ नर्सिंग (बी.एससी.)
➢ परिवहन डिजाइन में पी.जी. डिप्लोमा	➢ सूचना प्रौद्योगिकी (बीसीए/एमसीए)
➢ वास्तुकला (बी.आर्क)	➢ प्रबंधन (बीबीए/एमबीए)
➢ चिकित्सा (बीएएमएस/बीएचएमएस/एमबीबीएस/एमडी)	➢ विधि (एलएलबी/एलएलएम)
➢ फार्मेसी (बी.फार्मा/एम.फार्मा)	➢ डेंटल (बीडीएस)
➢ हॉस्पिटलिटी और होटल प्रबंधन (बी.एससी.)	➢ शिक्षा (पीटीसी/बी.एड.)

1.12.2 गैर–ऋण आधारित योजनाएं

1.12.2 (क) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

आपका निगम अपैरल, इलेक्ट्रानिक्स, फर्नीचर व फिटिंग्स, चर्मोद्योग, रबड़ और पेट्रो–रसायनों, वस्त्र, टेलीकॉम, पूंजीगत वस्तु, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और कारपेट, यंत्रीकरण तथा स्वचालन, घरेलू सहायक, ब्यूटी एवं वैलनेस, जीव विज्ञान, ऊर्जा, खेल–कूद और शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण, पर्यटन और आतिथ्य सेवा, मीडिया और मनोरंजन, अवसंरचना इत्यादि नियोजन योग्य क्षेत्रों में लक्ष्य समूह के व्यक्तियों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम प्रायोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तकनीकी कौशल के अलावा सॉफ्ट कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

ये कार्यक्रम प्रतिष्ठित सरकारी/अर्ध–सरकारी/स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों/क्षेत्रीय कौशल परिषद्/क्षेत्रीय कौशल परिषद् से संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं तथा प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और गैर–आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्रतिमाह ₹1,500/– की दर से वृत्तिका दी जाती है। एनएसएफडीसी द्वारा

एनएसएफडीसी द्वारा दिल्ली में अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड द्वारा संचालित 'जेरियाटिक चिकित्सा सहायता' प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया गया

एमएसएमई–इंदौर द्वारा संचालित एनएसएफडीसी प्रायोजित 'सीएनसी मिलिंग में सर्टिफिकेट कोर्स' प्रशिक्षण कार्यक्रम

अतिरिक्त रूप से आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सामान्य लागत मानदंडों (सीसीएन) के अनुसार बोर्डिंग और लॉजिंग शुल्क प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षणार्थियों को, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनल भागीदारों के जरिए आपके निगम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता के साथ नियोजन सहायता और/अथवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमीय मार्गदर्शन भी दिए जाते हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपने शीर्ष निगमों (एनएसएफडीसी सहित) को उनके लक्षित समूहों के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री–दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम–दक्ष) नामक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। इसके चार घटक हैं अर्थातय (i) 35–60 घंटे की अवधि के साथ अप–स्किलिंग / री–स्किलिंग, (ii) 90 घंटे/15 दिन की अवधि के साथ उद्यमिता विकास कार्यक्रम, (iii) 300 घंटे और तीन माह तक की अवधि के साथ अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, और (iv) 650 घंटे और 7 माह तक की अवधि के साथ दीर्घावधि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।

दिलशाद गार्डन, दिल्ली में एटीडीसी द्वारा आयोजित एनएसएफडीसी प्रायोजित 'प्रोडक्शन सुपरवाइजर–सिलाई' प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2021–22 से पीएम–दक्ष योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम एक समर्पित पीएम–दक्ष पोर्टल (www.pmdaksh.dosje.gov.in) के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

1.12.2(ख) लाभार्थियों को विपणन सहायता

आपका निगम लाभार्थियों को अपने उत्पादों को चुनिंदा प्रदर्शनियों एवं मेलों में बिक्री योग्य उत्पादों को बेचने के लिए अवसर प्रदान करता है।

1.12.2(ग) मेले और प्रदर्शनी में लाभार्थियों को निःशुल्क स्टाल

(i) आपका निगम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं मेलों में भाग लेता है एवं लाभार्थियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन व बिक्री हेतु निःशुल्क स्टाल उपलब्ध कराता है।

(ii) इन प्रदर्शनियों में सहभागिता से लाभार्थियों को न केवल अपने उत्पाद को बेचने बल्कि ग्राहकों, डीलरों और निर्यातकों से बातचीत करने एवं नए उत्पादों के विकास के लिए जरूरतों/आवश्यकताओं को जानने का भी अवसर मिलता है।

1.12.2(घ) लाभार्थियों को विपणन प्रशिक्षण

ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार, कारीगरों के उत्पादों के विपणन और विकास/पुनः डिजाइनिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के आदानों को लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए विपणन प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में काउंटर पर अच्छी विक्रय कला के कार्य–निवेश के साथ ग्राहकों की जरूरतों के अनुकूल उत्पादों में

रूपांतर कैसे किया जाए, इस पर जोर दिया जाता है।

1.12.2 (ङ) जागरूकता शिविर

एनएसएफडीसी की योजनाओं के बारे में लक्ष्य समूह के बीच जन–जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न राज्यों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया जाता है और उपस्थितों को निगम की योजनाओं की जानकारी संबंधी ब्रोशर और पैम्फलेट बांटे जाते हैं। सफल लाभार्थियों को निगम की योजनाओं और व्यापार संबंधी अन्य क्रियाकलापों के अंतर्गत ऋण लेने के अपने अनुभवों के बारे में जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

2. प्रबंधन चर्चाएं और विश्लेषण रिपोर्ट

2.1 वर्ष के दौरान उपलब्धियां

2.1.1 प्रस्तावों की स्वीकृति

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को ₹574.47 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए।

2.1.2 निधियों का संवितरण

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने, 76,219 लाभार्थियों को लाभांवित करने हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को 90% के लक्ष्य (समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) की तुलना में ₹572.01 करोड़ अर्थात् उपलब्ध कुल निधियों का 86.62% संवितरित किया।

2.1.2(क) संवितरण और शामिल लाभार्थियों के योजना–वार ब्यौराः

वर्ष 2021–22 और उससे पूर्व वर्ष के लिए संवितरण और शामिल लाभार्थियों के ब्योरे नीचे दिए जा रहे हैं:

क्र. सं.	योजना	राशि (₹ करोड़ में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
क.	**मियादी ऋण योजनाएं**				
(i)	मियादी ऋण	49.47	70.00	1,450	1847
(ii)	हरित व्यवसाय योजना	5.44	8.78	533	500
(iii)	स्टैंड–अप इंडिया योजना		0.00		0
(iv)	उद्यम निधि योजना	0.00	0.00	0	0
(v)	महिला अधिकारिता योजना		0.00		0
(vi)	लघु व्यवसाय योजना	405.37	407.75	32,124	35414
(vii)	शिक्षा ऋण योजना	5.63	5.19	284	170
(viii)	वोकेशनल शिक्षा व प्रशिक्षण ऋण योजना	4.50	0.00	250	0
	उप–कुल (क)	**471.13**	**491.72**	**34,821**	**37931**

क्र. सं.	योजना	राशि (₹ करोड़ में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
ख.	**लघु ऋण योजना**				
(i)	लघु ऋण वित्त योजना	14.09	14.70	4,245	2634
(ii)	महिला समृद्धि योजना	62.26	62.15	54,785	34968
(iii)	आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना	0.75	3.43	151	686
	उप–कुल (ख)	**77.10***	**80.29**	**59,181**	**38288**
	सकल कुल [(क) + (ख)]	**548.23**	**572.01**	**94,002**	**76219**

*उपर्युक्त के अलावा, शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस) और वोकेशनल शिक्षा व प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस) को छोड़कर अन्य योजनाओं के तहत आपके निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की दिनांक 8 नवंबर 2019 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/95 के अनुसार रु.1.25 लाख प्रति यूनिट तक के संवितरित धन को सूक्ष्म वित्त ऋण के रूप में माना है।

तद्नुसार, 61,075 लाभार्थियों के लिए ₹248.25 करोड़ की संवितरित निधियों को भी सूक्ष्म वित्त ऋण के रूप में माना गया है।

2.1.2(ख) संवितरण और शामिल लाभार्थियों के क्षेत्र–वार ब्योरे:

क्र. सं.	योजना	राशि (₹ करोड़ में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
(i)	मियादी ऋण				
(क)	प्राथमिक क्षेत्र (भूमि, खरीद, सिंचाई और अन्य संबद्ध क्रियाकलाप)	15.81	.90	332	10
(ख)	द्वितीय क्षेत्र (उद्योग)	0.19	0	2	0
(ग)	तृतीयक क्षेत्र (सर्विस व परिवहन)	33.47	69.09	1116	1,837
	जोड़ (क) + (ख) + (ग)	**49.47**	**69.99**	**1,450**	**1,847**
(ii)	हरित व्यवसाय योजना	5.44	8.78	533	500
(iii)	उद्यम निधि योजना	0.00	0.00	0	0
(vi)	लघु व्यवसाय योजना	405.37	407.75	32,124	35,414

क्र. सं.	योजना	राशि (₹ करोड़ में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
(vii)	लघु ऋण वित्त योजना	14.09	14.70	4,245	2,634
(viii)	महिला समृद्धि योजना	62.26	62.15	54,785	34,968
(ix)	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना	0.75	3.43	151	686
(x)	शिक्षा ऋण योजना	5.63	5.20	284	170
((xi))	वोकेशनल शिक्षा व प्रशिक्षण ऋण योजना	4.50	0.00	250	0
	सकल जोड़ (i से xi)	**548.23**	**572.01**	**94,002**	**76,219**

2.1.2(ग)(i) **समझौता–ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां (2021–22)**

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए समेकित समझौता–ज्ञापन लक्ष्य और उपलब्धियां **अनुलग्नक–III** पर दी गई हैं। लेखापरीक्षित आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए स्व–मूल्यांकन पर आधारित कुल भारित अंक 79.05 है, जो 'बहुत अच्छा' रेटिंग के अनुरूप हैं।

(i) प्रचालन से आय (करों का निवल)

वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्रचालन से आय ₹60.98 करोड़ है।

(ii) परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात

वर्ष के दौरान, आपके निगम का परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात 3.27% है।

(iii) कुल राजस्व प्रतिशत के रूप में ईबीडीटीए

वर्ष के दौरान, आपके निगम के राजस्व (निवल) प्रतिशत के रूप में एबिटा 66.80% है।

(iv) नेट वर्थ पर रिटर्न

वर्ष के दौरान, नेट वर्थ पर रिटर्न 2.26% है।

(v) नियोजित पूंजी प्रतिफल

वर्ष के दौरान, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 2.23% है।

(vi) उपलब्ध कुल निधि पर संवितरित ऋण

वर्ष के दौरान, आपके निगम के पास संवितरित ऋण/कुल उपलब्ध निधि 86.62% है।

(vii) सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को ऋण संवितरण

वर्ष के दौरान, कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को ऋण संवितरण 43.39% है।

(viii) कुल ऋण (निवल) पर अतिदेय ऋण

वर्ष के दौरान, अतिदेय ऋण/कुल ऋण (निवल) 20.97% है।

(ix) कुल ऋण (निवल) पर गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए)

वर्ष के दौरान, गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए)/कुल ऋण (निवल) 0.74% है।

(x) भौगोलिक कवरेज (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या)

वर्ष के दौरान, भौगोलिक अधिकता (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या) 33 है।

(xi) अंतिम लाभार्थी को लास्ट माइल संवितरण

वर्ष के दौरान, दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अंतिम लाभार्थी को लास्ट माइल संवितरण कुल संवितरण का 24.95% है।

2.1.2(घ) <u>योजना–वार/क्षेत्रवार संवितरण</u>

वर्ष 2021–22 के दौरान निष्पादन को नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

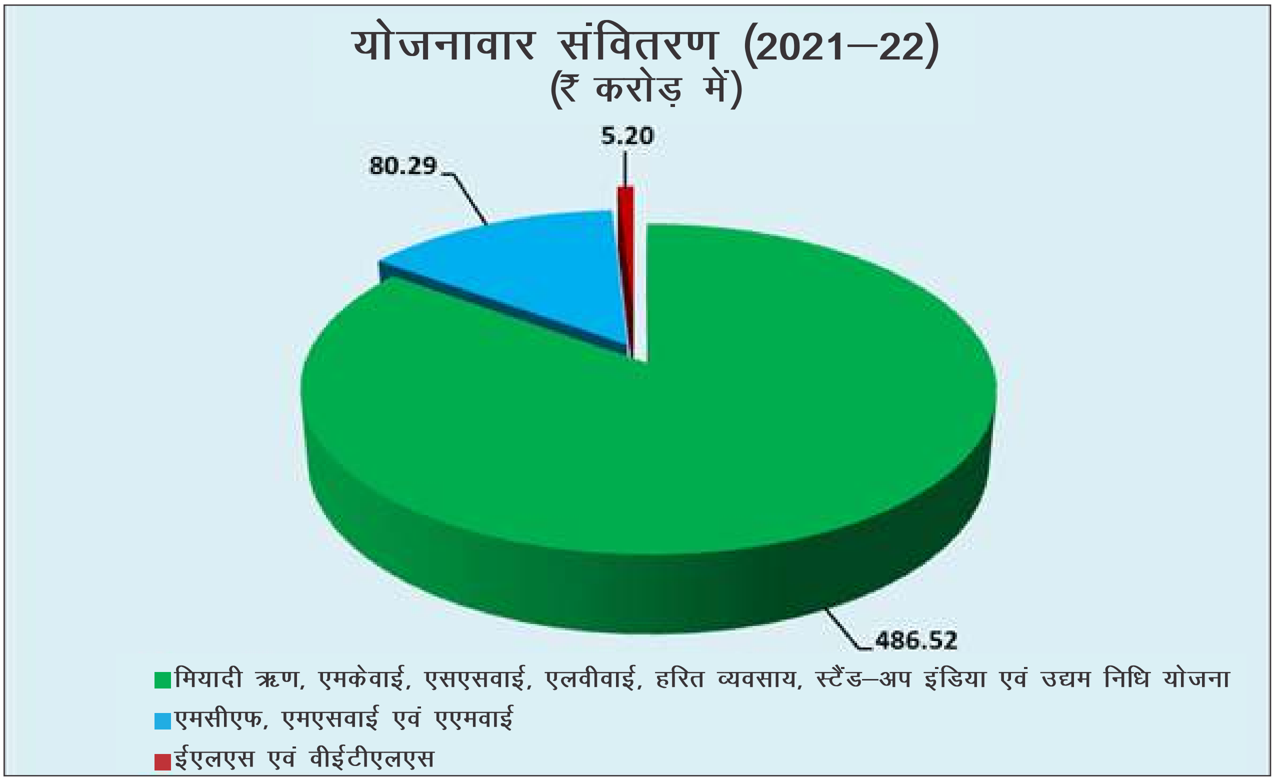

(i) मियादी ऋण योजना में लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई), हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस), स्टैंड अप इंडिया, उद्यम निधि योजना (यूएनवाई), महिला अधिकारिता योजना (एमएवाई) शामिल हैं।

(ii) लघु ऋण में लघु ऋण वित्त (एमसीएफ), महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) और आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना (एएमवाई) शामिल हैं।

(iii) शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस) और वोकेशनल शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस)।

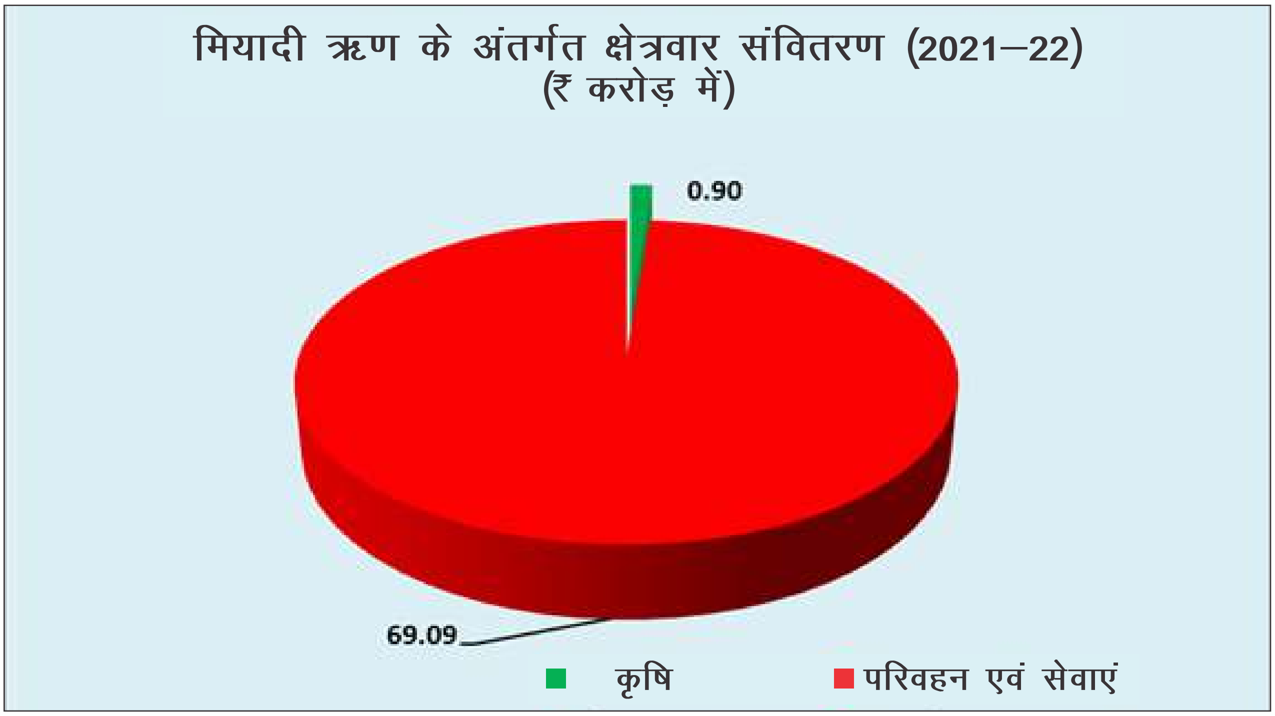

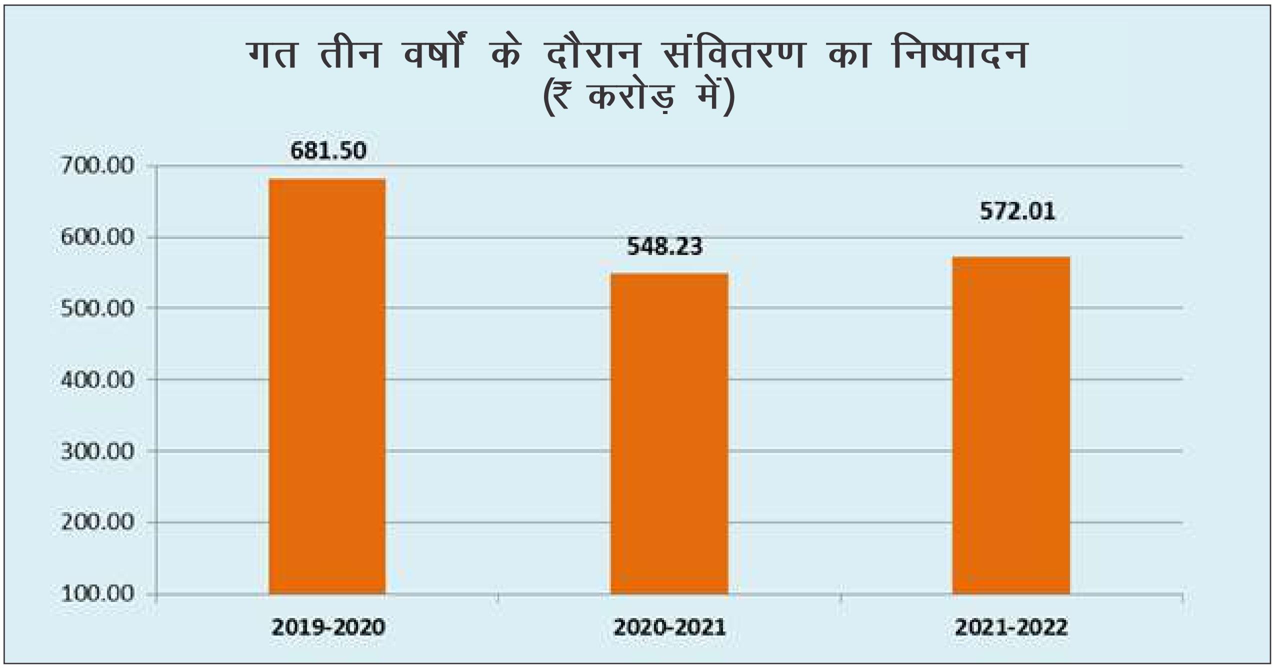

2.1.3 महिला लाभार्थियों का कवरेज

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 52,393 महिला लाभार्थियों को रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है, जो कि महिला लाभार्थियों को लाभांवित करने के 40% मानदंड प्रत्यक्ष शर्तों की तुलना में कुल कवरेज का 68.74% है।

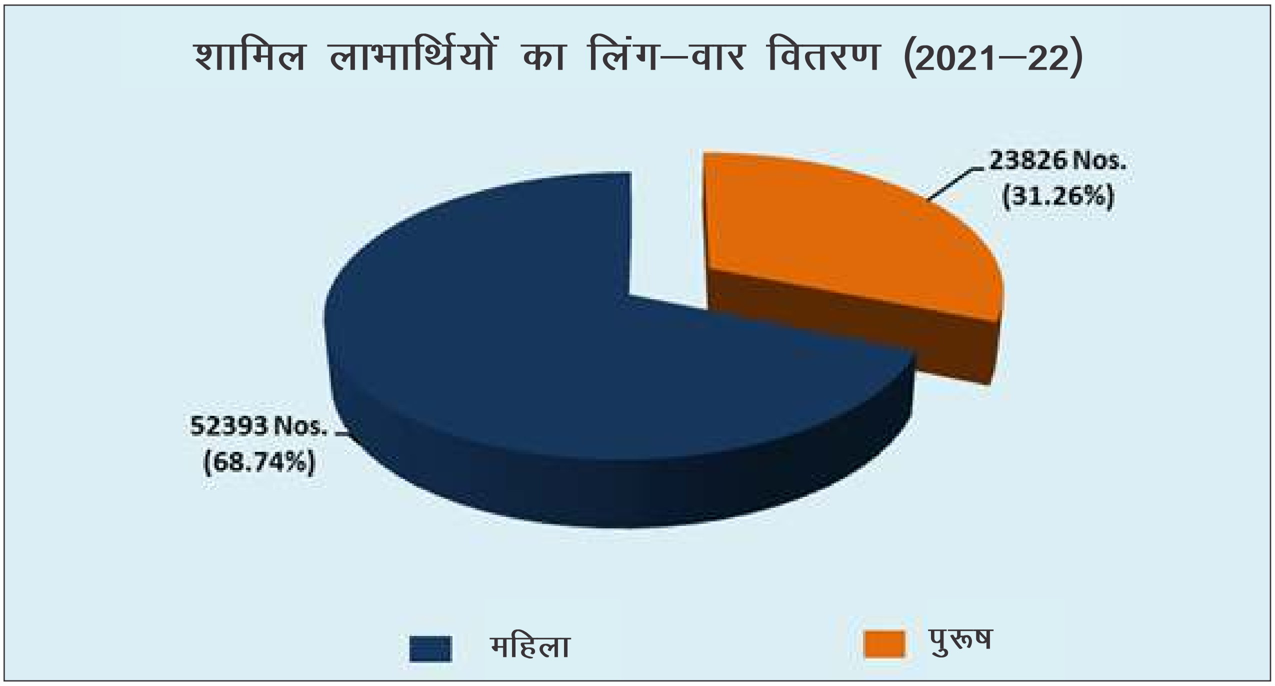

- इसी प्रकार, वर्ष के दौरान, आपके निगम ने महिला लाभार्थियों के लिए ₹ 264.13 करोड़ संवितरित किए हैं, जो 40% के वित्तीय मानदंड की तुलना में वर्ष के कुल संवितरण का 46.18% है।

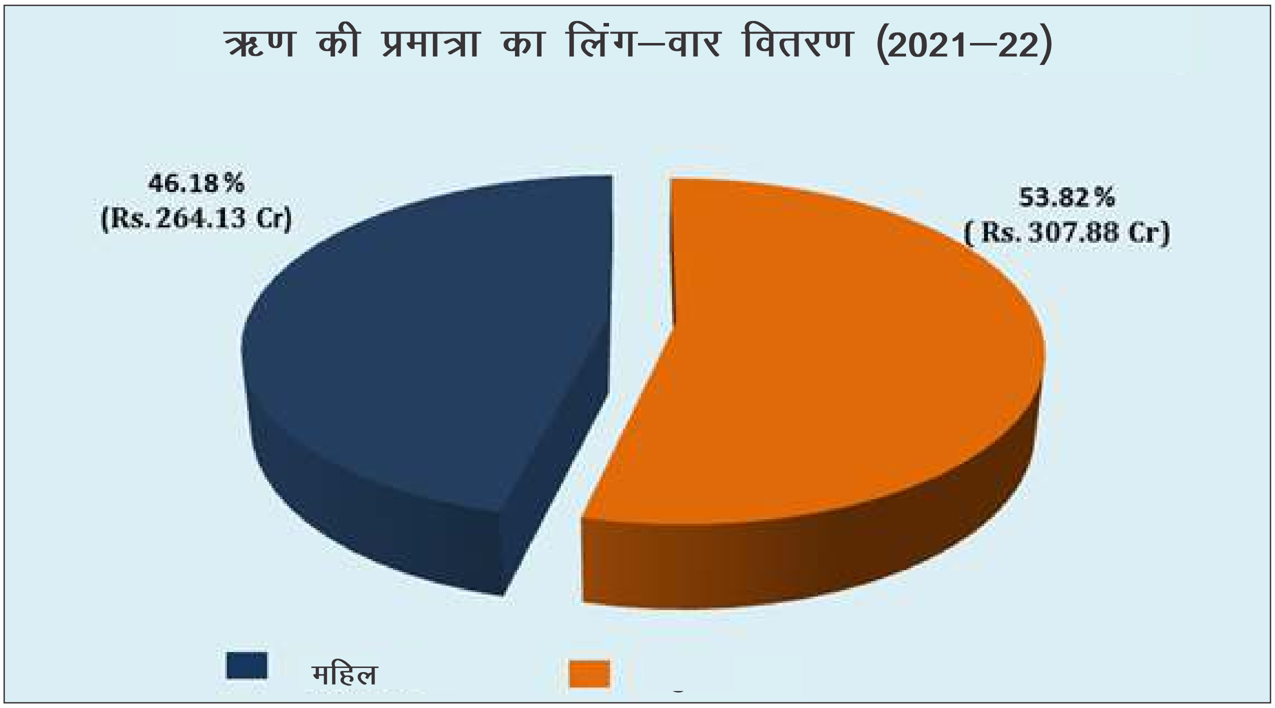

• गत तीन वर्षों के दौरान महिला लाभार्थियों को संवितरण बढ़ते क्रम में है।

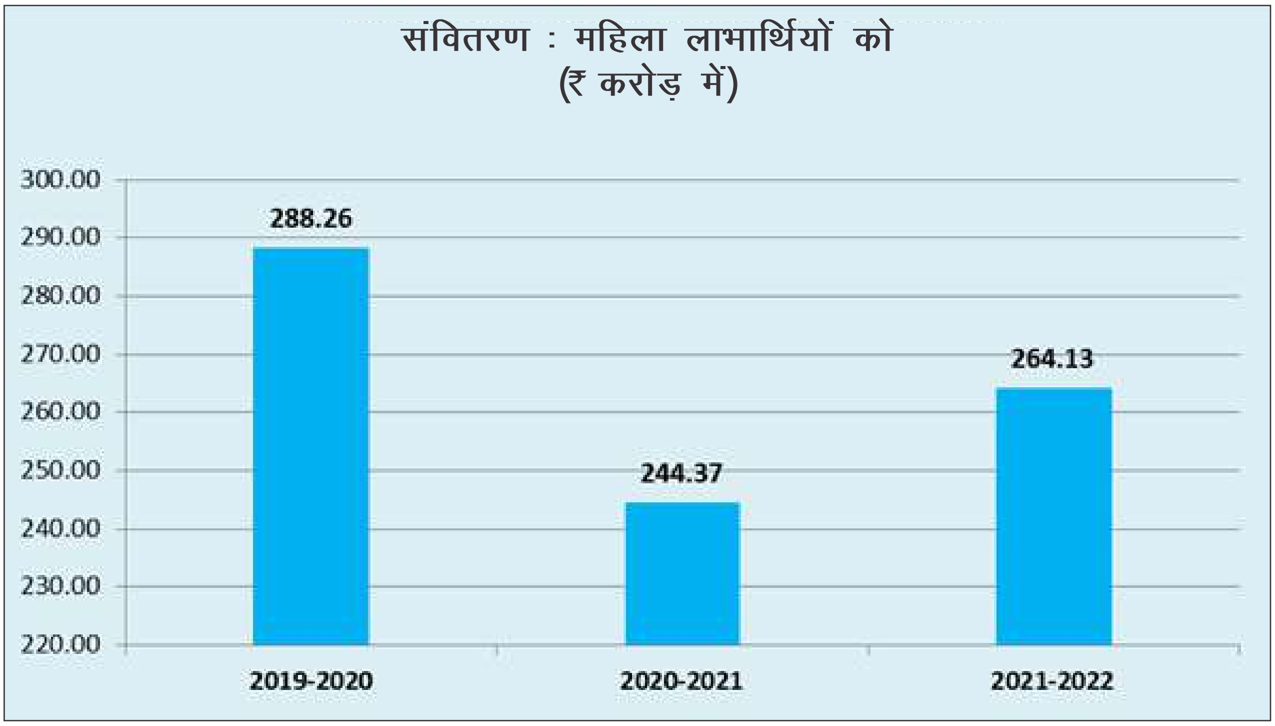

2.1.4 ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का कवरेज:

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों से 53.42% और शहरी क्षेत्रों से 46.58% लाभार्थियों को कवर किया है।

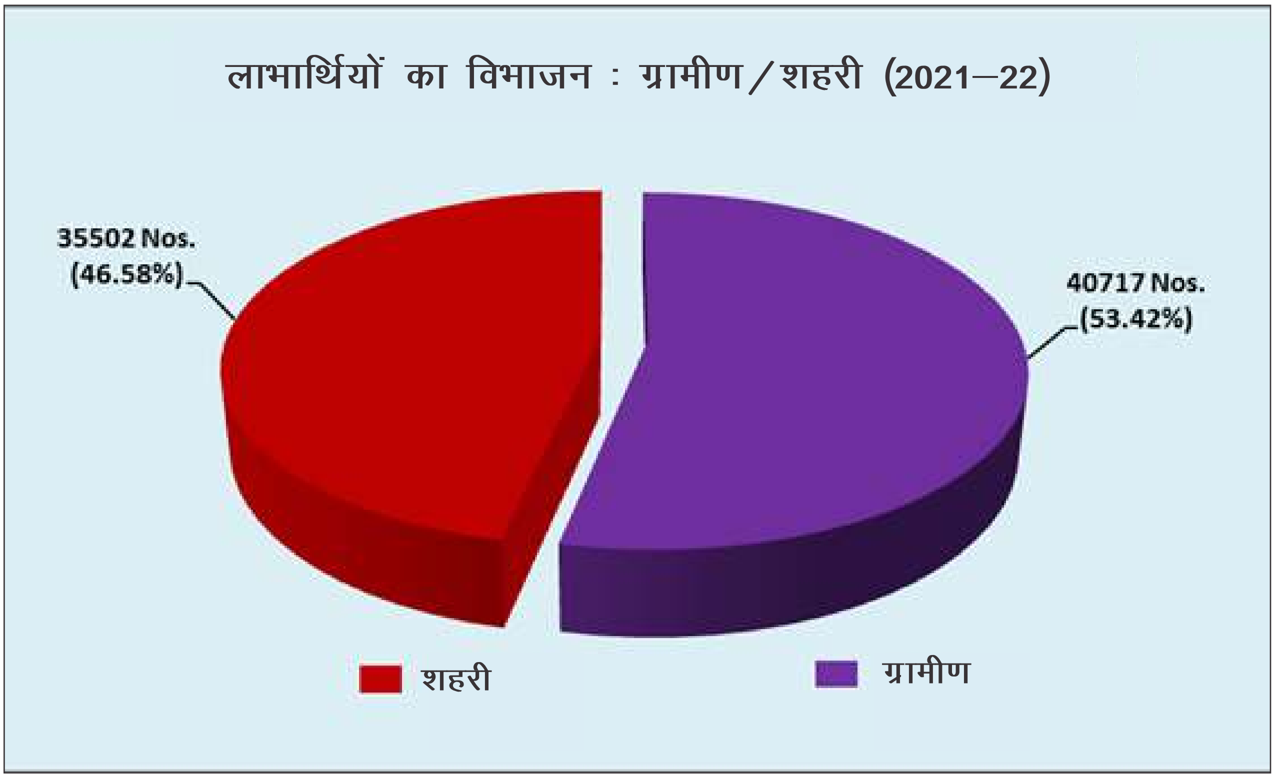

2.1.5 निधि उपयोग

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्मुक्त निधियों के उपयोग में सुधार लाने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ गहन अभियान चलाया है। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2022 को संचयी उपयोग स्तर 92.19: प्राप्त किया गया।

2.1.6 लाभार्थियों का कवरेज–संशोधित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा के अनुसार

वर्ष के दौरान, चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त उपयोगिता रिपोर्ट के अनुसार, आपकी निगम की योजनाओं के अंतर्गत 72.60% लाभार्थी ₹1.50 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय की श्रेणी में और 27.40% लाभार्थी ₹1.50 लाख से अधिक और ₹3.00 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय श्रेणी में शामिल किए गए थे।

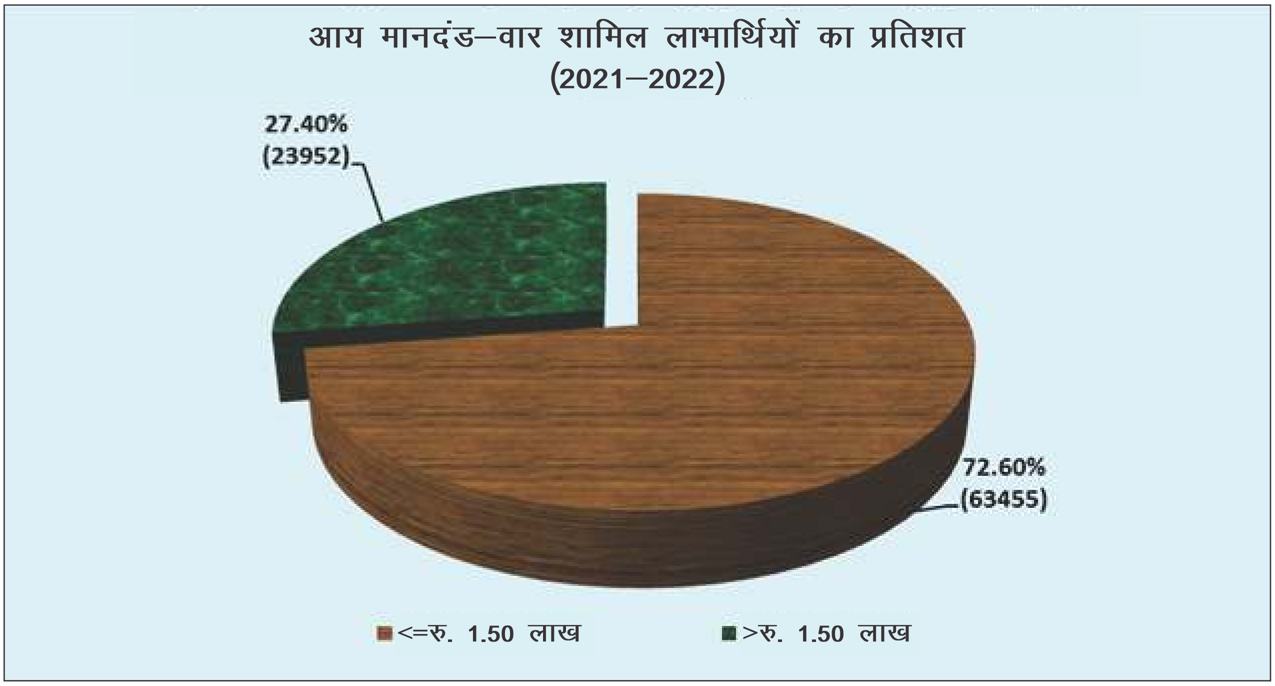

2.1.7 संचयी संवितरण की तुलना में इक्विटी सहायता

- वर्ष के दौरान, आपके निगम ₹572.01 करोड़ संवितरित किए गए।
- दिनांक 31.03.2022 को संचयी इक्विटी सहायता ₹1500.00 करोड़ रही है, जिसकी तुलना में आपके निगम ने ₹6951.64 करोड़ का संचयी संवितरण प्राप्त किया, जिसमें 14.47 लाख लाभार्थी कवर किए गए, जिनमें से महिला लाभार्थी 8.56 लाख (59.16%) थीं।
- अब तक का संवितरण भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी सहायता का 4.63 गुना है।

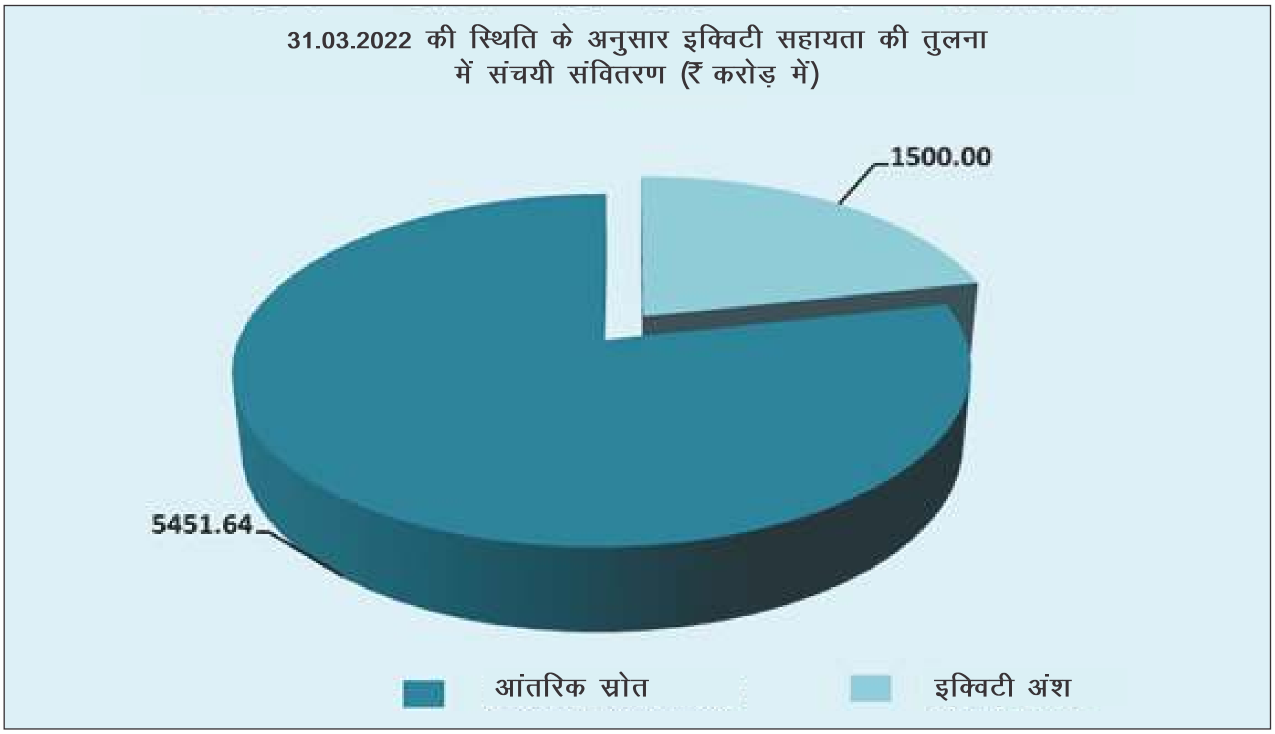

2.1.8 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी / चैनलाइजिंग एजेंसी से ऋण की वसूली

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों / चैनलाइजिंग एजेंसियों से ₹488.59 करोड़ की वसूली प्राप्त की।

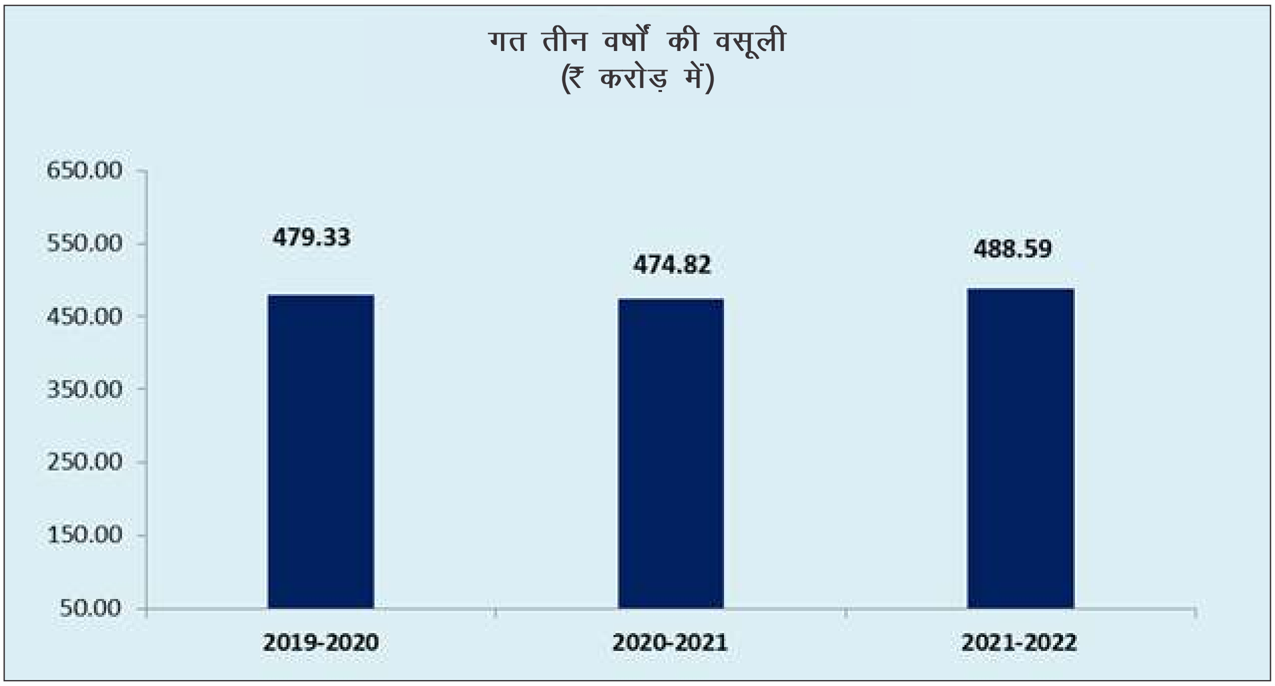

2.1.9 **एससीए/सीए की कार्यप्रणाली**

आपका निगम चैनल वित्त प्रणाली को अपनाता है जिसमें एससीए/सीए के माध्यम से लाभार्थियों को निधियां दी जाती हैं। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, सामान्य चैनल में 37 एससीए और वैकल्पिक चैनल में 50 सीए थे। वित्तीय वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 3 नई एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार एनएसएफडीसी के साथ वैकल्पिक चैनल में 53 अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियां हैं। वर्ष के दौरान, 2011 की जनगणना के अनुसार 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से, जहां अनुसूचित जाति की आबादी है, 26 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने निधि का लाभ उठाया है।

2.1.10 **भागीदारी**

2.1.10(क) **निगम के उद्देश्यों का लाभ उठाने के लिए सरकारी विभागों/स्थापित संस्थानों के साथ भागीदारी**

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपने उद्देश्यों का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित संस्थानों के साथ साझेदारी स्थापित की :

एनएसएफडीसी द्वारा डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) के साथ 15.03.2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया

क्र. सं.	संस्थानों	उद्देश्यों
1	एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र आईडीईएमआई, मुंबई	पीएम–दक्ष योजना के तहत एनएसएफडीसी प्रायोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए ।
2	एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, रामनगर	
3	इंडो डेनिश टूल रूम (एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर), जमशेदपुर	
4	सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना	
5	एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक	
6	एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, विशाखापत्तनम	
7	एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भोपाल	
8	कोनोकलोटा महिला शहरी सहकारी बैंक, जोरहाट , असम	असम राज्य में एनएसएफडीसी क्रेडिट/ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए
9	गोट ट्रस्ट, लखनऊ	अनुसूचित जाति समूह के विकास के लिए
10	एनडीएन, आनंदी	

2.1.10(ख) प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी (2021–22)

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने लाभार्थियों के उत्पादों के लिए विपणन मंच प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लिया। कार्यक्रमों में प्रदर्शित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शिल्प वस्तुओं का विवरण नीचे दिया गया है: –

क्र. सं.	प्रदर्शनियों	दिनांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व	प्रदर्शित और बेचे गए क्राफ्ट आइटम
1.	आईआईटीएफ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली	14–27 नवंबर, 2021	हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पुडुचेरी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल	रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडलूम क्लॉथ वर्क, सिल्क मैटेरियल, साड़ी और सूट, वुडन टॉयज, वुडन इनले क्राफ्ट्स/पेंटिंग, अचार, ड्रेस मटेरियल, एम्ब्रायडरी, बेड शीट्स, ब्लॉक प्रिंटिंग, वूलन जैकेट आदि।
2.	सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, फरीदाबाद, हरियाणा	19 मार्च से 4 अप्रैल, 2022	राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली और गुजरात	हैंडीक्राफ्ट आइटम, वुडन इनले पेंटिंग्स, सॉफ्ट टॉयज, हैंड एम्ब्रॉएडर्ड एंड क्रोकेट आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, वुडन टॉयज, हैंड एम्ब्रायडरी बैग, पंजाबी जूती, बेड शीट, कुर्ती, दुपट्टा, जरी वर्क, लेदर वर्क, बाड़मेरी ग्लास काशीदकारी,

				बेड शीट, पिलो कवर, कुशन कवर, आर्ट मेटल वेयर, जूट क्राफ्ट आइटम, मोती क्लॉथ वर्क, मेटल ब्रश, चंदेरी साड़ी, खादी रेशम, रेशे की वस्तुएं और पेंटिंग, चमड़ा उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्लॉक प्रिंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, अचार आदि।

वर्ष के दौरान, दिल्ली और हरियाणा में 2 प्रमुख प्रदर्शनियों में हमारे लाभार्थियों की कुल बिक्री का आंकड़ा इस प्रकार है : –

क्र. सं.	प्रदर्शनियों का नाम	दिनांक	बिक्री के आंकड़े (₹)
1.	आईआईटीएफ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली	14–27 नवंबर, 2021	5259050.00
2.	सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, फरीदाबाद, हरियाणा	19 मार्च से 4 अप्रैल , 2022	6000807.00
	कुल योग		**11259857.00**

2.1.11 राज्यों में समग्र जागरूकता शिविर

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने मंत्रालय और राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए 25 समग्र/जागरूकता शिविरों में भाग लिया। ये शिविर हरियाणा (अंबाला), मध्य प्रदेश (पिपलोदा, शाहजानपुर), हिमाचल प्रदेश (सिरमौर, सोलन), उत्तर प्रदेश (बरईबंधवा–कौशांबी, लखनऊ, झांसी, खुर्जा और गोरखपुर), जम्मू और कश्मीर (जम्मू, सांबा), पंजाब (जालंधर, फिरोजपुर), राजस्थान (श्रीगंगानगर, टोंक), छत्तीसगढ़ (बिलासपुर), उत्तराखंड (रामनगर, अल्मोड़ा, हरिद्वार), हिमाचल प्रदेश (सोलन), दिल्ली (डॉ. अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस और जागरूकता कार्यक्रम), राजस्थान (बाड़मेर, बीकानेर) और चंडीगढ़ में आयोजित किए गए थे।

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा लखनऊ में 17 से 26 दिसंबर 2021 तक "आजादी का अमृत महोत्सव 75", "स्वदेशी मेला" का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया

क्र. सं.	राज्य / जिले	कार्यक्रम विवरण	प्रतिभागी / स्थान	दिनांक
1	अंबाला, हरियाणा	भारत @ 75 उत्सव	40	05.07.2021
2.	पिपलोदा, शाहजानपुर, एमपी	भारत @ 75 उत्सव	39	07.08.2021
3.	सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	भारत @ 75 उत्सव	54	05.08.2021
4.	कौशाम्बी, बरई, बंधवा , उ.प्र	भारत @ 75 उत्सव	24	11.08.2021
5.	ग्राम : कुभरा, प्रखंड : मोहनलाल गंज, लखनऊ, यूपी	भारत @ 75 उत्सव	68	12.08.2021
6.	जम्मू, जम्मू और कश्मीर	भारत @ 75 उत्सव	52	11.08.2021
7.	सांबा, जम्मू और कश्मीर	भारत @ 75 उत्सव	50	09.08.2021
8.	जालंधर, पंजाब	भारत @ 75 उत्सव	45	15.08.2021
9.	फिरोजपुर, पंजाब	भारत @ 75 उत्सव	52	15.08.2021
10	श्रीगंगानगर, राजस्थान	भारत @ 75 उत्सव	150	12.08.2021
11	टोंक, राजस्थान	भारत @ 75 उत्सव	210	10.08.2021
12.	ग्राम–चकरबेधा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	भारत @ 75 उत्सव	52	04.09.2021
13.	रामनगर, उत्तराखंड	सामान्य जागरूकता कार्यक्रम सह–प्रदर्शनी	खुला मैदान	16 और 17 सितंबर, 2021
14.	सोलन, हिमाचल प्रदेश	सामान्य जागरूकता कार्यक्रम सह–प्रदर्शनी	खुला मैदान	28, 29 और 30 सितंबर, 2021
15.	गांव–कांडे, जिला : अल्मोड़ा, उत्तराखंड	भारत @ 75 उत्सव	40	16.10.2021
16.	झांसी, यूपी	वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम		20.10.2021
17.	गांव : वहाबी पुर, चांगमाजरी, हरिद्वार, उत्तराखंड	भारत @ 75 उत्सव	59	25.10.2021
18.	लखनऊ, यूपी	सामाजिक विकास कार्यक्रम और जागरूकता (सीआरसी)	सीआरसी (कौशल विकास पुनर्वास और पीडब्ल्यूडी के सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र	30.10.2021
19.	दिल्ली	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और जागरूकता कार्यक्रम के महापरिनिर्वाण दिवस	डीएआईसी परिसर	06.12.2021

क्र. सं.	राज्य / जिले	कार्यक्रम विवरण	प्रतिभागी / स्थान	दिनांक
20.	खुर्जा, यूपी	सीएसआर–सीजीसीआरआई के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम	फूलवारी सभागृह, खुर्जा	17.12.2021
21.	लखनऊ, यूपी	जागरूकता कार्यक्रम–सह–प्रदर्शनी, स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग से	उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य कला अकादमी, गोमती नगर, लखनऊ	17 दिसंबर से 26 दिसंबर, 2021
22.	गोरखपुर, यूपी	जागरूकता कार्यक्रम–सह–प्रदर्शनी उज्जवल उत्तर प्रदेश गोरखपुर के तहत, 2021	गोरखपुर सर्किट हाउस एनेक्सी	24–26.12.2021
23.	बाड़मेर, राजस्थान	टूलकिट वितरण–सह–जागरूकता कार्यक्रम	गगड़िया रोड, बाड़मेर	21.01.2022
24.	बीकानेर, राजस्थान		धरणीधर सभागार, बीकानेर	24.01.2022
25.	चंडीगढ़	ऋण मेला – सह–जागरूकता कार्यक्रम	महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़	26.03.2022

2.1.12 नई पहल

एनएसएफडीसी और एनडीडीबी, आनंद (गुजरात) के बीच दिनांक 30.12.21 को एनएसएफडीसी मुख्यालय, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया

- वर्ष के दौरान, आपके निगम ने दिनांक 16.11.21 को द गोट ट्रस्ट (टीजीटी), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के साथ समझौता करार पर हस्ताक्षर करके एक महत्वपूर्ण पहल की। एमओए के तहत, एनएसएफडीसी और टीजीटी संयुक्त रूप से फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) में और उसके आसपास अनुसूचित जाति पशुधन क्लस्टर के विकास और प्रबंधन के लिए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करेंगे और डेयरी / छोटे पशुधन फार्मों के आजीविका या कुशल प्रबंधन के स्रोत के रूप में मांस / खाद आदि।

- आनंद (गुजरात) के बीच 30.12.21 को एक और समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के तहत, एनडीडीबी अनुसूचित जाति के डेयरी किसानों को मेहसाणा और आनंद, (गुजरात), जालंधर (पंजाब), इरोड (तमिलनाडु), बंगलुरु (कर्नाटक), और सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)। प्रशिक्षण

दिनांक 8 फरवरी 2022 को एनएसएफडीसी के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर एनएसएफडीसी ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया

और क्षमता निर्माण के बाद इन किसानों को एनएसएफडीसी द्वारा रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। वर्ष के दौरान, एनडीडीबी ने 21.02.22 से 31.03.22 के बीच 03 बैचों में राजस्थान और गुजरात के 50 डेयरी किसानों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पूरा किया है।

दिनांक 8 फरवरी 2022 को एनएसएफडीसी के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर एनएसएफडीसी ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया

2.1.13 ऋण और गैर ऋण आधारित योजनाओं का बाह्य मूल्यांकन अध्ययन (2019–20) की अनुशंसा

9 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात में कवर किए गए क्रमशः 2,700 लाभार्थियों और 430 प्रशिक्षुओं (कुल 3130) को कवर करने के लिए अपनी ऋण आधारित योजना और गैर–ऋण आधारित योजनाओं का बाह्य मूल्यांकन अध्ययन शुरू किया था। वर्ष 2018–19 के दौरान कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों/परिणामों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण आधारित योजनाएं:

क्र. सं.	विवरण	विवरण
1.	अध्ययन के दौरान निरीक्षण किए गए लाभार्थियों की संख्या	9 राज्यों में 2,700
2.	लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत ने इच्छित उद्देश्य के लिए सहायता का उपयोग किया	2,700 (100%)
3.	सृजित संपत्ति के पास लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	2,700 (100%)
4.	गरीबी रेखा पार करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत (बीपीएल)	284 (10.52%)
5.	दोहरी गरीबी रेखा (डीपीएल) पार करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	315 (11.66%)*

गैर–ऋण आधारित योजनाएं

क्र. सं.	विवरण	विवरण		
1.	अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण किए गए प्रशिक्षुओं की संख्या	7 राज्यों में 430		
2.	एनएसएफडीसी के कौशल विकास प्रशिक्षण की उपयोगिता पर संतोष व्यक्त करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या और प्रतिशत	361 (84%)		
3.	प्रशिक्षुओं की वर्तमान रोजगार स्थिति	नौकरी कार्यरत	स्वनियोजित	संयुक्त राष्ट्र के कार्यरत
		(27%)	(12%)	(61%)
4.	नौकरीपेशा प्रशिक्षुओं का मासिक वेतन	औसत मासिक वेतन ₹12,500/– है		
5.	स्वरोजगार प्रशिक्षुओं की मासिक कमाई	औसत मासिक कमाई ₹6,400/– है		

*** अध्ययन इंगित करता है कि वर्तमान रोजगार डेटा की स्थिति वर्ष 2020 के दौरान कोविद 19 महामारी के कारण नौकरियों के नुकसान से प्रभावित हुई थी।**

<u>वर्ष : 2020–21</u>

2020–21 के दौरान, एनएसएफडीसी ने कोविड 19 के कारण महामारी से उत्पन्न तकनीकी कठिनाइयों को देखते हुए अपनी क्रेडिट और गैर–क्रेडिट आधारित योजनाओं का कोई बाहरी मूल्यांकन अध्ययन शुरू नहीं किया।

2.1.14 कोविड अनुकूल उचित व्यवहार का अवलोकन करना:

चल रही महामारी और संख्या में वृद्धि के कारण इस अवधि के दौरान COVID–19 के मामलों में, सरकार के अनुसार कार्यालय परिसर को नियमित आधार पर साफ किया गया था। आपके निगम द्वारा दिशानिर्देश द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए RTPCR परीक्षण किए गए। मैसर्स मैक्स हेल्थ केयर, गुड़गांव और एन–95 मास्क भी सभी कर्मचारियों को वितरित किए गए। इसके अलावा, अतिरिक्त उपाय जैसे सभी कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग, कार्यालय में आगंतुकों की संख्या को सीमित करना, ड्यूटी रोस्टर, मास्क का सख्त प्रवर्तन, और अन्य लोगों के बीच बैठक/सम्मेलनों के लिए आभासी प्लेटफार्मों का अधिक से अधिक उपयोग किया गया।

एनएसएफडीसी मुख्यालय में मैसर्स मैक्स हेल्थ केयर, गुड़गांव द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए RTPCR टेस्ट किए गए

2.1.15 ऋण आधारित योजनाओं और गैर–ऋण आधारित योजनाओं का बाह्य मूल्यांकन अध्ययन (2021–22):

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने मेसर्स को अपनी ऋण और गैर–ऋण आधारित योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन

शुरू किया और प्रदान किया। विकास उन्मुख संचालन अनुसंधान और सर्वेक्षण (दरवाजे), नोएडा (यूपी)। अध्ययन में 11 राज्यों में 2019–20 और 2020–21 के दौरान प्रशिक्षित 5790 लाभार्थियों / प्रशिक्षुओं को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

अध्ययन के अंतर्गत शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार लाभार्थी/प्रशिक्षु इस प्रकार हैं:–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	कुल
1.	छत्तीसगढ	100	30	130
2.	हरियाणा	100	110	210
3.	झारखंड	100	70	170
4.	केरल	200	20	220
5.	मध्य प्रदेश	240	170	410
6.	महाराष्ट्र	150	80	230
7.	राजस्थान	320	100	420
8.	सिक्किम	100	0	100
9.	तेलंगाना	100	30	130
10.	उत्तर प्रदेश	820	380	1,200
11	पश्चिम बंगाल	2470	100	2,570
	कुल	**4,700**	**1,090**	**5,790**

2.1.16 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम–उपलब्धियां

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 16,395 को प्रशिक्षित करने के लिए 32.88 करोड़ रुपये की लागत से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी दी और कार्यान्वित किया। निगम ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण हेतु 28 प्रशिक्षण संस्थानों को वर्ष के दौरान ₹30.89 करोड वितरित किए जिसमें अनुसूचित जाति, प्रशिक्षण (अनुदान) – अग्रिम और प्रशिक्षण व्यय लाभार्थियों के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठन को सहायता योजना के तहत, MoSJ&E द्वारा प्रदान की गई सहायता अनुदान, पीएम दक्ष योजना और लाभ कमाने वाले सीपीएसई से जुटाई गई सीएसआर फंड योजना के तहत MoSJ&E के अंतर्गत सहायता अनुदान राशि प्रदान की गई। इसके अलावा, एनएसएफडीसी ने पीएम–दक्ष योजना के तहत उनके माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करके आउटरीच का विस्तार करने के लिए 7 नए प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया ।

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न नौकरी भूमिकाओं/क्षेत्रों में आयोजित किए गए जैसे कि लेखा कार्यकारी, उन्नत कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क प्रबंधन, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा, परिधान/फैशन डिजाइनर, एराइज हैंड होल्ड प्रोडक्ट रूम एयर कंडीशनर और घरेलू उपकरण, सहायक सौंदर्य चिकित्सक, सहायक बढ़ई–लकड़ी के फर्नीचर, सहायक सजावटी पेंटर, सहायक इलेक्ट्रीशियन, ऑटो सीएडी, मोटर वाहन सेवा तकनीशियन (दो और तीन पहिया), बांस मैट वीवर, सीएनसी मिलिंग में सर्टिफिकेट कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स सीएनसी टर्निंग, सीएनसी टर्निंग एंड मिलिंग में सर्टिफिकेट कोर्स, फिटर एंड रिगर में सर्टिफिकेट कोर्स, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, डेकोरेटिव कटर ग्लासवेयर, डेकोरेटिव पेंटर ग्लासवेयर, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशन, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन , लीड बढ़ई–लकड़ी के फर्नीचर–लॉक इंस्टा एलईआर, मशीन ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर – सीएनसी मिलिंग, मशीन ऑपरेटर – प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट–प्लास्टिक प्रोसेसिंग/प्लास्टिक एक्सट्रूजन, मशीन ऑपरेटर–इंजेक्शन मोल्डिंग, मशीन ऑपरेटर–प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मास्टर सीएएम, मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स सीएडी ६ सीएएम, मेडिकल रिकॉर्ड सहायक, मेडिकल रिकॉर्ड और स्वास्थ्य सूचना तकनीशियन, मोबाइल फोन हार्डवेयर मरम्मत तकनीशियन, मोल्डिंग ऑपरेटर, ऑपरेटर–सिलाई–जूते, प्लंबर (सामान्य), उत्पादन पर्यवेक्षक (सिलाई), नमूना निर्माता–जूते, स्व–नियोजित दर्जी, सिलाई मशीन ऑपरेटर, स्टिचर – लेदर गुड्स एंड गारमेंट्स, टूल एंड डाई मेकर, ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडर, टू शाफ्ट हैंडलूम वीवर, वेयरहाउस एसोसिएट आदि।

प्रारंभ किए गए 16,395 में से 12,970 व्यक्तियों ने अपना कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया और सूचना के अनुसार प्रशिक्षुओं को स्व/वेतन–रोजगार में लगाने का कार्य चल रहा है। इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के दौरान शुरू हुए 3,907 व्यक्तियों के संबंध में प्रशिक्षण वर्ष के दौरान पूरा किया गया।

वर्ष 2021–22 के दौरान प्रारंभ और पूर्ण किए गए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार सार **अनुलग्नक–IV** में दिया गया है ।

2.1.17 अनुसूचित जाति बुनकर समूह का विकास

वर्ष के दौरान, डीसी (हथकरघा) ने पत्र दिनांक 25.10.21 के माध्यम से एनएचडीपी दिशानिर्देशों में संशोधन की जानकारी दी। अब ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर के स्थान पर क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू किया जाएगा। डीसी (हथकरघा) ने एनएसएफडीसी को रुपये के डायवर्जन की मांग करने का सुझाव दिया। ब्लॉकः बोरदोलोनी, जिला में 02 स्वीकृत हथकरघा समूहों के तहत धन के तत्काल उपयोग के लिए 2019–20 के दौरान ₹13.30 लाख जारी किए गए। धेमाजी और ब्लॉकः अगोमोनी, जिला धुबरी (असम) हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस) के तहत प्रौद्योगिकी उन्नयन का कार्य कर रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

2.1.18 अनुसूचित जाति के कारीगरों के समूह का विकास

गडरा रोड (बाड़मेर) और पूगल (बीकानेर), राजस्थान में हाथ कढ़ाई में लगी 200 अनुसूचित जाति महिला कारीगरों को टूलकिट के रूप में मोटर चालित सिलाई मशीनें वितरित की हैं। कार्यक्रम का आयोजन अप्रति एनएसएफडीसी की अध्यक्षता में किया गया। राज्य सरकार, नाबार्ड और डीसी (हस्तशिल्प), एचएससी, जोधपुर के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार द्वारा प्रायोजित फ्लैगशिप कार्यक्रम 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला कारीगरों को आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में सिलाई मशीनों का वितरण करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और अधिक सशक्त बनाना था।

श्री रजनीश कुमार जैनव, अप्रनि, एनएसएफडीसी द्वारा बाड़मेर (राजस्थान) में हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम में टूल–किट का वितरण किया गया

श्री रजनीश कुमार जैनव, अप्रनि, एनएसएफडीसी द्वारा बाड़मेर (राजस्थान) में हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम का दौरा किया गया

2.1.19 **वर्ष 2021–22 के दौरान सर्वश्रेष्ठ पांच प्रदर्शन करने वाले एससीए**

(क) संवितरण का लाभ उठाने वाले एससीए

क्र. सं.	एससीए का नाम	राशि (करोड़)
1.	डब्ल्यूबीएससीएसटीओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	63.07
2.	एमपीबीसीडीसी, महाराष्ट्र	58.71
3.	केएसडीसी, केरल	33.40
4.	थाडको, तमिलनाडु	18.18
5.	जम्मू और केएससीडीसी	16.22

(ख) उपयोग की गई निधि (संचयी)

क्र. सं.	एससीए का नाम	प्रतिशत
1.	एपीएसएफसी, आंध्र प्रदेश	100%
2.	एसएससीएसटीबीसीडीसी, सिक्किम	100%
3.	अनिक फाइनेंशियल	100%
4.	जीएसएसओबीसीडीसी, गोवा	99.95%
5.	केएसडीसी, केरल	98.09%
6.	एचएसएफडीसी, हरियाणा	95.90%

(ग) एससीए जिनको भुगतान किया गया

क्र. सं.	एससीए का नाम	राशि (करोड़)
1.	डब्ल्यूबीएससीएसटीओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	43.06
2.	एपीएससीएफसी, आंध्र प्रदेश	37.26
3.	एमपीबीसीडीसी, महाराष्ट्र	26.07
4.	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	12.72
5.	जीएससीडीसी, गुजरात	11.97

(घ) कवर किए गए लाभार्थी

क्र. सं.	एससीए का नाम	संख्या
1.	डब्ल्यूबीएससीएसटीओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	32279
2.	केएसडीसी, केरल	2297
3.	थाडको, तमिलनाडु	1995
4.	एमपीबीसीडीसी, महाराष्ट्र	1727
5.	टीएससीडीसी, त्रिपुरा	1365

(ङ) महिला लाभार्थी

क्र. सं.	एससीए का नाम	संख्या
1.	डब्ल्यूबीएससीएसटीओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	31555
2.	थाडको, तमिलनाडु	1993
3.	केएसडीसी, केरल	1452
4.	टीएससीडीसी, त्रिपुरा	825
5.	एमपीबीसीडीसी, महाराष्ट्र	691

2.1.20 वर्ष 2021–22 के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पीएसबी

	पैन इंडिया के लिए लिया गया संवितरण	
क्र. सं.	पीएसबी का नाम	राशि (करोड़)
1.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	82.62
2.	आईओबी–एचओ, तमिलनाडु	30.00
3.	इंडियन बैंक	25.00
4.	सिंडिकेट बैंक	14.89

2.1.21 वर्ष 2021–22 के दौरान सर्वश्रेष्ठ पांच प्रदर्शन करने वाले आरआरबी

	संवितरण का लाभ उठाया	
क्र. सं.	आरआरबी का नाम	राशि (करोड़)
1.	तमिलनाडु ग्राम बैंक, तमिलनाडु	50.40
2.	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटक	46.26
3.	पंजाब ग्रामीण बैंक, पंजाब	33.57
4.	आर्यावर्त बैंक, उत्तर प्रदेश	11.85
5.	कर्नाटक ग्रामीण बैंक, कर्नाटक	10.80

2.1.22 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहलें

2.1.22(क) वसूली अवसंरचना के विकास के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की प्रोत्साहन योजना (आईएसएसडीआरआई)

आपका निगम वर्ष 2007–08 से एक वित्तीय वर्ष में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा एनएसएफडीसी को चुकाई गई कुल राशि का 0.5% की दर से प्रोत्साहन देने के लिए योजना चला रहा है। यह ऐसे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के लिए है, जिनकी वित्त वर्ष के अंत में संचयी वसूली 60% से अधिक है अथवा पिछले वित्तीय वर्ष से कम से कम 10% अंश (पॉइंट) का वसूली में सुधार है और जिन्होंने एनएसएफडीसी को शत–प्रतिशत अदायगी की है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के अनुरोध पर, योजना को नीचे दिए अनुसार उदार किया गया है:

(i) पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में, एनएसएफडीसी को शत–प्रतिशत अदायगी करने वाले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में वर्ष में अदा की गई कुल राशि का 0.5% उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते कि उनकी लाभार्थियों से वसूली कम से कम 50% हो अथवा वसूली सुधार पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 5% पॉइंट है।

(ii) पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के अंत में, एनएसएफडीसी को 90% अदा करने वाले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में वर्ष में अदा की गई कुल राशि का 0.25% उपलब्ध कराया जाएगा बशर्ते कि उनकी लाभार्थियों से वसूली कम से कम 50% हो अथवा उनका वसूली सुधार पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 5% पॉइंट है।

चूंकि योजना का राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा अच्छा स्वागत किया गया था, इसलिए इसका कार्यान्वयन दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए निम्नलिखित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है:

क्र. सं.	एससीए का नाम	प्रोत्साहन राशि (₹)
1.	चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	9,300
2.	गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, गोवा	1,884
3.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, हरियाणा	2,29,980
4.	केरल राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, केरल	4,51,000
5.	केरल राज्य महिला विकास निगम, केरल	5,39,767
6.	यूबीयूवीवएन, उत्तराखंड	7,678
7.	पश्चिम बंगाल अजा, अजजा व पिव विकास एवं वित्त निगम, पश्चिम बंगाल	29,17,471
	कुल	**41,57,080**

2.1.22(ख) 'राष्ट्रीय निष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार' (एनएपीई) की योजना

आपका निगम, बेहतर निष्पादन करने वाले एससीए के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2007–08 से 'राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का रेटिंग तंत्र और बेहतर निष्पादन के लिए पुरस्कार की योजना' चला रहा है।

योजना का नाम संशोधित कर 'निष्पादन उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना' (एनएपीई) कर दिया गया है। योजना में संशोधन भारत सरकार की वर्तमान प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है।

नई योजना वर्ष 2016–17 से लगभग रू.45.00 लाख प्रति वर्ष के कुल बजट से कार्यान्वित की जाएगी।

'निष्पादन उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' के अंतर्गत निम्नलिखित एससीए को निष्पादन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी:

स्तर	पैरामीटर	पुरस्कार (रुपए लाख में)			कुल
		पहला	दूसरा	तीसरा	
I	एनएसएफडीसी से एक वर्ष में नोशनल आबंटन की तुलना में ₹3.00 करोड़ तक की निधि लेने वाले एससीए	5.00	3.00	2.00	**10.00**
II	एनएसएफडीसी से एक वर्ष में नोशनल आबंटन की तुलना में ₹3.00 करोड़ से अधिक और ₹10.00 करोड़ तक की निधि लेने वाले एससीए	7.00	5.00	3.00	**15.00**
III	एनएसएफडीसी से एक वर्ष में नोशनल आबंटन की तुलना में ₹10.00 करोड़ से अधिक की निधि लेने वाले एससीए	10.00	6.00	4.00	**20.00**
	कुल	**22.00**	**14.00**	**9.00**	**45.00**

2.1.23 लाभार्थियों के लिए की गई पहल

एक नई योजना की शुरूआत –आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों के लिए योजना (स्माईल) की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है:

योजना	यूनिट	यूनिट लागत के 97% तक अधिकतम ऋण सीमा	ब्याज प्रति वर्ष		पुर्नभुगतान अवधि
			एससीए/सीए	लाभार्थी	
स्माइल योजना (आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों के लिए योजना)	रु. 5.00 लाख तक	रु. 4.85 लाख तक (97%)	2%	4.5%	7 साल के अंदर

3. प्रचालनात्मक कार्य–निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन

3.1 आय और व्यय लेखा

(i) वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्रचालन (निवल) से आय (राजस्व) ₹60.98 करोड़ है। वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्रचालन (निवल) से प्रचालन लाभ या अधिशेष/राजस्व 60.42% है।

(ii) वर्ष 2020–21 के दौरान, आपके निगम की आय ₹72.52 करोड़ से बढ़कर ₹72.90 करोड़ हो गई है।

(iii) वर्ष 2020–21 में कर्मचारी लागत सहित कुल व्यय ₹.24.66 करोड़ से घटकर ₹21.22 करोड़ हो गया।

(iv) व्यय से आय की अधिकता, वर्ष 2020–21 के ₹47.86 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021–22 में ₹48.76 करोड़ है।

3.2 **लाभ का विनियोजन**

निगम व्यय से आय की अधिकता का 10% विशेष आरक्षित निधि में तथा शेष राशि सामान्य आरक्षित में अंतरित करता है। तद्नुसार, विशेष आरक्षित निधि में ₹4.46 करोड़ विनियोजित किया है और सामान्य आरक्षित में भावी संवितरण करने के लिए ₹40.06 करोड़ अंतरित किया है।

3.3 **प्रति शेयर अर्जन**

प्रति इक्विटी शेयर अर्जन वर्ष 2020–21 के ₹31.90 और ₹31.90 (मूलभूत और तरलीकृत) की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान ₹32.52 और ₹32.52 (मूलभूत और तरलीकृत) है।

4. निगम की कार्य पद्धति में सुधार

4.1 **समझौता–ज्ञापन श्रेणीकरण (2020–21)**

आपके निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार को लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए समझौता–ज्ञापन की स्व–मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत की। सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने 45.76 का समझौता ज्ञापन समग्र स्कोर दिया है और आपके निगम के प्रदर्शन को "बहुत अच्छा' के रूप में रेट किया है।

4.2 **गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस का आईएस/आईएसओ 9001:2008 से आईएस/आईएसओ 9001:2015 में परिवर्तन**

आपका निगम आईएसओ प्रमाणित संगठन है और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के आईएसओ मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) प्रमाणन की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है।

एनएसएफडीसी का गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा वर्ष 2019–20 में आईएसआई/आईएसओ 9001:2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) प्रमाणन की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप निगरानी–सह–परिवर्तन लेखापरीक्षा के सफल समापन के बाद, आईएस/आईएसओ 9001:2008 से आईएस/आईएसओ 9001:2015 में संशोधित किया गया था। इसके बाद, दिसंबर, 2020 माह में आईएस/आईएसओ 9001:2015 के अनुसार नवीनीकरण लेखापरीक्षा के संतोषजनक समापन पर, लाइसेंस के नवीनीकरण की संस्तुति नवंबर, 2022 तक की अवधि के लिए की गई है।

4.3 **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का सुदृढ़ीकरण**

4.3 एमआईएस का सुदृढ़ीकरण

- आपके निगम ने परियोजना, वित्त, कौशल प्रशिक्षण और अन्य विभागों से संबंधित फाइलों के डिजिटल प्रसंस्करण के लिए ई–ऑफिस लागू किया है। प्रधान कार्यालय एवं संपर्क केन्द्रों पर तैनात सभी अधिकारियों को ई–ऑफिस यूजर लाइसेंस आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को एनआईसी वीपीएन के साथ बाहरी नेटवर्क और दूरस्थ स्थानों से ई–ऑफिस तक पहुंचने के लिए आवंटित किया जाता है।
- व्यवसाय ऋण, शिक्षा ऋण और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित पूछताछ प्रस्तुत करने के लिए नागरिकों

की सुविधा के लिए लाभार्थी पूछताछ और अनुप्रयोग प्रबंधन (बीईएएम) मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। मोबाइल ऐप आपके निगम और अन्य एससीए के अधिकारियों को जागरूकता शिविर, मेला आदि में भाग लेने वाले आगंतुकों के ऋण और कौशल प्रशिक्षण पूछताछ की सुविधा प्रदान करता है। मोबाइल ऐप वर्तमान में आम जनता द्वारा डाउनलोड करने के लिए Google Play Store पर "NSFDC BEAM" के रूप में उपलब्ध है।

- आपके निगम ने एक नई गतिशील, दिव्यांग अनुकूल, द्विभाषी वेबसाइट प्रारंभ की थी और अनुरक्षित कर रहा है। जो भारत सरकार के वेबसाइट दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुपालन में एक वेब आधारित कौशल प्रशिक्षण अनुप्रयोग है जिसे एनआईसी क्लाउड सर्वर में होस्ट किया जा रहा है।

- आपका निगम विभिन्न रिपोर्टों के सृजन के लिए आंतरिक रूप से तैयार किए गए मॉड्यूल में परियोजना संबंधी आंकड़ों के लिए डाटाबेस अनुरक्षित कर रहा है। विभिन्न वायरसों, स्पाईवेयर, एडवेयर और अन्य दोषपूर्ण प्रोग्रामों के प्रति आंकड़ों, हार्डवेयर और नेटवर्किंग के व्यापक संरक्षण के लिए आपके निगम ने एंटी वायरस सॉफ्टवेयर संस्थापित किया है, जिसे आवधिक रूप से अपडेट किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु रिपोर्ट वर्ष के दौरान, पीसी, लैपटॉप, सहायक उपकरण और बाह्य उपकरणों का प्रापण किया गया।

5. मानव संसाधन विकास

5.1 मानव पूंजी और एनएसएफडीसी स्टाफ का प्रशिक्षण

आपके निगम में 31 मार्च, 2022 को प्रधान कार्यालय और निगम के तीन संपर्क केंद्रों को मिलाकर कुल 77 कर्मचारी नियोजित थे। निगम, संगठनात्मक स्थापना में अलग–अलग व्यक्तियों और समूहों के कार्य–निष्पादन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण और विकास को, संगठनात्मक क्रियाकलापों से संबंधित कार्य के रूप में मानता है। अपने मानव संसाधनों के कौशल को अधिनियमों, नियमों और व्यवसायिक लक्ष्यों को नवीनतम आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखने के लिए कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा, आपके निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के कोविड–19 महामारी के दौरान विभिन्न प्रमुख संस्थानों द्वारा आयोजित ऑनलाइन वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया था। इस संबंध में प्रशिक्षण और संस्थानों का विवरण इस प्रकार हैः

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम
1	ई–ऑफिस पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	डाक बीमा निदेशालय
2	सरकारी ई–मार्केटप्लेस (GeM) पर ऑनलाइन कार्यशाला	एनएएचआरडी, दिल्ली
3	ई–ऑफिस पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	एनआईएसडी, एमओएसजे एंड ई
4	रिकॉर्ड प्रबंधन में अभिविन्यास पाठ्यक्रम	भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
5	डीमिस्टिफाइंग फॉर्म सीएसआर–2 पर वर्चुअल सत्र	सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवसायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSRB), दिल्ली।

5.2 निगम के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बैंचमार्क दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व

आपके निगम ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बैंचमार्क दिव्यांगजन के लिए आरक्षण और छूट के लिए भारत सरकार की नीति का अनुपालन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त दि.04.06.2009 के पत्र सं.1–4/2009–सम के माध्यम से प्राप्त कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के दिनांक 14.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/17/2008–स्था.(आरक्षण) के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बैंचमार्क दिव्यांगजन के प्रतिनिधित्व संबंधी अपेक्षित डाटा निर्धारित प्रारूप में क्रमशरू अनुलग्नक–V, VI और VII पर है।

5.3 भर्ती में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष ध्यान देने के लिए उपाय

आपका निगम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.07.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 39016/7(एस)/2006–स्था.(बी) में निहित दिशानिर्देशों और गाइडलाइनों तथा अन्य बातों के साथ–साथ अल्पसंख्यकों की भर्ती के लिए विशेष ध्यान देने के विचारार्थ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15–सूत्री कार्यक्रमों का पालन भी कर रहा है।

5.4 कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

निगम ने कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है तथा कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा–4 के अनुपालन में आपकी कंपनी ने संगठन के परिसर में यौन उत्पीड़न की घटनाओं/शिकायतों, यदि कोई हो, की जांच पड़ताल करने के लिए प्रधान कार्यालय में तथा संपर्क केन्द्रों के स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति (समितियों) का दिनांक 9 जुलाई, 2019 को पुनर्गठन किया है। प्रधान कार्यालय तथा सभी संपर्क केंद्रों के बोर्ड पर आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्यों के नामों और संपर्क ब्यौरों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। वर्ष के दौरान, एनएसएफडीसी की वेबसाइट पर आंतरिक शिकायत समिति, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू) अधिनियम, हैंडबुक, शी–बॉक्स लिंक (http:www.shebox.nic.in/user/faq) और ई–मेल आईडी (nsfdc-shwwicc@gmail.com) से संबंधित सभी सूचना उपलब्ध कराई गई थी।

निगम ने 8 मार्च, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूकता पर आधारित श्स्पर्शश शीर्षक से एक लघु वीडियो जारी किया।

आंतरिक शिकायत समिति की बैठकें:

वर्ष के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए दिनांक 28.06.2021, 27.09.2021, 28.12.2021 और 28.03.2022 को एनएसएफडीसी की आंतरिक समिति (आईसीसी) की चार बैठकें हुईं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं पर आंतरिक शिकायत समिति की वार्षिक रिपोर्ट

इसके अलावा, अधिनियम की धारा–22 के अनुपालन में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित है:

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न शिकायतों की संख्या	शून्य
2.	ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निपटान किया गया	लागू नहीं
3.	ऐसे मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक तक लंबित थे	लागू नहीं
4.	यौन उत्पीड़न के विरुद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरुकता कार्यक्रमों की संख्या	शून्य
5.	कार्रवाई का स्वरूप	अपेक्षित नहीं

6. अन्य उपलब्धियां

6.1 राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

एनएसएफडीसी, संघ की राजभाषा नीति और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, निगम के कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है। हिंदी कार्यान्वयन का कार्य उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग) की अध्यक्षता में प्रबंधक, कार्यपालक और कनिष्ठ कार्यपालक द्वारा किया जाता है।

6.1.1 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में) रूप से जारी किया गया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2021–22 और अन्य आदेश/निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगम के सभी विभागों/अनुभागों/संपर्क केंद्रों को प्रेषित किया गया। राजभाषा नीति के अनुपालन में जांच बिंदुओं को जारी किया गया।

6.1.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

एनएसएफडीसी में राजभाषा नीति के अनुसार, राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एनएसएफडीसी राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है और इसकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित हुई। वर्ष के दौरान, एनएसएफडीसी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कुल चार बैठकें दिनांक 23.06.2021, 24.09.2021, 16.12.2021 और 28.03.2022 को आयोजित की गईं। समिति ने वार्षिक कार्यक्रम 2021–22 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) और राजभाषा नियम, 1976 के संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु रणनीति की रूपरेखा तैयार की। समिति ने इस संबंध में, आवधिक रूप से प्रगति की समीक्षा की और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित सुझावों की सिफारिश की।

6.1.3 हिंदी कार्यशाला का आयोजन

प्रधान कार्यालय में 14 से 28 सितंबर 2021 तक हिन्दी पखवाड़ा के दौरान हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया

वर्ष के दौरान, दिनांक 30.06.2021, 16.09.2021, 21.09.2021, 02.12.2021 और 31.03.2022 को पांच इन–हाउस कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जिसमें एनएसएफडीसी कार्मिकों को राजभाषा हिंदी में टिप्पण और मसौदा लेखन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ–साथ राजभाषा हिंदी का बेहतर उपयोग करने और इनस्क्रिप्ट/लिप्यांतरण/कंप्यूटर पर गूगल वॉयस टाइपिंग टूल्स के साथ यूनिकोड में हिंदी टाइपिंग, हिंदी तिमाही रिपोर्ट भरने, ई–ऑफिस पर राजभाषा हिंदी में कार्य, एमएस आफिस और एक्सेल पर हिंदी में कार्य, कंठस्थ एप्लिकेशन के अलावा संघ की राजभाषा नीति के नवीनतम प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

6.1.4 हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा

14 सितंबर 2021 को प्रधान कार्यालय में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया

वर्ष के दौरान, 14 सितंबर, 2020 को हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी के संदेश पढ़े गए। निगम के कार्मिकों द्वारा कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ाने हेतु प्रधान कार्यालय और संपर्क केंद्रों में 14–28 सितंबर, 2021 की अवधि के दौरान 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया गया। इस दौरान, प्रधान कार्यालय, दिल्ली और संपर्क केंद्रों में विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे – हिंदी टिप्पण/आलेखन, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी ज्ञान और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

इसके अलावा, इस वित्तीय वर्ष के दौरान निगम ने कार्मिकों के दो आयु समूहों में 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता शुरू की गई। इस प्रतियोगिता का आयोजन सफल रहा। सभी 6 विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

6.1.5 हिंदी प्रोत्साहन योजनाएं

वर्ष के दौरान, गत वर्ष 2020–21 के दौरान कार्मिकों को हिंदी में अधिकाधिक काम करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं जैसे (1) मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना, (2) अधिकारियों द्वारा हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना, (3) हिंदी में टाइपलेखन और आशुलिपि कार्य करने के लिए

प्रोत्साहन भत्ता योजना, (4) एनएसएफडीसी राजभाषा चल शील्ड योजना, (5) श्री शंकर दयाल सिंह राजभाषा सम्मान योजना और (5) समवर्ती मूल्यांकन पुरस्कार योजना के अंतर्गत सम्मानित किया गया। श्री शंकर दयाल सिंह राजभाषा सम्मान योजना के अंतर्गत श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक प्रबंधक, कौशल प्रशिक्षण को राजभाषा हिंदी में सराहनीय कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया। राजभाषा चल शील्ड पुरस्कार के अंतर्गत वित्त विभाग को सम्मानित किया गया और विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

6.1.6 <u>गृह पत्रिका</u>

वर्ष के दौरान, निगम की गृह पत्रिका का जनवरी से मार्च, 2021 एवं अप्रैल–जून, 2021 अंक का प्रकाशन किया गया। जिसका ई–संस्करण भी जारी किया गया।

6.2 <u>सतर्कता जागरुकता सप्ताह</u>

वर्ष के दौरान, आपके निगम में केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार **"Independent India@75 : Self Reliance with Integrity"–"स्वतंत्र भारत/75, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता"** विषय पर दिनांक 26.10.2021 से 01.11.2021 तक 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह–2021' मनाया गया।

'सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का उद्घाटन दिनांक 26.10.2021 को निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा – शपथ दिलाने के साथ आरंभ हुआ। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने कार्मिकों को सतर्कता के महत्व पर संबोधित किया। इसी प्रकार, आपके निगम के संपर्क केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने–अपने संपर्क केंद्रों में भी शपथ लेने के साथ 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' का आरंभ हुआ।

इस अवसर पर भारत के महामहीम राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार और मुख्य सतर्कता आयुक्तों के संदेशों को आपके निगम अधिकारियों/कर्मचारियों के लाभ के लिए सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया गया। साथ ही सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड पर एनएसएफडीसी सूचना प्रदाता नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) भी प्रदर्शित की गई थी।

'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' के दौरान आपके निगम द्वारा आंतरिक कायक्रमों की रूपरेखा तैयार कर आयोजित की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने की अनुभूतिपूर्ण आवश्यकता पर विचार करने और ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख स्थानों पर बैनर/नारे प्रदर्शित किए गए।

इसके अलावा, निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए 'क्या करें और क्या न करें' की सूची, एनएसएफडीसी की आचार, अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत परिभाषित कदाचारों और एनएसएफडीसी की सूचना प्रदाता नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया।

इसके अलावा, सतर्कता सप्ताह के दौरान, एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए दिनांक 27.10.2021 को "Independent India@75 : Self Reliance with Integrity"–"स्वतंत्र भारत, / 75, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

एनएसएफडीसी के कौशल प्रशिक्षण भागीदार, अर्थात् सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट), भोपाल (मध्य प्रदेश), और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी (सिपेट), कोच्चि (केरल) ने अपने संबंधित स्थानों पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

6.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपका निगम अक्तूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन कर रहा है।

(i) अपने कार्यकर्ताओं सहित निगम के कार्य का ब्योरा निगम की वेबसाइट (www.nsfdc.nic.in) पर दिया गया है।

(ii) अधिनियम के अंतर्गत, यथा अपेक्षित मैनुअलों को तैयार किया गया और वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।

(iii) निगम ने अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित अपीलीय प्राधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी, जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी को पदनामित किया।

(iv) निगम आरटीआई के शुरूआती वर्ष 2016–17 से ही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रबंधित आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर अनुकूलन के जरिए आरटीआई को ऑनलाइन कार्यान्वित कर रहा है।

(v) वर्ष के दौरान, 06 आवेदन और 07 अपील प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों को निर्धारित समय के अंदर निपटाया गया।

(vi) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 और 10.12.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/6/2011–आईआर के संबंध में, इस निगम ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत दी गई समय–सीमा के भीतर स्वतः खुलासा करने संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। वर्ष 2021–22 के दौरान, सीआईईसी द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, एनएसएफडीसी ने पारदर्शिता लेखापरीक्षा के ढांचे में एनएसएफडीसी द्वारा किए गए स्व–मूल्यांकन के आईएसटीएम, नई दिल्ली द्वारा किए गए तीसरे पक्ष की लेखापरीक्षा के बाद 778 (97.94%) में से 762 अंक प्राप्त किए। एनएसएफडीसी द्वारा प्रकाशित स्वतः संज्ञान (सू–मोटो) के खुलासे https://nsfdc.nic.in/hi/rti-act पर उपलब्ध हैं।

(vii) केंद्रीय सूचना आयोग को ऑन–लाइन रिपोर्ट किए गए अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम आवेदनों की वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान प्रत्येक तिमाही की स्थिति नीचे दी जा रही है:

	तिमाही के आरंभ में प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से हस्तांतरित होकर प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य जन प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय, जहां अनुरोध/अपील को रद्द किया	निर्णय, जहां अनुरोध/अपील को रद्द किया
पहली तिमाही के दौरान प्रगति (अप्रैल से जून, 2021)						
अनुरोध	02	1	12	01	04	07
पहली अपील	0	लागू नहीं	1	लागू नहीं	0	0
दूसरी तिमाही के दौरान प्रगति (जुलाई से सितंबर, 2021)						
अनुरोध	03	07	11	0	03	13
पहली अपील	01	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	01
तीसरी तिमाही के दौरान प्रगति (अक्तूबर से दिसंबर, 2021)						
अनुरोध	05	01	13	03	03	08
पहली अपील	0	लागू नहीं	01	लागू नहीं	0	01
चौथी तिमाही के दौरान प्रगति (जनवरी से मार्च, 2022)						
अनुरोध	05	01	14	04	02	14
पहली अपील	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0
	नामोदिष्ट सीएपीआईओ की कुल संख्या		**नामोदिष्ट सीपीआईओ की कुल संख्या**		**नामोदिष्ट पारदर्शिता अधिकारी की कुल संख्या**	**नामोदिष्ट अपीलीय अधिकारी की कुल संख्या**
	0		1		1	1

ब्लॉक II (संगृहीत शुल्क, प्रभारित दंड और की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में विवरण)

	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
धारा 7(1) के अंतर्गत संगृहीत पंजीकरण शुल्क (₹ में)	30	40	30	10
धारा 7(3) के अंतर्गत संगृहीत अतिरिक्त शुल्क (₹ में)	30	210	350	0

(viii) केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड सूचना का अधिकार पर चौथी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.202 के सूचना का अधिकार के 02 आवेदन लंबित थे। इन आवेदनों का बाद में निर्धारित समय सीमा में जवाब दिया गया।

6.4 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

आपके निगम द्वारा किए गए क्रियाकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(एम) के अंतर्गत विवरणों के प्रकटीकरण के दायरे में नहीं आते, जहां तक यह ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित है।

6.5 वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरणी http://www.nsfdc/reports-filings/documents/annual-return 2021–22 पर उपलब्ध है।

7. कर्मचारी और संबंधित प्रकटन का विवरण

अधिनियम की धारा 197(12) के प्रावधान और कंपनी नियम, 2014 के नियम 5(2) 5(3) (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के संबंध में पूर्ण वर्ष तक नियोजित रहे कर्मचारियों, जिन्हें उक्त नियमों में दी सीमा से अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है, के नाम और विवरण इसके साथ **अनुलग्नक–VIII** पर संलग्न हैं।

पारिश्रमिक संबंधी प्रकटन और अधिनियम की धारा 197(2) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के तहत आवश्यक अन्य विवरणों को वार्षिक लेखे में दिया गया है।

8. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास (सीएसआर और एसडी) नीति बनाई और बोर्ड को संस्तुति के लिए प्रस्तुत की गई है। कंपनी के कार्यकलापों को दर्शाने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति को कंपनी की वेबसाइट पर http://www.nsfdc.nic.in/hi/csr पर देखा जा सकता है।

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक–IX** पर संलग्न है।

एनएसएफडीसी की सीएसआर पहल–20 जनवरी, 2022 को सफदरजंग, नई दिल्ली में प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीन स्थापित की गई। श्रीमती मीनाक्षी लेखी, माननीय विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार, और श्री रजनीश कुमार जैनव, अप्रनि एनएसएफडीसी ने उद्घाटन किया।

9. **संसाधन लिंकेज कार्यक्रम**

असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के 6 आकांक्षी जिलों में कार्यान्वित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहली किस्त के लिए बीपीसीएल द्वारा 36.20 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

10. **कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट**

कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट इस रिपोर्ट का अविभाज्य अंग है और **अनुलग्नक–X** पर है। कंपनी के लेखापरीक्षकों से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण–पत्र कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हैं एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट **अनुलग्नक–XI** पर अनुबद्ध हैं।

11. **निदेशक मंडल**

निदेशक मंडल की अध्यक्षता, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने की। दिनांक 31.03.2021 को बोर्ड में 5 सदस्य थे। कृपया अतिरिक्त ब्योरों के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संबद्ध कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट का संदर्भ लें।

12. **निदेशक मंडल की बैठकें**

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की दो बैठकें आयोजित हुईं। कृपया अतिरिक्त ब्योरों के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ अनुबद्ध कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट का संदर्भ लें।

12.1 **पारिश्रमिक समिति**

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, पारिश्रमिक समिति की एक बैठक दिनांक 7.03.2022 को आयोजित हुई।

12.2 **लेखापरीक्षा समिति**

लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। कंपनी को धारा 8 के तहत लाइसेंस प्राप्त है। इसलिए, एमसीए अधिसूचना जीएसआर 466(ई) दिनांक 05.06.2015 द्वारा धारा 177 की उप धारा (2) से धारा 8 कंपनियों को छूट लागू है। कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में श्री रजनीश कुमार जैनव, श्री संजय पाण्डेय, श्री एस.एम. आवले और श्रीमती अंजुला सिंह माहुर। धारा 462 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एमसीए ने अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 द्वारा धारा 8 कंपनियों को धारा 177(2) के तहत लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता से छूट दी। श्रीमती अन्नू भोगल (कंपनी सचिव) लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया।

13. **जोखिम प्रबंधन**

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में निदेशक मंडल द्वारा जोखिम का उचित मूल्यांकन करने, प्रबंधन, कार्य (फ्रेम वर्क) और आंतरिक जोखिम मूल्यांकन को भी कम

करने, कॉर्पोरेट के उद्देश्यों को एकीकृत और संरेखित करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति अनुमोदित की गई है, जिसे दिनांक 15.11.2019 को आयोजित निदेशक मंडल की 152वीं बैठक में संशोधित किया गया।

कंपनी, मुख्य जोखिम एवं अनिश्चितताएं, जो कंपनी की कार्यनीति के उद्देश्य की प्राप्ति के सामर्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, को सुलझाने का प्रबंध, अनुश्रवण करती है तथा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। कंपनी की प्रबंधन समिति, संगठनात्मक ढांचा, प्रक्रिया और स्तर तथा आचार संहिता बताती है कि कंपनी व्यापार को तथा उससे जुड़े जोखिमों को कैसे प्रबंधित करती है। तदनुसार, निगम के सभी विभागों के प्रमुख जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा संभावित जोखिम क्षेत्रों का आकलन किया जाता है और सुझाए गए संवेदनशील क्षेत्रों को निदेशक मंडल के समक्ष और तिमाही निदेशकों की समीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाता है।

14. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों की जांच की गई और डिजाइन अथवा प्रचालन में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई।

15. वार्षिक आम बैठक

वर्ष के दौरान, वर्ष 2020–21 के लेखों को अपनाने के लिए दिनांक 26.11.2021 को 32वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित हुई थी। संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नाम में एक शेयर के सिवाय संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा धारित है, जिनका प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करता है। वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखे निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ अपनाए गए।

16. निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–134(5) के प्रावधानों के अनुसार आपके निदेशकों का कहना है कि:

क. वार्षिक लेखे को तैयार करने में उपयुक्त लेखा मानदंडों का पालन किया गया है तथा दिए गए तथ्यों संबंधी उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

ख. वित्तीय वर्ष के अंत में, निगम के कार्यों का एवं उसी अवधि के लिए आय व व्यय का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और लगातार लागू किया तथा निर्णय व प्राक्कलन किए, जो उपयुक्त और विवेकी हैं।

ग. निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखे को कार्यशील आधार पर तैयार किया है।

ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने योग्य आंतरिक नियंत्रणों को बनाया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपयुक्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

17. **<u>कोविड–19 महामारी के दौरान एनएसएफडीसी का हस्तक्षेप</u>**

रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान, कोविड–19 महामारी के संबंध में, कंपनी का संचालन बाधित नहीं हुआ है और कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है। दिनांक 31.03.2022 को कंपनी के नकद प्रवाह पर कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया है।

एनएसएफडीसी ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान पूरे भारत में COVID-19 CSR पहल की है।

गतिविधियों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, हल्के और मध्यम कोविड रोगी के लिए दवाएं, अस्थायी कोविड–19 उपचार के लिए उपकरण सहायता, पका हुआ भोजन वितरण का कार्यक्रम शामिल है। ये गतिविधियां दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में आयोजित की गईं। एनएसएफडीसी की गतिविधियों को राज्य सरकारों से भी सराहना मिली।

18. **<u>लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट</u>**

18.1 **<u>सांविधिक लेखापरीक्षक</u>**

मैसर्स पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। इस रिपोर्ट में कंपनी की रिपोर्ट के साथ दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखे पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के उत्तर क्रमशः **<u>परिशिष्ट–क और ख</u>** पर दिए गए हैं।

18.2 **<u>नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा</u>**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एमएबी–IV के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) और (7) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखे पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अभ्युक्तियां और कंपनी का उत्तर इस रिपोर्ट के **<u>परिशिष्ट–ग</u>** पर है।

18.3 **<u>आचार संहिता</u>**

निदेशक मंडल ने कंपनी के बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध समिति के लिए कार्य प्रबंधन कोड और नीति बनाई है। कंपनी के सभी निदेशक मंडल और कोड के अनुपालन को मुख्य अधिकारियों ने स्वीकार किया है।

19. **<u>सामान्य</u>**

आपके निदेशक बताते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों के संबंध में कोई खुलासा अथवा रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है:

(i) धारा 149 की उप धारा (6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा पर बयान;

(ii) यदि कंपनी धारा 178 की उप धारा (1) के अंतर्गत शामिल है तो अर्हताएँ निश्चित करने के मानदंड,

कंपनी की नीति, सकारात्मक विशेषताएँ, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा धारा 178 की उप धारा (3) के अंतर्गत दिए अन्य मामलों सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति;

(iii) धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण;

(iv) धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ संविदा अथवा व्यवस्था संबंधी निर्धारित प्रारूप में विवरण;

(v) राशि, यदि कोई है, उसे लाभांश के रूप में अदा करने के लिए संस्तुत किया जाना चाहिए;

(vi) प्राधिकारियों अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कोई विशेष या महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और भावी प्रचालन को प्रभावित करें।

20. आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, निगम के कार्मिकों द्वारा वर्ष के दौरान दी गई सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रलय को आपके निगम को बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए समय–समय पर मार्गदर्शन देने में सतत् सहायता करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण, कंपनी कार्य विभाग, लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं राज्य स्तर के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगमों तथा अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा दी गई सतत् सहायता के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों एवं एजेंसियों, कंपनी के लेखापरीक्षकों की सतत् सलाह एवं मार्गदर्शन के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

(रजनीश कुमार जैनव)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09056584

स्थानः दिल्ली
दिनांक : 18.08.2022

अनुलग्नक-I
(पैरा 1.5 देखें)

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

संगठन चार्ट (31.03.2022 तक)

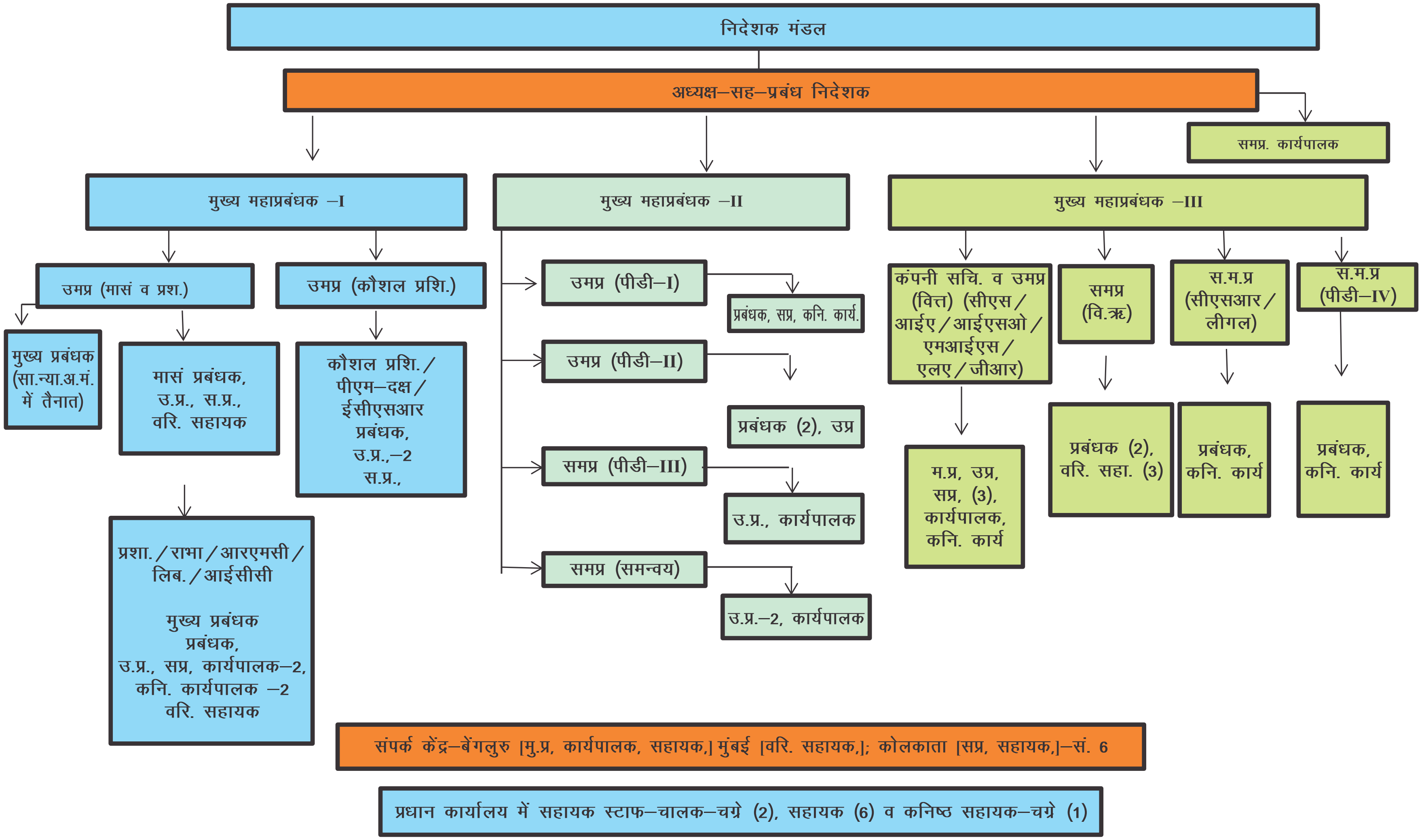

अनुलग्नक–II (क)
(पैरा 1.7 देखें)

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ शसित क्षेत्र	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड 2. आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम
2.	असम	3. असम राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम लिमिटेड
3.	बिहार	4. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड
4.	छत्तीसगढ़	5. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
5.	गोवा	6. गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
6.	गुजरात	7. गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम 8. डॉ. अम्बेडकर अंतोदय और विकास निगम
7.	हरियाणा	9. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
8.	हिमाचल प्रदेश	10. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम
9.	झारखंड	11. झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम
10.	जम्मू व कश्मीर	12. जम्मू व कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड
11.	कर्नाटक	13. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विकास निगम लिमिटेड
12.	केरल	14. केरल राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड 15. केरल राज्य महिला विकास निगम
13.	मध्य प्रदेश	16. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
14.	महाराष्ट्र	17. महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड 18. साहित्यरत्न लोकशाहिर अन्ना भाऊ साठे विकास निगम 19. संत रोहिदास चर्मोद्योग एवं चर्मकार विकास निगम
15.	मणिपुर	20. मणिपुर जनजाति विकास निगम लिमिटेड 21. मणिपुर राज्य अजजा और अजा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड
16.	मेघालय	22. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड
17.	मिजोरम	23. मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक लिमिटेड 24. मिजोरम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
18.	ओडिशा	25. ओडिशा अजा और अजजा विकास वित्त सहकारी निगम लिमिटेड
19.	पंजाब	26. पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम
20.	राजस्थान	27. राजस्थान अजा और अजजा वित्त एवं विकास सहकारी निगम
21.	सिक्किम	28. सिक्किम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम
22.	तमिलनाडु	29. तमिलनाडु आदि द्रविड़ गृह एवं विकास निगम
23.	त्रिपुरा	30. त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड
24.	उत्तर प्रदेश	31. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
25.	उत्तराखंड	32. उत्तराखंड बहु–उद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम
26.	पश्चिम बंगाल	33. पश्चिम बंगाल अजा एवं अजजा विकास एवं वित्त निगम
27.	चंडीगढ	34. चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड
28.	दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन व दीव	35. दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
29.	दिल्ली	36. दिल्ली अजा, अजजा, अपिव, अल्पसंख्यक और विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम लि.
30.	पुदुचेरी	37. पुदुचेरी आदि द्रविड़ विकास निगम लिमिटेड

टिप्पणी:

विवरणिका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप राज्य और संघ शासित क्षेत्र को छोड़कर है, जिनमें जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार वहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है इसलिए विवरणिका में शामिल नहीं किया गया है।

अनुलग्नक–II (ख)
(पैरा 1.7 देखें)
(2 का 1)

चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची – वैकल्पिक चैनल

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1. चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक
		2. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
		3. सप्तगिरी ग्रामीण बैंक
		4. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक
2.	असम	5. ग्रामीण विकास और वित्त प्राइवेट लिमिटेड
		6. असम ग्रामीण विकास बैंक
		7. उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम
		8. कोनोकलता महिला शहरी सहकारी बैंक
3.	बिहार	9. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक
		10. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
4.	छत्तीसगढ	11. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
5.	दिल्ली	12. पंजाब नेशनल बैंक (पैन इंडिया)
		13. पंजाब एंड सिंध बैंक (पैन इंडिया)
		14. डॉन बॉस्को टेक सोसायटी
6.	गुजरात	15. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
		16. श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड
		17. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
7.	हरियाणा	18. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक
8.	हिमाचल प्रदेश	19. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
9.	जम्मू और कश्मीर	20. जम्मू–कश्मीर ग्रामीण विकास, जम्मू–कश्मीर
		21. इलाकई देहाती बैंक, जम्मू
10.	झारखंड	22. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
		23. झारखंड रेशम, कपड़ा और हस्तशिल्प विकास निगम
11.	कर्नाटक	24. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
		25. कर्नाटक ग्रामीण बैंक
		26. केनरा बैंक (पैन इंडिया)
12.	केरल	27. केरल ग्रामीण बैंक
13.	महाराष्ट्र	28. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
		29. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक
		30. अनिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
		31. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पैन इंडिया)

अनुलग्नक–II (ख)
(पैरा 1.7 देखें)
(2 का 2)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
		32. बैंक ऑफ बड़ौदा (पैन इंडिया)
14.	मध्य प्रदेश	33. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
		34. मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इंदौर
15.	मणिपुर	35. मणिपुर ग्रामीण बैंक
16.	ओडिशा	36. संबंध फिनसर्व प्रा. लिमिटेड
17.	पुदुचेरी	37. पुदुवई भारतियार ग्राम बैंक
18.	पंजाब	38. पंजाब ग्रामीण बैंक
19.	राजस्थान	39. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
		40. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक
20.	तमिलनाडु	41. इंडियन ओवरसीज बैंक (पैन इंडिया)
		42. इंडियन बैंक (पैन इंडिया)
		43. तमिलनाडु ग्राम बैंक
21.	तेलंगाना	44. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
		45. स्त्रीनिधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड
22.	त्रिपुरा	46. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
23.	उत्तर प्रदेश	47. आर्यावर्त बैंक
		48. बड़ौदा यूपी बैंक
		49. प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक
		50. यूपी सहकारी ग्रामीण विकास बैंक
24.	उत्तराखंड	51. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
25.	पश्चिम बंगाल	52. पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक
		53. ब्रिटी प्रोशिक्षण प्राइवेट लिमिटेड

अनुलग्नक–III
(पैरा 2.1.2 (ग) देखें)

समझौता–ज्ञापन लक्ष्य की उपलब्धियां (2021–22)

क्र. सं.	निष्पादन मापदंड	इकाई	अंक	"उत्कृष्ट" लक्ष्य	उपलब्धियां
(i)	प्रचालन से आय	(रु.) करोड़ में	10	73.38	60.98
(ii)	संपत्ति कारोबार अनुपात	प्रतिशत	5	3.83	3.27
(iii)	राजस्व के प्रतिशत के रूप में EBTDA	प्रतिशत	10	69.96	66.80
(iv)	कुल मूल्य पर रिटर्न	प्रतिशत	10	2.78	2.26
(v)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	प्रतिशत	5	2.67	2.23
(vi)	उपलब्ध कुल निधियों में संवितरित ऋण	प्रतिशत	15	100	86.62
(vii)	सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को संवितरित ऋण	प्रतिशत	10	53.08	43.39
(viii)	कुल ऋणों की तुलना में अतिदेय ऋण	प्रतिशत	10	18.60	21.26*
(ix)	कुल ऋण के लिए एनपीए	प्रतिशत	10	0.75	0.74
(x)	भौगोलिक कवरेज	प्रतिशत	5	100	91.66
(xi)	कुल संवितरण में से मुख्य लाभार्थी को किया गया लास्ट माइल संवितरण	प्रतिशत	10	100	24.95
			100		

*डीपीई के अनुसार।

(पैरा 2.1.13 (क) देखें)

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पीएम–दक्ष योजना के तहत शुरू और पूर्ण किए गए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सार

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आरंभ किए गए कार्यक्रम (प्रशिक्षणार्थियों की सं.)	पूर्ण कार्यक्रम (प्रशिक्षणार्थियों की सं.)
1	एसीएफ, मुंबई	349	465
2	अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड	388	250
3	ए टी डी सी	1,377	850
4	ब्राइट स्कूल समिति	150	100
5	सीआईआई–आईएल	339	250
6	सीआईपीईटी	962	480
7	डीबीएफ	530	250
8	हिमकॉन	160	130
9	आईडीडब्ल्यूएस	150	100
10	आईईडी– लखनऊ	960	960
11	आईआईई–गुवाहटी	200	200
12	जेकेआईटीसीओ	100	100
13	एमपीकॉन लिमिटेड	140	120
14	एमएसएमई–इंदौर	260	140
15	एमएसएमई–लुधियाना	50	0
16	एमएसएमई– दुर्ग	47	75
17	एमएसएमई – आगरा	242	220
18	एमएसएमई– भिवाड़ी	104	175
19	एमएसएमई–भोपाल	13	30
20	एमएसएमई–मुंबई	86	80
21	एमएसएमई–पुदुचेरी	17	60
22	एमएसएमई– रोहतक	32	25
23	एमएसएमई– रामनगर	20	0
24	एमएसएमई – विशाखापत्तनम	10	0
25	एनएचएफडीसी फाउंडेशन	65	20
26	निसबड	7,859	6,150
27	निटकॉन लिमिटेड	1,635	1,640
28	पीएसी	150	100
	कुल	**16,395**	**12,970**

अनुलग्नक–V
(पैरा 5.2 देखें)

बैंचमार्क दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व
(1 जनवरी, 2022 को यथास्थिति)

समूह	कार्मिकों की संख्या				सीधी भर्ती द्वारा							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या		
	कुल	दृबा	श्रबा	लोवि	दृबा	श्रबा	लोवि	कुल	दृबा	श्रबा	लोवि	दृबा	श्रबा	लोवि	कुल	दृबा	श्रबा	लोवि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह 'क'	47	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ख'	06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग'	24	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**77**	**1**	–	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

टिप्पणी : बैंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्तियों का समग्र प्रतिनिधित्व 3.89% है।

अनुलग्नक–VI
(पैरा 5.2 देखें)
अजा/अजजा/अपिव रिपोर्ट–II

वर्ष की पहली जनवरी को समूह 'क' की विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा गत कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नामः **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली**

वेतनमान (रुपयों में)	अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (01.01.2022 को)				कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान हुई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति द्वारा		
	कार्मिकों की कुल सं.	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
प्रतिनियुक्ति पर अप्रनि [सी.डी.ए. पद्धति]	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-7: ₹100000-260000	3	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
ई-6: ₹90000-240000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-5: ₹80000-220000	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-4: ₹70000-200000	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-3: ₹60000-180000	3+1*	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-2: ₹50000-160000	9	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-1: ₹40000-140000	10	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-0: ₹30000-120000	9	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**47**	**12**	**3**	**7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**

* प्रतिनियुक्ति पर

अनुलग्नक–VII
(पैरा 5.2 देखें)
अजा/अजजा/अपिव रिपोर्ट–I

वर्ष की पहली जनवरी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा गत कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नामः **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली**

समूह	अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (01.01.2022 को)				कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान हुई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा		
	कार्मिकों की कुल संख्या	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
समूह 'क' प्रबंधकीय/कार्यपालक स्तर*	47	12	03	07	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
समूह 'ख' गैर–पर्यवेक्षीय स्तर	06	04	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग' गैर–कार्यपालक स्टाफ (सफाई कर्मियों के अलावा)	24	11	01	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**77**	**27**	**4**	**14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**

* अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित।

अनुलग्नक–VIII
(पैरा 7 देखें)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत अपेक्षित कर्मचारियों के विवरण

(क) समीक्षाधीन पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित थे और वित्तीय वर्ष में प्राप्त पारिश्रमिक का कुल योग ₹1,02,00,000/– से कम नहीं था:

क्रम सं.	नाम और आयु	पदनाम और ड्यूटियों का स्वरूप	प्राप्त पारिश्रमिक	अर्हताएँ	अनुभव (वर्ष)	नियोजन प्रारंभ की तारीख	पूर्व नियोजन	अधिनियम की धारा 217 की उप–धारा (2क) के खंड (क) के उप–खंड (iii) के अर्थांतर्गत में कंपनी में कर्मचारी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत
शून्य								

(ख) वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियोजित थे एवं प्राप्त पारिश्रमिक प्रतिमाह ₹8,50,000/– की दर से कम न हो।

क्रम सं.	नाम और आयु	पदनाम और ड्यूटियों का स्वरूप	प्राप्त पारिश्रमिक	अर्हताएँ	अनुभव (वर्ष)	नियोजन प्रारंभ की तारीख	पूर्व नियोजन	ऊपर उप–नियम (2) के उप–खंड (iii) के अर्थांतर्गत कंपनी में कर्मचारी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत	क्या ऐसा कोई कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक का रिश्तेदार है और यदि हां, तो उस निदेशक या प्रबंधक का नाम
शून्य									

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त सभी नियुक्तियों की शर्तें एवं निबंधन कंपनी के नियमों के अनुसार हैं।
2. प्राप्त किए गए पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वेतन, भत्ते और बोनस शामिल हैं।
3. यदि पूरे वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए नियोजित किया गया है, तो उस वर्ष में प्राप्त कुल पारिश्रमिक अथवा यथास्थिति, ऐसी दर पर प्राप्त किया जो, प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक के वेतन से अधिक था और जो स्वयं अथवा अपने पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों का न्यूनतम 2 प्रतिशत धारित करता हो।

अनुलग्नक–IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 10 का 1)

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की सीएसआर नीति का प्रारूप:**

लक्ष्य:

निगम की सीएसआर नीति का लक्ष्य सतत् आजीविका पर बल देने और सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों और बड़े पैमाने पर समाज हेतु जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए योगदान सुनिश्चित कर एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में स्थापित होना।

उद्देश्य:

सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए विकास कार्यक्रमों और अन्य नवीन पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानता को कम करने के उद्देश्य से समावेशी संवृद्धि और समान विकास को बढ़ावा देना।

केंद्रित कार्यनीति:

एनएसएफडीसी की मूल आकांक्षा लक्ष्य समूह के बीच गरीबी को कम करना और अंततः समाप्त करना है। एनएसएफडीसी सतत् आर्थिक विकास पर बल देने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत् विकास (सीएसआर और एसडी) परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा। एनएसएफडीसी आर्थिक विकास पर बल देगा जो पर्यावरणीय स्थिरता सहित आय, लिंग और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने पर केंद्रित है। एनएसएफडीसी इन उद्देश्यों को साकार करने के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोणों का प्रयोग करेगा। इसके अलावा, एनएसएफडीसी और उसके सीएसआर भागीदारों की सेवाओं के वितरण और विकास प्रभावकारिता में वृद्धि के लिए आंतरिक क्षमताओं और दक्षताओं में सुधार हेतु उपाय अपनाए जाएंगे। एनएसएफडीसी बृहद् सामाजिक प्रभाव के लिए संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए सहयोग एवं संसाधन जुटाएगा। एनएसएफडीसी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत् विकास गतिविधियों के लिए लाभ कमाने वाले सीएसपीई से सीएसआर फंड का लाभ उठाना जारी रखेगा।

5 (क) *(i) क्या सीएसआर समिति का गठन किया गया है — हाँ

(ii) सीएसआर समिति के गठन में निदेशकों की संख्या — 3

(iii) वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या — 2

क्र. सं.	डीआईएन	निदेशक का नाम	श्रेणी	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
1	09056584	रजनीश कुमार जैनव	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	3
2	06804536	एस.एम. अवाले	निदेशक	3
3	09453376	दुर्गा प्रसाद राय	गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	1
4	08889078	उपमा श्रीवास्तव	निदेशक	1

(ख)	*(i)	चाहे कंपनी की कोई वेबसाइट हो	हाँ
	(ii)	यदि हां, तो वेब–लिंक प्रदान करें	www.nsfdc.nic.in
	(iii)	क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित का खुलासा किया गया है":	
	सीएसआर समिति की संरचना		हाँ
	सीएसआर नीति		हाँ
	सीएसआर परियोजनाओं को बोर्ड ने मंजूरी दी		हाँ
(ग)	*(i)	क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है, यदि लागू हो	लागू नहीं
	(ii)	यदि हां, तो क्या इसका खुलासा बोर्ड की रिपोर्ट में किया गया है	लागू नहीं
		वेब–लिंक, यदि कोई हो, प्रदान करें	लागू नहीं
(घ)	*(i)	क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए कोई राशि उपलब्ध है	नहीं

6 (क) *क्या कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से तीन वित्तीय वर्ष की अवधि पूरी की है — हाँ

(ख) यदि नहीं, तो निगमन के बाद से पूर्ण वित्तीय वर्षों की संख्या प्रदान करें — लागू नहीं

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों के लिए शुद्ध लाभ और अन्य विवरणः

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ में)		
		वित्त वर्ष–1 (18–19)	वित्त वर्ष–1 (18–19)	वित्त वर्ष–1 (18–19)
1	कर देने से पूर्व लाभ	512667000.00	609790000.00	478213000.00
2	यू/एस 198 के तहत शुद्ध लाभ की गणना	512667000.00	609790000.00	478213000.00
3	सीएसआर नीति नियम 2014 के नियम 2(1)(एच) के अनुसार समायोजित कुल राशि	0.00	0.00	0.00
4	धारा 135 के लिए कुल शुद्ध लाभ (2–3)	512667000.00	609790000.00	478213000.00

	(घ)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	₹533556666.66
7.	(क)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%	₹10671133.33
	(ख)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	शून्य
	(ग)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो	शून्य
	(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7ए7बी–7सी)	₹10671133.33
8.	(क)	क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि खर्च की गई है	हाँ
	(ख)	यदि हां, सीएसआर राशि के खिलाफ खर्च किया गया है	जारी प्रोजेक्ट
		वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं की संख्या	17

अनुलग्नक–IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 10 का 4)

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
क्र. सं.	प्रोजेक्ट आईडी/फाइल नं.	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (महीनों में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (राशि ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका –प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की तरीका– कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
					पूरा करना	जिला				नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	एनएसएफडीसी/सीएसआर/डीएलएच/बीयूडीएस/38 (ई–ऑफिस कंप्यूटर नंबर 50576)।	खंड i (iv)	कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया, दिल्ली एनसीआर	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	48 महीने	34300	नहीं	बाल उमंग दृश्य संस्था	सीएसआर 00003766
2	एनएसएफडीसी/सीएसआर/डीएलएच/एसडीएच/40 (ई–आफिस कम्प्यूटर नं.– 49067)	खंड i (iv)	COVID–19 रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सा उपकरण	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	48 महीने	176000	नहीं	स्वामी दयानंद अस्पताल	सीएसआर 00004364
3	एनएसएफडीसी/सीएसआर/डीएलएच/डीएसजीएमसी/39 (ई–ऑफिस नंबर नहीं)	खंड i (iv)	हरि नगर, दिल्ली में कोविड–19 उपचार सुविधा के लिए 100 बिस्तरों के विस्तार के लिए ऑक्सीजन कंट्रोल पैनल	हाँ	दिल्ली	हरि नगर	48 महीने	483000	नहीं	दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति	सीएसआर 00004559
4	एनएसएफडीसी/सीएसआर/टेलीफोन/एसआईएफ/06 (कोई ई–ऑफिस संख्या नहीं।)	खंड i (iv)	COVID–19 अलगाव केंद्र, हैदराबाद, तेलंगाना के लिए बुनियादी ढांचा	हाँ	तेलंगाना राज्य	हैदराबाद	48 महीने	360000	नहीं	सर्ज इम्पैक्ट फाउंडेशन	सीएसआर 00002744
5	एनएसएफडीसी/सीएसआर/डीएलएच/एडी/41 (ई–आफिस कम्प्यूटर संख्या–41722)	खंड i (iv)	COVID–19 के हल्के और मध्यम रोगियों के लिए मेडिसिन किट (200 नग) सरकार से जुड़ी हुई है। चिकित्सा केंद्र, एनसीटी दिल्ली	हाँ	दिल्ली	उत्तरी दिल्ली	48 महीने	600000	नहीं	अनुग्रह दृष्टिदान	सीएसआर 00005982
6	एनएसएफडीसी/सीएसआर/डीएलएच/एमआई/42 (ई–आफिस कम्प्यूटर संख्या–41702)	खंड i (iv)	COVID–19 रिलीफ प्रोजेक्ट, दिल्ली के तहत ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स (05 नग)।	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	48 महीने	487200	नहीं	महावीर इंटरनेशनल	सीएसआर 00002906
7	एनएसएफडीसी/सीएसआर/डीएलएच/एनईएफ/44 (ई–आफिस कम्प्यूटर नं.– 50277)	खंड i (iv)	आचार्य श्री भिक्षु सरकार में COVID–19 रोगियों को ऑक्सीजन सिलेंडर। अस्पताल, दिल्ली	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	48 महीने।	198000	नहीं	कर्मसाक्षी सेवा संस्थान	सीएसआर 00001824

अनुलग्नक–IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 10 का 5)

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
क्र. सं.	प्रोजेक्ट आईडी / फाइल नं.	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (महीनों में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (राशि ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका –प्रत्यक्ष (हां / नहीं)	कार्यान्वयन की तरीका– कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
					पूरा करना	जिला				नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
8	एनएसएफडीसी / सीएसआर / डीएलएच / एनईएफ / 44 (ई–आफिस कम्प्यूटर नं.– 50277)	खंड i (iv)	दिल्ली, एनसीआर में COVID–19 मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर	हाँ	दिल्ली	उत्तरी दिल्ली	48 महीने	95500	नहीं	नेत्रम आई फाउंडेशन	सीएसआर 00000560
9	एनएसएफडीसी / सीएसआर / डीएलएच / एसपीवाईएम / 45 (ई–आफिस कम्प्यूटर नं–48553)	खंड i (iv)	निजामुद्दीन / नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों और बेघरों के लिए भोजन वितरण	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	48 महीने।	135000	नहीं	युवाओं और जनता के संवर्धन के लिए सोसायटी	सीएसआर 00004209
10	एनएसएफडीसी / सीएसआर / एमएएच / टीडीआरएफ / 04 (ई–ऑफिस फाइल संख्या 47919)	खंड i (iv)	सुंदरबाग मलिन बस्तियों, मुंबई में दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण	हाँ	महाराष्ट्र	मुंबई	48 महीने	193500	नहीं	ट्रिप्स–डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन	सीएसआर 00002309
11	एनएसएफडीसी / सीएसआर / केटीके / टीयूएफ / 01 (ई–आफिस कम्प्यूटर संख्या–45358)	खंड i (iii)	मर्सी किचन की परियोजना के तहत डीजे हल्ली स्लम, बेंगलुरु में प्रवासी श्रमिकों, बेघरों, कम चलने वाले और जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण	हाँ	कर्नाटक	बेंगलुरु	48 महीने	262500	नहीं	यूनाइटेड फाउंडेशन	सीएसआर 00004118
12	एनएसएफडीसी / सीएसआर / डीएलएच / जीजे2021 / 48 (ई–ऑफिस नंबर–45029)	खंड ii (i)	गांधी जयंती समारोह	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	48 महीने	19343	हाँ	एनएसएफ–डीसी द्वारा प्रत्यक्ष	लागू नहीं
13	एनएसएफडीसी / सीएसआर / डीएलएच / स्वॉव / 49 (ई–ऑफिस 46899)	खंड iv (i)	प्लास्टिक की बोतल क्रशिंग मशीन	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	48 महीने	225600	नहीं	स्वावलम्बन	सीएसआर 00001968
14	एनएसएफडीसी / सीएसआर / टीआरआई / टीएसडीसी / 03 (ई–ऑफिस 46411)	खंड ii (i)	सरकार को TSCDC फर्नीचर। एससी छात्रावास	हाँ	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	48 महीने	773136	नहीं	टीएससीडीसी त्रिपुरा	सीएसआर 00025851

अनुलग्नक–IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 10 का 6)

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
क्र. सं.	प्रोजेक्ट आईडी/फाइल नं.	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (महीनों में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (राशि ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका –प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की तरीका– कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
					पूरा करना	जिला				नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
15	एनएसएफडीसी/सीएसआर/टीआरआई/सेरी/04 (ई–आफिस कम्प्यूटर नं– 47083)	खंड वी (ii)	"आजादी का अमृत महोत्सव–2021" के दौरान सीएसआर गतिविधियां	हाँ	त्रिपुरा	धलाई	48 महीने	350000	नहीं	सामाजिक आर्थिक अनुसंधान	सीएसआर 00006843
16	एनएसएफडीसी/सीएसआर/पीसीएस/डीएलएच/47 (ई–आफिस कम्प्यूटर नं–48912)	खंड खंड i (iv)	आरओ प्लांट और कोविड 19 रिलीफ किट का प्रावधान एकीकृत स्वीकृति	हाँ	बिहार	शिवहर	48 महीने	333900	नहीं	पर्यावरण केयर सोसायटी	सीएसआर 00001007
17	एनएसएफडीसी/सीएसआर/राज/टीबीएस/10 (ई–आफिस कम्प्यूटर संख्या–49550)	खंड खंड i (iv)	दो वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण	हाँ	राजस्थान Rajasthan	करौली	48 महीने	455000	नहीं	तरुण भारत संघ	सीएसआर 00000505
				कुल				**5490567**			

(ii) *वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य की संख्या (क) क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि खर्च की गई है — शून्य

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
क्र. सं.	प्रोजेक्ट आईडी/फाइल नं.	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (महीनों में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (राशि ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका –प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की तरीका– कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
					पूरा करना	जिला				नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या

(ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि — शून्य
(ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो — शून्य
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि — ₹5490567.00
(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई राशि/(अधिक) [6(डी) –7(ई), चल रही परियोजनाओं के लिए खर्च नहीं की गई — ₹5180566.33
(च) धारा 135(6) (समायोजन से पहले) के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरण के लिए पात्र राशि — शून्य
(छ) वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित की जाने वाली राशि (यदि वित्तीय वर्ष के लिए कुल अव्ययित परियोजनाओं के लिए अव्ययित से अधिक है) — शून्य

9. वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित सीएसआर राशि के हस्तांतरण का विवरण

(ए) धारा 13596 के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरण

अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की जाने वाली राशि	राशि वास्तव में अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई वर्ष	स्थानांतरण की तिथि	कमी, यदि कोई हो
₹51,80,566.33	₹51,57,387.67	29.04.2022	–

(बी) वित्तीय वर्ष के लिए धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों का स्थानांतरण

अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधियों में अंतरित की जाने वाली राशि	अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधियों में वास्तव में अंतरित राशि	स्थानांतरण की तिथि	कमी, यदि कोई हो
शून्य	शून्य	–	–

10. अगर कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कारण बताएं।

11. क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों (22 जनवरी 2021 के बाद समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष) की कोई भी अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष में खर्च की गई है — हाँ

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं	पिछले वित्तीय वर्ष	अव्ययित सीएसआर में स्थानांतरित राशि धारा के तहत खाता 135{6) (₹ में)	अव्ययित सीएसआर में शेष राशि धारा 135 के तहत खाता (6) (₹ में)	राशि खर्च में (रुपये में)	धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो		सफल वित्तीय वर्ष में नागिन बनने के लिए शेष राशि (₹ में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि		
1.	वित्तीय वर्ष –1 (18–19)	ना						
2.	वित्तीय वर्ष –2 (19–20)	ना						
3.	वित्तीय वर्ष–3 (20–21)	6775000	6775000		लागू नहीं	लागू नहीं		

अनुलग्नक–IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 10 का 8)

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः

चल रही परियोजनाओं की संख्या 18

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं	प्रोजेक्ट आईडी / फाइल नं.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में खर्च की गई राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹ में)	परियोजना की स्थिति– पूर्ण / जारी
1	एनएसएफडीसी / सीएसआर / पीयूएन / 07 (ई–ऑफिस नंबर–43327)	कम्युनिटी स्मार्ट लाइब्रेरी	2020–21	0	485000	485000	जारी
2	एनएसएफडीसी / सीएसआर / आईआरसीएस / बीसी / डीएलएच / 01	राशन किट वितरण	2020–21	0	211400	211400	जारी
3	एनएसएफडीसी / सीएसआर / आईआईटी– मद्रास / पश्चिम बंगाल / 01 (ई–ऑफिस नंबर–41664)	स्कूली छात्रों के लिए साइकोमेट्रिक परीक्षण– आईआईटी मद्रास	2019–20	875000	369600	1244600	जारी
4	एनएसएफडीसी / सीएसआर / एमएएच / टीएमएफ / 01 (ई–ऑफिस नंबर–41904)	धारावी, मुंबई, महाराष्ट्र में COVID 19 सुरक्षा के लिए सार्वजनिक शौचालयों की कीटाणुशोधन और स्वच्छता	2020–21	424520	153768	578288	जारी
5	एनएसएफडीसी / सीएसआर / एमएएच / एचएलएफपीपीटी / 02 (ई–ऑफिस नंबर–41754)	500 पीपीई किट वितरण – एचएलएफपीपीटी	2020–21	0	330000	330000	जारी
6	एनएसएफडीसी / सीएसआर / डीएलएच / एसपीवाईएम / 39 (ई–ऑफिस नंबर–44610.)	फीडिंग प्रोग्राम के लिए परिवहन लागत (कोविड 19 चरण–II) –एसपीवाईएम	2020–21	176400	75600	252000	जारी
7	एनएसएफडीसी / सीएसआर / जीपी / पीयूएन / 05 (ई–ऑफिस नंबर–47829)	आरओ प्लांट	2019–20	0	994465	994465	जारी

अनुलग्नक–IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 10 का 9)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं	प्रोजेक्ट आईडी/ फाइल नं.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में खर्च की गई राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹ में)	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
8	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/एसएचएस/ मैन/01 (ई–ऑफिस नंबर–48329)	9 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रयोगशाला उपकरण	2019–20	1089799	663268	1753067	जारी
9	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/डीएलएच/ एडी/34 (ई–ऑफिस नंबर–46865)	डाक विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य सह कोविड 19 जागरूकता शिविर और वित्तीय समावेशन शिविर। (लगभग 200 नंबर)–अनुग्रह दृष्टिदान और एसपीवाईएम	2020–21	0	176250	176250	जारी
10	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/डीएलएच/ एडी/34 (ई–ऑफिस नं.–44899	स्वास्थ्य सह कोविड 19 जागरूकता शिविर	2020–21	0	58750	58750	जारी
11	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/एमआई/ डीएलएच/22 (ई–ऑफिस नंबर 49657)	राशन किट वितरण	2020–21	453250	189140	642390	जारी
12	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/पीयूएन/ पीवीएसएस/06 (ई–ऑफिस नंबर 50122)	सरकार को चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान। अस्पताल	2020–21	207900	57338	265238	जारी
13	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/यूपी/ टीजीटी/01 (ई–ऑफिस नंबर 49289)	बकरी आधारित आजीविका को मजबूत करना	2019–20	1613925	154325	1768250	जारी
14	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/यूपी/ सिबार्ट/02 (ई–ऑफिस नंबर 49548)	COVID 19 पर जागरूकता पर एनिमेटेड वीडियो तैयार करना	2020–21	115973	49702	2185425	जारी
15	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/एएसएम/ आईआईई/02 (ई–ऑफिस नंबर 50098	बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने बाबत	2019–20	176050	75450	2019750	जारी

अनुलग्नक–IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 10 का 10)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं	**प्रोजेक्ट आईडी/ फाइल नं.**	**परियोजना का नाम**	**वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी**	**वित्तीय वर्ष की शुरुआत में खर्च की गई राशि (₹ में)**	**वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)**	**वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹ में)**	**परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी**
16	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/पीओएन/ पीएडीसीओ/01 (ई–ऑफिस नंबर 49582)	राशन किट वितरण	2020–21	262500	112500	375000	जारी
17	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/डीएलएच/ एसपीवाईएम/14 (ई–ऑफिस नंबर 50215)	बेघरों के लिए आश्रय	2019–20	330000	330000	660000	जारी
18	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/डीएलएच/ एडी/34 (ई–ऑफिस नंबर–49952)	स्वास्थ्य शिविर व राशन किट वितरण	2020–21	0	433750	433750	जारी
			कुल	**5725317**	**4920306**	**10645623**	

(ग) (i) क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित अव्ययित राशि से वित्तीय वर्ष में कोई नई सीएसआर परियोजना शुरू की गई है — नहीं

यदि हां, तो नई सीएसआर परियोजना(परियोजनाओं) की प्रकृति है/हैं — नहीं

जारी प्रोजेक्ट) — लागू नहीं

चल रही परियोजनाओं के अलावा — लागू नहीं

दोनों (चालू और चल रही परियोजनाओं के अलावा) — लागू नहीं

वित्तीय वर्ष में चल रही नई सीएसआर परियोजना के विरुद्ध खर्च की गई राशि का विवरण — लागू नहीं

चल रही परियोजनाओं की संख्या — शून्य

(iv) वित्तीय वर्ष में चल रही सीएसआर परियोजना के अलावा नई अन्य के विरुद्ध खर्च की गई राशि का विवरण — लागू नहीं

चाहे कोई हो अव्ययित राशि संबंधित प्रति वित्तीय वर्ष 2014–15 प्रति वित्तीय वर्ष 2019–20 है गया खर्च किया में वित्तीय वर्ष : — हाँ

चल रही परियोजनाओं की संख्या : — शून्य

13. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित या अर्जित की गई है : — नहीं

यदि हाँ, सृजित/अधिग्रहीत पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें: — शून्य

वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति(यों) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें

(गुलशन कुमार पहाड़िया)
मुख्य प्रबंधक (सीएसआर)

अनुलग्नक–X
(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 7 का 1)

कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगमित अभिशासन) रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड (निगमित अभिशासन की संहिता) संबंधी कंपनी की राय पर विवरण

निगमित अभिशासन में एक प्रणाली शामिल है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है कि कंपनी मामलों को इस प्रकार प्रबंधित किया जा रहा है कि जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यापक अर्थों में सभी लेन–देन में निष्पक्षता है। निगम केवल कानूनी उद्देश्यों के लिए बनाया गया है और नैतिक तरीके से व्यवहार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि शेयरधारकों का हित पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। कंपनी के शासन में भाग लेने के लिए शेयरधारकों को पर्याप्त अवसर दिया जाता है।

तेजी से विकास के बावजूद, वित्तीय प्रतिरोध (exclusion), अस्वीकार्य गरीबी स्तर, बेरोजगारी, पारंपरिक कृषि गतिविधियों से घट रहे आय के स्तर और कौशल की कमी, अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास में प्रमुख चुनौती बनी रहती है। हालांकि, अनुसूचित जाति के विकासात्मक मानदंडों में वर्ष 2001 से सुधार हुआ है। फिर भी, समाज में मुख्यधारा और अनुसूचित जाति की आबादी के बीच की खाई अभी भी बनी हुई है। पर्यावरण क्षरण और लिंग असमानता के साथ–साथ विकास में असंतुलन, समावेशी उन्नति को प्राप्त करने में मुख्य चुनौतियां उत्पन्न करते हैं।

एनएसएफडीसी को सुशासन को उन्नत करने और सेवाओं में सुधार करने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की क्षमता के विकास की पहल का समर्थन करता है। एनएसएफडीसी को भी अपने प्रचालन में सुशासन के तत्वों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

2. निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का गठन और निदेशकों के पद

भारत के राष्ट्रपति, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कंपनी में निदेशकों को नियुक्त करते हैं। बोर्ड के निदेशकों के गठन में 15 पद हैं। 31.03.2022 को बोर्ड में 5 सदस्य थे।

बोर्ड का गठन और निदेशकों श्रेणी नीचे दी जा रही है:–

श्रेणी	निदेशक का नाम	स्थिति में
पूर्णकालिक, कार्यपालक, प्रबंधक निदेशक	श्री रजनीश कुमार जैनव	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
सरकारी निदेशक*:–		
(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रतिनिधित्व	श्री संजय पांडे	संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(ख) अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व	श्री एस.एम. आवले	आईडीबीआई के प्रतिनिधि
(ग) गैर–सरकारी निदेशक	डॅा. के. रामलिंगम (20.03.2022 तक) श्रीमती अंजुला सिंह माहुर श्री दुर्गा प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशक

*अंशकालिक सरकारी निदेशक पदेन सदस्य हैं और उनकी अवधि कंपनी के बोर्ड में नियुक्ति के समय सरकार में उनके संबंधित पद की अवधि की सह–सीमा अवधि है।

2.2 निदेशक मंडल की बैठक और प्रक्रिया

निदेशक मंडल कंपनी के समग्र कार्यकलापों की देखरेख के लिए गठित शीर्षस्थ समिति है। बोर्ड कंपनी की कार्यनीति के लिए निर्देश, प्रबंधन नीतियों और उसकी प्रभाविता देता है व मूल्यांकन करता है तथा सुनिश्चित करता है कि शेयर धारकों (भारत सरकार) का दीर्घावधि हित बना रहे।

2.3 तारीख सहित बोर्ड की बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान, कम–से–कम दो बैठकों के आयोजन के एवज में बोर्ड की कुल दो बैठकें आयोजित हुईं। बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:

बोर्ड की बैठक	दिनांक	निदेशकों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
156 वां	29.07.2021	06	05
157 वां	06.12.2021	07	06
158 वां	07.03.2022	06	05
159 वां	31.03.2022	06**	05

एनएसएफडीसी धारा–8 कंपनी है और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार धारा 173(1) के तहत छूट प्राप्त है और इसके बजाय ''उस सीमा तक लागू होगी कि ऐसी कंपनियों के निदेशक मंडल प्रत्येक छः कैलेंडर माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करेंगे।''

**श्रीमती कल्याणी चड्ढा, संयुक्त सचिव (SCD-B) को दिनांक 07.03.2022 को आयोजित 158वीं बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के तहत आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जो कि डीआईएन प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी है । चूंकि उन्होंने दिनांक 07.03.2022 को आयोजित 158वीं बोर्ड बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया था और नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया था, उन्होंने 31.03.2022 को आयोजित 159वीं बोर्ड बैठक में निदेशक के रूप में भाग लिया और 27.04.2022 को डीआईएन जारी होने के 30 दिनों के भीतर डीआईआर–12 दायर किया गया

2.4 बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक का नाम	से	तक	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या (2021–22)	अवधि के दौरान बैठकों में उपस्थिति संख्या (2021–22)
श्री रजनीश कुमार जैनव	01.01.2021	आज तक	4	4
श्रीमती उपमा श्रीवास्तव	04.09.2020	29.12.2021	1	1

अनुलग्नक–X
(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 7 का 3)

निदेशक का नाम	से	तक	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या (2021–22)	अवधि के दौरान बैठकों में उपस्थिति संख्या (2021–22)
श्री संजय पाण्डेय	18.07.2019	आज तक	4	4
श्री शैलिल एम. आवले	04.06.2015	आज तक	4	4
श्री पीयूष श्रीवास्तव	23.03.2018	29.07.2021	–	–
श्री बी गणेशन	25.03.2021	06.12..2021	1	1
डॉ. के. रामलिंगम	20.03.2019	20.03.2022	3	2
श्रीमती अंजुला सिंह माहुर	06.12.2021	आज तक	1	1
श्री दुर्गा प्रसाद राय*	29.12.2021	आज तक	3	3
श्रीमती कल्याणी चड्ढा**	27.04.2022	आज तक	1	1

*श्री दुर्गा प्रसाद राय को दिनांक 06.12.2021 को आयोजित 157वीं बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जो कि डीआईएन प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी है। चूंकि उन्होंने 06.12.2021 को आयोजित 157वीं बोर्ड बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया था और नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया था, उन्होंने 07.03.2022 को आयोजित 158वीं बोर्ड बैठक में निदेशक के रूप भाग लिया और 29.12.2021 को डीआईएन जारी होने के 30 दिनों के भीतर डीआईआर–12 दायर किया गया।

**श्रीमती कल्याणी चड्ढा, संयुक्त सचिव (SCD-B) को दिनांक 07.03.2022 को आयोजित 158वीं बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के तहत आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जो कि डीआईएन प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी है। चूंकि उन्होंने दिनांक 07.03.2022 को आयोजित 158वीं बोर्ड बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया था और नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया था, उन्होंने 31.03.2022 को आयोजित 159वीं बोर्ड बैठक में निदेशक के रूप में भाग लिया और 27.04.2022 को डीआईएन जारी होने के 30 दिनों के भीतर डीआईआर–12 दायर किया गया

2.5 निदेशकों की नियुक्तियां और उनके कार्यकाल की समाप्ति

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	से	तक	परिवर्तन का कारण
1.	श्रीमती अंजुला सिंह माहुर	06.12.2021	आज तक	नियुक्ति
2.	श्री दुर्गा प्रसाद	29.12.2021	आज तक	नियुक्ति
3.	श्रीमती कल्याणी चड्ढा*	27.04.2022	आज तक	नियुक्ति
4.	श्री बी गणेशन	25.03.2021	06.12.2021	समापन

अनुलग्नक–X
(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 7 का 4)

क्र.सं.	निदेशक का नाम	से	तक	परिवर्तन का कारण
5.	श्रीमती उपमा श्रीवास्तव	04.09.2020	29.12.2021	समापन
6.	श्री के रामलिंगम	20.03.2017	20.03.2022	समापन
7.	श्री पीयूष श्रीवास्तव	23.03.2018	29.07.2021	समापन

*श्रीमती कल्याणी चड्ढा, संयुक्त सचिव (SCD-B) को दिनांक 07.03.2022 को आयोजित 158वीं बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के तहत आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जो कि डीआईएन प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी है। चूंकि उन्होंने दिनांक 07.03.2022 को आयोजित 158वीं बोर्ड बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया था और नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया था, उन्होंने 31.03.2022 को आयोजित 159वीं बोर्ड बैठक में निदेशक के रूप में भाग लिया और 27.04.2022 को डीआईएन जारी होने के 30 दिनों के भीतर डीआईआर–12 दायर किया गया

2.6 बोर्ड और समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की कार्यवाही का रिकार्ड

कंपनी सचिव द्वारा बोर्ड और समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की कार्यवाही को रिकार्ड किया जाता है। बोर्ड के सदस्यों को उनकी टिप्पणी के लिए कार्यवृत्त का मसौदा परिचालित किया जाता है। बोर्ड/समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों को संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के लिए सूचित किया जाता है और बोर्ड/समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की स्थिति पर एक कार्रवाई रिपोर्ट बोर्ड/समिति के सदस्यों के सूचनार्थ रखी जाती है।

2.7 निदेशकों के लिए पारिश्रमिक

2.7.1 पूर्णकालिक कार्यपालक, प्रबंध निदेशक

केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करने वाला सरकारी पत्र नियुक्ति की अवधि, वेतनमान आदि सहित उनकी नियुक्ति के विस्तृत निबंधनों और शर्तों को इंगित करता है और यह भी बताता है कि पत्र में शामिल अन्य निबंधनों और शर्तों के संबंध में, निगम के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।

2.7.2 अंशकालिक पदेन सरकारी निदेशक

अंशकालिक पदेन सरकारी निदेशकों को किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है और बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क का भी भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकारी निदेशकों में से कोई भी कंपनी के साथ किसी भी तरह का आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं करता है।

2.7.3 गैर–सरकारी निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों को लाभार्थियों और प्रशिक्षण संस्थानों के आधिकारिक दौरे पर खर्चों की प्रतिपूर्ति को छोड़कर किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। निदेशक मंडल ने दिनांक 20.03.2019 को आयोजित अपनी 150वीं बोर्ड बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की बोर्ड की बैठक/समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिदिन ₹4,000/– की फीस अनुमोदित और निर्धारित की।

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक को बैठकों में भाग लेने हेतु भुगतान की गई फीस निम्न तालिका मे दी गई हैं:

बोर्ड बैठक की तिथि	बोर्ड बैठक/ एजीएम की संख्या	सिटिंग फीस का भुगतान (₹ में)		
		डॉ. के. रामलिंगम	श्रीमती अंजुला सिंह माहुर	श्री दुर्गा प्रसाद राय
29.07.2021	156 वीं बोर्ड बैठक	–	–	–
06.12.2021	157 वीं बोर्ड बैठक	4000/–	–	4000/–
07.03.2022	158 वीं बोर्ड बैठक/11 वीं पारिश्रमिक समिति की बैठक	4000/–	4000/–	4000/–
31.03.2022	159 वीं बोर्ड बैठक	–	–	4000/–
	कुल	**8000/–**	**4,000/–**	**12,000/–**

2.8 आचार संहिता

एनएसएफडीसी एक सुपरिभाषित आचार संहिता का पालन करता है, जो सत्यनिष्ठा, हित–संघर्ष और गोपनीयता के मुद्दों को काफी हद तक संबोधित करता है और नैतिक आचरण की आवश्यकता पर जोर देता है, जो कि सुशासन का आधार है। आचरण संहिता बोर्ड स्तर और बोर्ड से नीचे स्तर तक अर्थात् बोर्ड स्तर से एक ग्रेड नीचे तक महाप्रबंधक प्रबंधन कैडर तक विद्यमान है और रिर्पोटिंग वर्ष के लिए बोर्ड/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (महाप्रबंधकों) द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

3 वार्षिक आम बैठक

पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान कंपनी की 30वीं और 32वीं वार्षिक आम बैठक सचिव कक्ष, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 6वीं मंजिल ('ए' विंग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। हालांकि, कोविड–19 महामारी के कारण 31वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, आयोजित वार्षिक आम बैठकों की तारीख और समय तथा उसमें पारित विशेष संकल्प निम्नलिखित हैं:

वार्षिक आम बैठक	वर्ष	तारीख	समय	पारित विशेष संकल्प
30वीं	2018–19	11.11.2019	पूर्वाह्न 11.30	शून्य
31वीं	2019–20	30.12.2020	अपराह्न 2.30	शून्य
32वीं	2020–21	26.11.2021	अपराह्न 1.00	शून्य

4. लेखा परीक्षा समिति

निगम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 (पहले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 के तहत) के अधीन एक लाभ

निरपेक्ष कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह न तो एक सार्वजनिक कंपनी है और न ही एक सार्वजनिक कंपनी की सहायक है। यह एक निजी सरकारी कंपनी है और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है। चूंकि कंपनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा के तहत नहीं आती है, इसलिए लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रावधान निगम पर लागू नहीं था। हालांकि, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सीपीएसई के लिए जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन दिनांक 14.01.2016 को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित निर्देश के संबंध में किया गया था।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05.06.2015 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें धारा–8 कंपनियों को "धारा–177 की उपधारा (2) में 'बहुमत वाले ऐसे स्वतंत्र निदेशकों के साथ' शब्दों को छोड़ दिया जाएगा" की छूट दी गई है।

तदनुसार, बोर्ड किसी निदेशक को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार धारा–8 कंपनियों के लिए स्वतंत्र निदेशकों के सदस्य के रूप में छूट दी गई है। लेखापरीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–177 के प्रावधानों के तहत इस तरह की भूमिकाओं खारिज किया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 29.07.2021, 06.12.2021 और 07.03.2022 को तीन बार लेखापरीक्षा समिति की बैठक हुई।

5. <u>कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति</u>

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 और अनुसूची–VII के साथ कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के साथ किया गया है। वर्तमान सीएसआर समिति में श्री रजनीश कुमार जैनव (अध्यक्ष) शामिल हैं, श्रीमती उपमा श्रीवास्तव (29.12.2021 तक सदस्य) श्री एस.एम. आवले (सदस्य) और श्री दुर्गा प्रसाद राय (29.12.2021 से सदस्य)। सीएसआर समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होने चाहिएः

(i) बोर्ड को सीएसआर नीति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना।

(ii) सीएसआर व्यय की सिफारिश।

(iii) सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें 29.07.2021, 06.12.2021 और 07.03.2022 को हुई।

6. <u>प्रकटीकरण</u>

6.1 <u>वास्तविक महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन पर प्रकटीकरण कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध हो सकता है</u>

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अपनी किसी भी संबंधित पार्टियों के साथ वेतन, भत्तों और गृह ऋण के अलावा, कोई वास्तविक लेन–देन नहीं किया।

6.2 गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देशों से संबंधी किसी विषय पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा गैर–अनुपालन, अर्थ–दंड कर कंपनी पर लगाया गया दोषारोपण का ब्योरा

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, गत तीन वर्षों के दौरान, कंपनी पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा अर्थ दंड/दोषारोपण नहीं लगाया गया है।

6.3 अनुपालन

कंपनी सचिव को बैठक (बैठकों) की कार्यसूची और कार्यवृत्त पर टिप्पणी बनाते समय निगम के संबंध में लागू अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बने नियमों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी नियमों में संस्तुत सचिवालयी मानकों (सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। संबंधित विभागाध्यक्ष अपने संबंधित कार्य के अनुसार सभी लागू कानून और विनियमों के लिए जवाबदेह है।

7. सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति

कंपनी अपनी सभी व्यापारिक गतिविधियों में नीतिपरक व्यवहार को बढ़ावा देती है और कंपनी ने गैर–कानूनी अथवा गैर–नीतिपरक व्यवहार की रिपोर्ट के लिए एक तंत्र बनाया है। कंपनी के पास सतर्क तंत्र और मुखबिर नीति है, जिसमें कर्मचारीगण लागू कानून और विनियमों तथा आचरण संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

8. संचार के साधन

कंपनी अपनी वेबसाइट पर अन्य महत्वपूर्ण सूचना सहित निगम की वार्षिक रिपोर्ट प्रदर्शित करती है। वार्षिक रिपोर्ट और शेयर धारकों से संबंधित अन्य दस्तावेज नियमित रूप से लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं।

9. अनुपालन प्रमाण–पत्र

यह रिपोर्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के आवश्यक दिशानिर्देशों के अंतर्गत है और उसमें दिशानिर्देशों के अनुबंध–VII में दिए गए सभी सुझाव के मद शामिल हैं। लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित निगमित अभिशासन की आवश्यकता सहित अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन संबंधी एक व्यवसायरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण–पत्र, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के **अनुलग्नक–XII** पर संलग्न है।

निदेशकों की समिति का गठन करते समय, यह सुनिश्चित और अनुपालन करना अपेक्षित होगा कि एक निदेशक 10 से अधिक समितियों का निदेशक और 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। किसी भी गैर–सरकारी निदेशक को किसी सूचीबद्ध कंपनी में गैर–सरकारी निदेशक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।

एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव, एलएलपीआईएन : एएएम–9113
पंजीकृत कार्यालयः जी–41, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली – 110 008
फोनः +91–11–4509230, **मोबाइलः** +91–9818156340, **ई–मेलः** nazim@mnkassociates-com

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण–पत्र

(डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, 2010 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाइन के खंड 8.2.1 के अनुसार)

सेवा में
सदस्यगण
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लोक उद्यम विभाग (''डीपीई''), भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजानिक क्षेत्र उद्यम के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाइन, 2010 में निर्धारित किए अनुसार नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (''कंपनी'') द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन और उसके साथ जुड़े अनुलग्नकों की जाँच की।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन समिति की है। हमारी जाँच उक्त उल्लेखित गाइडलाइनों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई हुई उस प्रक्रिया और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न लेखापरीक्षा है न ही कंपनी की वित्तीय विवरिणका पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय और उत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने डीपीई गाइडलाइनों में दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन निम्नांकित को छोड़कर किया हैः

1. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा और किन्हीं दो बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होगा। तथापि, कंपनी के अभिलेखों के अवलोकन पर हमने पाया कि बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 4 बैठकें अर्थात 29.07.2021, 06.12.2021, 07.03.2022 और 31.03.2022 और बोर्ड की बैठकों के बीच का समय अंतराल 3 (तीन) महीने से अधिक है।

2. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे सदस्य और इसके दो–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष के रूप में समिति एक स्वतंत्र निदेशक होगी। हालांकि, के रिकॉर्ड के अवलोकन पर कंपनी ने देखा कि लेखापरीक्षा समिति में से 4 सदस्य हैं जिसमें से एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक तथा समिति का अध्यक्ष होता है स्वतंत्र निदेशक नहीं।

3. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति की बैठक पिछले 12 महीने के दौरान कम से कम चार बार होगी और साथ ही दो बैठक के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल होना चाहिए। तथापि, कंपनी के अभिलेखों का अवलोकन करने

एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव, एलएलपीआईएन : एएएम–9113
पंजीकृत कार्यालयः जी–41, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली – 110 008
फोनः +91–11–4509230, **मोबाइलः** +91–9818156340, **ई–मेलः** nazim@mnkassociates-com

पर हमने पाया कि लेखा परीक्षा समिति पिछले 12 महीनों के दौरान 3 बार यानी 29.07.2021, 06.12.2021 और 07.03.2022 के बीच 4 महीने से अधिक का अंतर था।

4. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति की बैठक की गणपूति हेतु या तो दो सदस्य होने चाहिए या तो समिति के सदस्य के एक तिहाई सदस्य जो भी अधिक हो, लेकिन न्यूनतम दो स्वतंत्र सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। हालांकि, वर्ष के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के अवलोकन पर कंपनी के अभिलेखों में हमने पाया कि कोई भी स्वतंत्र निदेशक मौजूद नहीं था

हम यह भी बताते हैं कि ऐसे अनुपालन, कंपनी की न ही भावी व्यवहार्यता और न ही कुशलता अथवा प्रभावकारिता के लिए आश्वासन हैं, जिससे प्रबंध समिति ने कंपनी कार्य को निष्पादित किया है।

कृते **एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
कंपनी सचिव
एफआरएनः एल2018डीई004900

ह.
मोहम्मद नजीम खान
नामित भागीदार
सीपी 8245 (एफसीएसः 6529)
यूडीआईएनः एफ 006529 सी 000687517

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 12.08.2022

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
I.	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर–चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) संपत्ति, सयंत्र और उपकरण	3	410.57	423.76
	(ख) विनिधान संपत्ति	4	11.63	12.22
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	2.07	1.45
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) ऋण	6	113,279.42	113,947.40
	(ii) अन्य	7	126.98	116.93
	(ङ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	8	52.12	54.37
			113,882.79	**114,556.13**
2	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) नकद और नकद के समकक्ष	9	6,888.34	7,700.72
	(ii) उपर्युक्त (i) के अलावा बैंक शेष	10	9,949.48	8,298.04
	(iii) ऋण	6	89,114.51	83,361.22
	(iv) अन्य	11	4,519.87	6,080.55
	(ख) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	12	15.75	15.75
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	13	43.41	58.25
			110,531.36	**105,514.53**
	कुल परिसंपत्तियां		**224,414.15**	**220,070.66**
II.	**इक्विटी और दायित्व**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	150,000.00	150,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	15	68,530.96	63,652.84
			218,530.96	**213,652.84**
2	**दायित्व**			
(i)	**गैर–चालू दायित्व**			
	(क) प्रावधान	16	450.87	432.48
			450.87	**432.48**
(ii)	**चालू दायित्व**			
	(क) वित्तीय दायित्व			
	(i) अन्य	17.1	4,593.06	5,248.60
	(ख) अन्य चालू दायित्व	18	137.47	75.91
	(ग) प्रावधान	16	701.79	660.83
			5,432.32	**5,985.34**
	कुल इक्विटी और दायित्व		**224,414.15**	**220,070.66**
III.	वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां 1–48 देखें।			

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मै. पी.के. चौपड़ा एंड कं.
सी.ए.
एफआरएनः 006747एन

ह.
मनजीत सिंह छतवाल
समप्र (वित्त)

ह.
(राजेश बिहारी)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(अन्नु भोगल)
उमप्र (कंपनी सचि., लेखा, राजभाषा)

ह.
सी.ए. रूचिका भगत
भागीदार
सदस्यता सं. 096129

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह.
(दुर्गा प्रसाद राय)
निदेशक
डिन– 09453376

ह.
(रजनीश कुमार जैनव)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डिन– 09056584

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25.08.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	19	6,097.91	5,992.09
II	अन्य आय	20	1,187.26	1,259.89
III	संदिग्ध ऋण और ब्याज के लिए भत्ते का प्रत्यावर्तन	31.4	60.62	–
	कुल राजस्व (I+II+III)		**7,345.79**	**7,251.98**
IV	**व्यय**			
	कर्मचारी हित व्यय	21	1,853.28	1,575.90
	वित्त लागत	22	–	0.55
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	23	30.96	40.23
	संदिग्ध ऋण और ब्याज के लिए भत्ता	31.4	56.00	55.09
	एससीए को प्रोत्साहन	24	90.00	89.30
	सीएसआर व्यय	37	68.44	221.03
	अन्य व्यय	25	371.08	484.37
	कुल व्यय (IV)		**2,469.76**	**2,466.47**
V	**असाधारण मदों और करों से पूर्व व्यय से अधिक आय (III- IV)**		**4,876.02**	**4,785.51**
VI	असाधारण मदें	26	1.60	–0.40
VII	**कर–पूर्व व्यय से अधिक आय (V–VI)**		**4,877.62**	**4,785.11**
VIII	**कर व्ययः**			
	(1) वर्तमान कर		–	–
	(2) आस्थगित कर		–	–
IX	**असाधारण मदों और करों से पूर्व व्यय से अधिक आय (VII-VIII)**		**4,877.62**	**4,785.11**
X	अनिरंतर प्रचालनों से व्यय से अधिक आय		–	–
XI	अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय		–	–
XII	अनिरंतर प्रचालनों से व्यय से अधिक आय (X-XI)			
XIII	**इस अवधि के लिए व्यय से अधिक आय (IX + XII)**		**4,877.62**	**4,785.11**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (i) वह मदें, जिन्हें आय एवं व्यय लेखें में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।	27	0.50	(81.91)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें आय एवं व्यय लेखें में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		–	– –
	ख. (i) वह मदें, जिन्हें आय एवं व्यय लेखें में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।		–	–
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें आय एवं व्यय लेखें में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।		–	–

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
XV	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (जिसमें व्यय से अधिक आय और इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल है)**		**4,878.12**	**4,703.20**
XVI	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जनः**			
	(निरंतर प्रचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में)	28	32.52	31.90
	(2) तरलीकृत (₹ में)	28	32.52	31.90
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जनः**			
	(अनिरंतर और निरंतर प्रचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में)			
	(2) तरलीकृत (₹ में)			
XVIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जनः**			
	(अनिरंतर और निरंतर प्रचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में)	28	32.52	31.90
	(2) तरलीकृत (₹ में)	28	32.52	31.90
XIX	वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियों को देखें			

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मै. पी.के. चौपड़ा एंड कं.
सी.ए.
एफआरएनः 006747एन

ह.
सी.ए. रूचिका भगत
भागीदार
सदस्यता सं. 096129

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25.08.2022

ह.
मनजीत सिंह छतवाल
समप्र (वित्त)

ह.
(राजेश बिहारी)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(अन्नु भोगल)
उमप्र (कंपनी सचि., लेखा, राजभाषा)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह.
(दुर्गा प्रसाद राय)
निदेशक
डिन– 09453376

ह.
(रजनीश कुमार जैनव)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डिन– 09056584

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीईई)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि
1 अप्रैल, 2021 को शेष	**150.00**	**150,000.00**
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	–	–
1 अप्रैल, 2021 को पुनः उल्लिखित बकाया शेष	**150.00**	**150,000.00**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	–	–
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम	–	–
31 मार्च, 2022 को शेष	**150.00**	**150,000.00**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष			कुल
		विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	–	6,351.95	57,300.88	(0.00)	63,652.83
पूर्व अवधि समायोजन (टिप्पणी संख्या 33 देखें)	–	–	–	–	–
वर्ष के आरंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष	–	**6,351.95**	**57,300.88**	**(0.00)**	**63,652.83**
वर्ष के लिए लाभ	–	–	4,877.62		4,877.62
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	–		0.50		0.50
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	–	**6,351.95**	**62,179.00**	**(0.00)**	**68,530.96**
विशेष आरक्षित में अंतरण					–
विशेष आरक्षित निधि निवेश के ब्याज का अंतरण		–	–	–	–
सामान्य आरक्षित में अंतरण		–	–	–	–
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि		–	–	–	–
शेयर पूंजी का निर्गम					–
वर्ष के अंत में बकाया शेष	–	**6,351.95**	**62,179.00**	**(0.00)**	**68,530.96**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मै. पी.के. चौपड़ा एंड कं.
सी.ए.
एफआरएनः 006747एन

ह.
मनजीत सिंह छतवाल
समप्र (वित्त)

ह.
(राजेश बिहारी)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(अन्नु भोगल)
उमप्र (कंपनी सचि., लेखा, राजभाषा)

ह.
सी.ए. रूचिका भगत
भागीदार
सदस्यता सं. 096129

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह.
(दुर्गा प्रसाद राय)
निदेशक
डिन– 09453376

ह.
(रजनीश कुमार जैनव)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डिन– 09056584

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25.08.2022

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीईई)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि
1 अप्रैल, 2020 को शेष	**150.00**	**150,000.00**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	–	–
1 अप्रैल, 2020 को पुनः उल्लिखित बकाया शेष	**150.00**	**150,000.00**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	–	–
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम	–	–
31 मार्च, 2021 को शेष	**150.00**	**150,000.00**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष			कुल
		विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	–	5,631.87	53,291.87	–	58,923.74
पूर्व अवधि समायोजन (टिप्पणी संख्या 33 देखें)	–	–	25.88	–	25.88
वर्ष के आरंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष	–	**5,631.87**	**53,317.75**	–	**58,949.62**
वर्ष के लिए लाभ	–	–		4,785.11	4,785.11
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	–			(81.91)	(81.91)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	–	–	–	4,703.20	4,703.20
विशेष आरक्षित में अंतरण	–	451.34		(451.34)	–
विशेष आरक्षित निधि निवेश के ब्याज का अंतरण	–	268.75	–	(268.75)	–
सामान्य आरक्षित में अंतरण			3,983.13	(3,983.13)	–
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	–	–	–	–	–
शेयर पूंजी का निर्गम		–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया शेष	–	6,351.95	57,300.88	(0.00)	63,652.83

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मै. पी.के. चौपड़ा एंड कं.
सी.ए.
एफआरएनः 006747एन

ह.
सी.ए. रूचिका भगत
भागीदार
सदस्यता सं. 096129

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25.08.2022

ह.
मनजीत सिंह छतवाल
समप्र (वित्त)

ह.
(राजेश बिहारी)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(अन्नु भोगल)
उमप्र (कंपनी सचि., लेखा, राजभाषा)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह.
(दुर्गा प्रसाद राय)
निदेशक
डिन– 09453376

ह.
(रजनीश कुमार जैनव)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डिन– 09056584

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
असाधारण मदों और कर से पूर्व व्यय से अधिक आय		4,877.62	4,785.11
प्रचालन क्रियाकलापों द्वारा प्रदत्त निवल नकद के प्रति निवल लाभ का सामंजस्य के लिए समायोजन			
मूल्यह्रास		30.96	40.23
पट्टा दायित्व पर ब्याज		–	0.55
परिसंपत्तियों की बिक्री/हानिकरण/विनिमय पर हानि/(लाभ)		(1.60)	0.40
पट्टों पर संशोधन लाभ		–	1.95
प्रचालन परिसंपत्तियों और दायित्वों में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	**4,906.98**	**4,828.24**
समायोजन के लिएः			
गैर–चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि)		668.00	(3,455.85)
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(10.05)	(11.64)
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		2.25	6.81
चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि)		(5,753.29)	(4,156.71)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		1,560.68	(379.70)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		14.84	(18.40)
अन्य चालू वित्तीय दायित्वों में कमी/(वृद्धि)		(655.53)	1,478.03
अन्य चालू दायित्वों में कमी/(वृद्धि)		61.56	15.92
गैर–चालू प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)		18.89	(41.61)
चालू प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)		40.95	(93.99)
	(2)	(4,051.70)	(6,657.14)
प्रचालन से सृजित नकद	(1+2)	**855.28**	**(1,828.90)**
प्रदत्त आयकर		–	(0.07)
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद बहिर्वाह		**855.28**	**(1,828.97)**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
संपत्ति, सयंत्र और उपकरणों की बिक्री/निपटान		2.27	0.86
संपत्ति, सयंत्र और उपकरणों की खरीद		(16.68)	(22.26)
अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		(1.81)	–
अन्य बैंक बैलेंस में कमी/(वृद्धि)		(2,078.29)	(628.40)
विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज		426.85	268.75
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह		**(1,667.66)**	**(381.05)**
ग. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
शेयर पूंजी का निर्गम		–	–
साझा करें आवेदन का पैसा लंबित आवंटन		–	–
उधार से आय		–	–
पट्टा दायित्व पर ब्याज		–	(0.55)
मूल पट्टे का भुगतान		–	(4.34)
वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह		–	**(4.89)**
नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		(812.38)	(2,214.91)
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी सं. 9 देखें)		7,700.72	9,915.64
नकद अंतः शेष और नकद समकक्ष		**6,888.34**	**7,700.72**
नकद और नकद समकक्ष का सामंजस्य			
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी संख्या 9 देखें)		**6,888.34**	**7,700.72**

टिप्पणीः—

i यह नकद प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए नकद प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखा मानक—7 में दी गई अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है।

ii. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी भारतीय लेखामानक 7 में संशोधन को अपनाया है, जिसके तहत प्रकटीकरण आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन संस्थानों को ऐसे प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है जो नकदी प्रवाह और गैर—नकदी परिवर्तनों दोनों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों सहित, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन—पत्र में प्रारंभ और समापन शेष के बीच सामंजस्य शामिल करने का सुझाव देते हैं ताकि वित्तीय आवश्यकता का प्रकटीकरण हो सके।

iii भारतीय लेखामानक 7 "नकद प्रवाह का विवरण" — वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन के अनुसरण में प्रकटीकरण।

भारतीय लेखामानक 7 "नकद प्रवाह का विवरण" — वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन के अनुसरण में प्रकटीकरण।

(₹ लाख में)

विवरण	पट्टा दायित्व	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्ष के प्रारंभ में शेष	—	6.29
भारतीय लेखा मानक—116 को अपनाना		
1 अप्रैल, 2019 को पुनः शेष	—	**6.29**
नकद प्रवाहः—		
—पुनर्भुगतान	—	4.89
—प्राप्ति	—	
गैर—नकदः—	—	
— पट्टा दायित्व वृद्धि के एवज में परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त	—	0.55
—		
संशोधन लाभ	—	(1.95)
वर्ष के अंत में शेष	—	—

iv. विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के साथ तुलना करने और उनकी पुष्टि करने के लिए पुनवर्गीकृत/पुनर्गठित किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मै. पी.के. चौपड़ा एंड कं.
सी.ए.
एफआरएनः 006747एन

ह.
सी.ए. रूचिका भगत
भागीदार
सदस्यता सं. 096129

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25.08.2022

ह.
मनजीत सिंह छतवाल
समप्र (वित्त)

ह.
(राजेश बिहारी)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(अन्नु भोगल)
उमप्र (कंपनी सचि., लेखा, राजभाषा)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह.
(दुर्गा प्रसाद राय)
निदेशक
डिन— 09453376

ह.
(रजनीश कुमार जैनव)
अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक
डिन— 09056584

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1 कॉर्पोरेट सूचना

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भारत में स्थित एक लाभ–निरपेक्ष कंपनी है और यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 हो गई है) के अंतर्गत दिनांक 08.02.1989 को स्थापित की गई थी। इसने दिनांक 09.04.2001 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। यह निगम दिनांक 10.04.2001 को जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के पश्चात् द्विभाजित हो गया था। इसके द्विभाजन के परिणामस्वरूप निगम अब अनुसूचित जाति लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं की अनन्य रूप से पूर्ति करता है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 14वां तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110092 में स्थित है।

2 लेखांकन नीतियां

2.1 अनुपालन का विवरण

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) समय–समय पर संशोधित नियमावली के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2.2 तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत और उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं, निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिन्हें सुसंगत भारतीय लेखा मानकों द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य पर मापा गया है:

(i) सुनिश्चित लाभ योजना और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ।

(ii) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और उचित मूल्य पर मापे गए दायित्व।

2.3 अनुमानों और निर्णय का इस्तेमाल

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे निर्णय, अनुमान और पूर्वानुमान करें, जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों और दायित्वों के प्रकटीकरण तथा आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करे। इस प्रकार के अनुमानों के उदाहरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल, संदिग्ध ऋणों, कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के अंतर्गत भावी दायित्वों और आकस्मिक दायित्वों के लिए प्रावधान शामिल हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं। इन अनुमानों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम जाने जाते हैं/इन्हें मूर्त रूप दिया जाता है।

2.4 सभी वित्तीय सूचनाओं को भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किया गया है और सभी मूल्यों को दो दशमलव पॉइंटों के साथ निकटतम लाख रुपयों में पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय ऐसी स्थिति के, जहां अन्यथा उल्लेख किया गया हो।

2.5 नकद प्रवाह का विवरण

नकद प्रवाह, अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है, जिसके द्वारा कर–पूर्व लाभ/(हानि) को गैर–नकद प्रकार के लेन–देनों और बाद के या भावी नकद प्राप्तियों या भुगतानों के उपार्जन या किसी आस्थगन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण के क्रियाकलापों से नकद प्रवाह सूचना के आधार पर अलग–अलग कर दिया जाता है।

नकद प्रवाह के विवरण के उद्देश्यों के लिए, नकद और नकद समकक्ष में हस्तांगत नकदी, बैंकों में नकद और बैंकों में मांग जमा राशियां, निवल बकाया बैंक, मांग ड्राफ्ट (ओवरड्राफ्ट) शामिल हैं, जो मांग किए जाने पर भुगतान किए जाने योग्य हैं और कंपनी की नकद प्रबंधन प्रणाली का भाग माने जाते हैं।

भारतीय लेखा मानक 7ः

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक–7 के संशोधन को अपनाया, जिसके तहत संस्थाओं को प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकद प्रवाह और गैर–नकद परिवर्तनों दोनों से उठे परिवर्तन, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन–पत्र के आरंभिक और अंतःशेष राशि के बीच समायोजन पर सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने से वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा।

2.6 विदेशी मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए मदों को ऐसे प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का इस्तेमाल करके मापा जाता है, जिसमें कंपनी संचालन करती है (अर्थात् कार्यात्मक मुद्रा)। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण मुद्रा है।

विदेशी मुद्राओं में हुई आय और किए गए खर्चे के लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा की आर्थिक परिसंपत्तियां और दायित्व तुलन–पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर रूपांतरित की जाती हैं और निपटान तथा पुनः उल्लेख से उत्पन्न विनिमय लाभों और हानियों को आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.7 <u>संपत्ति, संयंत्र और उपकरण</u>

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, संचित मूल्यह्रास और नुकसान से होने वाली हानियां, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैंः

(i) परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई लागत

(ii) मदों को अलग–अलग करने और हटाने तथा उस साइट को पुनः स्थापित करने, जिस पर यह स्थित है, यदि मान्यता संबंधी मापदंड पूरे किए गए हैं, की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत की लागत और दीर्घावधि निर्माण परियोजनाओं की उधार लागतें पूंजीकृत की जाती हैं, यदि मान्यता का मापदंड पूरा किया गया हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत ₹5,000/– से अधिक है, को आय एवं व्यय के विवरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित किया गया है।

परिसंपत्तियों की बिक्री पर लागत और संचित मूल्यह्रास का अनुमान वित्तीय विवरणों से लगाया जाता है और परिणामी लाभों तथा हानियों को आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथाविनिर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर अधोलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है। अनुमानित, उपयोगी जीवनकाल, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा भावी आधार पर लेखे में लिए गए अनुमानों में किसी परिवर्तन की अवधि से, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, निम्नानुसार हैः

परिसंपत्तियों की श्रेणी

विवरण	**अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)**
फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	60
एयर कंडीशनर	5
कंप्यूटर और हिस्से–पुजे	3
जुड़नार और फिटिंग	10
फर्नीचर	10
कार्यालय उपकरण	5
वाहन	8

लीज़ होल्ड बिल्डिंग का परिशोधन प्राथमिक पट्टा अवधि पर किया जा रहा है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास अलग–अलग किया जाता है, यदि भाग की लागत उस मद की तुलना के संबंध में महत्वपूर्ण है और उस भाग का उपयोगी जीवनकाल बाकी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल से भिन्न है।

परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, परिसंपत्तियों की लागत के 5% के रूप में लिया जाता है।

मूल्यह्रास को चल रहे पूंजीगत कार्य पर दर्ज नहीं किया जाता जब तक निर्माण और संस्थापन पूरा न कर लिया गया हो और परिसंपत्ति इसके आशायित इस्तेमाल के लिए तैयार न हो।

मूल्यह्रास पद्धतियों, उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है।

2.8 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को उस समय मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो परिसंपत्ति के कारण होते हैं, उद्यम तक आएंगे और परिसंपत्ति की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। अमूर्त परिसंपत्तियों का उल्लेख, संचित परिशोधन और हानि, यदि कोई है, घटाकर ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

''अमूर्त परिसंपत्तियों'' के संबंध में ऐसा सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर उपकरण का अभिन्न अंग नहीं है, सॉफ्टवेयर तैयार करने और उससे संबंधित खर्च, जिसके परिणामस्वरूप तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का सफलतापूर्वक संस्थापन किया गया है, को लागत पर मान्यता दी जाती है और इसे तीन वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है।

मूल्यह्रास पद्धतियों, उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्टक मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है।

2.9 निवेश संपत्तियां

(i) निवेश संपत्ति में पूरी कर ली गई संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और वित्तपोषण पट्टे के अधीन रखी गई संपत्ति शामिल है, जो सामान्य व्यवसाय में बिक्री के लिए या उत्पादन अथवा प्रशासनिक कार्यों में इस्तेमाल के लिए, के बजाय किराया अर्जित करने या पूंजी बढ़ाने के लिए या दोनों के लिए रखी गई है।

(ii) निवेश संपत्तियों का उल्लेख लागत, निवल संचित मूल्यह्रास और संचित नुकसान से होने वाली हानियॉं, यदि कोई हैं, पर किया जाता है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार कंपनी, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में यथाविनिर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर उचित ढंग से निवेश के भवन संघटक पर मूल्यह्रास करती है (टिप्पणी 2.7 देखें)।

(iv) निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास या तो तब दिया जाता है जब उनका निपटान कर दिया गया हो या जब वे उपयोग से स्थायी रूप से वापस ले ली गई हों और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो। निपटान से प्राप्त निवल राशि और परिसंपत्ति की कैरिंग राशि के बीच के अंतर को मान्यता समाप्त करने की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.10 प्रावधान

प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जबः

(i) कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणाम के रूप में कोई वर्तमान दायित्व हो;

(ii) संसाधनों के किसी संभावित बहिर्वाह द्वारा दायित्व के निपटाए जाने की आशा हो और

(iii) दायित्व की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

ऊपर मान्यता प्रदान किए गए प्रावधान, जिसे 12 महीने से अधिक के समय में निपटान किए जाने की आशा हो, को कर–पूर्व रियायती दर का इस्तेमाल करके वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो देयताओं के प्रति विशिष्ट जोखिम दर्शाता है और समय बीत जाने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज खर्चों के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है।

2.11 राजस्व मान्यता

(I) प्रचालन से राजस्व (आय): राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचेगा और राजस्व को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। तथापि, जब राजस्व में पहले से ही शामिल की गई राशि की संग्रहणीयता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो संग्रहण न किए जाने योग्य राशि या ऐसी राशि, जिसके संबंध में वसूली की संभावना समाप्त हो गई है, को पहले से ही मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि के समायोजन के बजाय खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

(क) प्रदत्त ऋणों पर ब्याज संबंधी आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके लागू होने वाली दर और बकाया राशि हिसाब में लेकर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) अदायगियों में चूक पर दंडस्वरूप ब्याज को इसकी संग्रहणीयता की अनिश्चितता के कारण वसूली पर मान्यता दी जाती है।

(ग) अप्रयुक्त ऋण निधियों की वापसी पर प्रभारित दंडस्वरूप ब्याज प्रबंधन नीति के अधीन है (देखें टिप्पणी 19.1) और इसकी गणना उपचय (बढ़ोतरी) के आधार पर की जाती है।

(II) अन्य राजस्व मान्यता:

(क) बैंक जमा राशियों पर ब्याज को बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रख कर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) स्टाफ ऋण पर ब्याज संबंधी आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके लागू होने वाली ब्याज दर और बकाया राशि को लेखों में लेकर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.12 इंड एएस 20 के अंतर्गत यथानुमत सरकार/अन्य संगठनों से राजस्व अनुदान

(i) जिस अवधि में संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है उसमें अनुदानों को जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए होते हैं प्रणालीबद्ध आधार पर आय एवं व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

(ii) सरकारी अनुदान पूर्वावधि में किए गए व्यय या हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में किसी संस्था द्वारा प्राप्ति योग्य हो

सकता है। ऐसे अनुदान को उसको प्राप्ति योग्य बनने की अवधि में आय एवं व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

(iii) आय से संबंधित अनुदानों को संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में कटौती की जाती है।

2.13 पट्टा

पट्टाधारी के रूप में

(i) कंपनी पट्टा आरंभ होने की तिथि पर परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार एवं पट्टा देयता को मान्य करती है। संपत्ति के प्रयोगाधिकार को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या इससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि, व्यय की गई कोई आरंभिक सीधी लागत सहित तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने या हटाने के लिए या अंतर्निहित परिसंपत्ति या क्षेत्र जिस पर यह स्थित है, को बहाल करने का लागत अनुमान शामिल होता है तथा इसमें से प्राप्त कोई पट्टा प्रोत्साहन घटाया जाता है।

(ii) संपत्ति के प्रयोगाधिकार के उपयोगी कार्यकाल के अंत से पहले की प्रारंभ तिथि या पट्टा अवधि की समाप्ति से सीधी रेखा विधि का प्रयोग करके संपत्ति के प्रयोगाधिकार को बाद में मूल्यह्रास किया जाता है। परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार के अनुमानित उपयोगी कार्यकाल का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जिस आधार पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा, संपत्ति के प्रयोगाधिकार को क्षति नुकसानी, यदि कोई हो, द्वारा घटाया जाता है और पट्टा देयता के कुछ पुनः मापन के लिए समायोजित किया जाता है।

(iii) पट्टा देयता को जिनका प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता, पट्टा में अंतर्निहित ब्याज दर के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है या उस दर का आसानी से निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो कंपनी की वृद्धि मूलक ऋण दर का प्रयोग करके छूट दी जाती है।

(iv) पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, इसे जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से भावी पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है तब उस समय पुनरू मापा जाता है। जब पट्टा देयता को इस तरह से पुनरू मापा जाता है या यदि परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार की अग्रनीत राशि को घटाकर शून्य कर दिया गया है, तब लाभ एवं हानि में दर्ज किया जाता है।

(v) कंपनी परिसंपत्ति के ऐसे प्रयोगाधिकार को तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है जो 'संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण' में निवेश संपत्ति और 'अन्य वित्तीय देयताएं' में वित्तीय देयता की परिभाषा को पूरा नहीं करता है।

(vi) अल्प अवधि का पट्टा तथा कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे। कंपनी ने अल्प अवधि के पट्टों के लिए परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार एवं पट्टा देयताओं को मान्य न करने का चयन किया है जिनकी पट्टा अवधि 12 माह या कम है तथा कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों से संबद्ध पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में मान्य करती है।

पट्टाकार के रूप में

(i) जब कंपनी पट्टाकार के रूप में कार्य करती है तो यह पट्टा शुरू होने पर निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है अथवा प्रचालन पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए कंपनी इस बात का समग्र आकलन करती है कि क्या पट्टा अप्रयुक्त परिसंपत्ति के स्वामित्व से वास्तविक सभी जोखिम एवं लाभों को पर्याप्त रूप से अंतरित करता है। यदि ऐसा

होता है तो पट्टा वित्त पट्टा है, यदि ऐसा नहीं होता है तो यह प्रचालन पट्टा है। आकलन के अंग के रूप में कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक उपयोगिता के बड़े भाग के लिए है।

(ii) यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर–पट्टा घटक होते हैं तो कंपनी संविदा में प्रतिफल आवंटित करने के लिए इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व' का प्रयोग करती है।

(iii) कंपनी प्रचालन पट्टा के तहत प्राप्त पट्टा भुगतानों को 'अन्य आय' के अंग के रूप में पट्टा अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आय के रूप में मान्य करती है।

2.14 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण

(i) परिसंपत्तियों की कैरिंग राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को यह निश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या हानिकरण का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों के लिए, जो उपयोग के लिए अभी उपलब्ध नहीं हैं, वसूली योग्य राशि का अनुमान प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को लगाया जाता है।

(ii) नुकसान से होने वाली हानि को उस समय मान्यता दी जाती है जब कभी किसी परिसंपत्ति की कैरिंग राशि या इसकी नकदी, सृजन इकाई इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। क्षति नुकसानी को 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दी जाती है।

(iii) नुकसान से होने वाली हानि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन किया गया है। क्षति नुकसानी को केवल उसी सीमा तक प्रत्यावर्तित किया जाता है कि परिसंपत्ति की कैरिंग राशि उस कैरिंग राशि से अधिक नहीं है, जो निवल मूल्यह्रास या परिशोधन के रूप में निर्धारित की जाती, यदि क्षति नुकसानी को मान्यता न दी गई होती।

2.15 कर्मचारी लाभ

(i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे अल्पावधि क्षतिपूरित अनुपस्थितियों को, उस वर्ष, जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, के आय एवं व्यय का विवरण में गैर–बट्टागत आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) नियोजनोत्तर लाभ और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

(क) सुनिश्चित अंशदान योजना

सुनिश्चित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि, पेंशन, कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा और समूह बचत संबद्ध बीमा योजनाओं को, खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे आय एवं व्यय का विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी, भविष्य निधि के संबंध में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सुनिश्चित अंशदान देती है। कंपनी के पास अपने अंशदान के अलावा, इस संबंध में कोई अन्य दायित्व नहीं है, जिसका भुगतान देय होने के समय किया जाता है। एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त योजनाएं जैसे 'परिभाषित अंशदान पेंशन योजना' और 'सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान चिकित्सा' योजना हैं बशर्ते कि लोक उद्यम विभाग के दिनांक 21.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन के

अनुसार कंपनी द्वारा अंशदान किया गया हो।

(क) (i) पेंशन योजना

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशानुसार निगम में ''एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना'' है। नियोक्ता, न्यास को प्रत्येक माह मूल वेतन और मंहगाई भता का 10% देता है। निगम ने योजना के प्रबंधन के लिए 'एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना न्यास (ट्रस्ट)' नामक एक ट्रस्ट का गठन किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम एनएसएफडीसी का निधि प्रबंधक है।

(क) (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना

निगम में ''सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित चिकित्सा योजना'' है। निगम ने ''एनएसएफडीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान चिकित्सा योजना न्यास (ट्रस्ट)'' नामक एक ट्रस्ट का गठन किया है। नियोक्ता ट्रस्ट को प्रत्येक माह मूल वेतन और मंहगाई भत्ता का 3% अंश देता है। निधियों का प्रबंधन, ट्रस्ट द्वारा स्थापना से दिनांक 01.08.2018 तक किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम दिनांक 02.08.2018 से समूह सेवानिवृत्ति नकद संचयी लाभ योजना के अंतर्गत ट्रस्ट की निधियों का प्रबंधन कर रहा है।

(ख) सुनिश्चित लाभ योजना

(ख) (i) उपदान

कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधिकरण, एक अलग न्यास के माध्यम से जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जीवन बीमा निगम, जो एक सरकारी उपक्रम है, ने अपने द्वारा प्रमाणित अनुसार बीमांकिक गणना के आधार पर वर्ष के दौरान प्रीमियम प्रभारित किया है। तुलन–पत्र में मान्यता दी गई राशि, तुलन–पत्र की तारीख को सुनिश्चित लाभ दायित्वों में से 'योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य' घटाकर और उसमें से अभी तक मान्यता न दी गई कोई पूर्व सेवा लागत घटाकर निकाली गई राशि है।

(ख) (ii) छुट्टी लाभ

निगम में एक सुनिश्चित लाभ योजना (छुट्टी लाभ योजना) है, जिसमें निगम की छुट्टी नियमावली के अनुसार, संबंधित कर्मचारी के वेतन और सेवाकाल के आधार पर पात्र कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। छुट्टी लाभ जैसे छुट्टी नकदीकरण, चिकित्सा छुट्टी इत्यादि को वर्ष के अंत में यथास्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.16 विशेष आरक्षित निधि

निगम, व्यय से अधिक आय का 10%, भवनों में निवेश करने और आकस्मिकताओं/आकस्मिक घटनाओं के लिए विशेष राजस्व निधि में अंतरित करता है।

2.17 आय कर

कंपनी की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26बी) के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त है। इस प्रकार आयकर के

लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप ''आयकर के लिए लेखांकन'' का भारतीय लेखा मानक–12 का प्रावधान लागू नहीं होता।

2.18 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन निर्धारित करने में, कंपनी, इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने योग्य निवल लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर अर्जनों की संगणना करने में इस्तेमाल किए गए शेयरों की संख्या, इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन निर्धारित करने में, इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने योग्य निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या, तरलीकरण की संभावना वाले सभी इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किए जाते हैं।

2.19 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, निम्नलिखित मामलों में से किसी मामले में किया जाता है:

(i) किसी पिछली घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि इस दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा; या

(ii) वर्तमान दायित्व का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता; या

(iii) कोई संभावित दायित्व, जब तक संसाधन के बहिर्वाह की संभावना अल्पतम है।

- आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना हो।
- आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक देयताओं और प्रावधानों की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है।
- आकस्मिक देयता, निपटान पर संभावित बहिर्वाह पर विचार करते हुए निवल अनुमानित प्रावधान हैं।

2.20 उचित मूल्य मापन

ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं, जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है, को पूरे उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट पर आधारित, निम्नलिखित के रूप में विनिर्धारित उचित मूल्य अनुक्रम के अंदर श्रेणीकृत किया जाता है:

- स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – ऐसी मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्यांकन मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य हैं।
- स्तर 3 – ऐसी मूल्य तकनीकें, जिनके लिए, उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट, अवलोकन न किए जाने योग्य हैं।

ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, जिन्हें वित्तीय विवरणों में आवर्ती आधार पर मान्यता दी जाती है, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या अंतरण, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनः निर्धारित करके (पूरे उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट पर आधारित) अनुक्रम में स्तरों के बीच किए गए हैं।

रिपोर्टिंग की तारीख को, कंपनी, परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में संचालनों का विश्लेषण करती है, जिनका पुनरूमापन या पुनःनिर्धारण लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी, संविदाओं और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की मूल्यांकन संगणना में अनुप्रयुक्त प्रमुख इनपुटों का सत्यापन करती है।

कंपनी, प्रत्येक परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्यांकन में हुए परिवर्तन का भी मिलान सुसंगत बाह्य स्रोतों के साथ यह पता लगाने हेतु करती है कि क्या परिवर्तन तर्कसंगत हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य के लिए कंपनी ने परिसंपत्ति या दायित्व के स्वरूप, गुण और जोखिमों और ऊपर स्पष्ट किए गए उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियां निर्धारित की हैं।

2.21 वित्तीय विलेखः–

(i) आरंभिक मान्यता और मापन

इनमें वित्तीय विलेखों को प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण या वित्तीय विलेख जारी करने के लिए प्रदान किए जाने योग्य लेन–देन संबंधी ऐसी लागतें जोड़कर या कम करके इसके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(ii) उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैंः

(अ) परिशोधित लागत पर

किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन, परिशोधित लागत पर किया जाएगा, यदि निम्नलिखित में से दोनों शर्तें पूरी की जाती हैंः

(क) वित्तीय परिसंपत्ति, किसी व्यवसाय मॉडल के अंदर धारित है, जिसका उद्देश्य, संविदात्मक नकद प्रवाह प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय परिसंपत्तियां धारित करना है; और

(ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें, विनिर्दिष्ट तारीखों को, ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जो बकाया मूलधन पर अनन्य रूप से मूलधन और ब्याज के भुगतान हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, हानिकरण, यदि कोई है, कम करके, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके, परिशोधित लागत पर किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर परिशोधन) आय एवं व्यय का विवरण में वित्तीय आय में शामिल है।

(आ) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई)

'ऋण विलेख' अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है, यदि निम्नलिखित में से दोनों मापदंड पूरे किए जाते हैं:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य, संविदात्मक नकदी प्रवाह संगृहीत करके और वित्तीय परिसंपत्तियां बेचकर दोनों तरीके से प्राप्त किया जाता है; और
- परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह, अनन्य रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान को प्रदर्शित करता है।

एफवीटीओसीआई के अंदर शामिल किए गए ऋण विलेखों का मापन आरंभ में और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। तथापि, कंपनी, 'आय और व्यय का विवरण' में, ब्याज से आय, नुकसान से होने वाली हानियों एवं प्रत्यावर्तनों और विदेशी विनिमय लाभ या हानि को मान्यता देती है। ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान की गई परिसंपत्ति, संचयी लाभ या हानि की मान्यता समाप्त करने पर उसे लाभ और हानि की इक्विटी में पुनः वर्गीकृत किया गया है। अर्जित ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति के इस्तेमाल को मान्यता दी गई है।

(इ) लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)

'लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर' (एफवीटीपीएल), वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधित लागत पर या पीवीटीओसीआई में दिए गए श्रेणीकरण का मापदंड पूरा नहीं करती, को एफवीटीपीएल पर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी, ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामोद्दिष्ट करने का विकल्प चुन सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के मापदंड को पूरा करती है, यदि ऐसा करना मापन या मान्यता की असंगतता को कम करता है या समाप्त करता है। कंपनी ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामोद्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल की गई वित्तीय परिसंपत्तियों का 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दिए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

व्यापार और अन्य भुगतान योग्य राशियों, प्रतिभूति जमा राशियों और अवधारण राशि द्वारा प्रदर्शित परिशोधित लागत पर वित्तीय दायित्वों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और तत्पश्चात इसे प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित मूल्य पर लिया जाता है।

(ख) एफवीटीपीएल पर वित्तीय दायित्व

कंपनी ने किसी वित्तीय दायित्व को, एफवीटीपीएल पर नामोद्दिष्ट नहीं किया है।

(iii) मान्यता समाप्त करना

वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति के किसी भाग या उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह के भाग) की मान्यता केवल तभी समाप्त की जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियां और परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्ततः सभी जोखिम और रिवार्डस अंतरित हो जाते हैं।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता की मान्यता तभी समाप्त की जाती है, जब देयता के अंतर्गत उत्तरदायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब कोई वर्तमान वित्तीय देयता, पर्याप्ततः भिन्न शर्तों पर उसी ऋणी से अन्य ऋणी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या किसी वर्तमान देयता की शर्तें पर्याप्ततरू संशोधित कर दी जाती हैं तो ऐसी अदला–बदली या संशोधन को मूल देयता की मान्यता समाप्त करने के रूप में माना जाता है और किसी नई देयता की मान्यता और संबंधित कैरिंग राशियों में अंतर को 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दी जाती है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरणः

(i) कंपनी, तुलन–पत्र की प्रत्येक तारीख को यह आकलन करती है कि क्या वित्तीय परिसंपत्ति का हानिकरण हुआ है। भारतीय लेखा मानक–109 में, प्रत्याशित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) को, हानि अनुमति के जरिए मापे जाने की अपेक्षा की गई है।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों/व्यापार प्राप्तव्यों के अलावा अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को 12 माह के बराबर राशि पर या जीवनकाल ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाएगा, यदि वित्तीय परिसपंत्ति पर क्रेडिट जोखिम में इसकी आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप में वृद्धि हो गई है।

(iii) इस अवधि के दौरान मान्यता दी गई ईसीएल क्षति नुकसानी भत्ते (या रिवर्सल) को 'आय एवं व्यय का विवरण' में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.22 बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह)

गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह), बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, जब उनकी कैरिंग राशि, किसी बिक्री लेनदेन के जरिए सिद्धांत रूप में वसूल की जानी हैं और बिक्री अत्यधिक संभावना वाली केवल तभी मानी जाती है, जब परिसंपत्ति या निपटान समूह, उसकी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। ऐसी संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी और बिक्री, वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर प्रत्याशित है। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों का उल्लेख, कैरिंग राशि के न्यूनतम स्तर और उचित मूल्य में

से बिक्री करने की लागत घटाकर आए मूल्य पर किया जाता है। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत कर दिए जाने के पश्चात संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता या इन्हें परिशोधित नहीं किया जाता। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां और दायित्व, तुलन–पत्र में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

यदि भारतीय लेखा मानक–105 "बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां और बंद कर दिए गए प्रचालन" द्वारा उल्लिखित मापदंड पूरे नहीं किए गए हैं तो निपटान समूह का, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त हो जाता है। गैर–चालू परिसंपत्ति, जिसका बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त हो जाता है, का मापनः

(i) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले की मूल्यह्रास के लिए समायोजित इसकी कैरिंग राशि, जिसे मान्यता दी जाती है, यदि वह परिसंपत्ति, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत न की गई होती; और

(ii) उस तारीख, जब निपटान समूह, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त होता है, को इसकी वसूली योग्य राशि से निम्नतर राशि पर किया जाता है।

2.23 मानक / संशोधन जारी किए गए है लेकिन अभी प्रभावी नहीं हैं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय "एमसीए ने दिनांक 23 मार्च, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2022 को जारी किया था। भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2022 में निम्नलिखित मानकों में संशोधन किए गए हैं:

1. भारतीय लेखा मानकों को प्रथम बार अंगीकरण (इंड एएस–101)
2. व्यावसायिक संयोजन (इंड एएस–103)
3. वित्तीय लिखतें : प्रकटन (इंड एएस–109)
4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (इंड एएस–16)
5. प्रावधान, आकस्मिक दायित्वों और आकस्मिक आस्तियां (इंड एएस–37)
6. कृषि (इंड एएस–41)

इन संशोधनों की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी वर्तमान में संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है और अभी तक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का निर्धारण नहीं किया है।

3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	भवन फ्रीहोल्ड	भवन लीजहोल्ड	फर्नीचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर	कुल
लागत या मानित लागत							
1 अप्रैल, 2020 को	**22.48**	**646.89**	**109.86**	**15.41**	**40.90**	**94.44**	**929.99**
अभिवर्धन	–	–	1.06	8.02	2.15	11.03	22.26
निपटान/समायोजन	–	–	(0.06)	–	(2.68)	(31.86)	(34.60)
31 मार्च, 2021 को	**22.48**	**646.89**	**110.86**	**23.43**	**40.37**	**73.61**	**917.65**
अभिवर्धन	–	–	**5.72**	**0.28**	**4.04**	**6.64**	**16.68**
निपटान/समायोजन	–	–	**(1.12)**	**(7.46)**	**(3.22)**	–	**(11.80)**
31 मार्च, 2022 को	**22.48**	**646.89**	**115.46**	**16.25**	**41.19**	**80.25**	**922.53**
मूल्यह्रास और हानिकरण							
1 अप्रैल, 2020 को	**17.04**	**239.35**	**99.83**	**13.77**	**35.09**	**88.46**	**493.55**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.26	23.04	1.32	0.55	2.50	6.41	34.08
हानिकरण							–
निपटान/समायोजन	–	–	(0.06)	–	(2.36)	(31.32)	(33.74)
31 मार्च, 2021 को	**17.30**	**262.39**	**101.09**	**14.32**	**35.23**	**63.55**	**493.89**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.25	16.35	1.44	2.48	2.90	5.78	29.20
हानिकरण							
निपटान/समायोजन	–	–	(1.06)	(7.06)	(3.01)	–	(11.13)
31 मार्च, 2022 को	**17.55**	**278.74**	**101.47**	**9.74**	**35.12**	**69.33**	**511.94**
निवल बुक मूल्य							
31 मार्च, 2022 को	**4.92**	**368.15**	**14.00**	**6.51**	**6.07**	**10.92**	**410.57**
31 मार्च, 2021 को	**5.17**	**384.50**	**9.78**	**9.11**	**5.14**	**10.06**	**423.76**

टिप्पणीः– 3.1 कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में यथाविनिर्दिष्ट, स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन पर लेखांकन नीति में प्रकट की गई कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल लागू किया है। तद्नुसार, अपरिशोधित कैरिंग मूल्य का मूल्यह्रास/परिशोधन, संशोधित/बाकी उपयोगी जीवनकाल पर किया जा रहा है।

टिप्पणीः– 3.2 भवनों में, लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड दोनों भवन शामिल हैं। डीडीए/स्कोप से 89 वर्षों के उपयोग के अधिकार के तहत स्कोप मीनार पर लीजहोल्ड बिल्डिंग परिसर को टाइटल/सब–लीज के हस्तांतरण के लंबित उप–पट्टे पर खरीद शामिल है। इसके अलावा, मुंबई में खरीदे गए दो फ्लैटों का औपचारिक विलेख म्हाडा और आवास समिति के बीच अभी निष्पादित किया जाना है।

टिप्पणीः– 3.3* कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी (भारतीय लेखामानक) संशोधन नियम, 2019 में संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करके अधिसूचित के रूप में भारतीय लेखामानक–116 'पट्टे' को अपनाया है जिसके तहत पट्टेदार के तुलन–पत्र में पट्टा व्यवस्था को एक समान पट्टा देयता के साथ 'उपयोग के अधिकार' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। विवरण के लिए टिप्पणी सं. 41 का संदर्भ लें।

टिप्पणीः— 3.4 कंपनी के नाम पर नहीं ली गई संपत्ति का विवरण इस प्रकार हैः

	संपत्ति की मदों का विवरण	सकल वहन मूल्य	कम्पनी के नाम पर किए गए टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)	कोर 1, 14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली में स्थित भवन	646.89	लोक उद्यमों की स्थायी समिति	लागू नहीं	6.17.2005	ऊपर 3.2 देखें
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)	मुंबई फ्लैट्स	239.04	एमएचएडीए	लागू नहीं	25.06.1997	ऊपर 3.2 देखें

4 **विनिधान संपत्ति**

(₹ लाख में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भवन	कुल
लागत या मानित लागत		
1 अप्रैल, 2020 को	**46.50**	**46.50**
अभिवर्धन		
निपटान/समायोजन		
31 मार्च, 2021 को	**46.50**	**46.50**
अभिवर्धन		
निपटान/समायोजन		
31 मार्च, 2022 को	**46.50**	**46.50**
मूल्यह्रास और हानिकरण		
1 अप्रैल, 2020 को	**33.66**	**33.66**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.62	0.62
हानिकरण		
निपटान/समायोजन		
31 मार्च, 2021 को	**34.28**	**34.28**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.59	0.59
हानिकरण		
निपटान/समायोजन		
31 मार्च, 2022 को	**34.87**	**34.87**
निवल बुक मूल्य		
31 मार्च, 2022 को	**11.63**	**11.63**
31 मार्च, 2021 को	**12.22**	**12.22**

टिप्पणीः– 4.1 कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट, स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन पर लेखांकन नीति में प्रकट की गई कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल लागू किया है। तद्नुसार, अपरिशोधित कैरिंग मूल्य का मूल्यह्रास/परिशोधन, संशोधित/बाकी उपयोगी जीवनकाल पर किया जा रहा है।

टिप्पणीः– 4.2 संपत्ति के विनिवेश का मूल्य निर्धारण

भाग ''क'' का मूल्य निर्धारण	
कारपेट एरिया	328.39 वर्ग मीटर
कार्यालय स्थान के लिए 15.12.2015 से प्रभावी सर्किल रेट	₹ 77000 / वर्ग मीटर
रु. 77000 / – की दर पर भाग 'क' कार्यालय स्थान का मूल्य	25,286,030.00
यह 4थी मंजिल पर है और मुख्य सड़क पर	
फ्लाईओवर के सामने है अतः 20% की दर पर कटौती	5,057,206.00
भाग 'क' का उचित बाजार मूल्य	**20,228,824.00**
	202.00 लाख
भाग "ख" का मूल्य निर्धारण	
कारपेट एरिया	57.704 वर्ग मीटर
कार्यालय स्थान के लिए 15.12.2015 से प्रभावी सर्किल रेट	₹ 77000 / वर्ग मीटर
रु.77000 / – की दर पर भाग 'क' कार्यालय स्थान का मूल्य	4,443,208.00
यह 4थी मंजिल पर है और मुख्य सड़क पर	
फ्लाईओवर के सामने है अतरू 20% की दर पर कटौती	888,641.60
	3,554,566.40
जोड़ें: मूल्यह्रास को समायोजित करने के उपरांत	150,000.00
लकड़ी के विभाजक और अन्य लकड़ी के कार्य	
	3,704,566.40
भाग 'ख' का उचित बाजार मूल्य	**37.04 लाख**
संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	**239.04**

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल को लागू करते हुए कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर उचित मूल्य का निर्धारण।

5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल
लागत या मानित लागत		
01 अप्रैल, 2020 को	**31.78**	**31.78**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	–	–
समायोजन	–	–
31 मार्च, 2021 को	**31.78**	**31.78**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	1.81	1.81
समायोजन		
31 मार्च, 2022 को	**33.59**	**33.59**
परिशोधन और हानिकरण		
01 अप्रैल, 2020	**24.80**	**24.80**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	5.53	5.53
वर्ष के दौरान हानिकरण		
31 मार्च, 2021 को	**30.33**	**30.33**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	1.19	1.19
वर्ष के दौरान हानिकरण		
31 मार्च, 2022 को	**31.52**	**31.52**
निवल कैरिंग मूल्य		
31 मार्च, 2022 को	**2.07**	**2.07**
31 मार्च, 2021 को	**1.45**	**1.45**

6 वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

ऋणों को गैर–चालू भाग, 'गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और ऋणों को चालू भाग' चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर–चालू	चालू		गैर–चालू	चालू	
I क. ऋण (अप्रतिभूत – अच्छा समझा गया)						
i) मियादी ऋण संवितरण (संदर्भ टिप्पणी 6.1)	530,942.06		530,942.06	482,228.87	–	482,228.87
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(78,879.81)		–78,879.81	(69,186.41)	–	–69,186.41
घटाएं: पुनर्भुगतान	(275,080.91)		–275,080.91	(240,635.89)	–	–240,635.89
घटाएं: चालू भाग	(74,868.46)	74,868.46	–	(67,886.79)	67,886.79	–
	102,112.88	**74,868.46**	**176,981.34**	**104,519.78**	**67,886.79**	**172,406.57**
ii) लघु ऋण वित्त संवितरण	68,460.46		68,460.46	66,990.29	–	66,990.29
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(13,477.31)		–13,477.31	(12,849.62)	–	–12,849.62
घटाएं: पुनर्भुगतान	(49,781.47)		–49,781.47	(48,231.99)	–	–48,231.99
घटाएं चालू भाग	(3,860.28)	3,860.28	–	(4,578.52)	4,578.52	–
	1,341.40	**3,860.28**	**5,201.68**	**1,330.16**	**4,578.52**	**5,908.68**
iii) महिला समृद्धि योजना संवितरण	84,409.53		84,409.53	78,194.39	–	78,194.39
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(12,368.43)		–12,368.43	(12,349.94)	–	–12,349.94
घटाएं: पुनर्भुगतान	(56,851.69)		–56,851.69	(52,027.93)	–	–52,027.93
घटाएं: चालू भाग	(8,170.09)	8,170.09	–	(8,889.75)	8,889.75	–
	7,019.32	**8,170.09**	**15,189.41**	**4,926.77**	**8,889.75**	**13,816.52**
iv) महिला किसान योजना संवितरण	1,358.70		1,358.70	1,358.70	–	1,358.70
घटाएं: धन वापसीध्वापस मंगाया	(563.47)		–563.47	(560.07)	–	–560.07
घटाएं: पुनर्भुगतान	(621.65)		–621.65	(613.53)	–	–613.53
घटाएं: चालू भाग	(96.51)	96.51	–	(87.66)	87.66	–
	77.07	**96.51**	**173.58**	**97.44**	**87.66**	**185.10**
v) शिल्पी समृद्धि योजना संवितरण	480.65		480.65	480.65	–	480.65
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	–259.84		–259.84	(258.24)	–	–258.24
घटाएं: पुनर्भुगतान	–164.25		–164.25	(157.58)	–	–157.58
घटाएं: चालू भाग	–26.67	26.67	–	(15.56)	15.56	–
	29.89	**26.67**	**56.56**	**49.27**	**15.56**	**64.83**
vi) शिक्षा ऋण योजना संवितरण	6,878.70		6,878.70	6,359.02	–	6,359.02
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(576.73)		–576.73	(504.69)	–	–504.69
घटाएं: पुनर्भुगतान	(2,675.94)		–2,675.94	(2,137.86)	–	–2,137.86
घटाएं: चालू भाग	(1,693.53)	1,693.53	–	(1,547.91)	1,547.91	–
	1,932.50	**1,693.53**	**3,626.03**	**2,168.56**	**1,547.91**	**3,716.47**
vii) वीईटीएलएस	568.27		568.27	568.27	–	568.27
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	–		–		–	–
घटाएं: पुनर्भुगतान	–175.61		–175.61	(61.96)	–	–61.96
घटाएं: चालू भाग	–113.65	113.65	–	(113.65)	113.65	–
	279.01	**113.65**	**392.66**	**392.66**	**113.65**	**506.31**

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर–चालू	चालू		गैर–चालू	चालू	
viii) आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना संवितरण				–	–	–
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया				–	–	–
घटाएं: पुनर्भुगतान				–	–	–
घटाएं: चालू भाग					–	–
कुल : I क	**112,792.07**	**88,829.19**	**201,621.26**	**113,484.65**	**83,119.84**	**196,604.48**
I ख. ऋण (प्रतिभूत – अच्छा समझा गया)					–	
i) आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना	759.53	–	759.53	416.27	–	416.27
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	–	–	–	–	–	–
घटाएं: पुनर्भुगतान	(336.52)	–	–336.52	(260.94)	–	–260.94
घटाएं: चालू भाग	(189.18)	189.18	–	(84.28)	84.28	–
	233.83	**189.18**	**423.00**	**71.05**	**84.28**	**155.33**
ii) उद्यम निधि योजना संवितरण*	589.04		589.04	589.04	–	589.04
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	–		–	–	–	–
घटाएं: पुनर्भुगतान	–589.04		–589.04	(438.13)	–	–438.13
घटाएं: चालू भाग				(52.74)	52.74	–
	–	–	–	**98.17**	**52.74**	**150.91**
iii) स्टाफ अग्रिम	253.52	96.14	349.66	293.53	104.36	397.89
कुल : I ख	**487.35**	**285.32**	**772.66**	**462.75**	**241.38**	**704.13**
*एफडीआर, पीडीसी के लियन के विरुद्ध में						
I ग. ऐसी ऋण प्राप्तियां जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है						
(i) मियादी ऋण संवितरण	605.65		605.65	666.27		666.27
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया			–	–		–
घटाएं: पुनर्भुगतान			–	–		–
घटाएं: चालू भाग			–	–		–
	605.65	–	**605.65**	**666.27**	–	**666.27**
(ii) लघु ऋण वित्त संवितरण	16.00		16.00	16.00		16.00
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया			–	–		–
घटाएं: पुनर्भुगतान			–	–		–
घटाएं: चालू भाग			–	–		–
	16.00	–	**16.00**	**16.00**	–	**16.00**
(iii) महिला समृद्धि योजना संवितरण	95.00		95.00	95.00		95.00
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया			–	–		–
घटाएं: पुनर्भुगतान			–	–		–
घटाएं: चालू भाग			–	–		–
	95.00	–	95.00	95.00	–	95.00
कुल : I ग	**716.65**	–	**716.65**	**777.27**	–	777.27
घाटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋण (टिप्पणी सं. 31 का संदर्भ लें)	(716.65)		(716.65)	(777.27)		(777.27)
कुल (1क+1ख)	**113,279.42**	**89,114.51**	**202,393.93**	**113,947.40**	**83,361.22**	**197,308.62**

6.1 वर्ष के विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.2021	संवितरण 2021–22	पुनर्भुगतान 2021–22	वापसी / वापस मंगाया 2021–22	अंतः शेष 31.03.22
मियादी ऋण (टीएल)	173,072.85	48,652.57	34,445.02	9,693.40	177,587.00
लघु ऋण वित्त (एमसीएफ)*	5,924.68	1,470.17	1,549.48	627.69	5,217.68
महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)	13,911.53	6,215.14	4,823.76	18.50	15,284.41
महिला किसान योजना (एमकेवाई)	185.10	–	8.11	3.40	173.59
शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई)	64.83	–	6.67	1.60	56.56
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	3,716.47	519.67	538.08	72.04	3,626.02
वीईटीएलएस	506.31	–	113.65	–	392.66
आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना	155.32	343.26	75.58	–	423.00
उद्यम निधि योजना	150.91	–	150.91	–	–0.00
कुल	**197,688.00**	**57,200.81**	**41,711.28**	**10,416.63**	**202,760.91**
विगत वर्ष के आंकड़े	**190,001.15**	**54,823.13**	**42,349.47**	**4,786.81**	**197,688.00**

* प्रारंभिक चालू शेष में एमसीएफ से मियादी ऋण में रु.2333.45 लाख का समायोजन शामिल है।

6.1(क): 'चालू ऋण' वह ऋण राशि है जो वित्तीय वर्ष के अंत तक अगले 12 महीनों के दौरान प्राप्ति योग्य है।

6.1(ख): 'चालू ऋण' नीति के तहत, 120 दिनों के बाद ऋण की अप्रयुक्त धनराशि पुनर्भुगतान योग्य है। हालांकि, विभिन्न घटकों जैसे एससीए के साथ लाभार्थियों द्वारा दस्तावेजीकरण पूर्ण करने में देरी, दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों का कवरेज, पाइपलाइन में शेष बचे हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र इत्यादि कारणों से अनिश्चित है, उसे 'गैर–चालू' में किया जाएगा।

6.1(ग): ₹19,151.15 लाख (गत वर्ष ₹21,651.15 लाख) के कुल उपलब्ध सरकारी आश्वासन द्वारा ₹2,460.72 लाख (वर्ष 2020–21 में ₹1,985.47 लाख) की बकाया राशि प्राप्त की है। कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, सरकारी आश्वासन सरकारी विलेख / आदेश के अनुरूप नहीं है। जोकि मध्यस्थता के माध्यम से विवादित मामलों में भी लागू किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी उन मामलों में वसूली करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है जहां बकाया ऋण राशि के संबंध में सरकारी आश्वासन दिया गया है।

6.1(घ): (i) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बोर्ड ने दिनांक 07.03.2022 को आयोजित अपनी 158वीं बोर्ड बैठक में बैंकों / आरआरबी के लिए एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार 52,88,433 / – रुपये की राशि के इंडियन ओवरसीज बैंक पर लगाए गए रिफंड पर ब्याज को माफ करने को मंजूरी दी।

(ii) स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अपेक्षित है कि तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया होने के बावजूद, कंपनी राज्य सरकार की गारंटी का उपयोग नहीं कर रही है जिसके परिणामस्वरूप निधि की बकाया है। तदनुसार, वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने तीन एससीए के मामले में, राज्य सरकार की गारंटी में प्रदान की गई बकाया राशि की वसूली के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया: –

(क) साहित्यरत्न लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे विकास निगम लिमिटेड (एलएएसडीसी)।

(ख) डॉ अम्बेडकर अंत्योदय विकास निगम (डीएएडीसी)

(ग) मणिपुर राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी बैंक लिमिटेड (एमएसटीसीबी)।

एलएएसडीसी और डीएएडीसी के मामलों में। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने पार्टियों को एलएएसडीसी के मामले में 93.24 करोड़ रुपये और डीएएडीसी के मामले में 15.00 करोड़ रुपये की सीमा तक दावा राशि का निपटान करने का निर्देश दिया है। एमएसटीसीबी के मामले में, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने भुगतान करने के लिए पुरस्कार आदेश पारित किया है, दावा के विवरण दाखिल करने की तारीख से दावेदार को प्रतिवादी (एनएसएफडीसी) द्वारा वास्तविक भुगतान की तारीख तक 9% ब्याज के साथ 1.53 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए।

अधिनिर्णय आदेश के निष्पादन के लिए, निगम ने जिला न्यायाधीश, इंफाल, मणिपुर के न्यायालय में मध्यस्थता निष्पादन का मामला दायर किया है। निगम ने इंड–एएस 109 के अनुसार 31.03.2022 तक लेखांकन अवधि के दौरान 9% की बढ़ी हुई दर पर ब्याज आय की मान्यता को स्थगित कर दिया है।

7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – गैर–चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत, अच्छा माना गया		
प्रतिभूति जमा (टिप्पणी सं. 7.1 देखें	5.84	6.41
प्राप्तव्य ब्याज किंतु देय नहीं	121.14	110.52
ऐसी प्राप्तियां जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है		
जमा वसूली (संदिग्ध)	1,539.99	1,539.99
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता (टिप्पणी सं. 31)	(1,539.99)	(1,539.99)
कुल	**126.98**	**116.93**

7.1 प्रतिभूति जमा में टेलीफोन और टेलेक्स प्रतिभूति शामिल है।

7.2 जमा वसूली में पनवायर से ₹1539.99 लाख की वसूली राशि शामिल है (टिप्पणी 31.3 का संदर्भ लें)।

8 अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
कार्मिकों हेतु पूर्व प्रदत्त व्यय (टिप्पणी 8.1 का संदर्भ लें)	52.12	54.37
	52.12	**54.37**

8.1 पूर्व प्रदत्त व्यय में कर्मचारी ऋण और अग्रिम के गैर–परिशोधित अंश या प्रारंभिक मान्यता या दिए गए ऋण पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर का ₹52.12 लाख (2020–21 – ₹54.37 लाख) शामिल है।

9 नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
नकद और बैंक शेष		
बचत खाते में	6,888.34	7,700.72
कुल	**6,888.34**	**7,700.72**

10 नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
अन्य बैंक शेष		
एफडीआर	–	50.60
विशेष आरक्षित निधि की एफडीआर	6,351.95	5,069.99
अन्य (टिप्पणी : 10.1 का संदर्भ लें)	3,597.53	3,177.45
कुल	**9,949.48**	**8,298.04**

10.1 अन्य बैंक शेष – यह अनुदान निधियों को दर्शाता है जोकि लक्ष्य समूह के प्रशिक्षण के उपयोग हेतु बनाई गई हैं।

11 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
i) प्राप्तव्य ब्याज	4,995.20	6,204.44
घटाएं : खराब और संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ता (नोट देखें : 11.1 और 31)	(801.46)	(745.46)
	4,193.74	**5,458.98**
ii) अन्य		
बचत बैंक खाते पर प्राप्तव्य ब्याज	0.36	8.40
जमा राशियों पर प्राप्तव्य परंतु अदेय ब्याज	–	1.30
विशेष आरक्षित निधि पर प्राप्तव्य परंतु अदेय ब्याज	275.11	124.75
प्राप्तव्य किराया	1.30	–
प्राप्तव्य किराया	49.36	50.99
प्राप्तव्य अनुदान	–	436.13
कुल	**4,519.87**	**6,080.55**

11.1 वर्ष के दौरान, बीएससीडीसी से 60.62 लाख रुपये की मूल राशि का पुनर्भुगतान प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि के संबंध में 56 लाख रुपये (2020–21 : 55.09 लाख रुपये) के ब्याज प्रावधान की मूल राशि के प्रावधान को वापस लिखा गया है। बीएससीडीसी से लेखा नीति 2.11 (i) (क) के संदर्भ में बुक किया गया है। इसलिए, 31.03.2022 तक बीएससीडीसी का संचयी प्रावधान 1,518.11 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,522.73 लाख रुपए) है।

12 चालू कर परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
i) प्राप्त स्रोत पर कर की कटौती	15.75	15.75
कुल	**15.75**	**15.75**

13 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
पूंजीगत अग्रिम के अलावा अग्रिम		
स्टाफ को अग्रिम	1.40	2.39
पार्टियों को अग्रिम	30.53	47.01
अन्य		
पार्टियों को अग्रिम	11.48	8.85
कुल	**43.41**	**58.25**

13.1 पूर्व प्रदत्त व्यय में कर्मचारी ऋण और अग्रिम के गैर–परिशोधित अंश या प्रारंभिक मान्यता और दिए गए ऋण पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर का रु.8.72 लाख (2020–21 रु.8.41) शामिल है।

14 शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रति ₹ 1000/– के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर (31–03–2021 की स्थिति के अनुसार : 1,50,00,000) प्रति ₹1000/– के इक्विटी शेयर	150,000.00	150,000.00
जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
प्रति ₹1000/– के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर (31–03–2021 की स्थिति के अनुसारः 1,50,00,000) प्रति ₹1000/– के इक्विटी शेयर	150,000.00	150,000.00
	150,000.00	**150,000.00**

14.1 इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का सामंजस्य

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
	(शेयरों की संख्या लाख में)	(₹ लाख में)	(शेयरों की संख्या लाख में)	(₹ लाख में)
वर्ष के आरंभ में जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी	**150.00**	**150000.00**	**150.00**	**150,000.00**
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन				
वर्ष की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	**150.00**	**150000.00**	**150.00**	**150000.00**
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	–	–	–	–
वर्ष के अंत में जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी	**150.00**	**150,000.00**	**150.00**	**150,000.00**

इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें और अधिकार

निगम के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जो ₹1000 प्रति शेयर के सममूल्य वाले हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के हकदार है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। इसलिए कंपनी द्वारा लाभांश भुगतान योग्य नहीं है।

14.2 कंपनी में कुल मिलाकर 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों के शेयरों के ब्योरे

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
	(शेयरों की संख्या लाख में)	होल्डिंग का %	(शेयरों की संख्या लाख में)	होल्डिंग का %
इक्विटी शेयर				
भारत के राष्ट्रपति	150.00	100%	150.00	100%
	150.00	**100.00%**	**150.00**	**100.00%**

14.3 प्रमोटर की शेयरधारिता का विवरण–

प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयर का %	वर्ष के दौरान %	शेयरों की संख्या	कुल शेयर का %	वर्ष के दौरान %
भारत के राष्ट्रपति	150.00	100.00%	शून्य	150.00	100.00%	शून्य

15 अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
अन्य आरक्षित		
विशेष आरक्षित	7,223.89	6,351.96
सामान्य आरक्षित	61,307.08	57,300.88
प्रतिधारित आय	–	–
	68,530.96	**63,652.84**

15.1 विशेष आरक्षित

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष	6,351.96	5,631.87
जोड़ेः विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज	426.85	268.75
जोड़ेः प्रतिधारित आय से अंतरित	445.08	451.34
अंतः शेष	**7,223.89**	**6,351.96**

15.2 सामान्य आरक्षित

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष	57,300.88	53,291.87
घटाएंः पूर्वावधि चूक	–	–25.88
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष का दुहराव	57,300.88	53,317.75
जोड़ेः प्रतिधारित आय से अंतरित	4,006.19	3,983.13
अंतः शेष	**61,307.08**	**57,300.88**

15.3 प्रतिधारित आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	–	–
जोड़ेंः आय एवं व्यय खाते से अंतरित	4,877.62	4,785.11
घटाएंः विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज विशेष आरक्षित में अंतरित	(426.85)	(268.75)
जोड़ेंः पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	–	(2.99)
विशेष आरक्षित निधि निवेश के ब्याज से आय पर विचार करने से पूर्व आय एवं व्यय	4,450.77	4,513.37
घटाएंः विशेष आरक्षित निधि में अंतरित 10%	445.08	451.34
घटाएंः पूर्वावधि वर्ष संबंधी 10% राशि को विशेष आरक्षित निधि में अंतरित राशि से रिवर्स किया	–	–
जोड़ेंः निर्धारित लाभ दायित्व की अस्वीकृति से उत्पन्न होने वाली अन्य व्यापक आय	0.50	(81.91)
साधारण आरक्षित में अंतरित बकाया	4,006.19	3,983.13
अंतः शेष	–	–

16 चालू और गैर–चालू प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर–चालू	चालू		गैर–चालू	चालू	
i) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान						
– छुट्टी लाभ	450.87	63.63	514.50	432.48	23.05	455.53
	–	–	–	–	–	–
– कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	–	376.22	376.22	–	345.41	345.41
– उपदान (निवल)	–	61.12	61.12	–	26.23	26.23
ii) अन्य प्रावधान	–		–	–		–
– एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	–	176.57	176.57	–	134.30	134.30
– ब्याज सहायता हेतु प्रावधान (एनबीएफसी–एमएफआई)	–	–	–	–	–	–
– धन वापसी पर ब्याज के लिए प्रावधान	–	–	–	–	32.84	32.84
– सीएसआर के लिए प्रावधान	–	24.25	24.25	–	99.00	99.00
कुल	**450.87**	**701.79**	**1,152.66**	**432.48**	**660.83**	**1,093.31**

16.1 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अगले 12 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से संबंधित धनराशि, चालू प्रावधान के रूप में ली गई है।

16.2 प्रावधानों के ब्योरे :

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार	वर्ष 2021–22 के दौरान अभिवर्धन	2020–21 के दौरान उपयोग / भुगतान	2021–22 के दौरान वापस लिया	वर्ष के दौरान प्रावधान सेट–ऑफ	31 मार्च, 2022 तक
छुट्टी लाभ	455.53	99.14	40.17	–	–	514.50
पीआरपी के लिए प्रावधान	361.84	193.90	179.52	–	–	376.22
एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	134.30	45.00	2.73	–	–	176.57
ब्याज सहायता हेतु प्रावधान (एनबीएफसी–एमएफआई)	5.50	–	–	5.50	–	–
धन वापसी पर ब्याज के लिए प्रावधान	32.84	–	–		32.84	–
सीएसआर के लिए प्रावधान	99.00	6.51	81.26	–		24.25
कुल	**1,089.01**	**344.55**	**303.68**	**5.50**	**32.84**	**1,091.54**

16.3 भारतीय लेखा मानक–19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन (उपदान, छुट्टी लाभ) का प्रकटीकरण

निधिबद्ध स्थिति के साथ–साथ आय एवं व्यय लेखा विवरण और तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त दीर्घावधि छुट्टी लाभों और उपदान के सुनिश्चित लाभों की सारांशीकृत स्थिति निम्नलिखित हैः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित)
(I) बीमांकिक का मुख्य अनुमान				
मृत्यु दर	आईएएलएम (2012–14)		आईएएलएम (2006–08)	
एट्रिशन दर				
30 वर्षों तक	5%	5%	3%	3%
31 से 44 वर्ष	5%	5%	2%	2%
44 वर्ष से अधिक	5%	5%	1%	1%
बट्टा दर	7.11	7.11	6.79	6.79
वेतन में वृद्धि (वार्षिक)	6.00	6.00	6.00	6.00
योजनागत परिसंपत्तियों पर लाभ की दर (वार्षिक)				
शेष कार्यकाल	10.91 वर्ष		11.62 वर्ष	
(II) देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
अवधि के आरंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य	773.08	455.53	630.92	413.30
ब्याज लागत	52.49	30.93	42.90	28.10
चालू सेवा लागत	33.61	22.13	31.53	20.64
पूर्व सेवा लागत	–		–	
प्रदत्त लाभ (यदि कोई है)	(21.08)	(40.17)	(20.35)	(34.61)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	14.16	46.08	88.08	28.10
अवधि के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**852.26**	**514.50**	**773.08**	**455.53**
(III) तुलन–पत्र में मान्यता दी जाने वाली धनराशिः				
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	791.14	–	746.84	–
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार देयताओं का वर्तमान मूल्य	852.26	514.50	773.08	455.53
तुलन–पत्र में मान्यता दी गई निवल परिसंपत्ति/(देयता)	**(61.12)**	**(514.50)**	**(26.24)**	**(455.53)**
(IV)व्यय मान्यता प्राप्त वर्तमान सेवा लागत				
चालू सेवा लागत	33.61	22.13	31.53	20.64
पूर्व सेवा लागत			–	
निवल ब्याज लागत	1.78	30.93	0.04	28.10
बीमांकिक (लाभ)/हानि		46.08	–	28.10
'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दी गई निवल लागत	**35.39**	**99.14**	**31.57**	**76.84**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित)
(V) योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनः				
अवधि के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	746.84	–	630.27	–
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	65.38	–	49.02	–
अंशदान	–	–	87.90	–
प्रदत्त लाभ	(21.08)	–	(20.35)	–
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)			–	
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**791.14**	–	**746.84**	–
(VI) अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए जाने वाला बीमांकिक लाभ/(हानि):	0.50	–	(81.91)	–
	0.50	–	**(81.91)**	–

संवेदनशीलता का विश्लेषणः

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

निम्नलिखित में परिवर्तन	अनुमानों में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
		उपदान दायित्व पर प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव
बट्टा दर	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	852.26	514.50
	0.50% वृद्धि के कारण प्रभाव	(20.91)	(13.38)
	0.50% कमी के कारण प्रभाव	21.79	13.88
	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	852.26	514.50
वेतन की वृद्धि दर	0.50% वृद्धि के कारण प्रभाव	21.92	13.99
	0.50% कमी के कारण प्रभाव	(21.23)	(13.51)

मृत्यु दर और आहरणों के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए, परिवर्तनों के प्रभाव का परिकलन नहीं किया गया है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा के बारे में संवेदनशीलताएं सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण लागू नहीं होती।

परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता की रूपरेखा

(₹ लाख में)

	वर्ष	राशि	राशि	राशि	राशि
i	0 से 1 वर्ष	87.05	63.63	32.19	23.05
ii	1 से 2 वर्ष	61.38	41.84	50.45	35.67
iii	2 से 3 वर्ष	95.19	54.19	30.57	20.89
iv	3 से 4 वर्ष	71.63	43.65	66.39	36.99
v	4 से 5 वर्ष	74.74	45.61	49.46	28.98
vi	5 से 6 वर्ष	118.39	72.67	54.99	33.63
vii	6 वर्ष के बाद	343.87	192.93	489.04	276.32

17 वित्तीय दायित्व

17.1 अन्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
निम्नलिखित के प्रति सहायता–अनुदानः		
(i) कौशल प्रशिक्षण के लिए अनुदान (सान्याअमं) (टिप्पणी सं. : 17.2 देखें)	31.57	1,973.95
अन्य संगठनों से अनुदान (टिप्पणी सं. : 19.1)	27.96	31.44
वस्त्र मंत्रालय से अनुदान	9.69	18.78
पीएम दक्ष योजना (9483) सान्याअमं	815.64	1,694.93
पीएम दक्ष (3965) सान्याअमं	2,637.09	–
विसवास योजना (3886) सान्याअमं	86.71	962.48
डीजीटी, एमएसडीई, भारत सरकार से अनुदान	–	250.00
बीपीसीएल, सीएसआर	–	
(ii) भारत सरकार को देय अनुदान पर ब्याज	598.09	–
(iii) प्राप्त हुई प्रतिभूति जमा	4.71	4.71
(iv) विविध लेनदार	16.47	13.85
(v) बकाया व्यय	316.15	251.58
(vi) अन्य भुगतान योग्य	34.18	43.34
(vii) पट्टा दायित्व	14.80	3.54
कुल	**4,593.06**	**5,248.60**

17.2 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, उपलब्ध अनुदानों को राजस्व अनुदानों के रूप में मान्यता दी जाती है और खर्च न किए गए शेष को चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है। कंपनी ने अनुदान की मान्यता के लिए आय दृष्टिकोण का पालन किया है। अनुदान संबंधी व्यय और प्राप्तियों को आय और व्यय खाते के माध्यम से मान्यता दी जाती है। प्रशिक्षण अनुदानों और आर्थिक सहायता के ब्योरे वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान प्राप्त, वापसी, निर्मुक्त किए गए और 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार शेष निम्नलिखित हैं:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	2021–22 के दौरान प्राप्तियां	वर्ष 21–22 के दौरान ब्याज आय	वर्ष 21–22 के लिए वापसी	वर्ष 21–22 के दौरान स्वीकृत (निर्मुक्त)	भारत सरकार को वापसी योग्य ब्याज	31 मार्च, 2022 को अंतः शेष
1	कौशल प्रशिक्षण अनुदान–(9496) सान्याअमं	1,973.95	0.00	52.54	–	1496.57	498.35	31.57
2	पीएम दक्ष योजना (9483) सान्याअमं	1,694.93	0.00	59.22	26.09	853.20	59.22	815.64
3	पीएम दक्ष (3965) सान्याअमं	–	3321.00	9.24	–	683.91	9.24	2,637.09
4	विसवास योजना (3886) सान्याअमं	962.48	0.00	12.73	760.00	107.33	21.17	86.71
5	डीजीटी, एमएसडीई, भारत सरकार से अनुदान	250.00	0.00	5.75	255.75	0.00	–	–
6	वस्त्र अनुदान	18.78	0.00	1.02	–	0.00	10.11	9.69
7	संसाधन लिंकेज कार्यक्रम II							
	(i) आरएलपी–बीपीसीएल	–	36.20	0.00	6.63	29.57		–
	(ii) आरएलपी–एसपीएमसीआईएल	–	21.29	0.00	–	21.29		–
	(iii) आरएलपी–अन्य पीएसयू	31.45	0.00	1.45	–	4.94		27.96
	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार शेष	**4,931.60**	**3,378.49**	**141.95**	**1,048.47**	**3,196.81**	**598.09**	**3,608.67**
	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार शेष	**3,334.85**	**87.16**	**138.77**	–	**1,536.59**	–	**4,931.60**

18 **अन्य चालू देयताएं**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
सांविधिक देय राशियां	137.47	75.91
उचित मूल्य समायोजन	–	–
कुल	**137.47**	**75.91**

19 प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/अन्यों को दिए गए ऋण पर ब्याज		
मियादी ऋण (टीएल) पर ब्याज	5,718.84	5,525.42
लघु ऋण वित्त (एमसीएफ) पर ब्याज	88.45	165.20
महिला किसान योजना (एमकेवाई) पर ब्याज	3.65	3.31
महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) पर ब्याज	113.00	123.81
शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई) पर ब्याज	1.23	0.71
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस) पर ब्याज	51.74	58.48
वीईटीएलएस पर ब्याज	6.41	5.68
उद्यम निधि योजना पर ब्याज	3.96	15.42
वापसी पर ब्याज (टिप्पणी : 19.1 का संदर्भ लें)	59.12	86.62
अन्य प्रचालन से राजस्व		
ब्याज सबवेंशन विसवास योजना प्रबंधन प्रभार (देखें टिप्पणी : 19.2)	17.37	7.44
पीएम दक्ष योजना व्यवस्थापक के तहत बुक किए गए और निगरानी शुल्क ((देखें टिप्पणी : 19.3)	34.14	–
कुल	**6,097.91**	**5,992.09**

19.1 वर्ष 2021–22 के दौरान, एससीए, आरआरबी/पीएसबी और एनबीएफसी–एमएफआई से 58.34 लाख रुपए (वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 40.74 लाख रुपए) की धनवापसी पर क्रमशः ₹0.78 लाख (वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹45.88 लाख), शून्य (वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान शून्य) और ₹883.00 लाख (वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 183.74) धन वापसी पर ब्याज लगाया गया था।

वर्तमान ऋण नीति के अनुसार धनवापसी पर ब्याज निम्नानुसार लगाया जाता हैः–

(i) एससीए के मामले में जब संवितरित राशि की पूरी वापसी पर।

(ii) चैनलाइजिंग एजेंसियों के मामले में:–

(क) 120 दिनों की अवधि के अंदर अप्रयुक्त निधि और धनवापसी पर ब्याज एनएसएफडीसी द्वारा चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्रभारित सामान्य ब्याज दर से अधिक 4% वार्षिक की दर से लागू होगा और संवितरण की तारीख से वापसी की तारीख तक लागू होगा।

(ख) चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा 120 दिनों के अंदर भी अप्रयुक्त की गई राशि पर भी ऊपर बताए अनुसार वही लागू किया जाएगा।

(ग) चैनलाइजिंग एजेंसियों को पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 80% या उससे अधिक संचयी निधि उपयोग स्तर के अप्रयुक्त राशि पर लगाए जाने से छूट दी जाएगी।

(iii) एनबीएफसी–एमएफआई के मामले में, चैनलाइजिंग एजेंसियों को धनवापसी पर ब्याज लगाए जाने से छूट दी जाएगी, यदि संचयी निधि उपयोग स्तर किसी विशेष योजना के तहत 80% या उससे अधिक है।

(iv) "एनबीएफसी–एमएफआई, दावा आधारित वार्षिक आधार पर देय राशियों की समय से पूर्ण अदायगी पर 2% वार्षिक की दर से राहत पाने के पात्र हैं।"

19.2 वर्ष 2021–22 के दौरान, निगम ने मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (VISVAS) नाम से ब्याज आर्थिक सहायता (सबवेंशन) योजना को लागू किया है। इसके लिए निगम आर्थिक सहायता के ऋण पर 1% प्रबंधन शुल्क का हकदार है।

19.3 वर्ष के दौरान, निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, प्रधान मंत्री दक्ष और कौशलता संपन्न हितग्राही (पीएम–डीएकेएसएचएस) योजना को लागू किया है। पीएम–दक्ष योजना के तहत, निगम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए एनएसक्यूएफ अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसलिए, पीएम–दक्ष योजना के कार्यान्वयन के लिए, निगम प्रशिक्षण लागत के 1% (पिछले वर्ष में 3%) की दर से निगरानी व्यय का हकदार है।

20 अन्य आय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
बैंकों में जमा राशियों पर ब्याज	294.59	674.82
बचत बैंक खातों पर ब्याज	387.00	219.39
कर्मचारी एवं अन्य को दिए गए अग्रिम पर ब्याज (टिप्पणी 20.1 का संदर्भ लें)	33.36	38.87
विशेष आरक्षित निधि पर ब्याज (टिप्पणी – 20.2 का संदर्भ लें)	426.85	268.75
ख) अन्य गैर–प्रचालन आय		
विविध प्राप्तियां	1.49	0.89
प्राप्त किराया	24.65	23.53
पट्टे पर संशोधन लाभ	–	1.95
बट्टे खाते के लिए प्रावधान	19.32	31.70
कुल	**1,187.26**	**1,259.89**

20.1 कर्मचारी ऋण के उचित मूल्य निर्धारण के कारण आस्थगित खर्चों के परिशोधन के लिए वर्ष 2021–22 के दौरान ₹9.85 लाख (वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹8.15 लाख) को मान्यता दी गई है।

20.2 जैसा कि 2006–07 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्देश दिया गया, दिनांक 24 जनवरी, 2008 को आयोजित अपनी 101वीं बैठक में बोर्ड ने एक विशेष आरक्षित निधि का सृजन करने के लिए मंजूरी प्रदान की जो उद्दिष्ट निधि (डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार) का प्रतिनिधित्व करता है। विशेष आरक्षित निधि पर अर्जित ब्याज उसी निधि में पुनः निवेशित के रूप में बना रहता है। इसलिए, लेखांकन नीति 2.16 के अनुसार प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तथा इसे अलग रखा जाता है।

21 कर्मचारी हित व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क) वेतन, मजदूरी एवं लाभ : अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक		
वेतन एवं भत्ते	46.57	8.20
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	–	–
छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	–	–
छुट्टी लाभ	–	–
बाह्य सेवा अंशदान	9.04	2.16
	55.61	**10.36**
ख) वेतन, मजदूरी एवं लाभ : कर्मचारी		
वेतन एवं भत्ते	1,189.18	1,110.65
छुट्टी लाभ	99.14	76.84
छुट्टी यात्रा रियायत नकदीकरण	0.31	1.46
छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	0.98	0.60
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	54.96	21.58
समयोपरि भत्ता	1.51	1.35
व्यावसायिक सदस्यता शुल्क	0.12	0.10
निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)	193.90	118.32
बाह्य सेवा अंशदान	2.83	2.96
	1,542.93	**1,333.86**
ग) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		
भविष्य निधि/जीएसएलआईएस में निगम का अंशदान	83.81	77.07
पेंशन में निगम का अंशदान	10.80	10.93
भविष्य निधि प्रशासनिक व्यय	3.96	3.70
विदेश सेवा प्रतियोगिता–विभाग		
उपदान	35.39	31.57
चिकित्सा (सेवानिवृत्त)	23.63	21.98
पेंशन (सेवानिवृत्त)	78.78	73.27
	236.37	**218.52**
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	8.51	5.01
	8.51	**5.01**
ङ) ऋणों और अग्रिमों पर कर्मचारी लाभ व्यय	9.86	8.15
कुल	**1,853.28**	**1,575.90**

22 वित्त लाभ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज		
पट्टा देयता पर ब्याज लाभ	–	0.55
कुल	**–**	**0.55**

23 मूल्यह्रास और परिशोधन लागतें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 3 और 4 का संदर्भ लें)	29.79	28.95
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 3 का संदर्भ लें)	–	5.75
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी सं. 5 का संदर्भ लें)	1.19	5.53
कुल	**30.98**	**40.23**

24 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को प्रोत्साहन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वसूली के लिए एससीए को प्रोत्साहन	45.00	44.30
एससीए को प्रोत्साहन–एनएपीई	45.00	45.00
कुल	**90.00**	**89.30**

25 अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन व्यय	0.34	0.19
हिंदी व्यय	–	0.37
कारोबार उन्नयन व्यय	1.98	1.74
कंप्यूटर एवं वेबसाइट व्यय	6.08	3.79
निगम सदस्यता शुल्क	1.68	1.78

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
निदेशक/बोर्ड बैठक व्यय	0.76	0.14
विद्युत प्रभार	15.06	12.98
बीमा प्रभार	19.60	4.83
विधि और व्यावसायिक व्यय/परामर्श	8.11	83.52
दृष्य–श्रव्य प्रचार माध्यम/मूल्यांकन/सम्मेलन/सेमिनार	91.72	17.17
कार्यालय इमारत व्यय	47.74	37.02
कार्यालय व्यय	83.77	76.50
कार्यालय किराया	2.91	0.34
लेखापरीक्षकों को भुगतान (टिप्पणी सं. 25.1 का संदर्भ लें)	2.80	2.97
डाक, तार		–
मुद्रण अैर लेखन–सामग्री	0.78	0.70
मुद्रण अैर लेखन–सामग्री	8.93	3.67
टेलीफोन एवं टेलेक्स	4.92	5.05
प्रशिक्षण व्यय–स्टाफ	0.25	0.10
प्रशिक्षण व्यय–निदेशक	–	–
यात्रा किराया व्यय	0.54	0.69
यात्रा व्यय – निदेशक	1.57	0.13
यात्रा व्यय – स्टाफ	17.62	10.58
यात्रा व्यय – सलाहकार	0.18	–
वाहन व्यय	6.38	7.40
दरें एवं कर	21.66	4.97
संसदीय समिति व्यय	4.96	7.37
समाचार–पत्र, पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.70	0.39
एक बारगी समायोजना के तहत ब्याज माफी (टिप्पणी सं. 25.2 देखें)	20.04	199.98
अनुदान व्यय	3,196.81	1,536.59
घटाएंः अनुदान आय	–3,196.81	(1,536.59)
कुल	**371.08**	**484.37**

25.1 लेखापरीक्षक पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षा के लिए	2.80	2.49
गत वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए	–	0.48
कराधान मामलों के लिए	–	–
कंपनी विधिक मामलें के लिए	–	–
प्रबंधकीय सेवाओं के लिए	–	–
अन्य सेवाओं के लिए	–	–
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	–	–
कुल	**2.80**	**2.97**

25.2 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बोर्ड ने 07.03.2022 को आयोजित अपनी 158वीं बोर्ड बैठक में बैंकों/आरआरबी के लिए एनएसएफडीसी की उधार नीति के अनुसार 52,88,433/– रुपए की राशि के इंडियन ओवरसीज बैंक पर लगाए गए रिफंड पर ब्याज को माफ करने को मंजूरी दी (नोट 16.2 देखें)।

26 असाधारण मदें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल)	1.60	–0.40
कुल	**1.60**	**–0.40**

27 अन्य व्यापक आय के संघटक (ओसीआई)

इक्विटी में आरक्षण के प्रत्येक प्रकार द्वारा अन्य व्यापक आय के परिवर्तनों को पृथकतः नीचे दर्शाया गया हैः–

(₹ लाख में)

विवरण	एफवीटीओसीआई 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	एफवीटीओसीआई 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
सुनिश्चित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		
– उपदान	0.50	(81.91)
कुल	**0.50**	**(81.91)**

28 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
मूलभूत ईपीएस		
निरंतर प्रचालन से	32.52	31.90
तरलीकृत ईपीएस		
निरंतर प्रचालन से	32.52	31.90

28.1 प्रति शेयर मूलभूत अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयरों का अर्जन और भारित औसत संख्याः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभः		
निरंतर प्रचालन से	4,877.62	4,785.12
प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए अर्जन	4,877.62	4,785.12
प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	150.00	150.00

28.2 प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन

प्रति शेयर तरलीकृत के परिकलन में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयरों के अर्जन और भारित औसत संख्या:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ :		
निरंतर प्रचालन से	4,877.62	4,785.11
निरंतर प्रचालनों से प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए अर्जन	4,877.62	4,785.11

मूल अर्जन की गणना में इस्तेमाल किए ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या को तरलीकृत प्रति शेयर अर्जन के उद्देश्य के लिए ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या के सामंजस्य को नीचे दिया जा रहा है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रभाव के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	150.00	149.65
तरलीकरण का प्रभाव:	–	–
आबंटन के लिए लंबित शेयर	–	
प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित संख्या	**150.00**	**149.65**

29 पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य कार्यशील संस्था प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की अपनी क्षमता सुनिश्चित करने और उसकी रक्षा करने के लिए एक तरीके से अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम लाभ और अन्य शेयरधारियों को लाभ उपलब्ध कराना जारी रख सके।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय प्रसंविदाओं की आर्थिक शर्तों और अपेक्षाओं में परिवर्तनों के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी का प्रबंधन करने के लिए उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

30 उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणियों के अनुसार वित्तीय विलेखों का कैरिंग मूल्य निम्नलिखित है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		
	एफवीटीपी एल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपी एल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i) नकद और नकद समतुल्य	–	–	6,888.34	–	–	7,700.72
(ii) अन्य बैंक शेष	–	–	9,949.48	–	–	8,298.04
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	–	–	4,646.85	–	–	6,197.48
(iv) एससियों और सीए को ऋण	–	–	202,044.26	–	–	196,910.72
(v) कर्मचारियों को ऋण	–	–	349.66	–	–	397.89
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	–	–	**223,878.59**	–	–	**219,504.85**
वित्तीय देयताएं						
(i) प्रतिभूति जमा और भुगतान योग्य ईएमडी	–	– –	21.18 –	–	–	18.56
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	–	–	4,571.88	–	–	5,230.04
कुल वित्तीय देयताएं	–	–	4,593.06	–	–	5,248.60

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य, जो उचित मूल्य पर मापा जाता है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
	कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य	कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) एससीए और सीए को ऋण	202,044.26	202,044.26	196,910.72	196,910.72
(ii) स्टाफ ऋण और अग्रिम	349.66	345.68	397.89	379.70
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**202,393.92**	**202,389.94**	**197,308.61**	**197,290.42**
वित्तीय देयताएं				
(i) प्रतिभूति जमा और भुगतान योग्य ईएमडी	18.56	18.56	19.93	19.93
कुल वित्तीय देयताएं	**18.56**	**18.56**	**19.93**	**19.93**

i) नकद और नकद समकक्ष की कैरिंग राशियां, अन्य बैंक शेष, उधार, ईएमडी, अन्य वित्तीय देयताएं और एससीए को ऋण, अल्पावधि स्वरूप के होने के कारण उतने ही माने जाते हैं, जितना उनका उचित मूल्य है।

ii) "कर्मचारियों को ऋण" का उचित मूल्य को वर्तमान बाजार दर का इस्तेमाल करके बट्टाकृत नकद प्रवाहों के आधार पर परिकलित किया गया है। काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अतथ्यात्मक योग्य इनपुटों के समावेशन के कारण उन्हें उचित मूल्य अनुक्रम में स्तर–3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 के अंदर शामिल किए गए उद्धृत मूल्यों के अलावा, इनपुट जो या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों से लिए गए), परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए तुलनीय योग्य हैं।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट, जो अवलोकन बाजार के तुलनीय आंकड़ों (अतथ्यात्मक इनपुटों) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित सारणी परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य मापन अनुक्रम को दर्शाती है:

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम:

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तारीख	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च, 2022	–	–	345.68	345.68
कुल वित्तीय देयताएं		–	–	**345.68**	**345.68**

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम:

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तारीख	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च, 2021	–	–	379.70	379.70
कुल वित्तीय देयताएं		–	–	**379.70**	**379.70**

(iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

"कंपनी के मुख्य वित्तीय दायित्वों में अनुदान और अन्य भुगतान योग्य राशियां शामिल हैं। इन वित्तीय दायित्वों के मुख्य उद्देश्य, कंपनी के प्रचालनों का वित्त पोषण करने और इसके प्रचालन को समर्थन देने के लिए गारंटियां उपलब्ध कराना है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में एससीए/सीए को मियादी/माइक्रो वित्त ऋण शामिल हैं, जो अपनी इक्विटी से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं।

कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और लिक्विडिटी जोखिम है। कंपनी के वित्तीय जोखिम क्रियाकलाप समुचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा विनियमित होते हैं तथा इन वित्तीय जोखिमों का पता लगाया जाता है, इन्हें मापा जाता है और कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार इनका प्रबंधन किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक का प्रबंधन करने के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमति व्यक्त करता है, जो नीचे सारांशीकृत किए गए हैं:–

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम एक ऐसा जोखिम है कि किन्हीं वित्तीय विलेखों के भावी नकद प्रवाहों के उचित मूल्य में, बाजार मूल्यों में परिवर्तनों के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में ब्याज दर का जोखिम शामिल होता है। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावी वित्तीय विलेखों में ऋण और अग्रिम, जमा राशियां और अन्य गैर–व्युत्पन्न वित्तीय विलेख शामिल हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है कि बाजार ब्याज दर में परिवर्तनों के कारण किन्हीं वित्तीय विलेखों के भावी नकद प्रवाहों के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव होगा। कंपनी को ब्याज दर जोखिम का खतरा नहीं है।

ग) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि किसी वित्तीय विलेख की कोई काउंटर पार्टी अपने संविदात्मक दायित्व पूरा करने में विफल रहती है और यह मुख्यतः एससीए और सीए से प्राप्ति योग्य कंपनी के ऋणों से उत्पन्न होता है। कंपनी को एससीए और सीए को दिए गए ऋणों के अपने वित्तीय क्रियाकलापों से क्रेडिट जोखिम का खतरा है।

कंपनी अपनी आंतरिक नीतियों के आधार पर क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन और प्रबंधन करती है। कंपनी परिसंपत्तियों की आरंभिक मान्यता पर चूक की संभावना पर विचार करती है और इस बात पर भी विचार करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में चलायमान आधार पर क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, कंपनी आरंभिक मान्यता की तारीख की स्थिति के अनुसार चूक के जोखिम के साथ रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों पर हुई चूक के जोखिम की तुलना करती है। यह उपलब्ध तर्कसंगत और समर्थकारी अग्रगामी सूचना पर विचार करती है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल किए गए हैं:

– दायित्व को समर्थन देने वाले संपार्श्विक या तृतीय पक्षकार गारंटियों की गुणवत्ता के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

– समूह में ऋण प्राप्तकर्ताओं (एससीए और सीए) की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और ऋण प्राप्तकर्ताओं (एससीए) के प्रचालन परिणामों में परिवर्तनों सहित ऋण प्राप्तकर्ता (एससीए और सीए) के प्रत्याशित कार्य–निष्पादन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

सामान्य तौर पर, यह अनुमान लगाया जाता है कि आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, यदि भुगतान 3 वर्ष से अधिक समय तक देय है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में चूक तब होती है जब काउंटर पार्टी उस समय भुगतान करने में विफल रहती है जब वे देय हो जाते हैं।

वित्तीय विलेख और नकद जमा राशियां

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास शेषों से क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। अधिशेष का निवेश काउंटर पार्टी से प्राप्त वित्तीय कोट्स के आधार पर काउंटर पार्टी के अनुमोदन से ही किया जाता है।

घ) नकद हानि (लिक्विडिटी जोखिम)

लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन की अंतिम जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है। कंपनी पूर्वानुमानों और वास्तविक नकद प्रवाहों की निरंतर मॉनीटरिंग करके और वित्तीय देयताओं की परिपक्वताओं का मिलान करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने का प्रबंधन करती है।

31 प्रावधान

31.1 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों और अग्रिमों की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान :

(₹ लाख में)

विवरण		परिसंपत्ति समूह	चूक की अनुमानित सकल कैरिंग धनराशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित ऋण हानियां	कैरिंग राशि (निवल हानिकरण प्रावधान)
जीवनकाल की प्रत्याशित ऋण हानियों पर मापी गई अनुमत्य हानि	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई है।*	ऋण	202,044.26	0%	-	202,044.26
		ऋणों पर ब्याज	4,193.74	0%	-	4,193.74
	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में वृद्धि हुई है और ऋण रूप से हानिकरण नहीं हुआ।	ऋण	716.65	100%	716.65	-
		ऋणों पर ब्याज	801.46	100%	801.46	-
		अग्रिम	1,539.99	100%	1,539.99	-
			209,296.10		**3,058.10**	**206,238.00**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों और अग्रिमों की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान :

(₹ लाख में)

विवरण		परिसंपत्ति समूह	चूक की अनुमानित सकल कैरिंग धनराशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित ऋण हानियां	कैरिंग राशि (निवल हानिकरण प्रावधान)
जीवनकाल की प्रत्याशित ऋण हानियों पर मापी गई अनुमत्य हानि	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई है।*	ऋण	196,910.72	0%	-	196,910.72
		ऋणों पर ब्याज	5,458.98	0%	-	5,458.98
	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में वृद्धि हुई है और ऋण रूप से हानिकरण नहीं हुआ।	ऋण	777.27	100%	777.27	-
		ऋणों पर ब्याज	745.46	100%	745.46	-
		अग्रिम	1,539.99	100%	1,539.99	-
			205,432.42		**3,062.72**	**202,369.70**

31.2 एसीए के लिए, जहां राज्य सरकार की गारंटी/आदेश/आश्वासन उपलब्ध है, संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमति लेखा–बहियों में 100% की दर से दी गई है, यदि तुलन–पत्र की तारीख को अतिदेय 3 वर्ष से अधिक है और राज्य सरकार की गारंटी/आदेश/आश्वासनों में कमी है।

सीए के अलावा (जहां गारंटी उपलब्ध नहीं है)

(क) भुगतान के लिए देय परंतु 3 वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि पर 100% का प्रावधान है।

(ख) भुगतान के लिए देय परंतु 2 वर्ष या इससे अधिक परंतु 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए बकाया राशि पर 40% का प्रावधान है।

(ग) भुगतान के लिए देय परंतु 1 वर्ष या इससे अधिक परंतु 2 वर्ष से कम की अवधि के लिए बकाया राशि पर 25% का प्रावधान है।

(घ) भुगतान के लिए देय परंतु 1 वर्ष से कम अवधि के लिए बकाया राशि पर कोई प्रावधान नहीं है।

31.3 अशोध्य और संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान

वर्ष 2000–01 के दौरान "पनवायर" के पास जमा की गई राशि के संबंध में लेखा–पुस्तिकाओं में अशोध्य और संदिग्ध जमा राशियों के लिए ₹1,539.99 लाख (2019–20, ₹1,539.99 लाख) [जिसकी मूल राशि ₹1,485.00 लाख है (2019–20 ₹1,485.00 लाख) और प्राप्ति योग्य तथा देय ब्याज ₹54.99 लाख (2019–20, ₹54.99 लाख)] का प्रावधान है क्योंकि मूलधन ही वसूली के लिए संदिग्ध है, इसलिए ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत "पनवायर" के विरुद्ध एनएसएफडीसी द्वारा न्यायालय के दो मामले संबंधित न्यायालय में लंबित हैं। कंपनी (पनवायर) का माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा द्वारा पारित दिनांक 01.02.2001 के आदेश द्वारा परिसमापन हो गया था। इसके पश्चात इस मामले में न्यायालय द्वारा सरकारी परिसमापक नियुक्त किया गया था। सरकारी परिसमापक से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार पनवायर की परिसंपत्तियां, उसके प्रतिभूत लेनदारों के प्रति कंपनी की देयताएं पूरी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। एनएसएफडीसी के एक अप्रतिभूत लेनदार होने के कारण, इसकी राशि की वसूली की कोई गुंजाइश नहीं है और उक्त कंपनी में एनएसएफडीसी द्वारा निवेश की गई राशि वसूली के लिए संदिग्ध है।

31.4 संदिग्ध ऋणों और ब्याज के लिए भत्ते का प्रत्यावर्तन/(संदिग्ध ऋणों और ब्याज के लिए भत्ता)– शुद्ध

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
संदिग्ध ऋण और ब्याज के लिए भत्ते का प्रत्यावर्तन	60.62	–
संदिग्ध ऋण और ब्याज के लिए भत्ता	56.00	55.09

32 अनुमान की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

भविष्य से संबंधित मुख्य अनुमान निम्नलिखित हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत, जो महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है, जिसके कारण अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की कैरिंग राशि में महत्वपूर्ण समायोजन किया जा सकता है:

क) **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल**

जैसाकि टिप्पणी संख्या 2.7 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल है।

उपर्युक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव, आगामी वित्तीय वर्षों में मूल्यह्रास के खर्चों को प्रभावित कर सकता है।

ख) **अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल**

जैसाकि टिप्पणी संख्या 2.8 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के पास अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल है।

उपर्युक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव, आगामी वित्तीय वर्षों में परिशोधन खर्चों को प्रभावित कर सकता है।

ग) **उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया**

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों द्वारा मापे जाते हैं। इन पद्धतियों के इनपुट, जहां संभव हो, अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं परंतु जहां ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य निकालने के लिए निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। निर्णयों में नकद हानि जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुटों पर विचार करना शामिल है। इन कारकों के बारे में अनुमानों में होने वाले परिवर्तन वित्तीय विलेखों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। अगले प्रकटीकरणों के लिए टिप्पणी संख्या 30 देखें।

घ) **सुनिश्चित लाभ दायित्व**

कर्मचारी लाभ दायित्व, बीमांकिक मूल्यांकनों का इस्तेमाल करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में ऐसे विभिन्न अनुमान लगाना शामिल है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इनमें बट्टा दर का निर्धारण, वेतन में भावी वृद्धियां और मृत्यु दरें शामिल हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसके दीर्घावधि स्वरूप के कारण सुनिश्चित लाभ दायित्व इन अनुमानों में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

33 पूर्व–अवधि त्रुटियां

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
दिनांक 01.04.2020 को सामान्य आरक्षित राशि	53,291.87
पूर्वावधि समायोजन	25.88
दिनांक 01.04.2020 को पुनः प्रस्तुत प्रारंभिक सामान्य आरक्षित	53,317.75
2020–21 को समाप्त वर्ष के लिए निरंतर प्रचालन की अवधि के लिए पुनः प्रस्तुत व्यय से अधिक आय की शेष राशि	4,513.37
2020–21 के दौरान विशेष आरक्षित राशि में हस्तांतरण	(451.34)
2020–21 के दौरान अन्य व्यापक आय	(81.91)
31.03.2021 को पुनः प्रस्तुत प्रारंभिक सामान्य आरक्षित	**57,297.88**

इक्विटी, आय एवं व्यय का विवरण और ईपीएस पर पूर्व अवधि की त्रुटियों का प्रभाव

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी पर प्रभाव [इक्विटी में वृद्धि/(कमी)]	
पार्टियों को अग्रिम	0.51
बकाया व्यय	3.13
निष्पादन संबंधित वेतन का प्रावधान	(16.43)
ब्याज सबवेंशन का प्रावधान (एनएमएफसी–एमएफआई)	(5.50)
कर्मचारियों को अग्रिम	0.55
अन्य देनदारियां	–11.13
इक्विटी पर निवल प्रभाव	**–28.87**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
आय और व्यय का विवरण पर प्रभाव [लाभ में वृद्धि/(कमी)]	
बकाया व्यय	–3.03
कर्मचारी लाभ व्यय	0.04
कुल प्रभाव	**2.99**
इक्विटी धारकों के प्रति	2.99

मूल और तरलीकृत प्रति शेयर अर्जनों (ईपीएस) [ईपीएस में वृद्धि/(कमी) पर प्रभाव]

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
निरंतर प्रचालन के लिए प्रति शेयर अर्जन	
इक्विटी धारकों को देय, निरंतर प्रचालनों से मूलभूत, लाभ	0.02
इक्विटी धारकों को देय, निरंतर प्रचालनों से तरलीकृत, लाभ	0.02

34 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

34.1 कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद
श्री रजनीश कुमार जैनव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्रीमती अन्नू भोगल	कंपनी सचिव
श्री राजेश बिहारी	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)
डॉ. के.रामालिंगम	स्वतंत्र निदेशक
श्री दुर्गा प्रसाद रॉय	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती अंजुला सिंह महूर	स्वतंत्र निदेशक

34.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन–देनः

वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ किए गए लेनदेनों का स्वरूप या मात्रा

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
अल्पावधि लाभ	138.58	99.37
स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क	0.28	0.14
नियोजनोत्तर कर्मचारी लाभ	66.79	59.39
	205.65	**158.90**

अल्पावधि लाभ में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को दिया गया पारितोषिक शामिल है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
संबंधित पार्टी को ऋण		
(i) **श्री राजेश बिहारी (मुख्य महाप्रबंधक – वित्त)**		
वर्ष के आरंभ में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली धनराशि	1.34	2.77
वर्ष के दौरान दिया गया ऋण	5.38	–
ब्याज	0.33	–
वर्ष के दौरान अदायगी	(2.40)	(1.42)
अंतिम शेष	**4.65**	**1.35**

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
(ii) श्रीमती अन्नु भोगल (कंपनी सचिव)		
वर्ष के आरंभ में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली धनराशि	8.44	10.66
ब्याज	0.16	0.41
वर्ष के दौरान अदायगी	(2.63)	(2.63)
अंतिम शेष	5.97	8.44
वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली कुल राशि	**10.62**	**9.79**

34.3 सरकारी संस्थाओं के साथ लेन–देन

उपरोक्त दिए गए लेन–देन के अलावा, कंपनी का अन्य सरकारी संस्थानों के साथ भी लेन–देन है, जिसमें निम्न शामिल हैं, लेकिन ये यहां तक ही सीमित नहीं हैः–

सरकार का नाम : भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से (100% पूंजीगत अंशदान)

कुछ महत्वपूर्ण लेन–देन

(₹ लाख में)

पक्षकार	लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	(i) पूंजीगत अंशदान	0.00	0.00
	(ii) पीएम–दक्ष के लिए अनुदान(3965)–कौशल प्रशिक्षण योजना	3321.00	0.00
	(iii) पीएम–दक्ष के लिए अनुदान(3965)–कौशल प्रशिक्षण योजना	–26.09	17.61
	(iv) डीजीटी से/को अनुदान प्राप्त/वापसी (ब्याज सहित)	–255.75	250.00
	(v) डीजीटी से/को अनुदान प्राप्त/वापसी (ब्याज सहित)	–7.60	10.00
	(vi) अन्य योजनाएं	64.74	9.79
एनबीसीएफडीसी	जागरूकता कार्यक्रम	50.47	16.30
एनएचएफडीसी	जागरूकता कार्यक्रम	0.31	0
	जागरूकता कार्यक्रम		
एएलआइएमसीओ/एलिम्को	जागरूकता कार्यक्रम	0.31	0
	जागरूकता कार्यक्रम		
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	जागरूकता कार्यक्रम	14.31	5.92
		3161.70	**309.62**

35 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई बाकी मूल राशि	4.83	9.61
(ii) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई राशि पर देय ब्याज	–	–
(iii) निश्चित तारीख के पश्चात किए गए भुगतान की राशियों के साथ भुगतान किए गए ब्याज की राशि	–	–
(iv) वर्ष के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि	–	–
(v) लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि और शेष अप्रदत्त	–	–
(vi) आगामी देय ब्याज की राशि और आगामी वर्ष में भी भुगतान योग्य, जब तक कि उस तारीख तक उक्त देय ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं कर दिया जाता।	–	–

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशियां, उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक, प्रबंधन द्वारा प्राप्त की गई सूचना के आधार पर इन पार्टियों की पहचान कर ली गई है। इस पर, लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

36 राष्ट्रीय स्तर के निगम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ किए गए लेन–देन की बाबत, वसूली योग्य/प्राप्ति योग्य राशियों का प्रतितुलन करने के पश्चात, सामूहिक रूप से/उनकी ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रमों के प्रति वसूली योग्य कुल धनराशि ₹71.72 लाख (31.03.2021 को ₹32.26 लाख) है।

37 निगमित सामाजिक दायित्व

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय का गतिविधिवार विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

सीएसआर व्यय	वित्तीय वर्ष	
	2021–22	2020–21
(i) किसी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	शून्य	शून्य
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर		
स्वास्थ्य देखभाल/पोषण के अंतर्गत गतिविधियां	136.16	125.67
अनुसूचित जाति छात्रावासों/प्रयोगशाला/निर्माण आदि के लिए शिक्षा/उपकरण के अंतर्गत गतिविधियां।	–	26.91
कुल	**136.16**	**152.58**

37.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 और इसकी अनुसूची– VII के साथ पठित अनुसार, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के प्रकटीकरण के संबंध में

(क) व्यय की जाने वाली राशि का ब्योरा

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
(i) ईओआईओई		
2016–17	–	–
2017–18	–	4,747.53
2018–19	5,126.67	5,126.67
2019–20	6,097.90	6,097.90
2020–21	4,782.13	
(ii) कुल (ईओआईओई)	**16,006.70**	**15,972.10**
(iii) घटाएं : परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए समायोजन	–	–
(iv) निवल लाभ	16,006.70	15,972.10
(v) औसत (iv/3)	5,335.57	5,324.03
(vi) (v) का 2%	**106.71**	**106.48**
(vii) वर्ष के आरंभ में अव्ययित राशि	**60.12**	**106.22**
(viii) वर्ष के दौरान व्ययित राशि	136.16	152.58
(ix) वर्ष के अंत में अव्ययित राशि (vi+vii-viii)	**30.67**	**60.12**

37.2 अव्ययित राशि चल रही परियोजनाओं से संबंधित है। चल रही सीएसआर परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	प्रारंभिक वर्ष	मंजूर राशि
आईआईटी–बॉम्बे	हिरदा कल्टीवेशन–आईआईटी बॉम्बे को बढ़ावा देकर सामाजिक उद्यमिता	भीमाशंकर अभयारण्य, पुणे, महाराष्ट्र	2019–20	5.61
आईआईटी–चेन्नई	स्कूली छात्रों के लिए साइकोमेट्रिक टेस्टिंग–आईआईटी मद्रास	नदिया, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल के पुरलिया और हुगली, उत्तर प्रदेश के	2019–20	12.50

एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	प्रारंभिक वर्ष	मंजूर राशि
		अलीगढ़, आगरा और गाजियाबाद		
टीएससीडीसी	सभी छात्रावासों को उपकरण–त्रिपुरा एससी कार्पोरेशन	त्रिपुरा राज्य के धलाई और उनाकोटी	2019–20	19.76
आईआईसीटी	माइक्रो कार्पेट क्लस्टर का विकास–भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान	जम्मू और कश्मीर का बांदीपोर	2019–20	9.94
मणिपुर राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	अस्पताल प्रयोगशाला उपकरण–राज्य स्वास्थ्य समिति, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	मणिपुर के पूर्व और पश्चिम इंफाल और थौबल	2019–20	21.87
गोट ट्रस्ट	बकरी पालन–गोट ट्रस्ट के माध्यम से आजीविका	लखनऊ, यू.पी	2019–20	17.93
एमएमबीए	बकरी पालन–गोट ट्रस्ट के माध्यम से आजीविका	बाड़मेर, राजस्थान	2020–21	2.25
पीवीएसएस	एसएएस मोहाली, चंडीगढ़–पंजाब विरसा सभ्याचारक सोसाइटी में कोविड मरीजों के इलाज के लिए 200 पीपीई किट, सेनेटाइजर आदि का प्रावधान	एसएएस मोहाली, चंडीगढ़	2020–21	2.97
आरएससीएसटीएफडीसी	एक संस्कारी भवन–आरएससीएसटीएफडीसी का निर्माण	पोखरण, राजस्थान	2020–21	3.00
बीयूडीएस	फरवरी 2020 के उत्तर–पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के उत्तरजीवी का मानसिक स्वास्थ्य	दिल्ली	2020–21	3.00
बाल उमंग दृश्य संस्था	कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया, दिल्ली एनसीआर	दिल्ली	2021–22	4.90
स्वामी दयानंद अस्पताल	COVID–19 रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सा उपकरण	दिल्ली	2021–22	5.03

एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	प्रारंभिक वर्ष	मंजूर राशि
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति	हरि नगर, दिल्ली में कोविड–19 उपचार सुविधा के लिए 100 बिस्तरों के विस्तार के लिए ऑक्सीजन कंट्रोल पैनल	दिल्ली	2021–22	6.90
सर्ज इम्पैक्ट फाउंडेशन	COVID–19 अलगाव केंद्र, हैदराबाद, तेलंगाना के लिए बुनियादी ढांचा	तेलंगाना	2021–22	5.14
नेत्रम आई फाउंडेशन	दिल्ली, एनसीआर में COVID–19 मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर	दिल्ली	2021–22	2.73
पर्यावरण केयर सोसायटी	आरओ प्लांट का प्रावधान और कोविड 19 राहत किट सहित	बिहार	2021–22	4.77
जिला समाहरणालय	डिजिटल एक्स–रे मशीन	कुशीनगर, यूपी	2021–22	5.00
टीएससीडीसी	सरकार को TSCDC फर्नीचर। एससी छात्रावास	त्रिपुरा	2021–22	11.05
तरुण भारत संघ	पूर्वी राजस्थान के ग्रामीण समुदायों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित करना	राजस्थान	2021–22	6.50
महावीर इंटरनेशनल	कोविड 19, दिल्ली राज्य के कारण संकट शमन के लिए गैर राशन कार्ड कृषि और दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को राशन किट वितरण।	दिल्ली	2020 21	6.48
टेक महिंद्रा फाउंडेशन	धारावी, मुंबई, महाराष्ट्र में COVID 19 सुरक्षा के लिए सार्वजनिक शौचालयों की कीटाणुशोधन और स्वच्छता।	महाराष्ट्र	2020–21	6.14
अनुग्रह दृष्टिदान	स्वास्थ्य सह COVID19 जागरूकता शिविर और राशन किट का वितरण	दिल्ली	2020–21	4.93
महावीर इंटरनेशनल	COVID–19 रिलीफ प्रोजेक्ट, तहत ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स (05 नग)।	दिल्ली	2021–22	5.50
				173.90

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति में (चालू परियोजना) पर अव्ययित राशि का विवरण

(₹ लाख में)

प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		जमा शेष	
कंपनी के साथ	अलग सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	अलग सीएसआर खाते में
106.22	-	106.48	152.58	-	-	60.12

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति में (चालू परियोजना) पर अव्ययित राशि का विवरण

(₹ लाख में)

प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		जमा शेष	
कंपनी के साथ	अलग सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर खाते में
	60.12	106.71	61.92	49.99	44.79	11.80

37.3 (i) 31.03.2022 को पिछले वर्षों की परियोजना पर अव्ययित राशि के कारण 11.80 लाख रुपये (पिछले वर्ष 60.12 लाख) आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास जमा हैं।

(ii) 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में 24.25 लाख रुपये (पिछले वर्ष 99 लाख रुपये) की राशि के सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान किया गया है/रहता है।

(iii) वर्ष 2021–22 के दौरान, अव्ययित राशि को किश्तों में जारी करने या चरणबद्ध तरीके से आनुपातिक/आवश्यकता के आधार पर पूर्ण करने के कारण है।

38 "मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एमपीएससीएफडीसी) ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य (एमपी) के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में द्विभाजन के कारण निगम/राज्य सरकार के बीच परिसंपत्तियों और दायित्वों के अंतरण को विनियमित करता है, के अनुसार एनएसएफडीसी के अपने ऋण पोर्टफोलियो द्विभाजित कर दिए। तत्कालीन एमपीएससीएफडीसी के द्विभाजन के कारण एमपीएसडीएफडीसी और छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम (सीएसएएसएफडीसी) के बीच ऋण देयता के संविभाजन का मामला, अपर रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी अधिकरण, भोपाल को संदर्भित किया गया था क्योंकि एमपीएससीएफडीसी द्वारा किया गया द्विभाजन, सीएसएएसएफडीसी को स्वीकार्य नहीं था। एमपीएससीएफडीसी के पक्ष में दिया गया न्यायाधिकरण का निर्णय, सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उसने इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर के समक्ष अपील दायर की। यह समादेश याचिका, माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। यह मामला अभी निर्णयाधीन है।

न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला निर्णय लंबित रहते हुए, देय ब्याज के साथ–साथ ₹210.09 लाख की ऋण देयताएं, सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार कर ली गई है और अदा कर दी गई है। सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार न की गई,

मूलधन के ₹1,195.76 लाख (गत वर्ष ₹1,114.43 लाख) और दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार ब्याज के ₹835.93 लाख (गत वर्ष ₹835.93 लाख) की दयेता के लिए, इसे एमपीएससीएफडीसी के विरुद्ध दिखाया जा रहा है और इसकी अदायगी के लिए उन्हें मांग जारी की की जा रही है।

39 दिनांक 31.03.2022 को ऋणों का कुल अतिदेय, ₹3636.82 लाख (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार ₹4817.01 लाख) के ब्याज सहित ₹43752.35 लाख (दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार ₹41,216.51 लाख) है।

39.1 तीन वर्ष से अधिक के अतिदेय वाली "राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां/चैनलाइजिंग एजेंसियां" निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	एजेंसी	राज्य	अतिदेय राशि (₹ लाख में) (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार)
1	एएसडीसी	असम	676.44
2	बीएससीडीसी	बिहार	1,518.11
3	एमपीएससीएफडीसी	मध्य प्रदेश	2,031.69
4	एलएसडीसी	महाराष्ट्र	8,820.74
5	सीटीएससीडीसी	छत्तीस गढ़	2,389.93
6	एलआईडीसीओएम	महाराष्ट्र	1,872.22
7	जेएससीडीसी	झारखंड	598.70
8	एमएसटीसीबी	मणिपुर	156.25
	कुल (क)		**18,064.08**

39.2 तीन वर्ष से कम के अतिदेय वाली "राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां/चैनलाइजिंग एजेंसियां" निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	एजेंसी	राज्य	अतिदेय राशि (₹ लाख में) (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार)
1	एपीएससीडीसी	आंध प्रदेश	10,284.00
2	जीएमबीसीडीसी	गुजरात	4,607.42
3	जे एडं केएससीडीसी	जम्मू एडं कश्मीर	282.72
4	एमपीबीसीडीसी	महाराष्ट्र	1,047.40
5	पीएसएलडीएफसी	पंजाब	600.00
6	पीयूडीसीओ	पुद्दुचेरी	54.50
7	आरएससीडीसी	राजस्थान	3,387.56
8	टीएससीडीसी	त्रिपुरा	3,716.89
9	थाडको	तमिलनाडु	24.29
10	युपीएससीडीसी	उत्तर प्रदेश	911.78
11	एसएससीबीसीडीसी	सिक्किम	171.00
12	बकाया एससीए/सीए		600.71
	कुल (ख)		**25,688.27**
	सकल कुल (क+ख)		**43,752.35**

39.3 दिनांक 31.03.2022 तक ₹ 41,152.81 लाख (दिनांक 31.03.2021 तक ₹62,080.23 लाख) के उपयोगिता प्रमाण–पत्र बकाया है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/चैनेलाइजिंग एजेंसियों–वार उपयोग की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य	एजेंसी	अप्रयुक्त निधियां (₹ लाख में)	
			2021–22	**2020–21**
1	आंध प्रदेश	एपीएससीसीएफसी	5,982.87	19,269.92
2	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएससीएसटीडीएफसी	8,167.64	7,005.86
3	राजस्थान	आरएससीडीसी	5,754.38	2,536.44
4	कर्नाटक	डीबीआरएडीसी	–	7,442.69
5	गुजरात	जीएससीडीसी	6,403.63	5,982.95
6	महाराष्ट्र	एमपीबीसीडीसी	1,709.55	2,871.43

क्रम सं.	राज्य	एजेंसी	अप्रयुक्त निधियां (₹ लाख में)	
			2021–22	2020–21
7	त्रिपुरा	टीएससीडीसी	896.79	931.72
8	महाराष्ट्र	एलएएसडीसी	1,862.34	1,862.34
9	छत्तीसगढ़	सीजीएससीएफडीसी	817.26	923.67
10	केरल	केएसडीसी	265.11	–
11	महाराष्ट्र	लिडकॉम	759.53	1,425.25
12	केरल	केएसडब्ल्यूडीसी	1,719.78	1,894.87
13	दिल्ली	डीएसएफडीसी	793.65	637.35
14	झारखंड	जेएससीडीसी	301.77	301.77
15	हिमाचल प्रदेश	एचपीएससीएसटीडीसी	743.39	524.80
16	गुजरात	जीएससीएमबीसीडीसी	305.71	305.71
17	असम	एएसडीसी	304.75	304.75
18	उत्तराखंड	यूबीवीईवीएन	–	–
19	पंजाब	पीएसएलडीएफसी	617.58	251.43
20	झारखंड	झारक्राफ्ट	250.00	250.00
21	हरियाणा	एचएससीडीसी	306.74	196.72
22	जम्मू व कश्मीर	जेकेएससीएसटीबीसीडीसी	788.42	624.96
23	सिक्किम	एसएससीएसटीबीसीडीसी	–	–
24	मध्य प्रदेश	एमपीएससीएफडीसी	166.23	166.23
25	उत्तर प्रदेश	यूपीएससीएफडीसी	160.82	160.82
26	चंडीगढ़	सीएससीएफडीसी	106.18	–
27	ओडिशा	ओएसएफडीसी	110.79	110.79
28	पुदुचेरी	पाडको	223.04	193.87
29	मणिपुर	नेडफी–मण	–	100.00
30		शेष चैनल भागीदार	1,634.86	5,803.89
	कुल		**41,152.81**	**62,080.23**

40 आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर से छूट

आयकर/आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निगम की आय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(26)(ख) के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है।

इसके अलावा सीबीडीटी ने दिनांक 29.05.2017 को परिपत्र सं. 18/2017 जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि धारा 10 खंड (26बी) में संदर्भित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्थापित निगम, निकाय, संस्था या संगठन के मामले में, जिनकी आय में अप्रतिबंधित रूप से छूट प्राप्त है और जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अनुसार वैधानिक रूप से आयकर विवरणी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, वहां स्रोत पर कर कटौती की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी आय भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के तहत कर से छूट प्राप्त है।

41 पट्टों का प्रकटीकरण

(i) इंडस्ट्रीज के रूप में –116 के अनुसार पट्टों प्रकटीकरण

क) एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टे की संपत्ति

मान्यता प्राप्त पट्टा संपत्तियों की अग्रणीत राशि और वर्ष के दौरान उतार–चढ़ाव का खुलासा नीचे किया गया है: –

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
वर्ष के आरंभ में शेष	–	**5.75**
वर्ष के दौरान वृद्धि	–	–
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	–	**5.75**
वर्ष के अंत में शेष	**0.00**	**0.00**

पट्टा देयताएं

वर्ष के दौरान, पट्टा देयताओं की कैरिंग राशि की मान्यता और गतिविधियां नीचे प्रस्तुत की गई हैं: (₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
वर्ष के आरंभ में शेष	–	6.29
वृद्धि	–	–
ब्याज का आभिवृद्धि	–	0.55
भुगतान	–	4.89
संशोधन लाभ	–	1.95
वर्ष के अंत में शेष	–	–
चालू	–	–
गैर–चालू	–	–

31 मार्च, 2022 तक अघोषित रूप से पट्टा देनदारी का परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
पट्टा देयताएं	-	-	-
	-	-	-

31 मार्च, 2021 तक अघोषित रूप से पट्टा देनदारी का परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
पट्टा देयताएं	-	-	-
	-	-	-

लाभ और हानि के विवरण में मान्य राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
पट्टा परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास व्यय	–	5.8
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	–	0.6
	–	**6.3**

(ख) पट्टाकार के रूप में कंपनी

पट्टा पर दी गई परिसंपत्तियों का विवरण टिप्पणी 4 – निवेश संपत्ति के तहत दिया गया है।

42 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत छूट

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 29.04.2011 के पत्र संख्या डीएनबीएस.एनडी.संख्या 4175एमआई/10.01.001/2010–11 के अंतर्गत यह प्रमाणित किया है कि एनएसएफडीसी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1क के उपबंधों और कंपनी के सामुदायिक सेवा में नियोजित एक 'लाभ निरपेक्ष' कंपनी के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत किए जाने के कारण कंपनी (एनएसएफडीसी) के आधार पर अन्य विनियामक और विवेकपूर्ण मानकों से बैंक द्वारा छूट प्रदान कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बोर्ड के संकल्प की प्रति प्रस्तुत करने की सलाह दी जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कंपनी (एनएसएफडीसी) जनता से निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी। तद्नुसार दिनांक 30 मई, 2011 को हुई बोर्ड की 118वीं बैठक में संकल्प पारित किया गया है और यह संकल्प दिनांक 13 जून, 2011 के पत्र संख्या एनएसएफडीसी/एसईसीटी/193/2010/2704 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

43 भौतिक वस्तुओं पर भारतीय लेखांकन मानक की प्रायोज्यता

पूर्व अवधि की मदों तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों की प्रायोज्यता भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अनुरूप पूर्वव्यापी रूप में केवल भौतिक वस्तुओं पर किया जाता है।

44 कोविड–19 का प्रभाव

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 24 मार्च, 2020 के आदेश संख्या 40–3/2020 के द्वारा राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा की, जिसे समय–समय पर 17.05.2020 तक बढ़ाया गया।

तथापि, कंपनी के प्रचालन बाधित नहीं हुए हैं। असाधारण स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने परिवर्तित व्यवसाय परिवेश को अपनाया है। कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने के उद्देश्य से निगम ने जून 2020 में समाप्त तिमाही के लिए देय होने वाली किस्त के लिए विलंबन अवधि में विस्तार प्रदान किया है। इसके अलावा, पुनर्भुगतान की अनुसूची के साथ विलंबन अवधि बढ़ाने वाले आरबीआई के परिपत्र दिनांक 23 मई, 2020 के अनुसार, कंपनी ने दिनांक 30 जून, 2020 तक देय पुनभुर्गतान अनुसूची पर दांडिक ब्याज लगाए बिना तीन माह की अवधि के लिए अर्थात् 30 सितंबर, 2020 तक स्थगित करने का निर्णय लिया। इसका वित्तीय प्रभाव नहीं है और 31.03.2022 को नकद प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा गया है।

45 सेगमेंट रिपोर्टिंग

(क) प्रचालन सेगमेंट

कंपनी एकल सेगमेंट में अर्थात् लक्षित समूहों के लिए आय अर्जित करने वाली परियोजना के परोक्ष वित्त पोषण के व्यवसाय में लगी हुई है जहां से यह अपनी आय अर्जित कर रही है और व्यय कर रही है। एकल भाग के प्रचालन के परिणामों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा निष्पादन का आकलन किया जाता है, जिन्हें मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में माना जा सकता है। कंपनी के सभी संसाधन इस एकल भाग के लिए समर्पित हैं तथा इस भाग के लिए सभी अलग वित्तीय सूचना उपलब्ध है।

(ख) भौगोलिक सूचना

चूंकि कंपनी की गतिविधियां/प्रचालन देश के अंदर हैं और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए जोखिम और प्रतिफल समान हैं और इस प्रकार केवल एक भौगोलिक सेगमेंट है।

46 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप करने के लिए और चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों से तुलना कर पाने के लिए पुनः एकीकृत किया गया है।

47 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में संशोधन के अनुसार प्रकटीकरणः

एमसीए ने 23 मार्च 2021 की अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम की अनुसूची III में संशोधन किया है। 2013 कुछ प्रकटीकरण के संबंध में जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उक्त संशोधन के अनुसार परिवर्तनों को शामिल किया है और नीचे दिए गए प्रकटीकरण उक्त संशोधन के अनुपालन में किए गए हैं:

(i) इस अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन–देन नहीं है।

(ii) कंपनी ने इस अवधि के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कारोबार या निवेश नहीं किया है।

(iii) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई

कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

(iv) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होना बाकी है।

(v) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया है, इस समझ के साथ कि मध्यस्थः

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या

(ख) परम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करें

(vi) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (यों) से इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनीः

(क) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करें,

(vii) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है जिसे बाद में सरेंडर कर दिया गया है या आयकर अधिनियम, 1961 के तहत चल रहे कर आकलन के हिस्से के रूप में वर्ष के दौरान आय के रूप में प्रकट किया गया है (जैसे, खोज या सर्वेक्षण) या आयकर अधिनियम, 1961 के कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान)।

(viii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ix) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

(x) कंपनी को बैंक के साथ मौजूदा संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए कंपनी द्वारा बैंक के साथ दायर किए गए बयान और खातों की पुस्तकों का मिलान लागू नहीं है।

(xi) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जहां कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए उधार का उपयोग नहीं किया है जिसके लिए इसे बैलेंस शीट की तारीख में लिया गया था।

(xii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवस्था की किसी भी योजना में प्रवेश नहीं किया है।

(xiii) लेखा अनुपात का प्रकटीकरण निम्नलिखित हैः

विवरण	न्यूमरेटर	भाजक	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	% परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	20.35	17.63	15.42%	लागू नहीं
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	–	–	0.00%	
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण चुकौती के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ. गैर–नकद परिचालन व्यय	ऋण सेवा = ब्याज और लीज भुगतान+ मूल भुगतान	NA			
इक्विटी अनुपात पर लौटें	करों के बाद शुद्ध लाभ–वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक की इक्विटी	0.02	0.02	–0.34%	लागू नहीं
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए सामान की लागत	औसत सूची	लागू नहीं			
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	नेट क्रेडिट बिक्री= सकल क्रेडिट बिक्री – बिक्री वापसी	औसत व्यापार प्राप्य	लागू नहीं			
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	नेट क्रेडिट खरीद= सकल क्रेडिट खरीद –खरीद वापसी	देय औसत व्यापार	लागू नहीं			
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	शुद्ध बिक्री=कुल बिक्री–बिक्री वापसी	कार्यशील पूंजी= वर्तमान संपत्ति – वर्तमान देनदारियां	0.06	0.06	–3.63%	लागू नहीं
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री=कुल बिक्री–बिक्री वापसी	0.80	0.80	0.16%	लागू नहीं
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की कमाई	कैपिटल एम्प्लॉयड= टैंजिबल नेट वर्थ+ टोटल डेट+डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी	0.02	0.02	–0.36%	लागू नहीं
निवेश पर प्रतिफल'	ब्याज (वित्तीय आय)	निवेश	0.07	0.07	–9.44%	लागू नहीं

*आरओआई वार्षिक नहीं है

48 वित्तीय विवरण की स्वीकृति

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए दिनांक 25.08.2022 को अनुमोदित किया गया था

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मै. पी.के. चौपड़ा एंड कं.
सी.ए.
एफआरएनः 006747एन

ह.
सी.ए. रूचिका भगत
भागीदार
सदस्यता सं. 096129

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25.08.2022

ह.
मनजीत सिंह छतवाल
समप्र (वित्त)

ह.
(राजेश बिहारी)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(अन्नु भोगल)
उमप्र (कंपनी सचि., लेखा, राजभाषा)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह.
(दुर्गा प्रसाद राय)
निदेशक
डिन– 09453376

ह.
(रजनीश कुमार जैनव)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डिन– 09056584

पी. के. चोपड़ा एंड कं.
– चार्टर्ड अकाउंटटेंस –
फ्लैट नं. 801, 8वीं मंजिल, रोहित हाऊस, 3 टॉल्सटॉय मार्ग
नई दिल्ली–110 001 (भारत)

ई–मेलः info@pkchopra.com
दूरभाषः +91 11 35007252 वेबसाइटः www.pkchopra.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
के सदस्यगणों को

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (''कंपनी'')** के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2022 के तुलन–पत्र, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ और हानि का विवरण और उस समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य विवरणात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, **हमारी योग्य राय पैरा और विषय का प्रभाव पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर** उक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अनुसार आवश्यक सूचना को अपेक्षित रूप से दर्शाते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित (''इंड एएस'') के साथ पठित अधिनियम की धारा–133 के अधीन तथा दिनांक 31 मार्च, 2022 को कंपनी के मामलों का निर्धारित भारतीय लेखा मानक तथा भारत में स्वीकृत अन्य सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ और कुल व्यापक आय और ईक्विटी में परिवर्तन का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय का आधार

1. कंपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान कर रही है। ऋण नीति के अनुसार, नए संवितरण के मामले में यह आवश्यक है कि संवितरण की तारीख से 120 दिन के अंदर एससीए एवं सीए द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, समग्र संवितरण के मामले में सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों से तिमाही आधार पर उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त करने होते हैं। तथापि, अनेक मामलों में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए जिसके कारणः

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी से ₹41,15,281/– लाख के बकाया ऋण पर कोई उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हालाँकि, यह पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया है जो कि 31 मार्च, 2021 को 62,08,023/– लाख रुपये था **(कृपया टिप्पणी सं.39.3 का संदर्भ लें)**।

हम अपेक्षित सूचना के अभाव में उपरोक्त दी गई राशि की गणना करने में असमर्थ हैं।

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए 'लेखापरीक्षक का दायित्व' के भाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत नियमावलियों के अधीन भारतीय लेखा मानकों की वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र कंपनी है, तथा हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व समुचित हैं।

विषय का प्रभाव

1. दिनांक 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) को महामारी के रूप में घोषित किया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने कोविड–19 को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय के रूप में दिनांक 24 मार्च 2020 के आदेश संख्या 40–3/2020 के माध्यम से देश की संपूर्ण आबादी की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाते हुए राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित किया। इस प्रकोप से मानव जीवन की जो क्षति हुई है उसके अलावा इसने सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय संरचना को भी बाधित किया है जिसकी वजह से वैश्विक एवं स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में काफी कमी आ गई है।

   तथापि, कंपनी के प्रचालन बाधित नहीं हुए हैं। इस असाधारण स्थिति की वास्तविकता और गतिशील परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, कंपनी निश्चितता के साथ अपने प्रचालनों पर भावी प्रभाव का अंदाजा लगाने की स्थिति में नहीं है। कंपनी भावी आर्थिक स्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन की ध्यान से निगरानी करना जारी रखेगी और भविष्य में कंपनी के व्यवसाय पर प्रभाव कोविड–19 महामारी से उत्पन्न समग्र स्थितियों पर निर्भर होगा जिनका इस समय विश्वसनीय ढंग से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

   कंपनी व्यवसाय के बदलते परिवेश को अपनाने के लिए आशावान है तथा यह अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने में किसी बड़ी चुनौती का अनुमान नहीं लगाती है। अतः कंपनी यह विश्वास करती है कि कंपनी को क्रियाशील संस्था के रूप में बनाए रखने तथा अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए अप्रभावित होगी। (टिप्पणी संख्या 44 देखें)

2. वर्ष के दौरान, कंपनी ने बिहार अनुसूचित जाति विकास निगम (बीएससीडीसी) से संदिग्ध अतिदेय धनराशियों के संबंध में ₹56.00 लाख की ब्याज आय बुक की है। जिसका ₹56.00 लाख की सीमा तक, प्रचालनों से राजस्व (आय) की अत्युक्तिपूर्ण कथन का प्रभाव पड़ा है। तथापि, इतनी ही धनराशि के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के सृजन के कारण कुछ सीमा तक व्यय से अधिक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान बिहार अनुसूचित जाति विकास निगम (बीएससीडीसी) से मूलधन–वित्त वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के मियादी ऋण के रूप में ₹60.62 लाख की वसूली की गई है।

3. यह अवलोकन किया गया है कि अनेक एससीए ने भुगतानों में चूक की है, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹18064.08 लाख तक की राशि का तीन वर्ष से अधिक का अतिदेय हो गया है। हालांकि, ये ऋण राज्य सरकार की गारंटियों द्वारा सुरक्षित हैं, परंतु ये गारंटियां कभी भी भुनाई नहीं गईं हैं, जिसके परिणामस्वरूप निधियां अवरूद्ध हो गईं हैं। (टिप्पणी संख्या 39 देखें)

4. मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पार्टियों को एलएएसडीसी के मामले में 93.24 करोड़ रुपये और डीएएडीसी के मामले में 15 करोड़ रुपये की सीमा तक दावा राशि का निपटान करने का निर्देश दिया है। एमएसटीसीबी के मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 9% ब्याज के साथ 1.53 करोड़ की राशि का भुगतान करने का आदेश पारित किया है, जो कि दावे के विवरण को दाखिल करने की तारीख से प्रतिवादी द्वारा दावेदार (एनएसएफडीसी) को वास्तविक भुगतान की तारीख तक है। अवार्ड आदेश के निष्पादन के लिए, निगम ने जिला न्यायाधीश, इंफाल, मणिपुर की अदालत में मध्यस्थता निष्पादन मामला दायर किया है। निगम ने इंड एस 109 के अनुसार लेखा अवधि के दौरान 31.03.2022 तक 9% की बढ़ी हुई दर पर ब्याज आय की मान्यता को स्थगित कर दिया है।

5. टिप्पणी सं. 25.2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें दिनांक 07 मार्च, 2022 को हुई बोर्ड बैठक में बोर्ड के अनुमोदन के बाद वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारतीय ओवरसीज बैंक के रु.52.88 लाख के दंडात्मक ब्याज माफी को खर्च के रूप में दर्ज किया गया था।

6. हम ऋण एवं अग्रिम, ऋणदाता आदि के संबंध में शेष पुष्टि की व्यवस्था करने के लिए कंपनी के उत्तरदायित्व की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। कुछ एससीए, पीएसबी / आरआरबी, एनबीएफसी – एमएफआई और ऋणदाता के मामले में शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। इंड एएस के वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव, यदि कोई है, अनिश्चित है।

7. टिप्पणी सं.17 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कंपनी के पास सरकारी अनुदानों के लिए ₹3580.71 लाख तथा अप्रयुक्त अनुदान देयता के लिए अन्य पीएसयू से अनुदान के लिए ₹27.96 लाख का अंत शेष है जिसे वित्तीय विवरणों में 'अन्य वित्तीय देयता' के रूप में दर्शाया जाता है।

8. एनएससीएफडीसी की ऋण नीति में चुकौती की निर्धारितध्सहमत तिथि के बाद देयों के चूक भुगतान पर नकद हानि (ब्याज सहित मूलधन) के लिए देय राशि पर लागू सामान्य ब्याज दर से प्रतिवर्ष 2% की दर से अधिक का प्रावधान है। चूक भुगतानों पर नकद हानि (एलडीडीपी) को इसकी संग्रहणीयता की अनिश्चितता के कारण प्राप्ति पर मान्यता प्राप्त है। हालांकि, यह देखा गया है कि वित्त वर्ष 2021–22 में एलडीडीपी के लिए एससीए को मांग जारी की गई है।

   हमारी राय इन मामलों के संबंध में योग्य / संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणों और उसके साथ संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारियाँ तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारियों में वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारी शामिल है लेकिन वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर आश्वासनात्मक निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व, अन्य जानकारी को पढ़ना और, ऐसा करने में विचार करें क्या वित्तीय विवरणों की अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत तो नहीं है अथवा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान अथवा अन्यथा वस्तुतः गलत प्रतीत तो नहीं होते हैं।

यदि हमारे निष्पादित कार्यों के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी की सामग्री मिथ्या वर्णन है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व और वित्तीय विवरणों के नियमन (गवर्नेंस) करने वालों के दायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम–7 के साथ पठित लेखा मानकों और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पठित और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत किए गए लेखा सिद्धांतों के साथ पठित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) की धारा–133 के अधीन विनिर्धारित के अनुसार कंपनी वित्तीय कार्य–निष्पादन, कंपनी की इक्विटी और इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकद प्रवाहों सहित वित्तीय स्थितियों का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, कंपनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षार्थ तथा छल–कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पकड़ने के लिए, उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित और अनुरक्षण शामिल है। जोकि वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखा रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे जोकि सत्य व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन, धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कंपनी के कार्यशील बने रहने संबंधी आकलन के लिए, कार्यशील संस्था से जुड़े मामलों के, यथा लागू, प्रकटन और संस्था का लेखांकन कार्यशील संस्था के आधार पर करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी होगा जब तक कि निदेशक मंडल का इरादा परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल, कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी होंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य यथेष्ठ रूप से यह आश्वासन प्राप्त करना है कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त हैं तथा इस बारे में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे एकल अथवा समग्र रूप से इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इस लेखा मानकों सहित लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हमः

- भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। अधिनियम की धारा–143(3)(i) के अंतर्गत हम कंपनी में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रण की सक्रिय प्रभावकारिता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्ठता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधतंत्र द्वारा कार्यशील संस्था के आधार पर लेखांकन के औचित्य और प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कहीं कोई ऐसी तात्विक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है जो कंपनी की इस क्षमता के बारे में अत्यधिक संदेह पैदा करती हो कि यह कार्यशील संस्था बनी रहेगी। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तात्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करें, अथवा, ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपनी राय में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों। हालांकि भावी घटनाएं अथवा स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनसे कंपनी कार्यशील कंपनी के रूप में अपनी निरंतरता बनाए न रख सके।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

भौतिकता भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिणाम है, जो अलग–अलग अथवा समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। हम (i) अपनी लेखापरीक्षा कार्य की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों के मूल्यांकन में और (ii) भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में कोई भी पहचान की गई गलतबयानी विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक, भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ शासन (गवर्नेंस) के प्रभारियों के साथ अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे, समयबद्धता और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में सूचित करते हैं।

हम शासन (गवर्नेंस) के प्रभारियों को उन विवरणों को उपलब्ध कराते हैं जिनका हमने संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता अनुकूल उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा उपाय, के बारे में संवाद करते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') में अपेक्षित अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–143 की उप धारा (11) के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') के कंपनी पर लागू नहीं होता। अतरू आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक नहीं दिया गया है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–143(5) के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के जरिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा यथापेक्षित, प्रबंधन से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर हम संलग्न **''अनुलग्नक क''** में विनिर्दिष्ट मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–143 (3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव के पैरा में वर्णित मामले को छोड़कर, हमने वे सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

   (ख) उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, जहां तक उन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियॉं रखीं हैं जो नियमानुसार आवश्यक है।

   (ग) उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन–पत्र, आय और व्यय विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बहियों का अनुपालन करते है;

   (घ) उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, उक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 और संशोधित कंपनी नियम (भारतीय लेखा मानक), 2015 के साथ पठित भारतीय लेखा मानक अधिनियम की धारा–133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

   (ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ङ) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–164 की उप–धारा (2) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती;

   (च) हमारी राय में, उपर्युक्त योग्य राय के पैरा में वर्णित मामले से कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है;

   (छ) योग्यता और अन्य पर्यवेक्षण के अनुसार खातों के रखरखाव और इसके साथ जुड़े अन्य मामले से संबंधित उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव पैरा अनुसार है;

   (ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, इस रिपोर्ट का **''अनुलग्नक ख''** देखें;

(झ) अधिनियम की धारा 197(16), यथा संशोधित, की आवश्यकता अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

(ञ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2016 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

(i) कंपनी ने अपने भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिकाओं में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्मों के प्रभाव को प्रकट किया है।

(ii) कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री पूर्वानुमान योग्य हानि थी;

(iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जहाँ कंपनी द्वारा राशि को निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किए जाना आवश्यक थे।

पी. के. चोपड़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

ह.
रूचिका भगत
साझेदार
सदस्यता सं. 096129
यूडीआईएन22096129एपीजेडएआईजे3067

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.08.2022

"अनुलग्नक–क"

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के हमारे उत्तर निम्नांकित हैं:

1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन को प्रक्रमित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, वित्तीय निहितार्थ सहित लेखा की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन–देन के प्रक्रमण के निहितार्थ, यदि कोई है, का उल्लेख करें।	कंपनी का वित्तीय लेखांकन टैली ईआरपी सॉफ्टवेअर पर किया जाता है। तथापि, कंपनी का ऋण लेखांकन मैनुअल लेजर पर किया जाता है। जैसा कि प्रबंध समिति ने स्पष्ट किया है कि मैनुअल लेजर को टैली ईआरपी सॉफ्टवेअर के साथ सामंजस्य (मिलान) किया जाता है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है। ऋण लेखांकन का आईटी प्रणाली रहित प्रक्रमण से लेखा की प्रामाणिकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और अतएव इसका कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।
2	क्या ऋण के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के मौजूदा ऋण या माफी/बट्टे–खाते में डालने को पुनर्गठित किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। **क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखा–जोखा लिया जाता है?**	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ऋणों के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के किसी मौजूदा ऋणों या माफी/बट्टे–खाते में डालने को पुनर्गठित नहीं किया गया।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि (अनुदार/सब्सिडी इत्यादि) का समुचित हिसाब/इसके नियम और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया? व्यतिक्रम मामलों को सूचित करें।	उपर्युक्त योग्य राय तथा मामले का प्रभाव पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि (अनुदार/सब्सिडी इत्यादि) का समुचित हिसाब/उपयोग रखा/किया जाता है।

पी. के. चोपड़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

ह.
रूचिका भगत
साझेदार
सदस्यता सं. 096129
यूडीआईएन22096129एपीजेडएआईजे3067

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.08.2022

''अनुलग्नक–ख''

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा–143 की उप–धारा 3 के खंड(i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** ('कंपनी') के दिनांक 31 मार्च, 2022 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के साथ, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष को कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण के दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और अनुरक्षण के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अभिकल्प, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार, ये वित्तीय नियंत्रण, व्यवसाय को व्यवस्थित और सक्षम ढंग से चलाने में (इसमें कंपनी नीति का अनुसरण करना शामिल है), इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और पता लगाना, लेखा रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–143(10) के अंतर्गत विहित और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों और वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी ('दिशानिर्देश टिप्पणी'') के अनुसार की है। यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की सीमा तक लागू है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर लागू है तथा दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं। इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम थे और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य किया, के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में परीक्षण आधारित जाँच राशि के आशय और वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी प्रचालन प्रभाविकता शामिल है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, भौतिक कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परख तथा डिजाइन और प्रचालन प्रभाविता प्राप्त करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है। इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण, जोखिम का मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के आधार के लिए उचित हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करना है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैः

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को उचित विवरण में, शुद्ध और निष्पक्ष ढंग से दर्शाते हैं

(2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन–देन का आवश्यकतानुसार रिकार्ड हो रहा है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्ययों को केवल कंपनी की प्रबंध समिति और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों का, बचाव अथवा समय अनधिकृत अधिग्रहण का पता लगाना, इस्तेमाल, अथवा निपटान संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करना कि उनका भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सके।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण (इसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को प्रभावी करने वाला अनुपयुक्त प्रबंधन, धोखा या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्या विवरण शामिल) हो सकता है तथा इसका पता भी नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रेक्षपण में यह खतरा है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कहीं अपर्याप्त न हो जाए या नीतियों के साथ अनुपालन की मात्रा या पद्धतियों में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, नीचे खंड 1 से 3 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च, 2022 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

1. कंपनी के आकार और इसके प्रचालनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एससीए और सीए को संस्वीकृत एवं वितरित निधियों के अंतिम प्रयोग का सत्यापन करने के लिए प्रबंधन द्वारा अभिकल्पित आंतरिक नियंत्रण एवं प्रणालियां तर्कसंगत रूप से पर्याप्त नहीं हैं। प्रबंधन से कंपनी के आकार और इसके प्रचालनों की प्रकृति के अनुपात में प्रक्रियाओं को अद्यतन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि पात्र लाभार्थियों को निधियाँ जारी करने के लिए केवल एससीए जिम्मेदार हैं। कंपनी को ऐसी कोई लेखापरीक्षा प्रणाली तैयार करनी चाहिए जिसके माध्यम

से सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थियों को समुचित रूप से निधियों का संवितरण किया जा रहा है।

2. कंपनी, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जातियों से संबंधित लाभार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। तथापि, 31 मार्च, 2022 को ₹41,152.81 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं। यथाशीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

3. हमारी योग्य राय के खंड 1 व 2 में और अन्य मामले के खंड 6 में संदर्भित मामले आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में कमी के हैं। इस संबंध में कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की निगरानी और उसे सुदृढ़ करना चाहिए।

पी. के. चोपड़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

ह.
रूचिका भगत
साझेदार
सदस्यता सं. 096129
यूडीआईएन22096129एपीजेडएआईजे3067

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.08.2022

वार्षिक लेखा 2021–22 पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंध समिति का उत्तर

पैरा सं.	लेखापरीक्षा पैरा	प्रबंध समिति का उत्तर
1	कंपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान कर रही है। ऋण नीति के अनुसार, नए संवितरण के मामले में यह आवश्यक है कि संवितरण की तारीख से 120 दिन के अंदर एससीए एवं सीए द्वारा उपयोग प्रमाण– पत्र उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, समग्र संवितरण के मामले में सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों से तिमाही आधार पर उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त करने होते हैं। तथापि, अनेक मामलों में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए जिसके कारणः दिनांक 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी से ₹41,15,281/– लाख के बकाया ऋण पर कोई उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हालाँकि, यह पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया है जो कि 31 मार्च, 2021 को 62,08,023/– लाख रुपये था (नोट 39.3 देखें)।	सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के ऑडिट पैरा और हमारे नोट 39.3 से यह स्पष्ट है कि 31 मार्च, 2022 तक, पिछले वर्ष की तुलना में बकाया ऋणों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र पिछले वर्ष ₹620.80 करोड़ से कम हो कर ₹411.53 करोड़ हो गए हैं। एनएसएफडीसी पूरे भारत में अपनी चैनलाइजिंग एजेंसियों के एक नेटवर्क के माध्यम से लक्ष्य समूह के लिए विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं को लागू करता है। निधियों के संवितरण संबंधी मानदंडों में से एक के अनुसार निधियों का न्यूनतम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, संवितरित की गई निधियों का उपयोग राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा संवितरण की तारीख से निर्धारित अवधि के अंदर किया जाना है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों का उपयोग एक सतत प्रक्रिया है और कभी–कभी यह अगले वित्तीय वर्ष तक भी चली जाती है। अनुमत्य अवधि की समाप्ति अथवा निर्धारित अवधि के बाद, संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ इस मामले का अनुपालन किया जाता है। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां, एनएसएफडीसी से निधि प्राप्त करने के बाद, इसे अपने जिला कार्यालयों को जारी करता है। इसके बाद सभी जिला कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कुछ समय लगता है। इसके अलावा, चैनल वित्त प्रणाली में, 15–20% निधि का उपयोग हमेशा पाइपलाइन में रहता है और इसलिए नए संवितरण पर विचार करने के लिए एससीए को कुछ सीमा तक की छूट दी जाती है। वर्तमान में, 31.03.2022 तक निधि का उपयोग स्तर 92.19% है। अतः ₹411.53 करोड़ के लंबित उपयोग प्रमाण–पत्र केवल 7.81% ही है।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

No- AMG-I/9-109/NSFDC/2022-23/ 778 Date: 29.11.2022

To,
The Chairman cum Managing Director,
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation,
14th Floor, Core 1&2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre,
New Delhi 110092.

Sub: **Comments of the Comptroller & Auditor General of India under section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) for the year 2021-22.**

Sir,

Please find enclosed herewith Audit Certificate of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC)** for the year ended 31st march 2022.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours sincerely,

Encl: As above

(Rajiv Kumar Pandey)
Director General of Audit Central Expenditure

Ph. : 91-11-23702422
Fax : 91-11-23702271
E-mail : dgace@cag.gov.in
Website : https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten

परिशिष्ट 'ग'
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 18.2 देखें)

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–143 (6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणिका तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा–139(5) के अधीन नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा–143(10) के अधीन विहित लेखा परीक्षणों के मानक के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित, अधिनियम की धारा–143 के अधीन वित्तीय विवरणिका पर अपनी राय देने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी दिनांक 25.08.2022 के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इसे पूर्ण किया हुआ, माना जाना चाहिए।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा–143(6)(क) के अधीन **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन**, के दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए, वित्तीय विवरणिका पर अनुपूरक लेखापरीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षण स्वतंत्र ढंग से वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजात को देखे बिना किया गया हैं तथा यह प्राथमिकतः वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चयनित लेखा अभिलेखों की जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशेष नहीं आया है जिससे वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक के लिए कोई टिप्पणी उठे।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
तथा उनकी ओर से

ह.

(राजीव कुमार पांडेय)
महानिदेशक, लेखापरीक्षा केंद्रीय व्यय

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.11.2022

कार्यालयों का पता

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी)

प्रधान कार्यालय

14वीं तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली – 110 092
फोन : 011–22054394, 22054392, 22054396 फैक्स : 011–22054395
ई–मेल : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट : www.nsfdc.nic.in

टोल–फ्री नं. : 1800110396

एनएसएफडीसी – संपर्क केंद्र

1.	श्रीमती विजय लक्ष्मी, कार्यपालक नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सं. 1, 3रा क्रॉस रोड, 15वीं मेन, मथिकेरे (सुब्बैया अस्पताल के पास) बैंगलूरु – 560 054 दूरभाषः 080–23465175
2.	श्री एच.एल. थंगा, उप प्रबंधक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नई बाजार फेज–1, 5वीं मंजिल, हुडको बिल्डिंग 15–एन नेल्लयी सेनगुप्ता सारनी, कोलकाता – 700 087 दूरभाष : 033–22521395
3.	श्री प्रकाश भोसले, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ओशिवारा म्हाडा कॉम्प्लैक्स बिल्डिंग नं. 5, फ्लैट नं. 004 आदर्श नगर डाकघर, अंधेरी (पश्चिम) मुंबई – 400 053 दूरभाष : 022–26361624

33वीं वार्षिक रिपोर्ट
33rd ANNUAL REPORT
2021-2022

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी)
(An ISO 9001: 2015 Certified Company)

14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110092
14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092
फोन/Phone: 011- 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax : 011-22054395
ई–मेल/E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/website: www.nsfdc.nic.in

CONTENTS

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Company Information	1
2.	Notice	2
3.	Chairman's Address	3
4.	Directors' Report	9
5.	Balance Sheet	83
6.	Income & Expenditure Account	84
7.	Cash Flow Statement	88
8.	Statutory Auditors' Report	139
9.	Management Reply to the Statutory Auditors' Report	149
10.	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	151
11.	Registered Office & Liaison Centres	152

COMPANY INFORMATION

Board of Directors (2021-22)

Shri Rajnish K. Jenaw
Chairman-cum-Managing Director
(w.e.f. 01.01.2021)

Shri S.M. Awale
(w.e.f. 04.06.2015)

Shri Sanjay Pandey
(w.e.f. 18.07.2019)

Smt. Anjula Singh Mahur
(Independent Director)
(w.e.f. 06.12.2021)

Shri Durga Prasad Rai,
Independent Director
(w.e.f. 29.12.2021)

Smt. Kalyani Chadha
(w.e.f. 27.04.2022)

Shri Piyush Srivastava
(w.e.f. 23.03.2018 to 29.07.2021)

Shri B. Ganeshan
(w.e.f. 25.03.2021 to 06.12.2021)

Smt. Upma Srivastava
(w.e.f. 21.09.2020 to 29.12.2021)

Dr. K. Ramalingam (Independent Director)
(w.e.f. 20.03.2019 to 20.03.2022)

Statutory Auditors

M/s. P.K. Chopra & Co.,
Chartered Accountants,
Flat No.801, 8th Floor, Rohit House,
3 Tolstoy Marg, New Delhi-110 001.

Bankers

Canara Bank, Delhi/Mumbai/Bengaluru
SBI, New Delhi/Kolkata
Union Bank of India
Punjab National Bank
Indian Overseas Bank
IDBI
Bank of Baroda
Punjab & Sind Bank
Kotak Mahindra Bank
Indian Bank
Au Small Fin. Bank
Bandhan Bank
IDFC First Bank Ltd.
Indusind Bank
ICICI Bank
Equitas Small Financial Bank

Registered Office

National Scheduled Castes Finance and
Development Corporation,
(A Government of India Undertaking)
14th Floor, SCOPE Minar, Core 1 & 2,
Laxmi Nagar District Centre,
Laxmi Nagar, Delhi-110 0092.

Company Secretary

C.A. Annu Bhogal
Dy. General Manager

CIN: U93000DL1989NPL034967

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
(A Govt. of India Undertaking)

NSFDC/SECT/33rd AGM/290/ 1267 — 2nd December, 2022

NOTICE

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the members of **National Scheduled Castes Finance and Development Corporation** will be held on **06.12.2022 (Tuesday) at 5.00 p.m.** in the Conference Room No.627, Ministry of Social Justice & Empowerment at 6th Floor ('A'Wing), Shastri Bhawan, New Delhi-110 001, to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:
To receive, consider and adopt the audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2022, together with reports of the Directors, Auditors' Report, Management's Replies and Comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon and pass the following resolution as an ordinary resolution, with or without modification(s):-

"**RESOLVED THAT** the audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2022, together with Board Reports, Auditors' Report, Management's replies thereon and Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the same be and are hereby received, considered and adopted."

By the Order of the Board of Directors

2/12/22

(Annu Bhogal)
DGM & Company Secretary

Place : Delhi
Dated: 2nd December, 2022

NOTE:
A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND THE MEETING AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF. THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER (PROXY FORM IS ENCLOSED).

पंजीकृत एवं प्र. कार्यालय: 14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092
Regd. & H.O.: 14th Floor, Core-1&2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-110092
फोन/Tel.: 011-22054391, 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax: 011-22054395, 22054349
ई–मेल/E-mail: support-nsfdc@nic.in • वेबसाइट/Website: www.nsfdc.nic.in

CHAIRMAN'S ADDRESS

ON 33rd AGM OF NSFDC ON 6th December, 2022

Dear Members,

On behalf of the Board of Directors, I extend a very warm welcome to all of you to the 33rd Annual General Meeting of your Company. I would like to convey my sincere gratitude to you for sparing your valuable time to be present on this important occasion.

The Annual Report for the financial year ending 31st March, 2022 along with the Directors' Report, Audited Annual Accounts with the Report of Auditors and comments of Comptroller and Auditor General of India have already been circulated to the Members, and with your permission, I shall take them as read.

As on 31st March, 2022, the Authorized Share Capital of your Corporation was Rs.1500.00 crore and Paid-up Capital was Rs.1500.00 crore.

- **Major Achievements**

Sanction of Proposals

During the year, your Corporation sanctioned proposals worth Rs.574.47 crores to the SCAs/CAs for implementation of Schemes.

Disbursement of Funds

During the year, your Corporation disbursed Rs.572.01 crores i.e. 86.62 % of total funds available during 2021-22 as against the target of 100% ('Excellent' target under MoU) to the SCAs/CAs for implementation of Schemes to benefit 76,219 beneficiaries.

Skill Development Training Programmes

During the year, your Corporation sanctioned and implemented Skill Development Training Programmes at an estimated cost of Rs.32.88 crores to skill 16,395 persons belonging to Scheduled Castes under PM-DAKSH Yojana and disbursed Rs.30.34 crores to 48 partner Skill Training Institutes/Sector Skill Councils. Further, 9,390 persons who completed the training programmes during the year, were provided Self/Wage-Employment.

Achievements vis-à-vis Targets of MoU (2021-22)

During the year, the achievement by your Corporation, under some of the MoU parameters was affected by the lending scenario in the wake of lockdown through the country due to continuing COVID 19 pandemic. Based on the audited data, total aggregate score for the financial year 2021-22 comes to 79.05 which conform to 'Very Good' Rating.

- **Special Initiatives**

Your Corporation has taken special initiatives during 2021-22 to further broaden and strengthen its activities. Some of them are as follows:-

(i) Composite Awareness Camps in States

During the year, due to Covid-19 pandemic resulting in lockdown throughout the country, there were restrictions in physical participation in exhibitions and workshop. During the year, your Corporation participated in IITF, Pragati Maidan, New Delhi, Surajkund International Craft Mela, Faridabad, Haryana.

NSFDC provided grants to its Channels Partners upto a maximum of Rs.25,000/- per Awareness Camp. Awareness Programmes under Azadi ka Amrit Mahotsav (AKAM) were conducted in Chandigarh, Jhansi, Khurja, Bikaner, Barmer, Lucknow, Fathegarh Sahib, Dhalai etc.

(ii) MoU signed with National Dairy Development Board (NDDB)

MoU signed with National Dairy Development Board (NDDB), Anand for conducting Capacity Building Programmes (CBPs) for 200 SC members in Dairy Animal Entrepreneurship for Scheduled Castes Dairy Farmers at 4 NDDB Training Centres located in Anand (Gujarat), Jalandhar (Punjab), Erode (Tamil Nadu) and Silguri (West Bengal). Two CBPs at Anand and Jalandhar have been conducted and the third one at Erode is being taken up shortly.

(iii) Initiatives taken for the Beneficiaries

NSFDC has taken up initatives to revise prudential norms for lending to RRBs in Odisha, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Madhya Pradesh etc. for improving fund outflow in these States where the traditional channelizing partners of NSFDC are non-functional.

(iv) Development of Scheduled Caste Artisans Clusters

Cluster Development: Under the MoU signed with Ministry of Textiles, NSFDC proposed to implement Chanderi Sarees Cluster, District Ashok Nagar (MP) and Banarasi Sarees Cluster at Block Kashi Vidyapeeth, Banaras (UP) during current financial year. NSFDC has also sanctioned a livestock cluster in Goat Rearing at Fatehpur, UP, for creating 150 Goat Entrepeneurs through NSFDC's credit linkage.

(v) **Technology Upgradation of Clusters**

NSFDC introduced a Scheme of Technology Upgradation of Clusters during 2021-22 in which it will provide grant in aid of up to Rs.6 lakh per SHG or Rs.30,000/- per beneficiary in cluster mode.

(vi) **Coverage of Women Beneficiaries**

During the year, your Corporation has provided concessional financial assistance of Rs.264.13 crores to 52,393 women beneficiaries under its various Schemes, which constituted 46.18% of the year's total disbursement and 68.74% of the total coverage against the norm of 40% both in financial and physical terms respectively.

(vii) **Initiatives taken for the Beneficiaries**

During the year, your Corporation revised the Lending Policy for State Channelizing Agencies (SCAs), Public Sector Banks (PSBs)/Regional Rural Banks (RRBs). The important highlights in brief are as follows:

(a) To simplify annual family income certificate, NSFDC has decided to consider three or more deprivation points as per the SECC-2011 report.

(b) Enhancement in the Quantum of Assistance of NSFDC in Term Loan Scheme from 90% of Unit Cost to up to 95% of Unit Cost.

(c) Introduction of a new Scheme – SMILE Scheme (Scheme for Marginalised Individuals for Livelihood & Enterprise).

(viii) **NSFDC Intervention during COVID-19 Pandemic**

The Ministry of Home Affairs, Govt. of India, vide Order No.40-3/2020 dated March 24, 2020 declared national lockdown which got extended from time to time till 17.05.2020. NSFDC has undertaken COVID-19 CSR initiatives during first and second waves of the Pandemic at PAN India level. During the year, your corporation stepped up its level of routine and CSR interventions true to its ethos of helping the marginalized at all times. They are summarized as under:

(a) NSFDC contributed an amount of Rs.3.43 lakhs towards Integrated Health care Response during COVID pandemic second wave in Delhi NCR.

(b) NSFDC provided medical equipment's amounting to Rs.1.76 lakhs to Sway Dayanand Hospital in Delhi to treat COVID-19 Patients.

(c) NSFDC provided Oxygen control penals for expansion of 100 beds for amounting to Rs.4.83 lakhs to Delhi sikh Gurudwara Management committee, Delhi to treat COVID-19 Patients.

(d) NSFDC contributed an amount of Rs.3.60 lakhs towards development of COVID-19 Isolation

centre, Hyderabad, Telangana.

(e) Distribution of 200 numbers of Medicine Kits amounting to Rs.6.00 lakhs at Delhi.

(f) Distribution of 05 number of Oxygen concentrators amounting to Rs.4.87 lakhs at Delhi.

(g) Distribution of Oxygen cylinders amounting to Rs.2.94 lakhs for COVID-19 patients at Delhi, NCR.

(h) Food distribution for daily wage workers and needy people amounting to Rs.5.91 lakhs at Delhi, Bengaluru & Mumbai.

(i) NSFDC donated furniture amounting to Rs.7.73 lakhs to Government SC hostel, Tripura.

(j) Instalation of Plasting Bottle crushing Machine amounting to Rs.2.25 lakhs at Delhi.

(k) Provision of RO Plant and COVID-19 relief kits amounting to Rs.3.34 lakhs at Bihar.

(l) Construction of 2 Rain water harvesting structure amounting to Rs.4.55 lakhs at Rajasthan.

(m) An amount of Rs.3.70 lakhs spent on CSR activities during"AZADI KA AMRIT MAHOTSAV 2021" and Gandhi Jayanti.

(n) An amount of Rs.49.20 lakhs spent of on-going projects of the preceding financial year on various activities such as Psychometric testing for school students, Disinfection and sanitisation of Public toilets, Dharavi, Mumbai, distribution of PPE kits, installation of RO plant at Punjab, Laboratory Equipment, organisation of Health cum COVID-19 awareness camps, distribution of ration kits, provision of medical equipment, strengthening of goat based livelihoods, preparation of animated videos on awareness on COVID-19, providing relief material to flood affected area, provision for shelter for homeless and organisation of health camps etc.

(ix) <u>Strengthening of IT-System</u>

- The updated version of Social Benefits Management System along with its Mobile App has been developed by NeGD and is currently under implementation.
- Beneficiary Enquiry Application Management (BEAM) Mobile App has been developed for taking Loan Enquiries, Skill Enquires and feedback of visitors in Awareness Programmes/ Fairs/ Melas/ Exhibitions etc. The App is available on Google Play Store.
- PM-Daksh Portal has been developed for Skill Training for application & applicant tracking system.
- 100% E-Office implementation was completed in your corporation.
- Your corporation actively updated all events on Social Media including Facebook & Twitter.
- Your Corporation has hosted and maintained a dynamic, disabled friendly, bilingual website which is in compliance with the Guidelines for Indian Government Website (GIGW).

- Your Corporation maintains database for project related data in an in house devised module for generation of various reports.
- An online portal for implementing a new Interest Subvention Scheme of MoSJ&E, namely Vanchit Ikai Samooh aur Vargon ki Aarthik Sahayta (VISVAS) Yojana has been developed. Through this portal, the data of eligible Self-Help Groups (SHGs) and individual beneficiaries is submitted by Public Sector Banks (PSBs), Regional Rural Banks (RRBs) and similar financial institutions to the Corporation. Thereafter, the interest subvention @ 5% is transferred to the beneficiary account through PFMS.
- **Initiatives in the Pipeline**

(a) **Pilot Project of lending through selected NBFC-MFIs**

NSFDC has taken initiative to revise its Policy for NBFC-MFIs to implement a Pilot Project of lending through selected NBFC-MFIs working in Bihar, Odisha and Jharkhand. The Pilot Project is facilitated and supported by Sa-dhan (Association of Community Development Finance Institutions) - a professional body in which the NBFC-MFIs and NSFDC are Members. Sa-Dhan is recognized by the RBI as Self-Regulatory Organisation (SRO) for the Micro Finance Sector and as National Support Organization (NSO) by National Rural Livelihood Promotion (NRLM). The Policy is under consideration at the Board level and if approved, it will result in substantial outflow of funds during 2022-23 in these three States where the NSFDC's SCAs/CAs are non-functional.

(b) Goat Cluster

Your Corporation intends to develop a Goatery Cluster with The Goat Trust, Lucknow for Aspirational District, Fatehpur, in Uttar Pradesh,which has been allotted to NSFDC by the Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India. The cluster members will be identified through a survey and various initiatives such as Pashu-Sakhitraining, Animal Insemination centers, Feed Management and development of market value chain will be taken by The Goat Trust, which will be the technical livelihood partner of NSFDC at grass root level for this project.

(c) E-Commerce Platform

Due to the Covid-19 pandemic lockdown for a longer period, various Exhibitions/ Melas/ Haats could not be organized for the target group. Your Corporation is working to develop an e-commerce platform, a digital market place, jointly with NBCFDC. Such platform will provide additional income to the beneficiaries, knowledge enhancement and a new venture in their endeavor.

(d) Updation of SBMS

To provide facility to beneficiaries to apply for loans online, Social Benefits Management System (SBMS) was developed to enable State &Apex Corporations. However, your Corporation is working to enhance and add certain additional provisions such as internal processing of loan at Apex corporations level, bulk uploading facilities etc., at SCA level and also to make it more user friendly.

(e) Mobile App for SBMS

To make the wider availability of SBMS, your Corporation has taken initiative for the development of Mobile app version of SBMS. With the use of app, the target beneficiaries will be able to apply for loans online very conveniently without requirement of a computer. The app will be a boon for those requiring financial support for income generating activities and educational loan requirements.

Road Ahead

Your Corporation will use innovative approaches to face the challenges in the lending scenario, to assist the target group for accelerating economic growth and increasing incomes. The focus of assistance will continue to be in economic activity, professional/ technical education and skill development leading to employability. Geographically, the focus will be primarily on areas where the concentration of the target group is high, particularly in the aspirational districts of the country. Your Corporation will continue building on existing collaborative relationships and develop new partnerships with channelizing agencies and other development partners as well as follow multi-pronged strategy to promote entrepreneurship among Scheduled Castes.

Acknowledgements

On behalf of the Board of Directors of the Company, I take this opportunity to convey my deep gratitude for your continued support and valuable guidance. I convey my sincere thanks to the Ministry of Social Justice and Empowerment for their unstinted support and co-operation. I appreciate and acknowledge the support of the Board of Directors for their constant advice and encouragement. I acknowledge the assistance received from various Ministries of Government of India, Department of Public Enterprises, State Governments and UT Administrations. I also acknowledge the cooperation received from various State Channelizing Agencies, Channel Partners consisting of various Public Sector Banks, Regional Rural Banks and Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions, Skill Training Institutions etc.

I would also acknowledge the sincere efforts of all employees of the Corporation which have enabled us to reach higher milestones. I look forward to continued support from all stakeholders in this journey.

(Rajnish Kumar Jenaw)
Chairman-cum-Managing Director
Place : Delhi
Date : 06.12.2022

DIRECTOR'S REPORT 2021-22

I welcome you to the 33rd Annual General Meeting of your Corporation. Annual General Meetings are a platform to discuss the Annual Report on the progress of your Corporation together with its Audited Financial Statements, Auditors' Report and Comments of the C&AG on Accounts.

1. CORPORATE PROFILE

Your Corporation was set up as National Scheduled Castes & Scheduled Tribes Finance and Development Corporation on 08.02.1989, as a Company 'not for profit' under Section-25 of the Companies Act, 1956 (now, under Section-8 of the Companies Act, 2013). It catered to the needs of both Scheduled Castes & Scheduled Tribes target groups till 09.04.2001. On 10.04.2001, the Corporation was bifurcated after creation of National Scheduled Tribes Finance & Development Corporation for Scheduled Tribes target group under Ministry of Tribal Affairs. Consequent upon its bifurcation, your Corporation now exclusively caters to the needs of Scheduled Caste target group.

1.1 Vision

To be the leading catalyst in systematic reduction of poverty through socio-economic development of eligible Scheduled Castes, working in an efficient, responsive and collaborative manner with channelizing agencies and other development partners.

1.2 Mission

Promote prosperity among Scheduled Castes by improving flow of financial assistance and through skill development & other innovative initiatives.

1.3 Objectives

The Memorandum of Association of your Corporation lists the following main objects to be pursued:

(i) Identification of trades & other economic activities of importance to Scheduled Castes population.

(ii) Upgradation of skills & processes used by persons belonging to Scheduled Castes.

(iii) Promotion of small, cottage & village industries.

(iv) Financing of pilot programmes for upliftment and economic welfare of persons belonging to Scheduled Castes.

(v) Improvement in flow of financial assistance to persons belonging to Scheduled Castes for their economic well-being.

(vi) Assistance to target group in setting up their projects by way of project preparation, training and financial assistance.

(vii) Extending loans to eligible students belonging to Scheduled Castes for pursuing full-time professional and technical courses in India and abroad.

(viii) Extending loans to eligible youth to enhance their skill & employability by pursuing vocational education & training courses in India.

In pursuance of above objects, your Corporation is engaged in providing financial assistance at concessional interest rates under various credit-based schemes to persons belonging to Scheduled

Castes through the State/UT Channelizing Agencies and other channel partners and is also implementing various non-credit based schemes to support the target groups.

1.4 Authorized and Paid-up Share Capital

During the year, the authorized share capital of your Corporation is Rs.1500.00 crore. The Paid up share capital at the beginning and end of financial year 2021-22 remains Rs.1500.00 crore.

1.5 Organization Chart

Your Corporation is headed by a Chairman-cum-Managing Director who is assisted by three Chief General Managers and a team of Senior Executives. There are 77 employees working in your Corporation. Apart from Projects, Finance, Human Resource, Administration Departments, there are other Departments/Cells viz. Corporate Service, Internal Audit, Co-ordination, Vigilance, Legal, MIS, Skill Training, Corporate Social Responsibility, RTI, ISO, Record Management and Official Language Cell. As far as operations of your Corporation are concerned, the Desk-in-charges posted in the Projects Department are assigned with specific States/UTs where they ensure efficient implementation and monitoring of NSFDC schemes through State Channelising Agencies (SCAs), Public Sector Banks (PSBs), Regional Rural Banks (RRBs), Co-operative Banks, Co-operative Societies, other Institutions and the Last Mile Financiers i.e. the NBFC-MFIs working at the grass root level in backward regions. Apart from Projects Department, there is Training Department exclusively assigned with the tasks related to Skill Development Training Programmes of Target Group. The Organization Chart is depicted at **Annexure-I**.

1.6 Liaison Centres

Your Corporation has three Liaison Centers, which keep liaison with respective State/UT Channelizing Agencies & other Channel Partners and monitor implementation of various schemes in the respective States/UTs. The locations of the Liaison Centers and their jurisdiction are given below:

Sl. No.	Liaison Centers	Jurisdiction
i.	Bengaluru	Tamil Nadu, Telangana, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Puducherry
ii.	Mumbai	Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Goa, Daman & Diu, Dadra Nagar Haveli
iii.	Kolkata	Odisha, West Bengal, Bihar Jharkhand, Chhatisgarh, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura and Sikkim

The Northern States like Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, Uttrakhand and UTs of Delhi & Chandigarh, are being monitored from Head Office, directly.

1.7 Channel Finance System

(i) Your Corporation implements various credit based and non-credit based schemes for the target group through a network of 37 States/UT ChannelizingAgencies (SCAs) spread

across the country that are nominated by respective State Governments/UT Administrations. In addition, your Corporation has also established alternate channels for implementation of schemes through Public Sector Banks (PSBs), Regional Rural Banks (RRBs), Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) and other Institutions. As on 31.03.2022, your Corporation has **53 (after amalgamation of PSBs & RRBs)** Alternate Channelizing Agencies (CAs).

(ii) State/UT-wise list of SCAs/CAs is given at **Annexure-II (A) & (B)**.

(iii) Formulation and sponsoring of project proposals based on local needs, identification of eligible applicants and selection of beneficiaries, documentation with beneficiaries, implementation of schemes and recovery of loans from beneficiaries lies in the domain of the SCAs/CAs.

1.8 Notional Allocation of Funds

At the beginning of each financial year, your Corporation notionally allocates funds to the SCAs, in proportion to the Scheduled Castes population of the Country represented by the respective State/UT.

1.9 Norms for Disbursement of Funds

1.9.1 Norms of SCAs

Before disbursement of funds to the SCAs, the following norms are taken into consideration:

❖ **Guarantee:**

Availability of adequate State Government Guarantee/Bank Guarantee/State Government Order/State Government Assurance.

❖ **Utilization Level:**

There should be a minimum of 80% cumulative utilization level of funds already disbursed as at the end of preceding month for disbursement till February end and cumulative fund utilization level of 80% at the end of preceding day for disbursement of fund in the month of March.

❖ **Repayment of Dues:**

There should not be any overdues more than one year old.

The above norms are followed in case of disbursement under loan schemes. As regards the Educational Loan Scheme introduced w.e.f. 01.12.2009, the conditions of availability of State Government Guarantee and no overdues more than one year old are ensured at the time of sanction of Education Loan.

1.9.2 Norms for PSBs/RRBs

As per the Lending Policy of NSFDC, the PSBs & RRBs (Channelizing Agencies) have to fulfill certain norms to be eligible for disbursement of funds from NSFDC. These norms are given as under:

❖ There shall be no overdue in payments against demand of earlier disbursals.

❖ The cumulative utilization level of earlier disbursements shall be 80% as at the end of

preceding month for disbursement of funds till February end. However, for disbursement of funds in the month of March utilization level of 80% will be considered at the end of preceding day of disbursement.

- ❖ Besides above, the following conditions are to be fulfilled by the Regional Rural Banks (RRBs) based on their Annual Accounts of the preceding financial year:

(a) Net Non-performing Assets (NPA) must be less than 15% in at least 3 years out of last 6 yearspreceding to the year of disbursement.

(b) The RRB must be in profit (net profit)for at least in 3 out of last 6 financial years preceding to the year of disbursement.

(c) Should not be a defaulter of any Regulatory Body.

(d) In case of amalgamated/merged entities, NPA norms of previous years of dominant partner of RRB retained with the same sponsor Bank will be considered.

1.9.3 <u>Norms for Other Organizations</u>

Fixed Deposit lien to NSFDC/Bank Guarantee/Multi-city Post Dated Cheques in favour of NSFDC issued by a Public Sector Bank (PSB).

1.9.4 <u>Norms for NBFC-MFIs</u>

As per the Lending Policy of NSFDC, the NBFC-MFIs (Channelizing Agencies) have to fulfill certain norms to be eligible for disbursement of funds from NSFDC. These norms are given as under:

- ❖ No pending utilization of NSFDC funds for more than one year at the end of the preceding financial year.
- ❖ There should be a minimum of 80% cumulative utilization level of funds already disbursed as at the end of preceding month for disbursement till February end and cumulative fund utilization level of 80% at the end of preceding day for disbursement of fund in the month of March.
- ❖ No overdues payable to NSFDC at the time of disbursement.
- ❖ The disbursement to NBFC-MFIs shall be subject to Security.
- ❖ Under Cluster Mode, Guarantee from Public Sector Bank (PSB) equivalent to the amount to be disbursed or 50% in the form of Post Dated Cheques (PDCs) and 50% Fixed Deposit from PSB. One undated PDC equivalent to the 50% of amount to be disbursed.
- ❖ Under Non-Cluster Mode, Guarantee/Fixed Deposit from Public Sector Bank equivalent to the amount to be disbursed or up to 50% in the form of mortgage of Residential/Commercial property alongwith Personal/ Corporate Guarantee of respective property owner(s) and remaining as Guarantee/Fixed Deposit from PSB.

1.9.5 <u>Norms for Co-operative Banks</u>

As per the Lending Policy of NSFDC, the Cooperative Banks (Channelizing Agencies) have to fulfill certain norms to be eligible for disbursement of funds from NSFDC. These norms are given as under:

- There should not be any overdues payable to NSFDC at the time of disbursement.
- There should be a minimum of 80% cumulative utilization level of funds already disbursed as at the end of preceding month for disbursement till February end and cumulative fund utilization level of 80% at the end of preceding day for disbursement of fund in the month of March, under project-based schemes.

  Besides above, the following conditions are to be fulfilled by the Cooperative Banks based on their Annual Accounts of the preceding financial year:
- Net Non-performing Assets (NPA) of the CA(s) should be less than 5% for the preceding financial year.

Or

Average net NPA for the last 05 financial years should be less than 5%. Further, out of these 05 years, the net NPA of the CA(s) should be less than 5% each year, for at least 03 years.

- CA(s) should have 3 years of continuous profit track record.

Or

- CA(s) should be in profit for at least any 03 out of last 05 financial years.
- CA(s) should not be defaulter of any Regulatory Body.
- Satisfactory Credit Opinion Report of funding organization in respect of the Cooperative society.

1.9.6 Norms for Co-operative Societies

As per the Lending Policy of NSFDC, the Cooperative Societies (Channelizing Agencies) have to fulfill certain norms to be eligible for disbursement of funds from NSFDC. These norms are given as under:

- There should not be any overdues payable to NSFDC at the time of disbursement.
- There should be a minimum of 80% cumulative utilization level of funds already disbursed as at the end of preceding month for disbursement till February end and cumulative fund utilization level of 80% at the end of preceding day for disbursement of fund in the month of March, under project-based schemes.
- Besides above, the following conditions are to be fulfilled by the Cooperative Societies based on their Annual Accounts of the preceding financial year:
  - Central/State Government should be Stakeholder in the Share capital of the Cooperative Society.
  - Central/State Government should have nominated members in the Board of Directors/Governing Body of the Cooperative Society.
  - Net Non-performing Assets (NPA) of the CA(s) should be less than 5% for the preceding financial year.

Or

Average net NPA for the last 05 financial years should be less than 5%. Further, out of these 05 years, the net NPA of the CA(s) should be less than 5% each year, for at least 03 years.

- CA(s) should have 3 years of continuous profit track record.

Or

CA(s) should be in profit for at least any 03 out of last 05 financial years

- The CA should have credit rating of Adequate Safety equivalent to 'A' of CRISIL.
- CA(s) should not be defaulter of any Regulatory Body.
- The CA(s) should not have defaulted in repayment of outside borrowings in the last three years or undergone a corporate debt re-structuring.
- Satisfactory Credit Opinion Report of funding organization in respect of the Cooperative Society.

1.10 Beneficiaries' Eligibility Criteria

The eligibility criteria of applicants for coverage under Corporation's schemes are as under:

(i) Applicants should belong to the Scheduled Caste community.

(ii) Annual family income of the applicants should be within Rs.3.00 lakhs (for both rural and urban areas w.e.f. 08.03.2018) under Credit Based Schemes.

The Annual Family Income Criterion will not be applicable for skill development training programmes. The funds under skill development training programmes shall be provided as per the norms of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India.

1.11 Norms for coverage of Women Beneficiaries

Your Corporation gives importance to adequate coverage of women beneficiaries under its schemes. Consequent upon the recommendation of Task Force on Convergence and Coordination of Government Programmes/Schemes for Educational, Economic and Social Empowerment of Scheduled Castes and OBC women, your Corporation has devised norms to cover 40% women beneficiaries both in financial and physical terms under its schemes.

1.12 Schemes of Corporation

Your Corporation has various Credit Based & Non-Credit Based Schemes for providing financial and other assistance to the beneficiaries. Loans are provided to beneficiaries for various economic activities under Agriculture & Allied, Small Industries and Services including Transport Sectors. Your Corporation also provides loan for pursuing higher education and vocational education & training.

Details of schemes financed by your Corporation for the target group through its SCAs and CAs are as follows:

1.12.1 Credit-Based Schemes

Boutique Shop- NSFDC beneficiary under LVY Scheme at Reasi, Jammu & Kashmir

The various schemes formulated over the years by your Corporation include Term Loan, Micro Credit Finance, Mahila Samriddhi Yojana, Mahila Adhikarita Yojana, Laghu VyavasayYojana, Educational Loan Scheme, Vocational Education & Training Loan Scheme, Green Business Scheme, Stand-up India Scheme, Aajeevika Microfinance Yojana, Udyam Nidhi Yojana, Swachhta Udyami Yojana and SMILE Scheme (Scheme for Marginalized Individuals for Livelihood & enterprise) for the socio-economic development of its target group. Under these schemes, loans are provided at concessional interest rates ranging from 1% to 7% p.a. depending on scheme/quantum of loan extended. Further, the SCAs/CAs are allowed to add 2-3% (except 8% in case of Aajeevika Microfinance Yojana and Udyam Nidhi Yojana) to the aforesaid interest rates under different Schemes and charge interest from the beneficiaries.

1.12.1(A) Unit Costs, NSFDC Share & Interest Rates

Sl. No.	Scheme	Unit Cost	Interest rates per annum chargeable to	
			CAs	Beneficiaries
(i)	Term Loan	Up to Rs.50.00 lakhs. However, interest is charged based on NSFDC share/unit as per the details given below.		
(a)		Up to Rs.5.00 lakhs	3%	6%
(b)		Above Rs.5.00 lakhs & up to Rs.10.00 lakhs	5%	8%
(c)		Above Rs.10.00 lakhs & up to Rs.50.00 lakhs	6%	9%
(ii)	Micro Credit Finance	Up to Rs.1.40 lakh	2%	5%
(iii)	Mahila Samriddhi Yojana	Up to Rs.1.40 lakh	1%	4%
(iv)	Mahila Adhikarita Yojana	Up to Rs.5.00 lakhs	2.5%	5.5%
(v)	Laghu Vyavasay Yojana	Up to Rs.5.00 lakhs	3%	6%
(vi)	Educational Loan Scheme	NSFDC Share is up to 90% of the entire course fee or Rs.20.00 lakhs (India) and Rs.30.00 lakhs (abroad), whichever is less.	1.5% (Men) 1% (Women)	4% (Men) 3.5% (Women)

(vii)	Vocational Education & Training Loan Scheme	For courses of duration up to two years: Up to Rs.4.00 lakhs	1.5% (Men) 1% (Women)	4% (Men) 3.5% (Women)
(viii)	Green Business Scheme	Up to Rs.7.50 lakhs	2%	4%
		Above Rs.7.50 lakhs & up to Rs.15.00 lakhs	3%	6%
		Above Rs.15.00 lakhs & up to Rs.30.00 lakhs	4%	7%
(ix)	Stand-up India Scheme (SI)	Above Rs.10.00 lakhs & upto Rs.30.00 lakhs	6-7%	9-10%
(x)	Swachhta Udyami Yojana	Unit Cost upto Rs.15.00 lakhs	2% (Men) 1% (Women)	4% (Men) 3% (Women)
(xi)	Aajeevika Microfinance Yojana (AMY)*	Up to Rs.1.40 lakh	3% (Men) 2% (Women)	11% (Men) 10% (Women)
(xii)	Udyam Nidhi Yojana#	Up to Rs.5.00 lakhs	4%	12%
(xiii)	SMILE Scheme (Scheme for Marginalized Individuals for Livelihood & enterprise)	Up to Rs.5.00 lakh	Up to Rs.4.85 lakh	2%

* Aajeevika Microfinance Yojana is implemented through NBFC-MFIs
#Udyam Nidhi Yojana is implemented through Co-operative Societies/Banks.

1.12.1(B) <u>Means of Finance</u>

As per your Corporation's Lending Policy, the Corporation (NSFDC) provides loans up to 90% of unit cost except in the case of Term Loan, SMILE and Vocational Education & Training Loan Scheme where it is 95%, 97% and 100% respectively. The channelizing agencies and/or promoters provide the remaining amount of the cost of the project.

Optical Shop- NSFDC beneficiary under LVY Scheme at Kottayam, Kerala

1.12.1(C) <u>Promoter's Contribution</u>

In order to have promoter's stake and involvement in the project, promoter's contribution is insisted under Term Loan

projects costing above Rs.1.00 lakh per unit as per the details given below:

Sl. No.	Project/Unit cost	Minimum Promoter's Contribution as %age of Project Cost
(i)	Projects costing up to ₹1.00 lakh	Not insisted upon
(ii)	Projects costing above ₹1.00 lakh & up to ₹ 5.00 lakhs	2%
(iii)	Projects costing above ₹5.00 lakhs & up to ₹ 10.00 lakhs	3%
(iv)	Projects costing above ₹10.00 lakhs & up to ₹ 50.00 lakhs	5%

1.12.1(D) **Subsidy to Beneficiaries**

In all the schemes except Educational Loan Scheme and Vocational Education & Training Loan Scheme, subsidy up to Rs.10,000/- or 50% of the unit cost, whichever is less, is provided by SCAs to the Below Poverty Line (BPL) beneficiaries from Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub-Plan (SCSP) funds released by Ministry of Social Justice & Empowerment to the State Governments. Under Educational Loan Scheme, beneficiaries enrolled in recognized Technical/ Professional courses (after Class XII) are also eligible for interest subsidy during moratorium period, which is provided by the Ministry of Human Resources Development (MHRD) under the Central Scheme of Interest Subsidy for students belonging to economically weaker sections.

1.12.1(E) **Moratorium Period**

Moratorium (Repayment Holiday) for repayment of principal amount is given to beneficiaries after disbursement of loan to enable beneficiaries to gain a firm footing in their business activities. However, no moratorium is offered for payment of interest amount. The scheme-wise moratorium periods are given as under:

Scheme	Moratorium Period
➢ Term Loan	6 months to 12 months depending upon nature of business activity.
➢ Micro Credit Finance	3 months
➢ Mahila Samriddhi Yojana	3 months
➢ Mahila Adhikarita Yojana	12 months
➢ Laghu Vyavasay Yojana	6 months
➢ Educational Loan Scheme	6 months after course completion or getting employment, whichever is earlier.
➢ Vocational Education & Training Loan Scheme	6 months after course completion or getting employment, whichever is earlier.
➢ Green Business Scheme	6 months
➢ Aajeevika Microfinance Yojana	3 months

➢ Stand-up India Scheme of Government of India.	As per the norms of Stand-up India Scheme
➢ Udyam Nidhi Yojana	3 months
➢ Swachhta Udyami Yojana	6 months
➢ SMILE Scheme	12 months

1.12.1(F) Repayment Period

The repayment period of loans is broadly fixed on the basis of assessment of cash flow generation, life of the project assets and gestation period of projects. Repayment periods under different schemes and activities are given below:

Schemes	Repayment period
Term Loan Schemes	
Land Based Activities (Agricultural Land Cultivation, Horticulture & Irrigation etc.)	Up to 10 years
Transport Activities (Autorickshaws, Jeeps, Load Carriers, etc.)	Up to 5 Years
Small Industries	Up to 5 years
Service Sector Activities	Up to 5 years
Mahila Adhikarita Yojana	Up to 10 years
Laghu Vyavasay Yojana	Up to 6 years
Vocational Education & Training Loan Scheme	For courses of duration up to two years: Up to 7 years
Educational Loan Scheme	Up to 10 years (for loans up to ₹7.50 lakhs) & up to 15 years (for loans above ₹7.50 lakhs)
Micro Credit Finance	Up to 3½ years
Mahila Samriddhi Yojana	Up to 3½ years
Green Business Scheme	Up to 10 years
Aajeevika Microfinance Yojana	Up to 3½ years
Stand-up India Scheme	As per the norms of Stand-up India Scheme of Government of India.
Udyam Nidhi Yojana	Up to 6 years
Swachhta Udyami Yojana	Up to 10 years
SMILE Scheme	Up to 7 years

1.12.1(G) **Second time loan facility**

Beneficiaries, if they have availed first time loan under any of the NSFDC Scheme, after repayment of entire loan within the stipulated period, are eligible for availing loan under any Scheme of your Corporation subject to the following two conditions:

(a) full repayment of earlier loan in time and

(b) submission of Field Report on actual asset creation and successful running of the business.

1.12.1(H) **Sector-wise illustrative list of projects financed**

Projects financed under various Credit Based Schemes are categorized into four major sectors namely Agriculture & Allied, Small Industries, Services & Transport and Educational Loan Scheme. Illustrative list of projects under different sectors are given as under:

Agricultural & Allied Sector	
➢ Agricultural Land Purchase	➢ Tractor Trolley
➢ Poly House	➢ Power Tiller With Trolley
Industries Sector	
➢ Flour Mill & Chilly Mill	➢ Fly Ash Bricks Manufacturing
Service & Transport Sector	
➢ Mini Venture	➢ Tent House
➢ Kirana & Cool Drinks	➢ Centering Materials
➢ Mini Hotel	➢ Medical Shop
➢ Mini Super Bazar	➢ Leather Chappal Mfg. Unit
➢ Concrete Mixture	➢ DTP with Laser & Screen
➢ Internet with Xerox Machine	➢ Advocate Office
➢ Mini Super Bazar	➢ Fast Food
➢ Mushroom Processing	➢ Guest House Cum Lodge
➢ Green Business (E-Rickshaw)	➢ Auto Taxi
➢ Pickup Van	➢ Jeep Taxi
➢ Auto Trolley Goods	➢ Small Business
➢ Taxi Car	➢ Auto Goods Carrier
➢ Small Business (Agriculture & Allied)	➢ Auto Passenger
Educational Loan Scheme	
➢ Engineering (Diploma in Electrical, Mechanical Engineering, Plastic Technology, B.E, B. Tech., M.Tech., etc.)	➢ Nursing (B.Sc.)
➢ PG Diploma in Transportation Design	➢ Information Technology (BCA/MCA)
➢ Architecture (B.Arch)	➢ Management (BBA/MBA)
➢ Medical (BAMS/BHMS/MBBS/ MD)	➢ Law (LLB/LLM)
➢ Pharmacy (B. Pharma/M. Pharma)	➢ Dental (BDS)
➢ Hospitality & Hotel Management (B.Sc.)	➢ Education (PTC/B.Ed)

1.12.2 **Non-Credit Based Scheme**

1.12.2(A) **Skill Development Training Programmes**

- Your Corporation sponsors Skill Development Training Programmes for persons of the target group in employable sectors such as Apparel, Electronics, Furniture & Fittings, Leather, Rubber and Petrochemicals, Textile, Telecom, Capital Goods, Logistics, Food Processing, Handicrafts and Carpet, Instrumentation and Automation, Domestic Worker, Beauty & Wellness, Life Science, Power, Sports & Physical Education, Healthcare, Construction, Tourism & Hospitality, Media & Entertainment, Infrastructure, etc. The training programmes, in addition to technical skills also provide trainings in soft skills.

NSFDC sponsored 'Geriatric Aide' Training Programme conducted by Apollo Medskills Ltd. at Delhi

- These programmes are conducted through Government/Semi Government/ Autonomous Institutions, Universities/Deemed Universities/ Sector Skill Councils/Sector Skill Councils affiliated training providers, and the trainees are provided free training and stipend @Rs.1,500/- per month for non-residential training programmes. For residential training programmes, the boarding and lodging charges are provided, as per the Common Cost Norms (CCN) issued by the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE), Government of India, from time to time.

NSFDC sponsored 'Certificate Course in CNC Milling' Training Programme conducted by MSME-Indore

- The trainees are also provided placement assistance through Training Institutions and/or entrepreneurial guidance to start their own ventures with financial assistance from your Corporation through State Channelizing Agencies/Channel Partners.

- During the year 2020-21, Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJ&E) launched a new Central Sector Scheme in the name of Pradhan Mantri-Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH) Yojana to provide Grants-in-Aid to its Apex Corporations

(including NSFDC) for implementation of skill development trainings programmes for their target groups. There are four components of PM-DAKSH Yojana viz; (i) Up-skilling/Re-skilling with duration of normally 35-60 hours/5 to 35 days, (ii) Entrepreneurship Development Programme with duration of normally 90 hours/15 days, (iii) Short Term Skill Development Training Programmes with duration of normally 300 hours and up to 3 months, and (iv) Long Term Skill Development Training Programmes with duration of normally 650 hours or 7 months.

NSFDC sponsored 'Production Supervisor-Sewing' Training Programme conducted by ATDC at Dilshad Garden, Delhi

- From the financial year 2021-22, the skill development training programmes under PM-DAKSH Yojana, are being implemented through a dedicated PM-DAKSH Portal (www.pmdaksh.dosje.gov.in).

1.12.2(B) **Marketing Support to Beneficiaries**

Your Corporation provides platform to the beneficiaries making saleable products for selling their items at selected exhibitions and fairs.

1.12.2(C) **Free Stalls to Beneficiaries at Exhibitions/Fairs**

(i) Your Corporation participates in National and International Exhibitions & Fairs and provides free Stalls to beneficiaries for exhibiting and selling their products.

(ii) Participation in these exhibitions provides the beneficiaries an opportunity not only to sell their products but also to interact with customers, dealers, exporters and assess the needs/ requirements for development of new products.

1.12.2(D) **Marketing Training to Beneficiaries**

In order to provide beneficiaries with various inputs relating to marketing and developing/re-designing of artisan products as per customers' needs, marketing training is provided. In such training programmes, emphasis is given on how to modify products to suit customers' needs with input of better Over The Counter (OTC) salesmanship.

1.12.2(E) **Awareness Camps**

Awareness camps are conducted in various States to generate mass awareness among the target group about the schemes of your Corporation. During these camps, presentations are made and brochures & pamphlets on Corporation's schemes are distributed among the attendees. Successful

beneficiaries are invited to address the gathering about their experiences of availing loans under Corporation's schemes and other activities related to business.

2. MANAGEMENT DISCUSSIONS AND ANALYSIS REPORT

2.1 Achievements during the year

2.1.1 Sanction of Proposals

During the year, your Corporation sanctioned proposals worth Rs.574.47crores to the SCAs/CAs for implementation of schemes.

2.1.2 Disbursement of Funds

During the year, your Corporation disbursed Rs.572.01 crores i.e. 86.62%of total funds available as against the target of 100% ('Excellent' target under MoU) to the SCAs/CAs for implementation of schemes to benefit 76,219 beneficiaries.

2.1.2(A) Scheme-wise details of disbursement & beneficiaries covered

The scheme-wise disbursement & beneficiaries covered for the year 2021-22 and that of previous year are given as under:

Sl. No.	Scheme	Amount (Rs. in crores)		Beneficiaries (Numbers)	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
A. Term Loan Schemes					
(i)	Term Loan	49.47	70.00	1,450	1847
(ii)	Green Business Scheme	5.44	8.78	533	500
(iii)	Mahila Kishan Yojana	0.32	0.00	80	0
(iv)	UdyamNidhiYojana	0.00	0.00	0	0
(v)	Shilpi Samridhi Yojana	0.40	0.00	100	0
(vi)	LaghuVyavasayYojana	405.37	407.75	32,124	35414
(vii)	Educational Loan Scheme	5.63	5.19	284	170
(viii)	Vocational Education & Training Loan Scheme	4.50	0.00	250	0
	Sub Total (A)	**471.13**	**491.72**	**34,821**	**37931**

Sl. No.	Scheme	Amount (Rs. in crores)		Beneficiaries (Numbers)	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
B. Micro Credit Scheme					
(i)	Micro Credit Finance	14.09	14.70	4,245	2,634
(ii)	Mahila Samriddhi Yojana	62.26	62.15	54,785	34,968
(iii)	Aajeevika Microfinance Yojana	0.75	3.43	151	686
	Sub Total (B)	**77.10***	**80.29**	**59,181**	**38,288**
	Grand Total [(A) + (B)]	**548.23**	**572.01**	**94,002**	**76,219**

*In addition to the above, under other Schemes except Educational Loan Scheme (ELS) and Vocational Education & Training Loan Scheme (VETLS), your Corporation has considered the funds disbursed up to Rs.1.25 lakhs per unit as Micro Finance Loan, as per the Reserve Bank of India (RBI) Notification No.RBI/2019-20/95 dated 08.11.2019.

Accordingly, the disbursed funds of Rs.248.25 crores for 61,075 beneficiaries are considered as Micro Finance Loan as well.

2.1.2(B) **Sector-wise details of disbursement & beneficiaries covered:**

Sl. No.	Scheme	Amount (Rs. in crores)		Beneficiaries (Numbers)	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
(i)	Term Loan				
(a)	Primary Sector (Land Purchase, Irrigation and other Allied Activities)	15.81	0.90	332	10
(b)	Secondary Sector (Industries)	0.19	0	2	0
(c)	Tertiary Sector (Services & Transport)	33.47	69.09	1,116	1,837
	Total (a) + (b) + (c)	**49.47**	**69.99**	**1,450**	**1,847**
(ii)	Green Business Scheme	5.44	8.78	533	500
(iii)	Shilpi Samridhi Yojana	0.40	0.00	100	0
(iv)	LaghuVyavasayYojana	405.37	407.75	32,124	35,414
(v)	Micro Credit Finance	14.09	14.70	4,245	2,634
(vi)	Mahila Samriddhi Yojana	62.26	62.15	54,785	34,968
(vii)	Mahila Kishan Yojana	0.32	0.00	80	0
(viii)	Aajeevika Microfinance Yojana	0.75	3.43	151	686
(ix)	Educational Loan Scheme	5.63	5.20	284	170
(x)	Vocational Education & Training Loan Scheme	4.50	0.00	250	0
	Grand Total (i to x)	**548.23**	**572.01**	**94,002**	**76,219**

2.1.2(C)(i) MoU Targets Vs Achievements (2021-22)

Consolidated MoU targets and achievements for the financial year 2021-22 are placed at Annexure-III. As per audited data, the achievements based on self-evaluation, total aggregate score for the financial year 2021-22 comes to 79.05 which confirm to "Very Good" Category.

(i) Revenue from operations (Net of Taxes)

During the year, Revenue from Operations (Net) of your Corporation is Rs.60.98 crores.

(ii) Asset Turnover Ratio

During the year, Asset turnover ratio of your Corporation is 3.27%.

(iii) EBDTA as a percentage of Total Revenue

During the year, EBIDTA as percentage of Revenue (Net) of your Corporation is 66.80%.

(iv) Return on Net Worth

During the year, Return on Net Worth is 2.26%.

(v) Return on Capital Employed

During the year, return on Capital employed is 2.23%.

(vi) Loan Disbursed to Total Funds Available

During the year, Loans Disbursed as %age of total funds available of your Corporation is 86.62%.

(vii) Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries

During the year, Loans Disbursed to Micro Finance Beneficiaries as %age of Total Disbursement is 43.39%.

(viii) Overdue Loans to Total Loans (Net)

During the year, Overdue Loans to total loans (Net) is 20.97%.

(ix) NPA to Total Loans(Net)

During the year, NPA to Total Loans (Net) is 0.74%.

(x) Geographical coverage (Number of States/UTs)

During the year, geographical coverage (Number of State/UTs) is 33.

(xi) Last Mile disbursement to ultimate beneficiary

During the year, the Last Mile disbursement to ultimate beneficiary is 24.95% of total disbursement as on 31.03.2022.

2.1.2(D) Scheme-wise/Sector-wise Disbursement

The performance during 2021-22 is depicted in the following graphs:

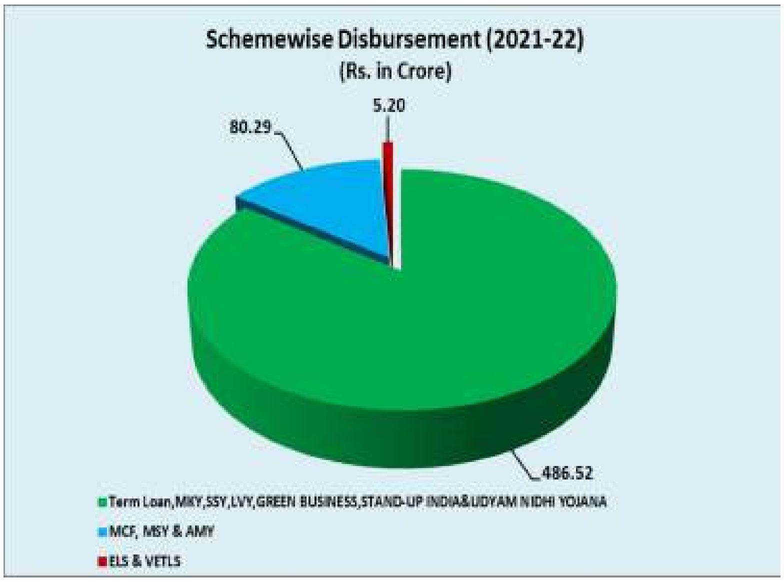

(i) Term Loan Scheme includes Laghu Vyavasay Yojana (LVY), Green Business Scheme (GBS), Stand up India, Udhyam Nidhi Yojana (UNY), Mahila Adhikarita Yojana (MAY).

(ii) Micro Credit includes Micro Credit Finance (MCF), Mahila Samriddhi Yojana (MSY) and Aajeevika Microfinance Yojana (AMY).

(iii) Educational Loan Scheme (ELS) and Vocational Education & Training Loan Scheme (VETLS).

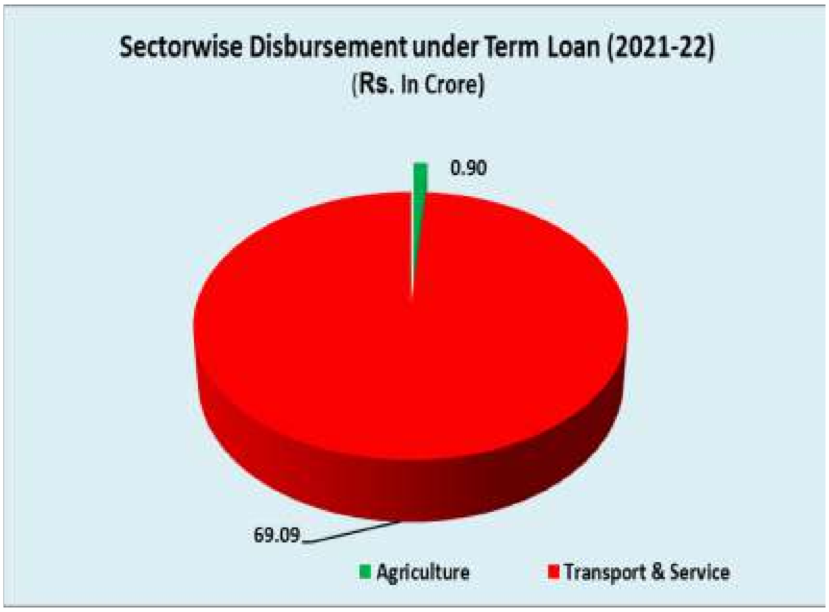

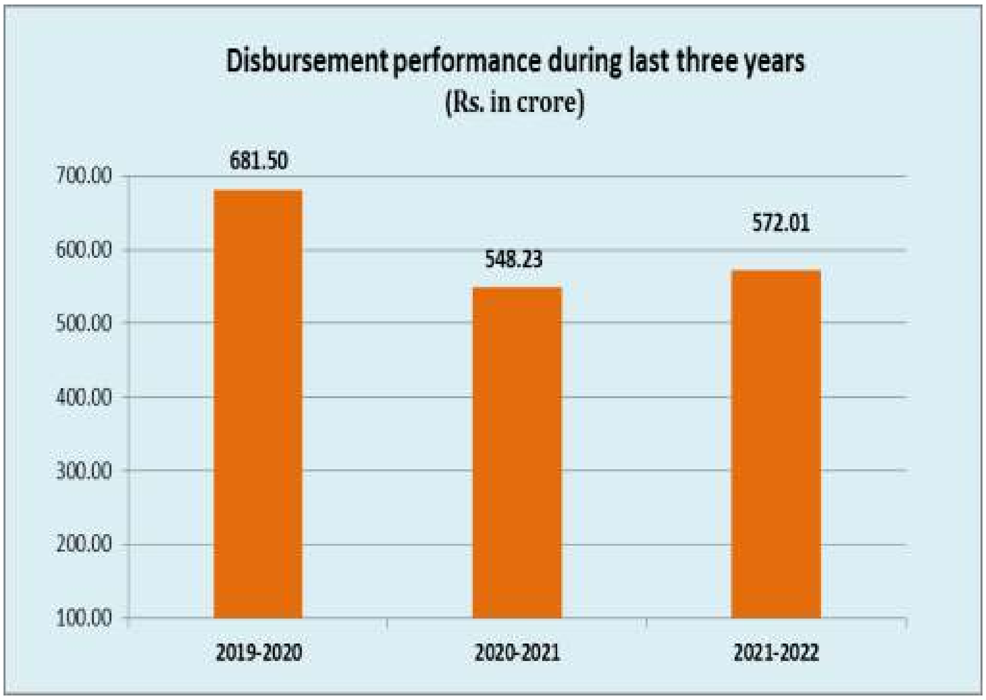

2.1.3 <u>Coverage of Women Beneficiaries</u>

- During the year, your Corporation has provided concessional financial assistance to 52393 women beneficiaries under its various schemes, which constituted 68.74% of the total coverage against the norm of 40% in physical terms.

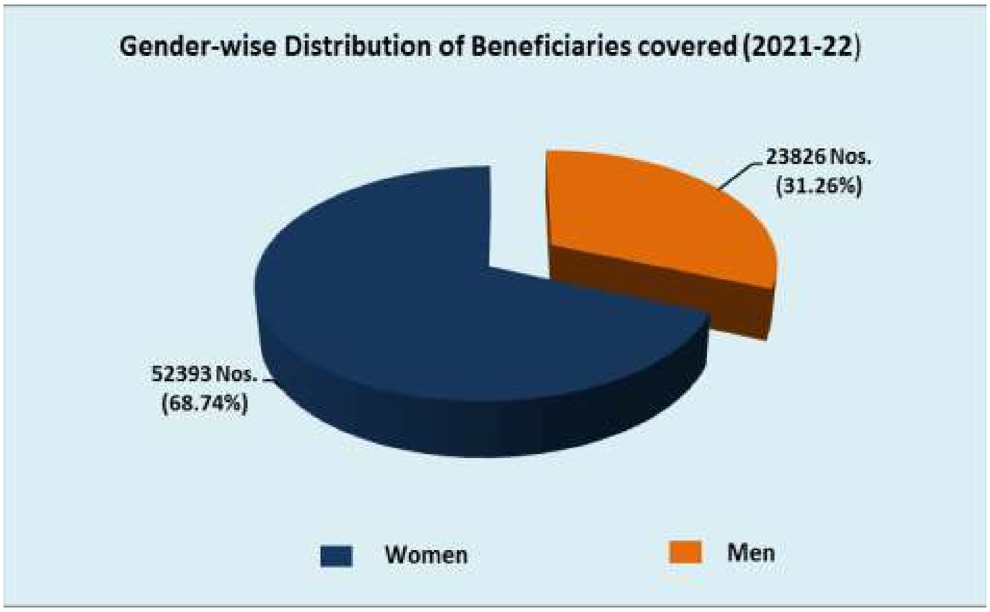

- Similarly, during the year, your Corporation has disbursed ₹264.13 crores for women beneficiaries, which constitutes 46.18% of the year's total disbursement as against the norm of 40% in financial terms.

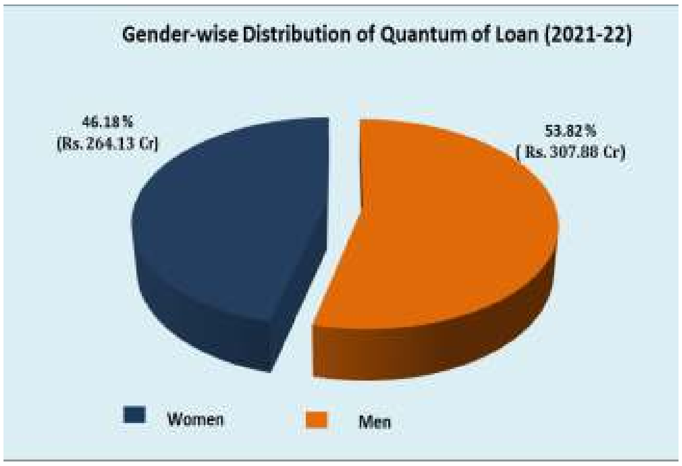

- During the last three years, disbursement to women beneficiaries

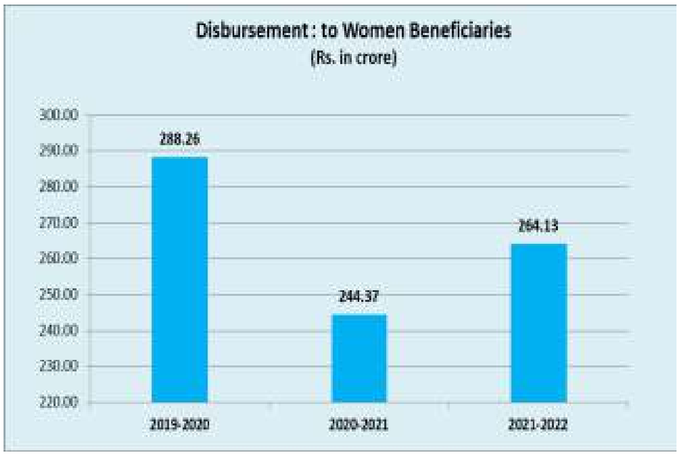

2.1.4 **<u>Coverage of beneficiaries in Rural/Urban Areas:</u>**

During the year, your Corporation covered 53.42% beneficiaries from rural areas and 46.58% from urban areas.

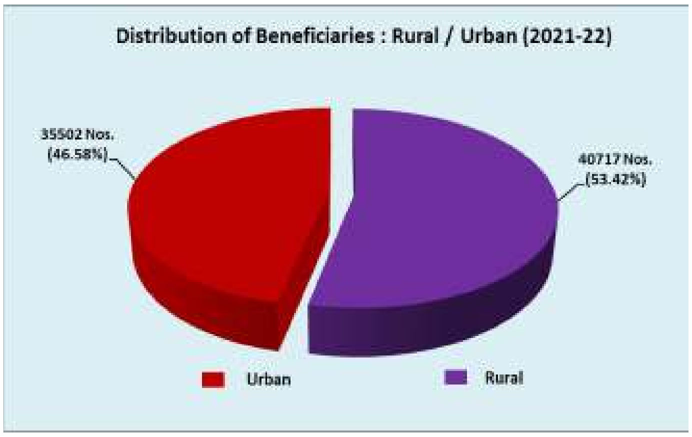

2.1.5 Fund Utilization

During the year, your Corporation took up an intensive drive with all the SCAs/CAs to improve utilization of funds disbursed for implementation of schemes. This resulted in achieving cumulative utilization level of 92.19% as on 31.03.2022.

2.1.6 Coverage of beneficiary–As per the revised annual family income ceiling limits

During the year, as per the utilization report received from channelizing agencies, 72.60% beneficiaries falling under having annual family income up to Rs.1.50 lakhs category and 27.40% falling under having annual family income above Rs.1.50 lakhs & up to Rs.3.00 lakhs category were covered under your Corporation's schemes.

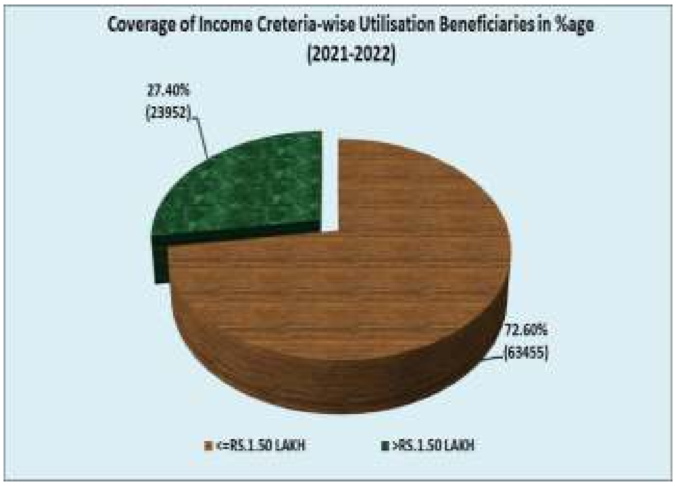

2.1.7 Equity Support Vis-à-vis Cumulative Disbursement

- During the year, your Corporation disbursed Rs.572.01 crores.
- The cumulative equity support as on 31.03.2022 is Rs.1,500.00 crore against which your Corporation achieved cumulative disbursement of Rs.6,951.64 crores covering 14.47 lakhs beneficiaries out of which 8.56 lakhs were women beneficiaries (59.16%).
- The disbursement so far is 4.63 times of equity received from Government of India.

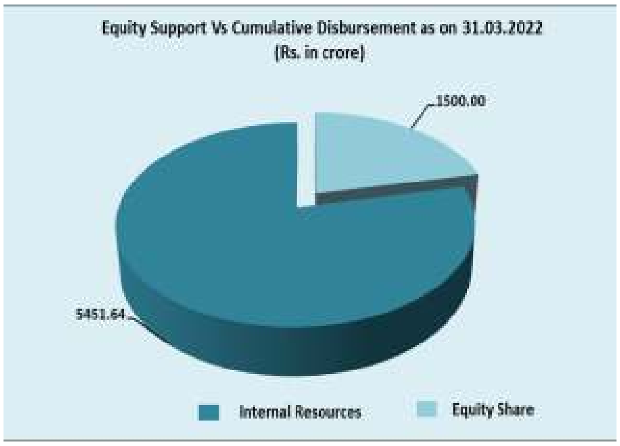

2.1.8 Loan Recovery from the SCAs/CAs

During the year, your Corporation received recovery of ₹488.59 crores from SCAs/CAs.

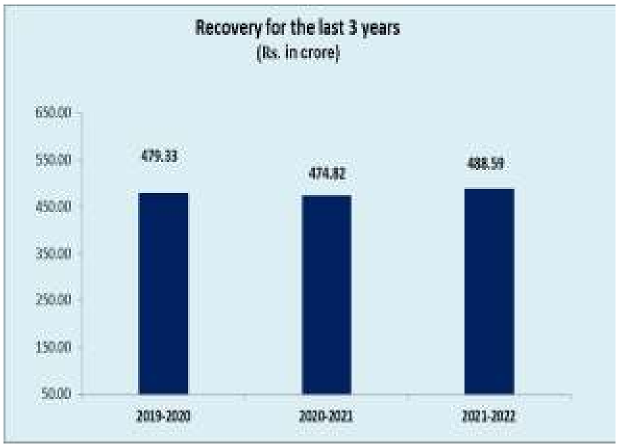

2.1.9 Functioning of SCAs/CAs

Your Corporation adopts channel finance system wherein funds are channelized to the beneficiaries through the SCAs/CAs. At beginning of the financial year, there were 37 SCAs in the normal channel and 50 CAs in the Alternate Channel. During the financial year, your corporation signed MoA with 3 new agencies and thus there are 53 other Channelizing Agencies in the alternative channel with NSFDC. During the year, out of 28 States and 8 UTs, having SC population as per Census 2011, 26 States and 7 UTs have availed funds.

2.1.10 Partnerships

2.1.10(A) Partnership with Government Departments/Established Institutions to leverage the Corporation's objectives

During the year, your Corporation established partnership with the following institutions to leverage the Corporation's objectives:

An MoU was signed on 15.03.2022 by NSFDC with Department of post (India Post)

Sl. No.	Institutions	Objectives
1	MSME Technology Centre IDEMI, Mumbai	For imparting NSFDC sponsored Skill Development Training Programmes under PM-DAKSH Yojana.
2	MSME Technology Centre, Ramnagar	
3	Indo Danish Tool Room (MSME Technology Centre), Jamshedpur	
4	Central Tool Room, Ludhiana	
5	MSME Technology Centre, Rohtak	
6	MSME Technology Centre, Visakhapatnam	
7	MSME Technology Centre, Bhopal	
8	Konoklota Mahila Urban Cooperative Bank, Jorhat, Assam	For implementation of NSFDC Credit/ Loan Schemes in the State of Assam
9	The Goat Trust, Lucknow	For development of Scheduled Castes Cluster
10	NDDB, Anand	

2.1.10 (B) Participation in Exhibiions/Fairs (2021-22)

During the year, your Corporation participated in the following Exhibitions/Fairs to provide marketing platforms for the products of beneficiaries. The details of States/UTs covered and Craft items exhibited in the events are given as under:-

S.No.	Exhibitions	Date	State/UT represented	Craft items exhibited & sold
1	IITF, Pragati Maidan, New Delhi	14-27th November, 2021	Himachal Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Puducherry, Delhi, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Uttarakhand, Maharashtra, Madhya Pradesh and West Bengal	Readymade Garments, Handloom Cloth work, Silk Material, Sarees & Suits, Wooden Toys, Wooden Inlay Crafts/Painting, Pickles, Dress Material, Embroidery, Bed sheets, Block printing, Woollen jacket etc.
2	Surajkund International Craft Mela, Faridabad, Haryana	19th March to 4th April, 2022	Rajasthan, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Bihar, Karnataka, Chandigarh, Punjab, Delhi and Gujarat	Handicraft items, Wooden Inlay paintings, Soft toys, Hand Embroidered & Crochette items, Artificial Jewellery, Wooden Toys, Hand Embroidery Bag, Punjabi Jutti, Bed Sheet, Kurti, Dupatta, Zari Work, Leather work, Barmeri Glass Kashidakari, Bed sheet, Pillow Cover, Cushion cover, Art Metal Ware, Jute Craft items, Moti cloth work, Metal brush, Chanderi Sarees, Khadi Silk, Fiber Articles and Paintings, Leather products, Readymade Garments, Block printing, Madhubani paintings, pickles etc.

During the year, the total sale figure of our beneficiaries in 2 major exhibitions in Delhi and Haryana is as under :-

S. No.	Name of Exhibitions	Date	Sale figures (Rs.)
1.	IITF, Pragati Maidan, New Delhi	14-27th November, 2021	5259050.00
2.	Surajkund International Craft Mela, Faridabad, Haryana	19th March to 4th April, 2022	6000807.00
	Grand Total		**11259857.00**

2.1.11 Composite Awareness Camps in States

During the year, your Corporation participated in 25 Composite/ Awareness Camps to publicize the Ministry's and National Corporations' Schemes at the field level. These camps were organized in Haryana (Ambala), Madhya Pradesh (Piploda, Shahjanpur), Himachal Pradesh (Sirmour, Solan), Uttar Pradesh (Kaushambi, Barai, Bandhwa, Lucknow, Jhansi, Khurja& Gorakhpur), Jammu & Kashmir (Jammu, Samba), Punjab (Jalandhar, Firozpur), Rajasthan (Sriganganagar, Tonk), Chhattisgarh (Bilaspur), Uttarakhand (Ramnagar, Almora, Haridwar), Himachal Pradesh (Solan), Delhi (Mahaparinirvan Divas of Dr. B.R.Ambedkar and awareness programme), Rajasthan (Barmer, Bikaner) and Chandigarh.

"AmritMahotsav 75 of Independence", "Swadeshi Mela" was organized from 17-26 December 2021 in Lucknow by Swadeshi Jagran Manch inaugurated by Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh Sh. Keshav Prasad Maurya.

Sl. No	State/Districts	Programme Detail	Participants /Venue	Date
1	Ambala, Haryana	India @ 75 Celebration	40	05.07.2021
2.	Piploda, Shahjanpur, MP	India @ 75 Celebration	39	07.08.2021
3.	Sirmaur, Himachal Pradesh	India @ 75 Celebration	54	05.08.2021
4.	Kaushambi, Barai, Bandhwa, UP	India @ 75 Celebration	24	11.08.2021
5.	Vill: Kubhara, Block: Mohanlal Ganj, Lucknow, UP	India @ 75 Celebration	68	12.08.2021
6.	Jammu, Jammu and Kashmir	India @ 75 Celebration	52	11.08.2021
7.	Samba, Jammu & Kashmir	India @ 75 Celebration	50	09.08.2021

Sl. No	State/Districts	Programme Detail	Participants/ Venue	Date
8.	Jalandhar, Punjab	India @ 75 Celebration	45	15.08.2021
9.	Firozpur, Punjab	India @ 75 Celebration	52	15.08.2021
10	Sriganganagar, Rajasthan	India @ 75 Celebration	150	12.08.2021
11	Tonk, Rajasthan	India @ 75 Celebration	210	10.08.2021
12.	Vill-Chakarbedha, Bilaspur, Chhattisgarh	India @ 75 Celebration	52	04.09.2021
13.	Ramnagar, Uttarakhand	General Awareness Programme cum Exhibition	Open ground	16th and 17th September, 2021
14.	Solan, Himachal Pradesh	General Awareness Programme cum Exhibition	Open ground	28th - 30th September, 2021
15.	Vill. Kande, Distt: Almora, Uttarakand	India @ 75 Celebration	40	16.10.2021
16.	Jhansi, UP	Awareness Programme on the occasion of 'Maharishi Valmiki Jayanti'		20.10.2021
17.	Vill: VahabPur, Changamajri, Haridwar, Uttarakhand	India @ 75 Celebration	59	25.10.2021
18.	Lucknow, UP	Social Development Programme and Awareness (CRC)	CRC (Composite Regional Centre for Skill Development Rehabilitation and empower-ment of PWDs.	30.10.2021
19.	Delhi	Mahaparinirvan Divas of Dr B.R Ambedkar and Awareness programme	DAIC campus	06.12.2021
20.	Khurja, UP	Awareness Programme in association with CSR- CGCRI	Phoolwari Sabhagrih, Khurja	17.12.2021
21.	Lucknow, UP	Awareness Programme-cum- exhibition in association with Swadeshi Manch	Uttar Pradesh Sangeetevm Nataya Kala Academy, Gomti Nagar, Lucknow	17-26.12.2021
22.	Gorakhpur, UP	Awareness Programme-cum- exhibition under Ujjawal Uttar Pradesh Gorakhpur, 2021	Gorakhpur Circuit house Annexe	24-26.12.2021
23.	Barmer, Rajasthan	Toolkits distribution-cum- Awareness Programme	Gagariya Road, Barmer	21.01.2022
24.	Bikaner, Rajasthan		Dharnidhar Auditorium, Bikaner	24.01.2022
25.	Chandigarh	Loan Mela-cum-Awareness Programme	Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration, Chandigarh	26.03.2022

2.1.12 New Initiatives

- During the year, your corporation took an important initiative by signing MoA with The Goat Trust (TGT), Lucknow (Uttar Pradesh) on 16.11.21. Under the MoA, the NSFDC and TGT shall jointly identify areas of co-operation for the development & management of Scheduled Castes livestock cluster in and around Fatehpur (Uttar Pradesh) and undertake Training & Handholding support for promotion of 150 micro enterprises for initiating Dairy/Meat/Manure etc. as a source of livelihood or efficient management of Small livestock farms.

- Another Memorandum of Understanding (MoU) was signed on 30.12.21 between NSFDC and National Dairy Development Board (NDDB), Anand (Gujarat). Under this MoU, NDDB will provide residential Training and Capacity building to Scheduled Caste Dairy farmers on pro-bono basis at their 06 regional training centers located in Mehsana & Anand (Gujarat), Jalandhar (Punjab), Erode (Tamil Nadu), Banguluru (Karnataka), and Siliguri (West Bengal). Post training and capacity building these farmers will be provided loans at concessional rate of interest by NSFDC. During the year, NDDB has completed Training and Capacity building of 50 dairy farmers of Rajasthan and Gujarat in 03 batches between 21.02.2022 to 31.03.2022.

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between NSFDC and NDDB, Anand (Gujarat) on 30.12.21 at the Headquarters of NSFDC at Scope Minar, Laxmi Nagar, Delhi.

On the occasion of 34th Foundation Day of NSFDC on 8th February 2022, anMoU was signed by NSFDC with AU Small Finance Bank at the Head Office in Delhi.

On the occasion of 34th Foundation Day of NSFDC on 8th February 2022, an MoU was signed by NSFDC with AU Small Finance Bank at the Head Office in Delhi.

2.1.13 Recommendations of External Evaluation Study (2019-20) of Credit and Non Credit Based Schemes

During the year, your Corporation had commissioned external evaluation study of its Credit Based Scheme and Non-Credit Based Scheme to cover 2,700 beneficiaries and 430 trainees (total 3130) respectively, covered in 9 States, namely, Andhra Pradesh, Bihar, Delhi, Gujarat, Karnataka, Odisha, Punjab, Tamil Nadu and Tripura during 2018-19. A brief on the major findings/outcomes of the Study is summarized below:

Credit Based Schemes

Sl.No	Particulars	Details
1.	Number of beneficiaries inspected during the study	2,700 in 9 States
2.	Number and percentage of beneficiaries utilized the assistance for the intended purpose	2,700 100%
3.	Number and percentage of beneficiaries possessed the assets created	2,700 (100%)
4.	Number and percentage of beneficiaries crossed Poverty Line (BPL)	284 (10.52%)
5.	Number and percentage of beneficiaries crossed Double Poverty Line (DPL)	315 (11.66%)*

Non-Credit Based Schemes

Sl.No.	Particulars	Details		
1.	Number of trainees surveyed during the study	430 in 7 States		
2.	Number and percentage of trainees who have expressed satisfaction with the (84%) usefulness of skill development training of NSFDC	361		
3.	Present employment status of the trainees	Job employed	Self-employed	Un-employed
		(27%)	(12%)	(61%)
4.	Monthly salary of the job employed trainees	Average monthly salary is Rs.12,500/-		
5.	Monthly earning of the self-employed trainees	Average monthly earning is Rs.6400/-		

* The study indicates that the status of current employment data was affected by loss of jobs due to the COVID-19 Pandemic during the year 2020.

Year : 2020-21

During 2020-21, NSFDC did not commission any external evaluation studies of its Credit and Non-Credit Based Schemes in view of technical difficulties arising out of pandemic due to COVID-19.

2.1.14 Observing Covid Appropriate Behaviour in work place:

Due to on-going pandemic and rise in number of cases of COVID-19 during the period, the office premise had been sanitized on regular basis as per the government guidelines by your Corporation. RTPCR tests were conducted for all employees by M/s Max Health Care, Gurgaon

and N-95 Masks also distributed to all employees. Further, additional measures such as thermal screening of all employees, limiting the number of visitors in office, duty rosters, strict enforcement of masks, and greater usage of virtual platforms for meeting / conferences among others were taken.

RTPCR tests were conducted for all employees by M/s. Max Health Care, Gurgaon in NSFDC Head Office

2.1.15 <u>External Evaluation (2021-22) of Credit Based Schemes & Non-Credit Based Scheme:</u>

During the year, your Corporation had commissioned and awarded an evaluation study of its Credit and Non-Credit Based Schemes to M/s. Development Oriented Operations Research & Surveys (DOORS), Noida (UP). The study envisages to cover 5790 beneficiaries/trainees trained during 2019-20 and 2020-21 in 11 States.

The State/UT-wise beneficiaries/trainees covered under the study are as under:-

Sl. No	State/UT	Numbers of Beneficiaries	Numbers of Trainees	Total
1.	Chhattisgarh	100	30	130
2.	Haryana	100	110	210
3.	Jharkhand	100	70	170
4.	Kerala	200	20	220
5.	Madhya Pradesh	240	170	410
6.	Maharashtra	150	80	230
7.	Rajasthan	320	100	420
8.	Sikkim	100	0	100
9.	Telangana	100	30	130
10.	Uttar Pradesh	820	380	1,200
11.	West Bengal	2470	100	2,570
	TOTAL	**4,700**	**1,090**	**5,790**

2.1.16 <u>Skill Development Training Programs-Achievements</u>

During the year, your Corporation sanctioned and implemented Skill Development Training Programmes with a cost of Rs.32.88 crore to train 16,395 persons belonging to Scheduled Castes under PM-DAKSH Yojana and disbursed Rs.30.89 crore [including Grants-in-Aid provided by MoSJ&E under the Scheme of Assistance to Voluntary Organization working for the Welfare of SCs, Training (Grant)-Advances & Training Expenses-Beneficiaries, Grants-in-Aid provided by MoSJ&E under the Scheme PM-DAKSH Yojana and CSR Fund mobilized from Profit Making

CPSEs], by developing partnership with 28 Training Institutes. Further, NSFDC executed MoA with 7 new Training Institutes to expand the outreach by implementing the skill development training programmes through them under PM-DAKSH Yojana.

The Skill Development Training Programmes were conducted in various Job Roles/Sectors such as Accounts Executive, Advance Computer Hardware and Network Management, Advance Diploma in Computer Hardware & Networking Management, Apparel/Fashion Designer, Apparel/Fashion Designer, Arise Hand Hold Products, Arise Room Air Conditioner & Home Appliances, Assistant Beauty Therapist, Assistant Carpenter-Wooden Furniture, Assistant Decorative Painter, Assistant Electrician, Auto CAD, Automotive Service Technician (Two & Three Wheelers), Bamboo Mat Weaver, Certificate course in CNC Milling, Certificate course in CNC Turning, Certificate Course in CNC Turning and Milling, Certificate course in Fitter & Rigger, CISCO Certified Network Associate, Decorative Cutter Glassware, Decorative Painter Glassware, Documentation Assistant, Domestic Data Entry Operator, Entrepreneurship Development Programme, Electrician Domestic Solution, Emergency Medical Technician, Lead Carpenter-Wooden Furniture-Lock Installer, Machine Operator, Machine Operator - CNC Milling, Machine Operator - Plastic Processing, Machine Operator Assistant-Plastics Processing/ Plastic Extrusion, Machine Operator-Injection moulding, Machine Operator-Plastics Processing, Master CAM, Master Certificate Course CAD/CAM, Medical Record Assistant, Medical Records and Health Information Technician, Mobile Phone Hardware Repair Technician, Moulding Operator, Operator-Stitching-Footwear, Plumber (General), Production Supervisor (Sewing),Sample Maker-Footwear, Self-Employed Tailor, Sewing Machine Operator, Stitcher-Leather Goods & Garments, Tool & Die Maker, Traditional Hand Embroiderer, Two Shaft Handloom Weaver, Warehouse Associate etc.

Out of 16,395 commenced, 12,970 persons completed their Skill Development Training Programmes and as per information, placement of trainees in Self/ Wage-employment is underway. Further, training in respect of 3,907 persons which commenced during 2020-21, was completed during the year.

The State/UT-wise abstract under Skill Development Training Programmes commenced and completed during 2021-22 is placed at **Annexure-IV**.

2.1.17 Development Scheduled Caste Weaver Cluster

During the year DC (Handlooms) informed revision of NHDP guidelines vide letter dated 25.10.21. Now, Cluster Development Programme will be implemented in place of Block Level Cluster. DC (Handlooms) suggested NSFDC to seek diversion of Rs. 13.30 lakh released during 2019-20 for immediate utilization of funds under 02 sanctioned Handloom Clusters at Block: Bordoloni, Distt.Dhemaji and Block: Agomoni, Distt. Dhubri (Assam) by undertaking

Technology Up-gradation under Hathkargha amvardhan Sahayata (HSS). A proposal in this regard is being submitted.

2.1.18 Development of Scheduled Caste Artisans Cluster

Your Corporation has distributed motorized Sewing machines in the form of Toolkits to 200 SC women artisans engaged in Hand Embroidery at Gadra Road (Barmer) and Poogal (Bikaner), Rajasthan on 21.01.2022 and 24.01.2022 respectively. The event was held under the chairmanship of CMD, NSFDC. Officials of the State Government, NABARD and DC (Handicrafts), HSC, Jodhpur participated in the event. This program was organized under the flagship programme "Azadi Ka Amrit Mahotsav" sponsored by the Government of India. The objective of this program was to make women artisans economically self-reliant and more empowered by distribution of sewing machines as additional source of income.

Distribution of Tool-kit at Handicraft Cluster Development Programme at Barmer (Rajasthan) by Sh. Rajnish Kumar Jenaw, CMD, NSFDC.

Visit to Handicraft Cluster Development Programme at Barmer (Rajasthan) by Sh. Rajnish Kumar Jenaw, CMD, NSFDC.

2.1.19 **The best five performing SCAs for the year 2021-22**

(a) Disbursement availed

Rank	Name of SCA	Amount (Crores)
1.	WBSCSTOBCDFC, West Bengal	63.07
2.	MPBCDC, Maharashtra	58.71
3.	KSDC, Kerala	33.40
4.	TAHDCO, Tamil Nadu	18.18
5.	J&KSCDC, Jammu & Kashmir	16.22

(b) Fund Utilization (Cumulative)

Rank	Name of SCA	%age
1.	APSFC, Andhra Pradesh	100%
2.	SSCSTBCDC, Sikkim	100%
3.	Anik Financial	100%
4.	GSSOBCDC, Goa	99.95%
5.	KSDC, Kerala	98.09%
6.	HSFDC, Haryana	95.90%

(c) Repayments made

Rank	Name of SCA	Amount (crores)
1.	WBSCSTOBCDFC, West Bengal	43.06
2.	APSCFC, Andhra Pradesh	37.26
3.	MPBCDC, Maharshtra	26.07
4.	KSWDC, Kerala	12.72
5.	GSCDC, Gujarat	11.97

(d) Beneficiaries covered

Rank	Name of SCA	Numbers
1.	WBSCSTOBCDFC, West Bengal	32279
2.	KSDC, Kerala	2297
3.	TAHDCO, Tamil Nadu	1995
4.	MPBCDC, Maharashtra	1727
5.	TSCDC, Tripura	1365

(e) **Women Beneficiaries**

Rank	Name of SCA	Numbers
1.	WBSCSTOBCDFC, West Bengal	31555
2.	TAHDCO, Tamil Nadu	1993
3.	KSDC, Kerala	1452
4.	TSCDC, Tripura	825
5.	MPBCDC, Maharashtra	691

2.1.20 **The best performing PSBs for the year 2021-22**

Disbursement availed for PAN India		
Rank	Name of PSB	Amount (Crores)
1.	Union Bank of India	82.62
2.	IOB-HO, Tamil Nadu	30.00
3.	Indian Bank	25.00
4.	Syndicate Bank	14.89

2.1.21 **The best five performing RRBs for the year 2021-22**

Disbursement availed		
Rank	Name of RRB	Amount (Crores)
1.	Tamil Nadu Grama Bank, Tamil Nadu	50.40
2.	Karnataka Vikas Grameena Bank, Karnataka	46.26
3.	Punjab Gramin Bank, Punjab	33.57
4.	Aryavart Bank., Uttar Pradesh	11.85
5.	Karnataka Gramin Bank, Karnataka	10.80

2.1.22 **Initiatives taken to incentivize SCAs**

2.1.22(A) **Incentive Scheme for SCAs for Development of Recovery Infrastructure (ISSDRI)**

Your Corporation has been implementing the scheme since 2007-08 to provide incentive to SCAs @ 0.5% on the total amount repaid by them in a financial year, to such SCAs whose cumulative field recovery is more than 60% at the end of financial year or whose recovery improvement is at least 10 percentage points over the last financial year and who are making 100% repayment to your Corporation.

On the requests of the SCAs, the scheme was liberalized as under:

(i) The SCAs paying 100% to NSFDC, as at the preceding financial year end, are to be

provided 0.5% of the total amount repaid in the year as incentive under ISSDRI subject to the condition that their recovery from beneficiaries being at least 50% or their recovery improvement is at least 5 percentage points over the last financial year.

(ii) The SCAs paying 90% to NSFDC, as at the preceding financial year end, are to be provided 0.25% of the total amount repaid in the year as incentive under ISSDRI subject to the condition that their recovery from beneficiaries being at least 50% or their recovery improvement is at least 5 percentage points over the last financial year.

Since the scheme was well received by the SCAs, its implementation has been extended till 31.03.2022.

During the year, the following SCAs have been provided incentives amount under the ISSDRI for the financial year 2020-21:

Sl. No.	Name of SCA	Incentive Amount (Rs.)
1.	Chandigarh SCs, BCs & Minorities Financial & Development Corporation, Chandigarh.	9,300
2.	Goa State SCs & OBCs Development Corporation Ltd., Goa.	1,884
3.	Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Haryana.	2,29,980
4.	Kerala State Development Corporation for SCs & STs, Kerala.	4,51,000
5.	Kerala State Women's Development Corporation, Kerala.	5,39,767
6.	Uttarakhand Bahu-Udeshiya Vitt Evum Vikas Nigam, Uttarakhand.	7,678
7.	West Bengal SCs, STs & BCs Development & Finance Corporation, West Bengal.	29,17,471
	Total	**41,57,080**

2.1.22(B) Scheme of 'National Award for Performance Excellence' (NAPE)

Your Corporation had been implementing a Scheme of 'Mechanism of Rating of SCAs & Awards for Better Performance' since 2007-08 to provide incentives to better performing SCAs.

The Scheme has been revised as 'National Award for Performance Excellence' (NAPE). The revision in the Scheme was made keeping in view the current priorities of the Government of India.

The new Scheme is implemented with effect from 2016-17 with a total budget of around ₹45.00 lakhs per year.

Under the "National Award for Performance Excellence", the SCAs would be provided performance incentives as under:

Category	Parameter	Prize			Total
		1st	2nd	3rd	
I	The SCAs availing funds from NSFDC against their Notional Allocation up to ₹3.00 crores in a particular financial year	5.00	3.00	2.00	10.00
II	The SCAs availing funds from NSFDC against their Notional Allocation more than ₹3.00 crores and up to ₹10.00 crores in a particular financial year	7.00	5.00	3.00	15.00
III	The SCAs availing funds from NSFDC against their Notional Allocation more than ₹10.00 crores in a particular financial year	10.00	6.00	4.00	20.00
	Total	**22.00**	**14.00**	**9.00**	**45.00**

2.1.23 Initiatives taken for the Beneficiaries

Introduction of a new Scheme - Scheme for Marginalized Individuals for Livelihood & Enterprise (SMILE) with details as given below:

Scheme	Unit Cost	Maximum Loan limit up to 97% of Unit Cost	Interest Per Annum		Repayment Period
			SCA/CA	Beneficiary	
SMILE Scheme (Scheme for Marginalized Individuals for Livelihood & Enterprise)	Up to Rs. 5.00 lakhs	Rs. 4.85 lakhs (97%)	2%	4.5%	Within 7 years

3. FINANCIAL PERFORMANCE w.r.t. OERATIONAL PERFORMANCE

3.1 Income & Expenditure Account

(i) During the year, the Revenue from Operation (Net) of your Corporation is Rs.60.98 crore. During the year, the Operating Profit or Surplus / Revenue from Operation (Net) of your Corporation is 60.42%.

(ii) During the year, 2020-21, the income of the Corporation has increased form Rs.72.52 crore to Rs.72.90 crore.

(iii) The total Expenses including employees cost has decreased from Rs.24.66 crore to Rs.21.22 crore in 2020-21.

(iv) Excess of Income over Expenditure (EOIOE) during the year 2021-22 is Rs.48.76 crore as against Rs.47.86 crore during 2020-21.

3.2 Appropriation of Profit

The Corporation transfers 10% of EOIOE to the Special Reserve Fund and balance to General Reserve. Accordingly, Rs.4.46 crore is appropriated to Special Reserve fund and Rs.40.06 crore is transferred to General Reserve to be ploughed back for further disbursement.

3.3 Earning Per Share

Earning per Equity Share during 2021-22 is Rs.32.52 & Rs.32.52 (Basic & Diluted) as against Rs.31.90 & Rs.31.90 (Basic & Diluted) for 2020-21.

4. IMPROVEMENT IN FUNCTIONING OF THE CORPORATION

4.1 MoU Rating (2020-21)

Your Corporation had submitted Self Evaluation Performance Report of the MoU for the Financial Year 2020-21 based on the Audited Data, to the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India through Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India. Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India has given MoU Composite Score of 45.76 and rated the performance of your Corporation as "Fair".

4.2 Changeover of Quality Management System Certification Licence from IS/ISO 9001:2008 to IS/ISO 9001:2015

Your Corporation is an ISO Certified Organization and conform to all the requirements of Quality Management System (QMS) Certification, as per ISO standards of Bureau of Indian Standards (BIS).

NSFDC's Quality Management System Certification Licence, after successful completion of Surveillances-cum-Changeover Audit, as per all the requirements of QMS Certification, as per ISI/ISO 9001:2015, was revised from IS/ISO 9001:2008 to IS/ISO 9001:2015 by the Bureau of Indian Standards (BIS) in 2019-20. Thereafter, on satisfactory completion of Renewal Audit as per ISI/ISO 9001:2015, in the month of December, 2020, renewal of License has been recommended for a further period up to November, 2022.

4.3 Strengthening of MIS

- Your Corporation has implemented eOffice for digital processing of file related to Projects, Finance, Skill Training and other departments. All the officials posted at Head Office and Liaison Centres have been allotted with eOffice user license. Additionally, the officials are allotted with NIC VPN to access eOffice from outside networks and remote locations.
- Beneficiary Enquiry and Application Management (BEAM) mobile app has been developed to facilitate citizens to submit enquiries pertaining to Business Loan, Education Loan and Skill Training. The mobile app also facilitate officials of your Corporation and other SCAs to capture loan and skill training enquiries of visitors who attend Awareness Camp, Mela etc. The mobile app is currently available as "NSFDC BEAM" on Google Play Store for downloading by general public.
- Your Corporation has hosted and maintaining a dynamic, disabled friendly, bilingual website which is in compliance with the Guidelines for Indian Government Website (GIGW). The website is hosted at NIC cloud server which is secured by Secure Sockets Layer (SSL) certificate and regular security audit.
- Your Corporation maintains database for project related data in an in-house devised module for generation of various reports. For comprehensive protection of data, hardware & network against various viruses, spyware, adware and other malicious programmes, your Corporation has installed antivirus software, which is updated periodically. To strengthen IT equipments, PCs, accessories and peripherals were procured during the reported year.

5. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

5.1 Human Capital & Training of NSFDC Staff

The manpower of the Corporation as on 31st March, 2022 is 77 personnel deployed in Head Office and three Liaison Centers of the Corporation. The Corporation regards training and development as a function concerned with organizational activity aimed at improving the job performanceof individuals and groups in organizational settings. In order to align the skill of its human resource with the latest requirements of acts, rules and business goals, besides conducting in-house training programmes, the officers and staff of the Corporation were nominated for online virtual training programmes conducted by various premier institutions during Covid-19 pandemic. The details of the Trainings and Institutions in this regard are as under:

Sl. No.	Name of Training Programme	Training Programme Conducted by
1.	Online Training on E-office	Directorate of Postal Insurance
2.	Online Workshop on Government e-Marketplace (GeM)	NAHRD, Delhi
3.	On-line Training on E-office	NISD, MOSJ&E
4.	Orientation Course in Record Management	National Archives of India, New Delhi
5.	Virtual Session on Demystifying Form CSR-2	International Centre for Socially Responsible Businesses (ICSRB), Delhi.

5.2 Representation of SCc, STs, OBCs and PwBD category of employees in the Corporation

Your Corporation has followed the Government's policy on reservations and concessions for SCs, STs, OBCs and PwBD Categories. As per Department of Personnel and Training (DoPT), Ministry of Personnel, PG and Pensions OM No.36035/17/2008-Estt.(Res) dated 14.11.2008 received through MoSJ&E letter No.1-4/2009-CDN dated 4.6.2009, the required data in the prescribed format pertaining to representation of SCs, STs, OBCs and PwBD Categories, are placed at **Annexures-V, VI and VII** respectively.

5.3 Measures to give special consideration to Minorities in recruitment:

Your Corporation has been observing the directives and guidelines contained in OM No.39016/7(S)/2006-Estt.(B) dated 8.7.2007 of Department of Personnel & Training (DoPT) and Prime Minister's-15 point programme for welfare of Minorities which inter-alia envisage special consideration in recruitment of Minorities.

5.4 Sexual Harassment of Women at Work Place:

The Corporation has zero tolerance for sexual harassment at work place and in compliance of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, your Corporation has reconstituted 'Internal Complaints Committee' at Head Office and Liaison Centres level as on 09th July, 2019 to look into the incidents/complaints of Sexual Harassment in organization's premises, if any. The names and contact details of all ICC members were prominently displayed on board of Head Office and all Liaison Centres. All the information relating to Internal Complaints Committee, SHWW Act, Handbook, SHe-Box link (http://www.shebox.nic.in/user/faq) and E-mail ID (nsfdc.shwwicc@gmail.com) have been made available at the website of NSFDC.

The Corporation released a short video titled with 'Sparsh' based on awareness of Good touch and

Bad touch on 8th March, 2021 on the occasion of International Womens Day.

Meetings of the ICC

During the year, four meetings of NSFDC Internal Complaint Committee (ICC) for Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace was held on 28.06.2021, 27.09.2021, 28.12.2021 & 28.03.2022.

Annual Report of the ICC for SHWW

Further, in compliance of Section 22 of the Act, the Annual Report on incidents of Sexual Harassment is as under:

1	Number of complaints of Sexual Harassment received in the year	NIL
2	Number of complaints disposed off during the year	Not applicable
3	Number of cases pending for more than 90 days	Not applicable
4	Number of workshops on awareness programme against sexual harassment carried out	NIL
5	Nature of action taken by the employer	Not applicable

6 OTHER ACHIEVEMENTS

6.1 Progressive use of Official Language (OL)

NSFDC is committed to promote the use of Official Language Hindi in official work of corporation as per Official Language Policy of Union and Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The work of Hindi Implementation is done by Manager, Executive and Jr. Executive under HR & Administration Department headed by a Deputy General Manager.

6.1.1 Implementation of Official Language Policy

In pursuance of the Official Language Policy of the Government of India, all documents covered under section 3(3) of the Official Language Act, 1963 were issued both in Hindi and English. Annual Programme 2021-22 and other orders/instructions issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs were forwarded to all the Departments/Sections/Liaison Centres of NSFDC for their compliance. Check Points identified and prepared to ensure compliance of Official Language Policy.

6.1.2 Meeting of Official Language Implementation Committee

Committee of Official Language Implementation exist as per OL Policy in NSFDC under the chairmanship of Chairman cum Managing Director of NSFDC for ensuring compliance of progressive use of Hindi in NSFDC and its meetings held regularly in each quarter. During the year, four meetings of NSFDC Official Language Implementation Committee were held on dated 23.06.2021, 24.09.2021, 16.12.2021 and 28.03.2022. The Committee chalked out strategies to

implement and ensured compliance of the constitutional provisions of the Official Languages Act, 1963 (as amended in 1967) and Official Language Rules, 1976 with a view to achieve the targets prescribed in the Annual Programme 2021-22. The Committee periodically reviewed the progress made in this regard and suggested and recommended measures to be taken for the effective implementation of the same.

6.1.3 Organising of Hindi Workshop

During the year, five In-house workshops were conducted on 30.06.2021, 16.09.2021, 21.09.2021, 02.12.2021 and 31.03.2022 for the staff members of NSFDC for improving the skill in using Official Language including encouragement of writing noting and drafting in Rajbhasha Hindi, Hindi Typing in Unicode with In script/Transliteration/Google voice typing tools on computer, Feeling Hindi QPR, working on e-office in Rajbhasha Hindi, working on MS-office and Excel in hindi, Kanthasth Application besides sharing knowledge of the latest provisions of the Official Language Policy of Union.

Organising Hindi workshop during from 14-28 September 2021 in Head Hindi Pakhwada Office.

6.1.4 Hindi Diwas and Hindi Pakhwada

During the year, Hindi Diwas was celebrated on 14th September, 2021. Minister of Home Affairs, Minister of Social Justice and Empowerment and Chairman-cum-Managing Director, NSFDC's messages were read out on this occasion. In order to encourage the use of Official Language Hindi in official work amongst officers/staff during 14-28 September, 2021 'Hindi Pakhwada' was celebrated at the Head Office and Liaison Centres of the Corporation. During the Week various competitions like Hindi Noting/Drafting, Hindi Typing Competition on Computer, Hindi Gyan and Hindi Essay competitions were organized at Head office, Delhi and for LCs Hindi Nibandh Pratiyogita was organized. All the winners of various competitions were awarded with cash prize.

Organising Hindi Diwas 14 September 2021 in Head Office.

Besides this, during the year under review NSFDC Started one new Hindi Essay Competition for the Children of employees who are below 18 years in two age groups. This competition was successful. All six winners of this competition were awarded with cash prize and trophy.

6.1.5 <u>Hindi Incentive Schemes</u>

During 'Rajbhasha Mah' employees were awarded for doing more and more work in Hindi for the Financial Year 2020-21 in different schemes like (1) Mool Hindi Tippan/Alekhan protsahan yojana, (2) Incentive scheme for awards to officers for giving maximum dictation in Hindi, (3) Hindi Stenography and Typing Incentive Allowance Scheme for doing official work in hindi, (4) Rajbhasha Chal Shield, (5) Shri Shankar Dayal Singh Rajbhasha Samman Yojana and (6) Staff ka Samvartee mulyankan puraskar yojana,. The award under Shri Shankar Dayal Singh Rajbhasha Samman Yojana was given to Shri Surender, AM, Skill Training Department for doing commendable work in Rajbhasha Hindi. Rajbhasha Chal Shield was awarded to Finance Department and every staff of department has been awarded with cash and special batch.

6.1.6 <u>House Magazine</u>

During the year, the house magazine of the Corporation was published from January to March, 2021 and April-June, 2021. Whose e-version was also released.

6.2 <u>Observance of Vigilance Awareness Week</u>

During the year, your Corporation as per the instructions of the Central Vigilance Commission (CVC) observed the Vigilance Awareness Week, 2021 from 26.10.2021 to 01.11.2021 on the theme **"Independent India@75 : Self Reliance with Integrity" – ''स्वतंत्र भारत /75, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता''.**

The Vigilance Awareness Week 2021 was inaugurated on 26.10.2021 with the administration of Integrity Pledge for Organizations and Citizens, to the Officers and Employees of your Corporation. The officials were addressed by Chief Vigilance Officer on the importance of Vigilance. Similarly, Vigilance Awareness Week also commenced with the Administration of Pledge by Liaison Officers and employees of your Corporation in the respective Liaison Offices as well.

The message of Hon'ble President of India, Hon'ble Vice-President of India, Hon'ble Prime Minister of India, Hon'ble Home Minister of India and Chief Vigilance Commissioners were also displayed on the Notice Board for the benefit of officials/employees of your Corporation. The NSFDC Whistle Blower Policy was also displayed on the Notice Board for information of all the employees.

In house programme were chalked out and organized by your Corporation during the Vigilance Awareness Week. Banners and slogans on Vigilance were displayed in the Office to draw the attention of Officers and Employees to make them appreciate & perceive the need to fight

corruption and promote honesty, integrity & transparency.

Further, a list of Do's and Don'ts, Misconducts defined under the NSFDC Conduct, Discipline and Appeal Rules and NSFDC policy on Whistle Blower was displayed on the Notice Board to sensitize the officials / employees of the Corporation.

Further during the Vigilance Week, an Essay Competition on "Independent India@75 : Self Reliance with Integrity"–''स्वतंत्र भारत /75, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता'' was organised on 27.10.2021 for the NSFDC employees and prizes were given to the winners.

The Skill Training partners of NSFDC, namely, Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET), Lucknow (Uttar Pradesh), Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET), Bhopal (Madhya Pradesh), and Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET), Kochi (Kerala), observed Vigilance Awareness Week at their respective locations.

6.3 Implementation of Right to Information Act, 2005

Your Corporation has been implementing the Right to Information Act, 2005 since October, 2005.

I. Details of Corporation's functions along with its functionaries etc. have been placed on Corporation's Website (www.nsfdc.nic.in).

II. Manuals as required under the Act have been updated and put on the Website.

III. The Corporation also designated Appellate Authority, Transparency Officer and Public Information Officer as required under the Act.

IV. This Corporation is implementing RTI online through alignment on RTI online portal managed by DoP&T since its inception in the year 2016-17.

V. During the year,60 applications and 07 appeals were received. All applications received during the year were disposed-off within the specified time limit.

VI. With respect to DOPT's OM No.1/6/2011-IR dated 15.04.2013 & 10.12.2013, this Corporation has complied with the the guidelines on implementation of suo-motu disclosures under Section 4 of RTI Act, 2005 within the time limit. During 2020-21 as per the evaluation made by the CIC, NSFDC scored 762 marks out of 778 (97.94%) after the third party audit carried out by ISTM , New Delhi of Self-Appraisal made by NSFDC in the frame work of Transparency Audit. The suo-motu disclosures published by NSFDC are available at https://nsfdc.nic.in/en/disclosures -under-section-4-of-the-rti-act.

VII. The status of RTI applications as reported to Central Information Commission on-line, in each quarter during the financial year 2021-22 is as given below:-

	Opening Balance at beginning of the Quarter	No. of applications received as transferred from other PAs u/s 6(3)	Received during the Quarter (including cases transferred to other PAs)	No. of cases transferred to other PAs u/s 6(3)	Decisions where requests/ appeals rejected	Decisions where requests/ appeals accepted
Progress during 1st Quarter (April to June, 2021)						
Requests	2	1	12	1	4	7
First Appeals	0	N.A.	2	N.A.	0	2
Progress during 2nd Quarter (July to September, 2021)						
Requests	3	7	11	0	3	13
First Appeals	0	N.A.	0	N.A.	0	0
Progress during 3rd Quarter (October to December, 2021)						
Requests	5	1	13	3	3	8
First Appeals	0	N.A.	2	N.A.	0	2
Progress during 4th Quarter (January to March, 2022)						
Requests	5	1	14	4	2	14
First Appeals	0	N.A.	3	N.A.	0	3
	Total No. of CAPIOs designated		**Total No. of CPIOs designated**		**Total No. of TOs designated**	**Total No. of AAs designated**
	0		1		1	1

Block II (Details about fees collected, penalty imposed and disciplinary action taken)

	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter
Registration Fee Collected (in Rs.) u/s 7(1)	30	40	30	10
Additional Fee Collected (in Rs.) u/s 7(3)	30	210	350	0

VIII. As per the fourth Quarterly Report on RTI uploaded on the CIC Website, there was 01 RTI application pending as on 31.03.2022.This application was subsequently replied within the stipulated time.

6.4 Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Earnings and Outgo

The activities undertaken by your Corporation do not fall under the purview of disclosures of particulars under Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, in so far as it relates to the Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Earnings and Outgo.

6.5 Annual Return

In accordance with the Companies Act, 2013, the annual return in the prescribed format available at http://www.nsfdc.nic.in/uploadedfiles/other/2022-11-22/annualreturn21-22.pdf.

7. PARTICULARS OF EMPLOYEES AND RELATED DISCLOSURES

In terms of the provisions of Section 197(12) of the Act Read with Rules 5(2) 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, a statement showing the names and particulars of the employees employed throughout the financial year who received remuneration in excess of the limits set out in the said Rules are annexed herewith as **Annexure-VIII**

Disclosures pertaining to remuneration and other details as required under Section 197(2) of the Act read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 are provided in the Annual Accounts.

8. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Corporate Social Responsibility & Sustainability Development (CSR & SD) Policy has been formulated and recommended to the Board. The CSR & SD Policy indicating the activities to be undertaken by the Company, has been approved by the Board. The CSR & SD Policy may be accessed on the Company's website at: http://www.nsfdc.nic.in/en/csr.

NSFDC's CSR INITIATIVE-Plastic Bottle Crushing Machine was installed at Safdarjung, New Delhi on 20th January, 2022. Smt. Meenakshi Lekhi, Hon'ble Minister of State for External Affairs, GoI, and ShriRajnish Kumar Jenaw, CMD-NSFDCinaugurated.

The Annual Report on CSR activities is annexed at **Annexure-IX**.

9. RESOURCE LINKAGE PROGRAMMES

An amount of Rs.36.20 lakh was released by BPCL towards 1st installment of Skill Training Programme implemented in 6 aspirational districts in the States of Assam, Bihar, Himachal

Pradesh, Chhatisgarh, Jharkhand & Uttar Pradesh.

10. THE REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company is committed to maintain the highest standards of corporate governance and adhere to the corporate governance set out by the Companies Act, 2013 and Department of Public Enterprises (DPE). The Report on Corporate Governance forms an integral part of this Report at **Annexure-X**. The requisite certificate from the Auditors of the Company confirming compliance with the conditions of Corporate Governance is attached at **Annexure-XI** to the Report on Corporate Governance.

11. BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is headed by the Chairman-cum-Managing Director, the Board consisted of 5 members as on 31.03.2022. For further details please refer Report on Corporate Governance annexed to this Annual Report.

12. MEETINGS OF THE BOARD

During the financial year under review, four meetings of the Board of Directors were held. For further details please refer Report on Corporate Governance annexed to this Annual Report.

12.1 Remuneration Committee

During the financial year under the review, one meeting of the Remuneration Committee took place on 7.3.2022.

12.2 Audit Committee

The Audit Committee has been constituted in accordance with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. The Company is licensed under Section 8. Therefore, exemption to Section 8 Companies from sub section (2) of Section 177 vide MCA Notification GSR 466(E) dated 05.06.2015 are applicable. The Audit Committee of the Company comprises of Shri Rajnish K. Jenaw, Shri Sanjay Pandey, Shri S.M. Awale and Smt. Anjula Singh Mahur. In exercise of powers conferred under Section 462, MCA vide notification dated 05.06.2015 exempted Section 8 Companies under Section 177(2) from requirement of minimum number of Independent Directors in Audit Committee. Smt. Annu Bhogal (Company Secretary) is the Secretary of the Audit Committee. During the year all the recommendations made by the Audit Committee were accepted by the Board.

13. RISK MANAGEMENT

As a part of the implementation of the guidelines on Corporate Governance issued by DPE, a Risk Management Policy was approved by the Board for drawing of appropriate risk assessment, management and minimization framework as also internal risk assessment framework, integrated and aligned with Corporate objectives has been revised by the Board of Director in their 152nd Board Meeting held on 15.11.2019.

The company manages, monitors and reports to the Ministry on the principal risks and uncertainties that can impact its ability to achieve its strategic objective. The company's management system, organizational structure, process and standards and code of conduct governs how the company conducts the business and manages associated risks. Accordingly, the potential risk areas are assessed by the Risk Management Committee comprising of Heads of all Departments of the Corporation and suggested sensitive areas are placed before the Board of Directors and included in the Quarterly Directors Review Report.

14. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

The company exercises adequate internal financial controls with reference to financial statements. During the year, such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operation was observed.

15. ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

During the year, 32nd AGM was held on 26.11.2021 for adoption of Accounts for the year 2020-21. The entire share capital is held by Hon'ble President of India represented by the Secretary to the Government of India, MOSJ&E, except one share held in the name of Joint Secretary, MOSJ&E. After the approval in AGM, the Annual Accounts for the year 2020-21 were adopted along with Directors' Report.

16. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013, your Directors state that:-

(a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

(d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

(e) The directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

17. NSFDC INTERVENTIONS DURING COVID-19 PANDEMIC

During the reported period, in respect of Covid-19 Pandemic, the operations of the Company have not been disrupted and do not have financial impact. No substantial impact has been observed on

the Cash Flow of the Company as on 31.03.2022.

NSFDC has undertaken COVID-19 CSR initiatives during second wave of the Pandemic at PAN India.

The activities includes program of Oxygen concentrator, oxygen cylinder, medicines for mild and medium Covid patient, equipment support to temporary Covid -19 treatment, cooked food distribution.These activities were conducted in the State of Delhi, Maharashtra, Karnataka & Telangana. The activities of NSFDC also received appreciation from State Governments.

18. AUDITORS AND AUDITOR'S REPORT

18.1 Statutory Auditors

M/s. P.K. Chopra & Company, Chartered Accountants, New Delhi, was appointed as Statutory Auditors under Section 129(4) of the Companies Act, 2013 by C&AG for the financial year 2021-22. The Statutory Auditor's Report on the Accounts of NSFDC for the year ended 31st March, 2022 along with the replies of the Company shall be given in the **Addendum-A &B** to this Report, respectively.

18.2 C&AG Audit

The Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 143(6) & (7) of the Companies Act, 2013 through MAB-IV. The comment of the C&AG on the Accounts of NSFDC for the year ended 31st March, 2022 along with the replies of the Company shall be attached as **Addendum-C** to this Report.

18.3 Code of Conduct

The Board of Directors has laid down the Code of Business Conduct and Ethics for the Board Members and Senior Management of the Company. All Board Members and key officials of the company have affirmed their compliance with the Code.

19. GENERAL

Your directors state that no disclosures or reporting is required in respect of the following items during the year under review:

(i) A statement on declaration given by independent directors under subsection (6) of section 149;

(ii) In case of a company covered under sub-section (1) of section 178, company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section(3) of section 178;

(iii) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186.

(iv) Particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 in the prescribed form;

(v) The amount, if any, which is recommended should be paid by way of dividend;

(vi) No significant or material orders were passed by the Authorities or Courts or Tribunals which impact the going concern status and Company's operations in future.

20. ACKNOWLEDGMENTS

Your Directors would like to place on record their appreciation for the dedicated services rendered by the employees of your Corporation during the year.

Your Directors wish to place on record their sincere thanks for the continuing support of the Ministry of Social Justice and Empowerment in guiding your Corporation from time to time to achieve better results. Your Directors also wish to place on record their appreciation for the support extended by Department of Company Affairs, Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Comptroller and Auditor General of India, and for the cooperation of the State-level Scheduled Castes Finance and Development Corporations and other channelizing agencies.

Your Directors are also grateful to various other Government Departments, Agencies and Statutory Auditors to the Corporation for their continued guidance and support.

For and on behalf of the Board of Directors

(Rajnish Kumar Jenaw)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 09056584

Place : Delhi
Date : 18.08.2022

ANNEXURE-I
(See Para 1.5)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION, DELHI

ORGANIZATIONAL CHART (As on 31.3.2022)

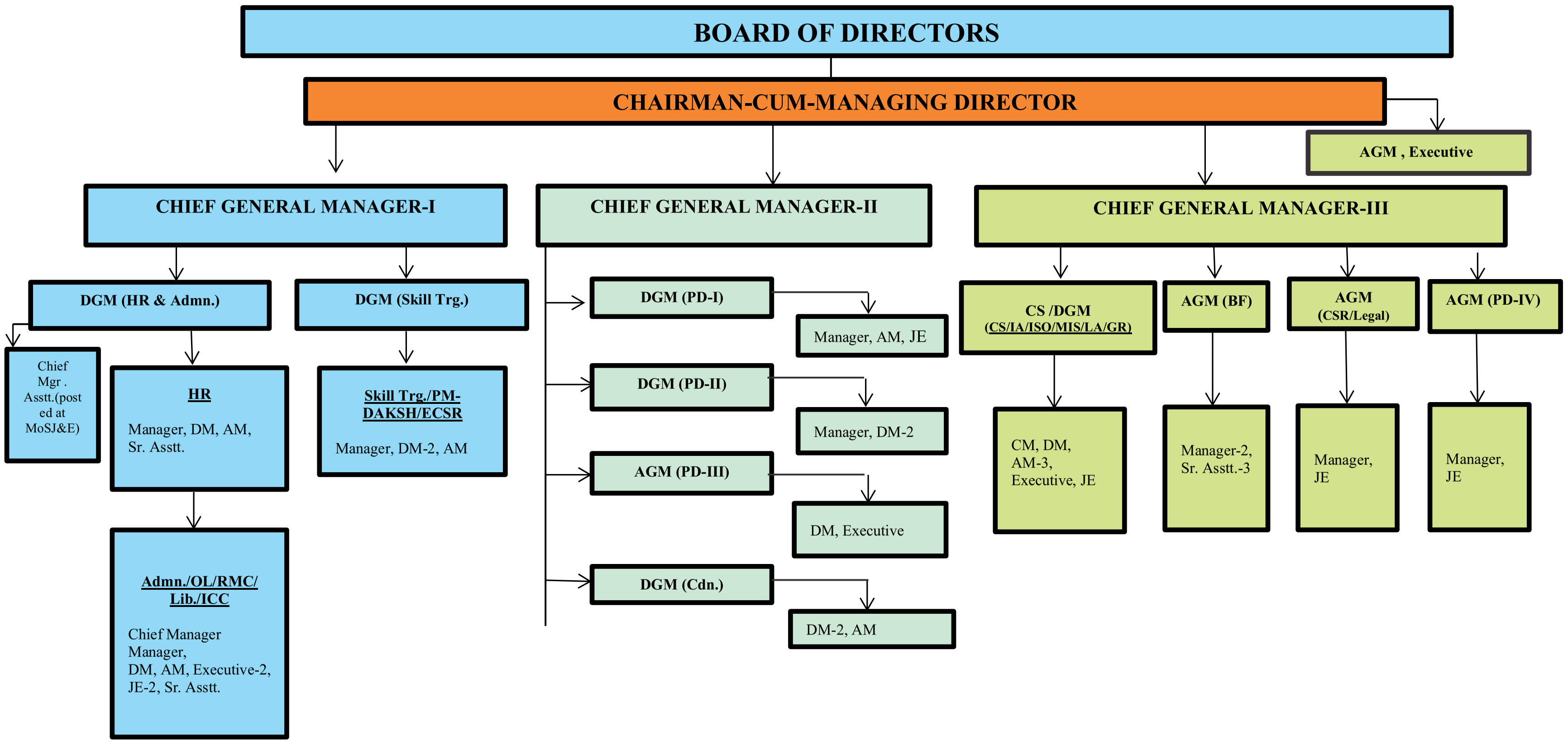

Liaison Centres – Bengaluru [CM, Executive, Asstt.]; **Mumbai** [Sr. Asstt.]; **& Kolkata** [AM, Asstt.] **– 6 Nos.**

Supporting Staff at HO – Driver-SG (2), Assistant (6) & Junior Assistant – SG (1)

ANNEXURE-II (A)
(See Para 1.7)

STATE/UT-WISE LIST OF STATE CHANNELISING AGENCIES

Sl. No	State/UT	Name of Channelizing Agency
1.	Andhra Pradesh	1. Andhra Pradesh Scheduled Castes Co-operative Finance Corporation Ltd. 2. Andhra Pradesh State Financial Corporation
2.	Assam	3. Assam State Development Corporation for Scheduled Castes Ltd.
3.	Bihar	4. Bihar State SCs Co-operative Development Corporation Ltd.
4.	Chhattisgarh	5. Chhattisgarh State AntavasayeeSahkari Finance & Development Corporation.
5.	Goa	6. Goa State SCs & OBCs Development Corporation Ltd.
6.	Gujarat	7. Gujarat Scheduled Castes Development Corporation. 8. Dr. AmbedkarAntyodaya and Development Corporation.
7.	Haryana	9. Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation Ltd.
8.	Himachal Pradesh	10. Himachal Pradesh SCs & STs Development Corporation.
9.	Jharkhand	11. Jharkhand State Scheduled Castes Co-operative Development Corporation.
10.	Jammu & Kashmir	12. Jammu & Kashmir SCs, STs & OBCs Development Corporation Ltd.
11.	Karnataka	13. Dr. B.R. Ambedkar Development Corporation Limited.
12.	Kerala	14. Kerala State Development Corporation for SCs & STs Ltd. 15. Kerala State Women's Development Corporation.
13.	Madhya Pradesh	16. Madhya Pradesh State Co-operative SCs Fin. & Development Corporation.
14.	Maharashtra	17. Mahatma Phule BCs Development Corporation Ltd. 18. SahityaratnaLokshahirAnnabhauSathe Development Corporation. 19. SantRohidas Leather Industries &Charmakar Development Corporation.
15.	Manipur	20. Manipur Tribal Development Corporation Ltd. 21. Manipur State STs & SCs Development Co-operative Bank Ltd.
16.	Meghalaya	22. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.
17.	Mizoram	23. Mizoram Urban Co-operative Development Bank Ltd. 24. Mizoram Khadi& Village Industries Board.
18.	Odisha	25. Odisha SCs & STs Development Finance Co-operative Corporation Ltd.
19.	Punjab	26. Punjab Scheduled Castes Land Development & Finance Corporation.
20.	Rajasthan	27. Rajasthan SCs & STs Finance & Development Co-operative Corporation.
21.	Sikkim	28. Sikkim SCs, Tribes & Backward Classes Development Corporation.
22.	Tamil Nadu	29. Tamil Nadu AdiDravidar Housing & Development Corporation.
23.	Tripura	30. Tripura Scheduled Castes Co-operative Development Corporation Ltd.
24.	Uttar Pradesh	31. Uttar Pradesh Scheduled Castes Finance & Development Corporation Ltd.
25.	Uttarakhand	32. Uttarakhand Bahu-udeshiyaVitta Evam Vikas Nigam
26.	West Bengal	33. West Bengal SCs, STs & OBCs Development & Finance Corporation.
27.	Chandigarh	34. Chandigarh SCs, BCs & Minorities Financial & Development Corporation Ltd.
28.	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	35. DNH, D & Diu SCs/STs/Other BCs & Minorities Financial & Development Corporation.
29.	Delhi	36. Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Financial & Development Corporation Ltd.
30.	Puducherry	37. Puducherry Adi Dravidar Development Corporation Ltd.

Note: The State/UTs namely Arunachal Pradesh, Nagaland, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands do not have Scheduled Castes population as per Census, 2011 data, and therefore, have not been included in the statement.

LIST OF CHANNELISING AGENCIES – ALTERNATE CHANNEL

Sl. No.	State/UT	Name of Channelizing Agency
1.	Andhra Pradesh	1. Chaitanya Godavari Grameena Bank. 2. Andhra Pradesh GrameenaVikas Bank. 3. Sapthagiri Grameena Bank. 4. Andhra Pragati Grameena Bank.
2.	Assam	5. Grameen Development & Finance Private Limited. 6. Assam Gramin Vikas Bank. 7. North Eastern Development Finance Corporation. 8. Konoklata Mahila Urban Cooperative Bank
3.	Bihar	9. Dakshin Bihar Gramin Bank. 10. Uttar Bihar Gramin Bank.
4.	Chhattisgarh	11. Chhattisgarh Rajya Gramin Bank.
5.	Delhi	12. Punjab National Bank (PAN India). 13. Punjab & Sind Bank (PAN India). 14. Don Bosco Tech Society.
6.	Gujrat	15. Baroda Gujarat Gramin Bank. 16. Shri Mahila SEWA Sahkari Bank Limited. 17. Saurashtra Gramin Bank.
7.	Haryana	18. Sarva Haryana Gramin Bank.
8.	Himachal Pradesh	19. Himachal Pradesh Gramin Bank.
9.	Jammu & Kashmir	20. J & K Grameen Vikas, Jammu & Kashmir 21. Ellaquai Dehati Bank, Jammu
10.	Jharkhand	22. Jharkhand Rajya Gramin Bank. 23. Jharkhand Silk, Textiles & Handicrafts Development Corporation.
11.	Karnataka	24. Karnataka Vikas Grameena Bank. 25. Karnataka Gramin Bank. 26. Canara Bank (PAN India).
12.	Kerala	27. Kerala Gramin Bank.
13.	Maharashtra	28. Maharashtra Gramin Bank. 29. Vidharba Konkan Gramin Bank. 30. Anik Financial Services Private Limited. 31. Union Bank of India (PAN India). 32. Bank of Baroda (PAN India).
14.	Madhya Pradesh	33. Madhyanchal Gramin Bank. 34. Madhya Pradesh Gramin Bank, Indore.
15.	Manipur	35. Manipur Rural Bank.
16.	Odisha	36. Sambandh Finserve Pvt. Ltd.
17.	Puducherry	37. Puduvai Bharathiar Grama Bank.
18.	Punjab	38. Punjab Gramin Bank.
19.	Rajasthan	39. Rajasthan Marudhara Gramin Bank. 40. Baroda Rajasthan Kshetrya Gramin Bank.

ANNEXURE-II (B)
(See Para 1.7)
(2 of 2)

LIST OF CHANNELISING AGENCIES – ALTERNATE CHANNEL

20.	Tamil Nadu	41. Indian Overseas Bank (PAN India) 42. Indian Bank (PAN India) 43. Tamil Nadu Grama Bank.
21.	Telangana	44. Telangana Grameena Bank. 45. StreeNidhi Credit Co-operative Federation Limited.
22.	Tripura	46. Tripura Gramin Bank.
23.	Uttar Pradesh	47. Aryavart Bank. 48. Baroda UP Gramin Bank. 49. Prathama UP Gramin Bank. 50. UP Sahkari GraminVikas Bank.
24.	Uttarakhand	51. Uttarakhand Gramin Bank.
25.	West Bengal	52. Paschim Banga Gramin Bank. 53. BRITTI Prosikshan Private Limited.

ANNEXURE-III
[See Para 2.1.2(C)]

ACHIEVEMENTS OF MOU PARAMETERS (2021-22)

Sl. No.	Performance Criteria	Unit	Weightage	"Excellent" Target	Achievements
(i)	Revenue from Operations	Rs. in Crore	10	73.38	60.98
(ii)	Asset turnover ratio	%age	5	3.83	3.27
(iii)	EBTDA as a percentage of Revenue	%age	10	69.96	66.80
(iv)	Return on Net Worth	%age	10	2.78	2.26
(v)	Return on Capital Employed	%age	5	2.67	2.23
(vi)	Loans disbursed to Total Funds available	%age	15	100	86.62
(vii)	Loan disbursed to Micro Finance Beneficiaries	%age	10	53.08	43.39
(viii)	Overdue loans to Total Loans	%age	10	18.60	21.26*
(ix)	NPA to Total Loans	%age	10	0.75	0.74
(x)	Geographical coverage	%age	5	100	91.66
(xi)	Last Mile disbursement to ultimate beneficiary	%age	10	100	24.95
			100		

ANNEXURE-IV
[See Para 2.1.13 (A)]

STATE/UT-WISE ABSTRACT UNDER SKILL DEVELOPMENT TRAINING PROGRAMMES COMMENCED AND COMPLETED UNDER PM-DAKSH YOJANA DURING THE FINANCIAL YEAR 2021-22

Sl. No.	Training Institute	Commenced (Persons)	Completed (Persons)
1	ACF, Mumbai	349	465
2	Apollo Medskills Ltd.	388	250
3	ATDC	1,377	850
4	Bright School Samiti	150	100
5	CII-IL	339	250
6	CIPET	962	480
7	DBF	530	250
8	HIMCON	160	130
9	IDWS	150	100
10	IED-Lucknow	960	960
11	IIE-Guwahati	200	200
12	JKITCO	100	100
13	MPCON Ltd.	140	120
14	MSME-Indore	260	140
15	MSME-Ludhiana	50	0
16	MSME-Durg	47	75
17	MSME - Agra	242	220
18	MSME-Bhiwadi	104	175
19	MSME-Bhopal	13	30
20	MSME-Mumbai	86	80
21	MSME - Puducherry	17	60
22	MSME- Rohtak	32	25
23	MSME-Ramnagar	20	0
24	MSME - Visakhapatnam	10	0
25	NHFDC Foundation	65	20
26	NIESBUD	7,859	6,150
27	NITCON Ltd.	1,635	1,640
28	PAC	150	100
	TOTAL	**16,395**	**12,970**

ANNEXURE – V
(See Para 5.2)

REPRESENTATION OF THE PERSON WITH BENCHMARK DISABILITIES (AS ON 1st January, 2022)

Group	Number of Employees				Direct Recruitment							Promotion						
					No. of vacancies reserved			No. of Appointments Made				No. of vacancies reserved				No. of Appointments Made		
	Total	VI	HI	LD	VI	HI	LD	Total	VI	HI	LD	VI	HI	LD	Total	VI	HI	LD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Group 'A'	47	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'B'	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'C'	24	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**77**	**1**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Note: The overall Representation of Person with Benchmark Disabilities (PwBDs) is 3.89%.

ANNEXURE-VI
(See Para 5.2)
SC/ST/OBC REPORT -II

ANNUAL STATEMENT SHOWING THE REPRESENTATION OF SCs, STs and OBCs IN VARIOUS GROUPS 'A' SERVICES AS ON FIRST JANUARY OF THE YEAR AND NUMBER OF APPOINTMENTS MADE IN THE VARIOUS GRADES IN THE PRECEDING CALENDAR YEAR

Name of the Public Sector Enterprise : **National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi**

Pay Scale (In Rupees)	Representation of SCs/STs/OBCs (As on 01.01.2022)				Number of appointments made during the calendar year 2021									
					By Direct Recruitment				By Promotion			By Deputation		
	Total no.of employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CMD on Deputation [CDA Pattern]	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-7: `100000-260000	3	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
E-6: `90000-240000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-5: `80000-220000	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-4: `70000-200000	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-3: `60000-180000	3+1*	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-2: `50000-160000	9	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-1: `40000-140000	10	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-0: `30000-120000	9	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**47**	**12**	**3**	**7**	-	-	-	-	**2**	**1**	-	-	-	-

*** On Deputation.**

ANNEXURE-VII
(See Para 5.2)
SC/ST/OBC REPORT -I

ANNUAL STATEMENT SHOWING THE REPRESENTATION OF SCs, STs and OBCs AS ON FIRST JANUARY OF THE YEAR AND NUMBER OF APPOINTMENTS MADE DURING THE PRECEDING CALENDAR YEAR

Name of the Public Sector Enterprise: **National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi**

Pay Scale (In Rupees)	Representation of SCs/STs/OBCs (As on 01.01.2022)				Number of appointments made during the calendar year 2021									
					By Direct Recruitment				By Promotion			By Deputation		
	Total no. employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Group 'A' Managerial/ Executive Level*	47	12	03	07	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Group 'B' Non-Supervisory Staff	06	04	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'C' Non-Executive Staff (Excluding Sweepers)	24	11	01	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**77**	**27**	**4**	**14**	-	-	-	-	**2**	**1**	-	-	-	-

*** Including CMD.**

ANNEXURE-VIII
(See Para 7)

Particulars of employees as required under Rule 5(2) of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 for the year ended 31st March, 2022

a) **Employed throughout the financial year under review and were in receipt of remuneration for the financial year in aggregate of not less than Rs. 1,02,00,000/-**

S.No.	Name and Age	Designation & Nature of Duties	Remuneration received	Qualification	Experience (Yrs)	Date of joining	Previous employment held	Percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of sub – clause (iii) clause (a) of sub-section (2A) of Section 217 of the Act
					NIL			

b) Employed for part of the year and were in receipt of remuneration at the rate of not less that Rs. 8,50,000/- per month

S.No.	Name and Age	Designation & Nature of Duties	Remuneration received	Qualification	Experience (Yrs)	Date of joining	Previous employment held	Percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of sub – clause (iii) sub-rule (2) above	whether any such employee is a relative of any director or manager of the company and if so, name of such director or manager
					NIL				

Notes:

1.The terms and conditions of all above appointments are as per Company's Rules.

2.Remuneration received includes salary, other allowances and bonus in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Rules made therefore.

3.if employed throughout the financial year or part thereof, as in receipt of remuneration in that year which, in the aggregate, or as the case may be, at a rate which, in the aggregate, is in excess of that drawn by the managing director or whole-time director or manager and holds by himself or along with his spouse and dependent children, not less than two percent of the equity shares of the company.

THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES

1. Brief outline on CSR Policy of the Company:

Aim

The aim of the CSR policy is to ensure that Corporation becomes a socially responsible corporate entity by contributing towards promoting sustainable livelihoods and improving the quality of life of the socially economically backward communities and society at large.

Objective

Promote inclusive growth and equitable development in society while assigning importance to regional and gender disparity through developmental programmes and other innovative initiatives for socio-economically backward communities and society at large.

Strategic Focus

Reducing and ultimately eliminating poverty among target group is a fundamental aspiration of NSFDC. NSFDC shall provide assistance to CSR&SD projects that promote sustainable economic growth. NSFDC shall promote economic growth that focuses on addressing income, gender and regional disparities along with environmental sustainability. NSFDC shall use innovative approaches an partnerships for realizing these objectives. In addition, measures will be adopted towards improving internal capacities and efficacies for the delivery of services and enhancing development effectiveness of the NSFDC and its CSR partners. NSFDC shall join hands and the resources for undertaking joint ventures for greater social impact. NSFDC will continue to leverage CSR funds from profit making CSPE's for CSR&SD activities.

(a) (i) Whether CSR Committee has been constituted — Yes

(ii) Number of directors composing CSR Committee — 3

(iii) Number of Meetings of CSR Committee held during the year — 2

S. No.	DIN	Name of Director	Category	No. of meetings of CSR Committee attended during the year
1	09056584	Rajnish Kumar Jenaw	Chairman-cum-Managing Director	3
2	06804536	S.M. Awale	Director	3
3	09453376	Durga Prasad Rai	Non-official (Independent) Director	1
4	08889078	Upma Srivastava	Director	1

(b)	(i)	Whether the company has an website	Yes
	(ii)	If Yes, Provide web-link	www.nsfdc.nic.in
	(iii)	Whether following has been disclosed on the website of the company in pursuance of Rule 9 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014:	
		Composition of CSR committee	Yes
		CSR Policy	Yes
		CSR projects approved by the board	Yes
(c)	(i)	Whether Impact assessment of CSR projects is carried out in pursuance of sub-rule (3) of Rule 8 of Companied (CSR Policy) Rules, 2014, if applicable	N/A
	(ii)	If Yes, Whether the same has been disclosed in the Board Report	N/A
		Provide web-link , if any	N/A
(d)	(i)	Whether any amount is available for set off in pursuance of sub-rule (3) of Rule-7 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014	No
3.	(a)	Whether the company has completed the period of three financial year since its incorporation	Yes
	(b)	If no, then provide the number of financial years completed since incorporation	N/A
	(c)	Net Profit & other details for the preceding financial years:	

S. No	Particulars	Amount (in Rs.)		
		F.Y-1 (18-19)	F.Y-2 (19-20)	F.Y-3 (20-21)
1	Profit before tax	512667000.00	609790000.00	478213000.00
2	Net Profit computed u/s 198	512667000.00	609790000.00	478213000.00
3	Total amount adjusted as per rule 2(1)(h) of CSR Policy Rules 2014	0.00	0.00	0.00
4	Total Net Profit for section 135 (2-3)	512667000.00	609790000.00	478213000.00

	(d)	Average net profit of the company as per section 135(5)	Rs.533556666.66
4.	(a)	2% of average net profit of the company as per section 135(5)	Rs.10671133.33
	(b)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years	Nil
	(c)	Amount required to be set off for the financial year, if any	Nil
	(d)	Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c)	Rs.10671133.33
5.	(a)	whether CSR amount for the financial year has been spent	Yes
	(b)	If yes, CSR amount has been spent against	Ongoing projects
	(i)	Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year Number of Ongoing Projects for the financial year	17

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
S. No.	Project ID / File No.	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Name of the Project	Local area (Yes/No)	Location of the Project		Project Duration (in months)	Amount spent in the current financial year (amount in Rs.)	Mode of implementation Direct (Yes/No)	Mode of Implementation – through Implementing Agency	
					State	District.				Name	CSR Registration number
1	NSFDC/CSR/DLH/ BUDS /38 (E-office Computer no 50576).	Clause i(iv)	Integrated Health Care Response During COVID-19 Pandemic Second Wave, Delhi NCR	Yes	Delhi	Delhi	48 months	34300	No	Bal Umang Drishya Sanstha	CSR00003766
2	NSFDC/CSR/DLH/ SDH/40 (E-office Computer No.- 49067)	Clause i(iv)	Medical Equipment's to treat COVID-19 Patients	Yes	Delhi	Delhi	48 months	176000	No	Swamy Dayanand Hospital	CSR00004364
3	NSFDC/CSR/DLH/ DSGMC/39 (No E-office no)	Clause i(iv)	Oxygen Control Panels for Expansion of 100 beds for COVID-19 treatment facility at Hari Nagar, Delhi	Yes	Delhi	Hari Nagar	48 months	4,83,000	No	Delhi Sikh Gurudwara Management Committee	CSR00004559
4	NSFDC/CSR/TEL/ SIF/06 (No E-Office no.)	Clause i(iv)	Infrastructure for COVID-19 Isolation Centre, Hyderabad, Telangana	Yes	Telangana	Hyderabad	48 months	3,60,000	No	Surge Impact Foundation	CSR00002744
5	NSFDC/CSR/DLH/ AD/41 (e-office Computer no-41722)	Clause i(iv)	Medicine Kit (200 nos.) for Mild and Moderate Patients of COVID-19 attached Govt. Medical Centres, NCT Delhi	Yes	Delhi	North Delhi	48 months	6,00,000	No	Anugraha Drishtidaan	CSR00005982
6	NSFD C/CSR/DLH/ MI/42 (E-office Computer no-41702)	Clause i(iv)	Oxygen Concentrators (05 nos.) under COVID-19 Relief Project, Delhi	Yes	Delhi	Delhi	48 months	4,87,200	No	Mahavir International	CSR00002906
7	NSFDC/CSR/DLH/ NEF/44 (E-office Computer no.- 50277)	Clause i(iv)	Oxygen Cylinders to COVID-19 Patients at Acharya Shree Bhikshu Govt. Hospital, Delhi	Yes	Delhi	Delhi	48 months	1,98,000	No	Karmsakshi Sewa Sansthan	CSR00001824
8	NSFDC/CSR/DLH/ NEF/44 (E-office Computer no.- 50277)	Clause i(iv)	Oxygen Cylinders to COVID-19 Patients at Delhi, NCR	Yes	Delhi	North Delhi	48 months	95,500	No	Netram Eye Foundation	CSR00000560
9	NSFDC/CSR/DLH/ SPYM/45 (E-office Computer no-48553)	Clause i(iii)	Food Distribution for Migrant Workers and Homeless at Nizamuddin/New Delhi Railway Station	Yes	Delhi	Delhi	48 months	135000	No	Society for Promotion of Youth and Masses	CSR00004209
10	NSFDC/CSR/MAH/ TDRF/04 (E-office file no. 47919)	Clause i(iii)	Food Distribution for daily wages workers and needy people at Sunderbaugh slums, Mumbai	Yes	Maharashtra	Mumbai	48 months	193500	No	TRIPS-Development and Research Foundation	CSR00002309

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
S. No.	Project ID / File No.	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Name of the Project	Local area (Yes/No)	Location of the Project		Project Duration (in months)	Amount spent in the current financial year (amount in Rs.)	Mode of implementation Direct (Yes/No)	Mode of Implementation – through Implementing Agency	
					State	District.				Name	CSR Registration number
11	NSFDC/CSR/KTK/TUF/01 (E-office Computer no-45358)	Clause i(iii)	Food Distribution to migrant workers, homeless, people with reduced mobility and needy at DJ Halli slum, Bengaluru under the project of Mercy Kitchens	Yes	Karnataka	Bengaluru	48 months	2,62,500	No	The United Foundation	CSR00004118
12	NSFDC/CSR/DLH/GJ2021/48 (E-Office no.-45029)	Clause ii(i)	Gandhi Jayanti Celebrations	Yes	Delhi	Delhi	48 months	19,343	Yes	Direct by NSFDC	Not Applicable
13	NSFDC/CSR/DLH/SWAW/49 (E-office 46899)	Clause iv(i)	Plastic Bottle Crushing Machine	Yes	Delhi	Delhi	48 months	2,25,600	No	Swawlamban	CSR00001968
14	NSFDC/CSR/TRI/TSCDC/03 (E-office 46411)	Clause ii(i)	TSCDC furniture to Govt. SC Hostel	Yes	Tripura	West Tripura	48 months	7,73,136	No	TSCDC, Tripura	CSR00025851
15	NSFDC/CSR/TRI/SERI/04 (E-office Computer no - 47083)	Clause v(ii)	CSR activities during "AAZADI KA AMRIT MAHOTSAV-2021"	Yes	Tripura	Dhalaiai	48 months	3,50,000	No	Socio Economic Research Institute	CSR00006843
16	NSFDC/CSR/PCS/DLH/47 (E-office Computer no-48912)	Clause i(iv)	Provision of RO Plant and COVID 19 Relief Kit integrated sanction	Yes	Bihar	Sheohar	48 months	3,33,900	No	Paryavaran Care Society	CSR00001007
17	NSFDC/CSR/RAJ/TBS/10 (e-office Computer no-49550)	Clause i(iv)	Construction of two Rain water harvesting structures	Yes	Rajasthan	Karauli	48 months	4,55,000	No	Tarun Bharat Sangh	CSR00000505
							TOTAL	54,90,567			

(ii)* Details of CSR amount spent against other than on-going projects for the financial year Nil
Number of Other than On-going Projects for the financial year (a) whether CSR amount for the financial year has been spent

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
S. No.	Project ID / File No.	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Name of the Project	Local area (Yes/No)	Location of the Project		Project Duration (in months)	Amount spent in the current financial year (amount in Rs.)	Mode of implementation Direct (Yes/No)	Mode of Implementation – through Implementing Agency	
					State	Distrcit				Name	CSR Registration number

(c) Amount spent in Administrative Overheads — Nil

(d) Amount spent on Impact Assessment , if applicable — Nil

(e) Total Amount Spent for the Financial Year — Rs.5490567.00

(f) Amount unspent/(excess) spent for the Financial Year [6(d) -7(e)] unspent for Ongoing projects — Rs.5180566.33

(g) Amount eligible for transfer to Unspent CSR Account for the Financial Year as per Section 135(6) (before adjustment) — Nil

(h) Amount to be transferred to Fund specified in Schedule VII for the Financial Year (if total unspent for the Financial Year is greater than unspent for Ongoing projects) — Nil

6. Details of transfer of Unspent CSR amount for the financial year

(a) Transfer to Unspent CSR account as per Section 135(6)

Amount to be transferred to Unspent CSR account	Amount actually transferred to Unspent CSR account Year	Date of Transfer	Deficiency, if any
Rs.5180566.33	Rs.5157387.67	29.04.2022	-

(b) Transfer funds specified in Schedule VII as per second proviso to Section 135(5) for Financial Year

Amount to be transferred to Funds specified in Schedule VII	Amount actually transferred to Funds specified in Schedule VII	Date of Transfer	Deficiency, if any
Nil	Nil	-	-

7. Specify the reason(s) if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5)

8. Whether any unspent amount of preceding three financial years (financial year ending after 22nd January 2021) has been spent in the financial year — Yes

(a) Details of CSR amount spent in the financial year pertaining to three preceding financial year(s):

S. No.	Preceding Financial Year{ s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under Section 135{6) (in Rs)	Balance Amount in Unspent CSR Account under Section135 (6) (in Rs)	Amount Spent in the Financial Year (in Rs)	Amount transferred to a Fund as sepecified under Schedule VII as per eecond proviso to Section 135(5), if any		Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in Rs.)	Deficiency, if any
					Amount (in Rs)	Date of transfer		
1.	F.Y-1 (18-19)	N.A						
2.	F.Y-2 (19-20)	N.A						
3.	F.Y-3 (20-21)	6775000	6775000		N/A	N/A		

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s): Number of Ongoing Projects — 18

1	2	3	4	5	6	7	8
S.no	**Project ID/File no.**	**Name of the Project**	**Financial Year in which the Project was commenced**	**Amount spent in the beginning of Financial year (in Rs.)**	**Amount spent in the Financial year (in Rs.)**	**Cumulative amount spent at the end of the Financial year (in Rs.)**	**Status of the Project-Complete/ ongoing**
1	NSFDC/CSR/PUN/07 (E-office no-43327)	Community SMART Library	2020-21	0	485000	485000	Ongoing
2	NSFDC/CSR/IRCS/BC/ DLH/01	Ration Kit Distribution	2020-21	0	211400	211400	Ongoing
3	NSFDC/CSR/IIT-MADRAS/WB/01 (E-office no-41664)	Psychometric Testing for School Students-IIT Madras	2019-20	875000	369600	1244600	Ongoing
4	NSFDC/CSR/MAH/TM F/01 (E-office no-41904)	Disinfection and Sanitization of Public Toilets for COVID 19 safeguard at Dharavi, Mumbai, Maharashtra	2020-21	424520	153768	578288	Ongoing
5	NSFDC/CSR/MAH/HL FPPT/02 (E-office no-41754)	500 PPE Kits Distribution - HLFPPT	2020-21	0	330000	330000	Ongoing
6	NSFDC/CSR/DLH/SP YM/39 (E-office no.-44610.)	Transportation cost for Feeding Programme (COVID 19 Phase-II)-SPYM	2020-21	176400	75600	252000	Ongoing
7	NSFDC/CSR/GP/PUN/ 05(E-office no-47829)	R.O. Plant	2019-20	0	994465	994465	Ongoing
8	NSFDC/CSR/SHS/MA N/01 (E-office no-48329)	Laboratory Equipment to 9 Urban Primary Health Centers	2019-20	1089799	663268	1753067	Ongoing
9	NSFDC/CSR/DLH/AD/ 34 (E-Office no.-46865)	Health Cum COVID 19 Awareness Camp and Financial Inclusion camp through Postal Deptt. (approximately 200 numbers)-Anugraha Drishtidaan& SPYM	2020-21	0	176250	176250	Ongoing
10	NSFDC/CSR/DLH/AD/ 34 (E-Office no.-44899	Health cum COVID 19 awareness camp	2020-21	0	58750	58750	Ongoing
11	NSFDC/CSR/MI/DLH/ 22 (E-office no 49657)	Ration Kit Distribution	2020-21	453250	189140	642390	Ongoing

1	2	3	4	5	6	7	8
S.no	**Project ID/File no.**	**Name of the Project**	**Financial Year in which the Project was commenced**	**Amount spent in the beginning of Financial year (in Rs.)**	**Amount spent in the Financial year (in Rs.)**	**Cumulative amount spent at the end of the Financial year (in Rs.)**	**Status of the Project-Complete/ ongoing**
12	NSFDC/CSR/PUN/PVS S/06 (E-office no 50122)	Provision of Medical Equipment's to Govt. Hospitals	2020-21	207900	57338	265238	Ongoing
13	NSFDC/CSR/UP/TGT/ 01 (E-office no 49289)	Strengthening goat based livelihoods	2019-20	1613925	154325	1768250	Ongoing
14	NSFDC/CSR/UP/CIBA RT/02 (E-office no 49548)	Preparing animated videos on awareness on COVID 19	2020-21	115973	49702	2185425	Ongoing
15	NSFDC/CSR/ASM/IIE/ 02 (E-office no 50098	For providing relief material to flood affected	2019-20	176050	75450	2019750	Ongoing
16	NSFDC/CSR/PON/PA DCO/01 (E-office no 49582)	Ration Kit Distribution	2020-21	262500	112500	375000	Ongoing
17	NSFDC/CSR/DLH/SP YM/14 (E-office no 50215)	Shelter for Homeless	2019-20	330000	330000	660000	Ongoing
18	NSFDC/CSR/DLH/AD/ 34 (E-Office no.-49952)	Health camp and ration kit distribution	2020-21	0	433750	433750	Ongoing
			Total	**5725317**	**4920306**	**10645623**	

(c) (i)	Whether any new CSR project has been undertaken in the financial year from the Unspent amount Pertaining to preceding three financial years	No
(ii)	If yes, nature of the new CSR Project(s) is/are	N/A
	Ongoing project(s)	N/A
	Other than ongoing project(s)	N/A
	Both (Ongoing and other than ongoing projects)	N/A
(iii)	Details of amount spent against new ongoing CSR project in the financial year	N/A
	Number of Ongoing Projects	Nil

S. No.												

(iv) Details of amount spent against new Other than ongoing CSR project in the financial year — N/A

S. No.												

9. Whether any unspent amount pertaining to FY2014-15 to FY2019-20 has been spent in the financial year : Yes

Number of Ongoing Projects : Nil

S. No.												

10. Whether any capital assets have been created or acquired through CSR spent in the financial year : No

If Yes , enter number of Capital assets created/acquired : Nil

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through CSR spent in the financial year

S. No.												

(Gulshan Kumar Pahadia)
Chief Manager(CSR)

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. Statement of Company's Philosophy on Code of Corporate Governance

Corporate Governance encompasses a set of systems and practices to ensure that the Company's affairs are being managed in a manner which ensures accountability, transparency and fairness in all transactions in the widest sense. The Corporation is formed only for lawful purposes and deals in an ethical manner. It ensures that shareholders interest in not prejudiced. Adequate opportunity is given to the shareholders to participate in the governance of the company.

Despite rapid development, financial exclusion, unacceptable poverty levels, unemployment, declining income levels from traditional agricultural activities and lack of skills have remained the major challenges in the economic development of Scheduled Castes. Although, the developmental parameters of the Scheduled Castes have improved since 2001, the gap between mainstream and Scheduled Castes population still persists in the society. Imbalances in development along with environmental degradation and gender inequality pose major challenges for attaining inclusive growth.

NSFDC support capacity development initiatives of State channelizing Agencies for promoting good governance and improving delivery of services. NSFDC also aspire to further integrate elements of good governance in its own operations.

2. Board of Directors

2.1 Board Composition and Category of Directors

The Directors are appointed by the President of India through Administrative Ministry in the Company. There are 15 posts in composition of Board of Directors. The Board consisted of 5members as on 31.03.2022 out of which one is woman director.

The composition of the Board and category of Directors are as follows:-

Category	Name of Directors	In the capacity of
Whole time, Executive, Managing Director	Shri Rajnish K. Jenaw	Chairman-cum-Managing Director
Government Directors*:-		
(a) Representing MOSJ&E	Shri Sanjay Pandey	JS & FA, MOSJ&E
(b) Representing other agencies	Shri S.M. Awale	Representative of IDBI
(c) Non-Official Director	Dr. K. Ramalingam (upto 20.03.2022) Smt. Anjula Singh Mahur Shri Durga Prasad	Independent Director Independent Director Independent Director

*The part time Government Directors are ex-officio appointees and their terms is co-terminus with the term of the respective position held by them in Government at the time of appointment on the Company's Board.

2.2 Board Meetings and Procedures

The Board of Directors is the apex body constituted for overseeing the Company's overall functioning. The Board provides and evaluates the Company's strategic direction, management policies and their effectiveness, and ensures that shareholders' (Government of India) long-term interests are being served.

2.3 No. of Board Meetings held with dates:

Four Board meetings were held during the year, as against the minimum requirement of two meetings. The details of Board meetings are given below:-

*Board Meeting	Date	Board Strength	No. of Directors Present
156th	29.07.2021	06	05
157th	06.12.2021	07	06
158th	07.03.2022	06	05
159th	31.03.2022	06**	05

*NSFDC is a Section-8 Company and Notification dated 05.06.2015 issued by MCA provide exemption under Section-173(1) and provide instead "shall apply only to the extent that the Board of Directors, of such companies shall hold at least one meeting within every six calendar months"

** Smt. Kalyani Chadha, Joint Secretary (SCD-B) was appointed as official director vide resolution passed in 158th Board Meeting held on 07.03.2022 to be appointed w.e.f. the date of receipt of DIN. Since she has attended the 158th Board Meeting held on 07.03.2022 as Special Invitee and resolution was also passed for appointment, she attended the 159th Board Meeting held on 31.03.2022 in the capacity of Director and DIR-12 has been filed within 30 days, subsequent upon issue of DIN on 27.04.2022.

2.4 Attendance of Directors at Board Meetings

Name of Directors	From	To	No. of Meetings held during tenure (2021-22)	No. of meetings attended during tenure (2021-22)
Shri Rajnish K. Jenaw	01.01.2021	Till date	4	4
Smt. Upma Srivastava	04.09.2020	29.12.2021	1	1
Shri Sanjay Pandey	18.07.2019	Till date	4	4
Shri Shalil M. Awale	04.06.2015	Till date	4	4
Shri Piyush Srivastava	23.03.2018	29.07.2021	-	-
Shri B. Ganeshan	25.03.2021	06.12..2021	1	1
Shri K. Ramalingam	20.03.2019	20.03.2022	3	2

Name of Directors	From	To	No. of Meetings held during tenure (2021-22)	No. of meetings attended during tenure (2021-22)
Smt. Anjula Singh Mahur	06.12.2021	Till date	1	1
Shri Durga Prasad Rai*	29.12.2021	Till date	3	3
Smt. Kalyani Chadha**	27.04.2022	Till date	1	1

* Shri Durga Prasad Rai, was appointed as Independent Director vide resolution passed in 157th Board Meeting held on 06.12.2021 to be appointed w.e.f. the date of receipt of DIN. Since he has attended the 157th Board Meeting held on 06.12.2021 as Special Invitee and resolution was also passed for appointment, he attended the 158th Board Meeting held on 07.03.2022 in the capacity of Director and DIR-12 has been filed within 30 days, subsequent upon issue of DIN on 29.12.2021.

** Smt. Kalyani Chadha, Joint Secretary (SCD-B) was appointed as official director vide resolution passed in 158th Board Meeting held on 07.03.2022 to be appointed w.e.f. the date of receipt of DIN. Since she has attended the 158th Board Meeting held on 07.03.2022 as Special Invitee and resolution was also passed for appointment, she attended the 159th Board Meeting held on 31.03.2022 in the capacity of Director and DIR-12 has been filed within 30 days, subsequent upon issue of DIN on 27.04.2022.

2.5 Appointments & Cessation of Directors

During the year the following change took place in the Board of Directors:-

Sl. No.	Name of Director	From	To	Reason for change
1	Smt. Anjula Singh Mahur	06.12.2021	Till Date	Appointment
2	Shri Durga Prasad	29.12.2021	Till Date	Appointment
3	Smt. Kalyani Chadha*	27.04.2022	Till Date	Appointment
4	Shri B. Ganeshan	25.03.2021	06.12.2021	Cessation
5	Smt. Upma Srivastava	04.09.2020	29.12.2021	Cessation
6	Shri K. Ramalingam	20.03.2017	20.03.2022	Cessation
7	Shri Piyush Srivastava	23.03.2018	29.07.2021	Cessation

* Smt. Kalyani Chadha, Joint Secretary (SCD-B) was appointed as official director vide resolution passed in 158th Board Meeting held on 07.03.2022 to be appointed w.e.f. the date of receipt of DIN. Since she has attended the 158th Board Meeting held on 07.03.2022 as Special Invitee and resolution was also passed for appointment, she attended the 159th Board Meeting held on 31.03.2022 in the

capacity of Director and DIR-12 has been filed within 30 days, subsequent upon issue of DIN on 27.04.2022.

2.6 Recording minutes of proceedings at Board and Committee Meetings

The Company Secretary records minutes of proceedings of each Board and Committee Meeting. Draft minutes are circulated to Board members for their comments. Decisions taken at Board/Committee Meetings are communicated to the concerned departments promptly for actions and an Action Taken Report on the status of the decision taken at the Board / Committee Meetings is placed, for the information, to the Board / Committee Members.

2.7 Remuneration to Directors

2.7.1 Whole time Executive, Managing Director

Being a Central Government Public Sector Enterprise, the appointment, tenure and remuneration of Chairman-cum-Managing Director is decided by the Government of India. The Government letter appointing Chairman-cum-Managing Directors indicate the detailed terms & condition of their appointment, including the period of appointment, scale of pay etc. and it also indicates that in respect of other terms and conditions not cover in the letter, the relevant rules of the Corporation shall apply.

2.7.2 Ex-officio Part Time Government Directors

Ex-officio Part Time Government Directors are not paid any remuneration and also not paid sitting fees for attending Board/Committee Meetings. None of the Government Directors have any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year.

2.7.3 Non-Official Directors

Independent Directors are not paid any remuneration except reimbursement of expenses on official visits to beneficiaries & training institutes. The Board in its 150th Board Meeting held on 20.03.2019 approved and fixed the rate of sitting fees at Rs.4000/- per day for attending the Board Meetings/Committee Meetings to the Independent Directors.

The sitting fees paid to Independent Directors during the year is given in the table below:-

Date of Board Meeting	**No. of Board Meeting/AGM**	**Sitting Fees Paid (in Rs.)**		
		Dr. K. Ramalingam	Smt. Anjula Singh Mahur	Shri Durga Prasad Rai
29.07.2021	156th Board Meeting	-	-	-
06.12.2021	157th Board Meeting	4000/-	-	4000/-
07.03.2022	158th Board Meeting / 11th Remuneration Committee Meeting	4000/-	4000/-	4000/-
31.03.2022	159th Board Meeting	-	-	4000/-
	Total	**8000/-**	**4,000/-**	**12,000/-**

2.8 Code of Conduct

NSFDC follows a well-defined Code of Conduct, which fairly addresses the issues of integrity, conflict interest and confidentiality and stresses the need of ethical conduct, which is the basis of good governance. Code of Conduct as applicable to Board level and below Board level i.e. one grade below Board level up to General Manager Cadre is in existence and has been acknowledge by all the members of the Board / Chief General Manager / General Manager(s) for the reporting year.

3. Annual General Meeting

During the preceding three years, 30th and 32nd Annual General Meeting were held at Chamber of Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment, 6th Floor, ('A'-Wing) Shastri Bhawan, New Delhi. However, the 31st Annual General Meeting took place through Video Conference due to Covid-19 Pandemic.

The date and time of Annual General Meetings held during last three years and the special resolution(s) passed thereat are as follows:-

AGM	Year	Date	Time	Special Resolution Passed
30th	2018-19	11.11.2019	11.30 A.M.	NIL
31st	2019-20	30.12.2020	2.30 P.M.	NIL
32nd	2020-21	26.11.2021	1.00 P.M.	NIL

4. Audit Committee

The Corporation is registered under Section-8 of the Companies Act, 2013 (earlier Section-25 of the Companies Act, 1956) as a Company not for profit. It is neither a Public Company nor a subsidiary of a Public Company. It is a Private Government Company and not listed with any Stock Exchange. Since the Company does not fall under the definition of listed Public Company, the provision of the constitution of the Audit Committee was not applicable to the Corporation. However, keeping in view the Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE, Audit Committee of the Board was constituted on 14.01.2016 on terms of reference as prescribed by DPE.

Ministry of Corporate Affairs issued a notification dated 05.06.2015, exempting Section-8 Companies to the extent "the words in sub-section (2) of Section-177 'with independent directors forming a majority' shall be omitted".

Accordingly, the Board may nominate any director as members as having independent directors as members is exempted for Section-8 Companies vide the aforesaid notification. The Audit Committee has discharged such roles as envisaged under the provisions of Section-177 of the Companies Act, 2013.

The Audit Committee met threetimes on 29.07.2021, 06.12.2021 and 07.03.2022 during the financial year 2021-22.

5. CSR Committee

The Corporate Social Responsibility Committee has been constituted in line with Section-135 and Schedule-VII of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014. The present CSR Committee comprises of ShriRajnish K. Jenaw (Chairman), Smt. UpmaSrivastava (Memberupto 29.12.2021) Shri S.M. Awale (Member) and ShriDurga Prasad Rai (Memberw.e.f. 29.12.2021). The role of CSR Committee should interalia include the following:

(i) Formulation & recommendation of CSR Policy to the Board.

(ii) Recommendation of CSR Expenditure.

(iii) Monitoring & implementation of CSR Projects

The Committee met three during the year under review on 29.07.2021, 06.12.2021 & 07.03.2022.

6. Disclosures

6.1 Disclosures on materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of Company at large

During the period under review, the Company had not entered into any material transaction with any of its related parties other than pay, allowances and housing loan.

6.2 Details of non-compliance by the Company, penalties, strictures imposed on the Company by any statutory authority, on any matter related to any guidelines issued by Government during the last three years

During the period under review, the Company had not been imposed penalty / strictures by any Statutory Authority during the last three years.

6.3 Compliance

The Company Secretary, while preparing the agenda, notes on agenda and minutes of the meeting(s), ensure adherence to the Companies Act, 2013 read with Rules issued thereunder, as applicable and the Secretarial Standards recommended by the Institute of Company Secretaries of India. The concerned departmental heads are responsible for all applicable laws and regulations, as per their respective functions.

7. **Whistle Blower Policy**

The Company promotes ethical behavior in all its business activities and has put in place a mechanism for reporting illegal or unethical behavior. The Company has a Vigil mechanism and Whistle Blower Policy under which the employees are free to report violations of applicable laws and regulations and the Code of Conduct.

8. **Means of Communication**

The Company displays Annual Report on its website together with other important information pertaining to the Company. Annual Reports and other papers related to shareholders are laid before LokSabha and RajyaSabha regularly. The Company displays official news releases in its website www.nsfdc.nic.in and social media like facebook, instagram, twitter and whatsapp.

9. **Compliance Certificate**

This report duly complies with the requirements of DPE's Guidelines on Corporate Governance for CPSEs and covers all the suggested items mentioned in Annexure-VII of the Guidelines. The quarterly report on compliance with the Corporate Governance requirements prescribed by DPE is also sent to Administrative Ministry regularly. The certificate obtained from practicing Company Secretary regarding compliance of conditions of Guidelines of Corporate Governance of CPSEs has been annexed to the Board Report at **Annexure-XI**.

While constituting the Committee of Directors, the requirements that a Director shall not be a member of more than 10 committees and Chairman of not more than 5 committees have been ensured and complied with. None of the Non-Official Directors serves as a Non-Official Directors in any listed company.

MNK AND ASSOCIATES LLP
Company Secretaries, LLPIN: AAM-9113
Regd office: 9A/9-10, Basement, East Patel Nagar, New Delhi-110008
Tel: +91-11-45095230; Mobile: +91-9818156340; Email: nazim@mnkassociates.com

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(As per Clause 8.2.1 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by DPE)

To,
The Members
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
New Delhi

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (the Company) for the year ended March 31,2022 as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India (DPE) and annexure mentioned thereunder.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to the procedure and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned Guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in DPE Guidelines, except the following:

1. As per DPE Guidelines, the Board shall meet atleast once in every three months and the time gap between any two meetings shall not be more than three months. However, on perusal of the records of the Company we observed that the Board has met 4 times during the financial year 2021-22 i.e. 29.07.2021, 06.12.2021, 07.03.2022 and 31.03.2022 and the time gap between Board Meetings exceeds 3(three) months.

2. As per DPE Guidelines, the Audit Committee shall have minimum three directors as members and two-third of its members as independent directors and the Chairman of the committee shall be an Independent Director. However, on perusal of records of the Company we observed that the Audit Committee consists of 4 members out of which one Director is an Independent Director and the Chairman of the committee is not an Independent Director.

3. As per DPE Guidelines, the Audit Committee shall meet atleast four times during the last 12 months and also not more than four months shall elapse between two meetings. However, on perusal of the records of the Company we observed that the

MOHD NAZIM KHAN
Digitally signed by MOHD NAZIM KHAN DN: c=IN, o=Personal, 2.5.4.20=a9f25e7010399541f98d4180dec d5611b116c0cf41c96f1fc3a05e6d51ae9a 78, postalCode=110005, st=DELHI, serialNumber=bc16e6fe9f0a94f5d4f8cc5 b31dec32aa274f08c4ccdb5585f07f9fa42 cb80da, cn=MOHD NAZIM KHAN Date: 2022.08.12 13:27:53 +05'30'

Audit Committee has met 3 times during the last 12 months i.e. 29.07.2021, 06.12.2021 and 07.03.2022 and there was gap of more than 4 months between the meetings.

4. As per DPE Guidelines, the quorum of Audit Committee meeting shall be either two members or one third of the members of the Audit Committee whichever is greater, but a minimum of two independent members must be present. However, on perusal of the records of the Company we observed that no Independent Directors were present in the meetings of Audit Committee held during the year.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

For MNK and Associates LLP
Company Secretaries
FRN: L2018DE004900

MOHD
NAZIM
KHAN

Digitally signed by MOHD NAZIM KHAN
DN: c=IN, o=Personal,
2.5.4.20=a9f25e7010399541f98d4180decd5611b116c0cf41c96f1fc3a05e6d51ae9a78,
postalCode=110005, st=DELHI,
serialNumber=bc16e6fe9f0a94f5d4f8cc5b31dec32aa274f08c4ccdb5585f07f9fa42cb80da, cn=MOHD NAZIM KHAN
Date: 2022.08.12 13:30:11 +05'30'

Mohd Nazim Khan
Designated Partner
Practicing Company Secretary
FCS: 6529; CP:8245
UDIN: F006529D000785549
Peer Review Cert. No:671/2020

Place: New Delhi
Date: 12.08.2022

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2022

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
I.	**ASSETS**			
1	**Non-current assets**			
	(a) Property, plant and equipment	3	410.57	423.76
	(b) Investment Property	4	11.63	12.22
	(c) Other intangible assets	5	2.07	1.45
	(e) Financial assets			
	(i) Loans	6	113,279.42	113,947.40
	(ii) Others	7	126.98	116.93
	(f) Other Non Current Assets	8	52.12	54.37
			113,882.79	**114,556.13**
2	**Current assets**			
	(a) Financial assets			
	(i) Cash and cash equivalents	9	6,888.34	7,700.72
	(ii) Bank balances other than (i) above	10	9,949.48	8,298.04
	(iii) Loans	6	89,114.51	83,361.22
	(iv) Others	11	4,519.87	6,080.55
	(b) Current Tax Asset(net)	12	15.75	15.75
	(c) Other Current Assets	13	43.41	58.25
			110,531.36	**105,514.53**
	Total Assets		**224,414.15**	**220,070.66**
II.	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Equity**			
	(a) Equity share capital	14	150,000.00	150,000.00
	(b) Other equity	15	68,530.96	63,652.84
			218,530.96	**213,652.84**
2	**Liabilities**			
(i)	**Non-current liabilities**			
	(a) Provisions	16	450.87	432.48
			450.87	**432.48**
(ii)	**Current liabilities**			
	(a) Financial liabilities			
	(i) Others	17.1	4,593.06	5,248.60
	(b) Other current liabilities	18	137.47	75.91
	(c) Provisions	16	701.79	660.83
			5,432.32	**5,985.34**
	Total Equity and Liabilities		**224,414.15**	**220,070.66**
III.	See accompanying notes to the financial statements	1-48		

As per our Report of even date attached
For M/s. P.K. Chopra & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006747N

Sd/-
(Manjeet Singh Chhatwal)
AGM (Finance)

Sd/-
(Rajesh Bihari)
Chief General Manager (Finance)

Sd/-
(Annu Bhogal)
DGM (CS, Audit, OL)

Sd/-
C.A. Ruchika Bhagat
Partner
M. No. 096129

Place : New Delhi
Date : 25.08.2022

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Durga Prasad Rai)
Director
DIN- 09453376

Sd/-
Rajnish Kumar Jenaw
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 09056584

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Statement of Income & Expenditure for the year ended 31st March, 2022

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
I	Revenue from operations	19	6,097.91	5,992.09
II	Other Income	20	1,187.26	1,259.89
III	Reversal of allowance for doubtful loans and interest	31.4	60.62	-
	Total Revenue (I+II+III)		**7,345.79**	**7,251.98**
IV	**Expenses**			
	Employee Benefits Expenses	21	1,853.28	1,575.90
	Finance Cost	22	-	0.55
	Depreciation & Amortization Expenses	23	30.96	40.23
	Allowance for Doubtful loans and Interest	31.4	56.00	55.09
	Incentives to SCA	24	90.00	89.30
	CSR Expenses	37	68.44	221.03
	Other Expenses	25	371.08	484.37
	Total Expenses (IV)		**2,469.76**	**2,466.47**
V	**Excess of Income over expenditure before Exceptional Items and Tax (III - IV)**		4,876.02	4,785.51
VI	**Exceptional Items**	26	1.60	-0.40
VII	**Excess of Income over expenditure before Tax (V - VI)**		**4,877.62**	**4,785.11**
VIII	**Tax expense:**			
	(1) Current tax		-	-
	(2) Deferred tax		-	-
IX	**Excess of Income over expenditure for the period from continuing operations (VII-VIII)**		**4,877.62**	**4,785.11**
X	**Excess of Income over expenditure from discontinued operations**			-
XI	**Tax expense of discontinued operations**			-
XII	**Excess of Income over expenditure discontinued operations (X - XI)**			
XIII	**Excess of Income over expenditure for the period (IX + XII)**		**4,877.62**	**4,785.11**
XIV	**Other Comprehensive Income**			
	A. (i) Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account	27	0.50	(81.91)
	(ii) Income Tax relating to Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	B. (i) Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
XV	**Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) (Comprising Excess of Income over expenditure and Other Comprehensive Income for the period**		**4,878.12**	**4,703.20**

XVI	**Earning per equity share:**			
	(For continuing Operation)			
	(1) Basic (in ₹Rs.)	28	**32.52**	**31.90**
	(2) Diluted (in ₹Rs.)	28	**32.52**	**31.90**
XVII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinuing Operation)			
	(1) Basic (in ₹Rs.)			
	(2) Diluted (in ₹Rs.)			
XVIII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinued and continuing Operation)			
	(1) Basic (in ₹Rs.)	28	**32.52**	**31.90**
	(2) Diluted (in ₹Rs.)	28	**32.52**	**31.90**
XIX	See accompanying notes to the financial statements			

As per our Report of even date attached
For M/s. P.K. Chopra & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006747N

Sd/-
C.A. Ruchika Bhagat
Partner
M. No. 096129

Place : New Delhi
Date : 25.08.2022

Sd/-
(Manjeet Singh Chhatwal)
AGM (Finance)

Sd/-
(Rajesh Bihari)
Chief General Manager (Finance)

Sd/-
(Annu Bhogal)
DGM (CS, Audit, OL)

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Durga Prasad Rai)
Director
DIN- 09453376

Sd/-
Rajnish Kumar Jenaw
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 09056584

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Statement of Changes in Equity (SOCE) for the year ended 31st March 2022

A. Equity share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	Number of shares (in lakhs)	Amount
Balance at April 1, 2021	**150.00**	**150,000.00**
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	-	-
Restated balance as at April 1, 2021	**150.00**	**150,000.00**
Changes in equity share capital during the current year	-	-
Issue of equity shares Capital during the year	-	-
Balance at March 31, 2022	**150.00**	**150,000.00**

B. Other Equity (₹ in Lakhs)

Particulars	Share application money pending allotment	Reserves & Surplus			Total
		Special Reserve	General Reserve	Retained Earnings	
Balance at the beginning of the year	-	6,351.95	57,300.88	(0.00)	63,652.83
Prior period Adjustments (Refer Note :- 33)					
Restated balance at the beginning of the year	**-**	**6,351.95**	**57,300.88**	**(0.00)**	**63,652.83**
Profit for the year	-	-	4,877.62		4,877.62
Other Comprehensive Income for the year	-		0.50		0.50
Total Comprehensive Income for the year	**-**	**6,351.95**	**62,179.00**	**(0.00)**	**68,530.96**
Transfer to Special reserve					-
Transfer of Interest on Special Reserve Fund Investment		-	-	-	-
Transfer to General Reserve		-	-	-	-
Share application money received during the year		-	-	-	-
Issue of share capital					-
Balance at the end of the year	**-**	**6,351.95**	**62,179.00**	**(0.00)**	**68,530.96**

As per our Report of even date attached
For M/s. P.K. Chopra & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006747N

Sd/-
(Manjeet Singh Chhatwal)
AGM (Finance)

Sd/-
(Rajesh Bihari)
Chief General Manager (Finance)

Sd/-
(Annu Bhogal)
DGM (CS, Audit, OL)

Sd/-
C.A. Ruchika Bhagat
Partner
M. No. 096129

Place : New Delhi
Date : 25.08.2022

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Durga Prasad Rai)
Director
DIN- 09453376

Sd/-
Rajnish Kumar Jenaw
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 09056584

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Statement of Changes in Equity (SOCE) for the year ended 31st March 2021

A. Equity share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	Number of shares (in lakhs)	Amount
Balance at April 1, 2020	**150.00**	**150,000.00**
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	-	-
Restated balance as at April 1, 2020	**150.00**	**150,000.00**
Changes in equity share capital during the current year	-	-
Issue of equity shares CAPITAL during the year	-	-
Balance at March 31, 2021	**150.00**	**150,000.00**

B. Other Equity (₹ in Lakhs)

Particulars	Share application money pending allotment	Reserves & Surplus			Total
		Special Reserve	General Reserve	Retained Earnings	
Balance at the beginning of the year	-	5,631.87	53,291.87	-	58,923.74
Prior period Adjustments (Refer Note :- 33)	-	-	25.88	-	25.88
Restated balance at the beginning of the year	**-**	**5,631.87**	**53,317.75**	**-**	**58,949.62**
Profit for the year	-	-		4,785.11	4,785.11
Other Comprehensive Income for the year	-			(81.91)	(81.91)
Total Comprehensive Income for the year	**-**	**-**	**-**	**4,703.20**	**4,703.20**
Transfer to Special reserve	-	451.34		(451.34)	-
Transfer of Interest on Special Reserve Fund Investment	-	268.75	-	(268.75)	-
Transfer to General Reserve			3,983.13	(3,983.13)	-
Share application money received during the year	-	-	-	-	-
Issue of share capital		-	-	-	-
Balance at the end of the year	**-**	**6,351.95**	**57,300.88**	**(0.00)**	**63,652.83**

As per our Report of even date attached
For M/s. P.K. Chopra & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006747N

Sd/-
(Manjeet Singh Chhatwal)
AGM (Finance)

Sd/-
(Rajesh Bihari)
Chief General Manager (Finance)

Sd/-
(Annu Bhogal)
DGM (CS, Audit, OL)

Sd/-
C.A. Ruchika Bhagat
Partner
M. No. 096129

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Durga Prasad Rai)
Director
DIN- 09453376

Sd/-
Rajnish Kumar Jenaw
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 09056584

Place : New Delhi
Date : 25.08.2022

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars		For the year ended 31st March 2022	For the year ended 31st March 2021
A. Cash Flow from Operating Activities			
Excess of income over expenditures before exceptional items and tax		**4,877.62**	**4,785.11**
Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by operating activities:			
Depreciation		30.96	40.23
Interest on lease liability		-	0.55
Loss /(Profit) on sale/impairment/exchange of assets		(1.60)	0.40
Modification Gain on Leases		-	1.95
Operating profit before changes in operating Assets & liabilities	**(1)**	**4,906.98**	**4,828.24**
Adjustments for:			
Decrease / (Increase) in non-current loans		668.00	(3,455.85)
Decrease / (Increase) in other non-current financial assets		(10.05)	(11.64)
Decrease / (Increase) in other non-current assets		2.25	6.81
Decrease / (Increase) in current loans		(5,753.29)	(4,156.71)
Decrease / (Increase) in other current financial assets		1,560.68	(379.70)
Decrease / (Increase) in other current assets		14.84	(18.40)
(Decrease) / Increase in other current financial liability		(655.53)	1,478.03
(Decrease) / Increase in other current liability		61.56	15.92
(Decrease)/ Increase in non current provisions		18.89	(41.61)
(Decrease)/ Increase in current provisions		40.95	(93.99)
	(2)	(4,051.70)	(6,657.14)
Cash generated from operation	**(1+2)**	**855.28**	**(1,828.90)**
Income Tax Paid		-	(0.07)
Net Cash Outflow from Operating Activities		**855.28**	**(1,828.97)**
B. Cash Flow From Investing Activities			
Sale/Disposal of Property, Plant and Equipments		2.27	0.86
Purchase of Property, Plant and Equipments		(16.68)	(22.26)
Purchase of Intangible Assets		(1.81)	-
Decrease/ (Increase) in Other Bank Balance		(2,078.29)	(628.40)
Interest on Special Reserve Fund investment		426.85	268.75
Net Cash Inflow from Investing Activities		**(1,667.66)**	**(381.05)**
C. Cash Flow From Financing Activities			
Issue of Share Capital		-	-
Share application money pending allotment		-	-
Proceeds from Borrowings		-	-
Interest on lease liability		-	(0.55)
Principal Lease Payment		-	(4.34)
Net Cash Inflow from Financing Activities		**-**	**(4.89)**
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		(812.38)	(2,214.91)
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year (Refer note :-9)		7,700.72	9,915.64
Closing Cash & Cash Equivalents		**6,888.34**	**7,700.72**
Reconciliation of Cash & Cash Equivalents			
Cash & Cash Equivalents at the end of the year (Refer note :-9)		**6,888.34**	**7,700.72**

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2022

Notes:-

(i) The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

(ii) The company adopted the amendment to Ind-AS 7 effective from April 1, 2017, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement.

(iii) Disclosure pursuant to Ind AS 7 "Statement of Cash Flows" - Changes in liabilities arising from financing activities:

Reconcilation of Liabilities arising from financing activities

(₹ in Lakhs)

	Lease Liabilities	
Particulars	**As at 31st March 2022**	**As at 31st March 2021**
Balance at Beginning of Period	-	6.29
Adoption of Ind AS-116		
Restated Balance at 1st April, 2019	**-**	**6.29**
Cash flows:-		
-Repayment	-	4.89
-Proceeds	-	
Non-Cash:-	-	
- Fair Value	-	0.55
-Additions to right of use assets in exchange for increased lease liabilities	-	
Modification gain	-	(1.95)
Balance at end of the Period	**-**	**-**

iv Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

As per our Report of even date attached
For M/s. P.K. Chopra & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006747N

Sd/-
(Manjeet Singh Chhatwal)
AGM (Finance)

Sd/-
(Rajesh Bihari)
Chief General Manager (Finance)

Sd/-
(Annu Bhogal)
DGM (CS, Audit, OL)

Sd/-
C.A. Ruchika Bhagat
Partner
M. No. 096129

Place : New Delhi
Date : 25.08.2022

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Durga Prasad Rai)
Director
DIN- 09453376

Sd/-
Rajnish Kumar Jenaw
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 09056584

Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

1 Corporate Information

National Scheduled Castes & Scheduled Tribes Finance and Development Corporation is a not for profit company domiciled in India and was incorporated on 08.02.1989 under Section 25 of companies Act 1956 (now under Section 8 of the Companies Act, 2013). It catered to the needs of both Scheduled Castes & Scheduled Tribes target groups till 09.04.2001. On 10.04.2001, the Corporation was bifurcated after creation of National Scheduled Tribes Finance & Development Corporation for Scheduled Tribes target group under Ministry of Tribal Affairs. Consequent upon its bifurcation, Corporation now exclusively caters to the needs of Scheduled Castes target group. The registered office of the company is located at 14th Floor, Core 1 & 2, Scope Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092.

2 Accounting Policies

2.1 Statement of Compliance

The financial statements as at and for year ended March 31, 2022 have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time.

2.2 Basis of preparation

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the following item that have been measured at fair value as required by relevant Ind-AS.

(i) Defined benefit Plan and other long term employee benefits

(ii) Certain financial assets and liabilities measured at fair value.

2.3 Use of estimates and judgement

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates include useful life of property, plant and equipment , intangible assets , provision for doubtful debts, future obligations under employee retirement benefit plans & contingent liabilities. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognised in the period in which the results are known /materialize.

2.4 All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakh rupees with two decimal points except where otherwise stated.

2.5 Statement of Cash flow

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purposes of statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.

Ind-AS 7:

The company adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

2.6 Foreign Currency

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (i.e. Functional Currency). The financial statements are presented in Indian rupees, which is the company's functional and presentation currency.

Income and expenses in foreign currencies are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transaction. Foreign currency monetary assets and liabilities are translated at the exchange rate prevailing on the balance sheet date and exchange gains and losses arising on settlement and restatement are recognised in the statement of Income & Expenditure.

2.7 Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any.

Cost of asset includes the following:

(i) Cost directly attributable to the acquisition of the assets

(ii) Present value of the estimated costs of dismantling & removing the items & restoring the site on which it is located if recognition criteria are met.

Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts and borrowing costs for long-term construction projects are capitalised if the recognition criteria are met.

Property, Plant & Equipment whose cost does not exceed Rs.5000/- have been directly charged to statement of income & expenditure.

Upon sale of assets cost and accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and the resultant gains or losses are recognized in the statement of income & expenditure.

Depreciation is provided for property, plant and equipment on written down value method over their estimated useful life of assets as prescribed in schedule II of the Companies Act 2013. The estimated

useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimates accounted for on a prospective basis.

The estimated useful lives are as mentioned below:

Category of Assets

Particulars	**Estimated Useful Life (years)**
Freehold Building	60
Air Conditioners	5
Computer & Peripherals	3
Fixture & fittings	10
Furniture	10
Office Equipment	5
Vehicles	8

Leasehold building is being amortised over the primary lease period.

Each part of an item of Property, Plant and Equipment is depreciated separately if the cost of part is significant in relation to the total cost of the item and useful life of that part is different from the useful life of remaining asset.

The residual value of the assets is taken as 5% of the cost of assets.

Depreciation is not recorded on capital work-in-progress until construction and installation are complete and the asset is ready for its intended use.

2.8 Intangible assets

Intangible assets are recognized when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are stated at historical cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.In respect of 'Intangible Assets' software not forming integral part of hardware equipment; software development and related expenditure resulting into successful deployment of the developed software, is recognized at cost and being amortized over a period of 3 years thereof.Depreciation methods, useful life and residual values are reviewed at each balance sheet date.

2.9 Investment properties

(i) Investment property comprises completed property, property under construction and property held under finance lease that is held to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for sale in the ordinary course of business or for use in production or administrative functions.

(ii) Investment Properties are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.

(iii) The company depreciates building component of investment property over the estimated useful life of the assets as prescribed in schedule II of the Companies Act 2013.**(Refer note:2.7)**

(iv) Investment properties are derecognized either when they have been disposed off or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. Difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognized in

Statement of Income & Expenditure in the period of de-recognition.

2.10 Provisions

Provision is recognised when:

(i) The Company has a present obligation as a result of a past event,

(ii) A probable outflow of resources is expected to settle the obligation and

(iii) A reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provision recognized above which are expected to be settled beyond 12 months are measured at the present value by using pre-tax discount rate that reflects the risks specific to the liability and the increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expenses.

Provision are reviewed at each Balance Sheet Date.

2.11 Revenue recognition

I. Revenue from Operation:

Revenue is recognized to the extent that, it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. However when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable, is recognise as an expense rather as an adjustment of the amount of revenue already recognised.

a) Interest income on loans given is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable, using Effective Interest Rate method.

b) Penal interest on defaults in the repayments is recognized on realization due to uncertainty of its collectability.

c) Penal interest is charged on unutilzed amount of loans refunded, subject to management policy **(refer note- 19.1)** and is accounted for on accrual basis.

II Other Revenue Recognition:

a) Interest income on bank deposits are recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable.

b) Interest income on Staff loans given is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable, using Effective Interest Rate method.

2.12 Revenue Grants from Government/Other Organisations as permitted under IndAS 20

i) Grants are recognised in Income and expenditure Account on a systematic basis over the periods in which the entity recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.

ii) A Government grant may become receivable by an entity as compensation for expenses or losses incurred in a previous period. Such a grant is recognised in Income and expenditure Account of the period in which it becomes receivable.

iii) Grants related to income are deducted in reporting the related expenses.

2.13 LEASES

As A Lessee

(i) The Company Recognizes a right-of- use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date , plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

(ii) The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-to-use-asset or the end of the lease term. The estimated useful life of the right-to-use asset is determined on the same basis as those of property, plant and equipment. In addition, the right-to-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

(iii) The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate.

(iv) The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method, it is remeasured when there is a change in future lease payments from a change in an index or rate. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right -of-use asset, or is recorded in the profit and loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

(v) The Company presents right-of-use asset that do not meet the definition of Investment property in the "Property plant and equipment" and lease liabilities in "other financial liabilities" in the Balance Sheet.

(vi) Short term Lease and Leases of low value assets. The Company has elected not to recognize right-of-use asset and lease liabilities for short term leases that have lease term of 12 months or less and leases of low value assets. The Company recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

As A Lessor

(i) When the Company acts as a lessor, it determines at lease inception whether each lease is a finance lease or an operating lease. To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all the risk and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is a finance lease, if not then it is an operating lease. As part of the assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease is for the major part of the economic life of the asset.

(ii) If an arrangement contains lease and non-lease components, the Company applies Ind AS-115 "Revenue from contract with customers" to allocate the consideration in the contract.

(iii) The Company recognizes lease payments received under operating lease as income on a straight-line basis over the lease term as part of "Other Income".

2.14 Impairment of Non Financial Assets

(i) The carrying amounts of the assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the asset's recoverable amount is estimated. For assets that are not yet available for use, the recoverable amount is estimated at each balance sheet date.

(ii) An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the Statement of Income & Expenditure.

(iii) An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized.

2.15 Employee Benefits

(i) Short Term Employee Benefits

Short Term Employee Benefits such as short-term compensated absences are recognized as an expense on an undiscounted basis in the statement of Income & Expenditure of the year in which the related service is rendered.

(ii) Post-Employment Benefits & other Long Term Employee Benefits

a) Defined Contribution Plan

Defined Contribution Plans such as Provident Fund, Pension Employees Deposit Linked Insurance, Group Savings Linked Insurance Schemes are recognized as an expense and charged to the statement of Income & Expenditure. The company makes defined contribution to the Regional Provident Fund Commissioner in respect of provident fund. The Company does not have further obligation in this respect beyond its contribution which is expensed off when they become due.

The Post Retiral plans such as "" Defined contributory Pension Scheme for Employees of NSFDC"" and "" Defined contributory Medical Scheme for Retired Employees"" are subject to the contribution made by the company as per DPE OM dated 21.05.2014.

(i) Pension Scheme

The Corporation has a "Defined Contributory Pension Scheme for Employees of NSFDC" as per DPE Guidelines. The employer contribute 10% of the Basic Pay plus DA every month to the Trust. The Corporation has formed a trust in the name of "Defined Contributory Pension Scheme Trust for Employees of NSFDC" for managing the scheme. LIC of India is the fund Manager for the NSFDC.

(ii) Retired Employees Medical Scheme

The Corporation has "Defined Contribution Medical Scheme for Retired Employees". The Corporation has formed a trust in the name of "Defined Contributory Medical Scheme Trust for Retired Employees of NSFDC". The employer contribute 3% of the Basic Pay plus DA every month to the Trust. The fund was managed by the Trust since inception till 01.08.2018. LIC of India is managing the

funds of the Trust under Group Superannuation Cash Accumulation benefit Scheme w.e.f. 02.08.2018.

b) Defined Benefits Plan

(i) Gratuity

The employees Gratuity Fund Scheme is funded by the Corporation managed by LIC through a separate trust. LIC, a Government Undertaking has charged the premium during the year based on the actuarial calculation as certified by LIC. The amount recognized in the balance sheet is the present value of the defined benefit obligations less fair value of plan assets less any past service cost not yet recognized, at the balance sheet date.

(ii) Leave Benefit

The Corporation operates a defined benefit plan (the Leave Benefit Plan) covering eligible employees based on the respective employees salary and the tenure of employment as per the leave rules of the Corporation. Leave Benefits such as Leave Encashment, Sick Leave, etc. are recognized on the basis of actuarial valuation made as at the end of the year.

2.16 Special reserve Fund

The Corporation transfers 10% of Excess of Income over Expenditure to the Special Reserve fund, before considering income on special Reserve fund, for meeting investments in buildings and for contingencies/eventualities.

2.17 Income taxes

The Income of the Company is exempted from tax under section 10(26B) of the Income Tax Act, 1961. Thus no provision for income tax is required. Consequently the provisions of Ind AS-12 of the "Accounting for Income Taxes" is not applicable.

2.18 Earnings per Share

In determining basic earnings per share, the company considers the net profit attributable to equity shareholders. The number of shares used in computing basic earnings per share is the weighted average number of shares outstanding during the period. In determining diluted earnings per share, the net profit attributable to equity shareholders and weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effect of all dilutive potential equity shares.

2.19 Contingent Liabilities and Contingent Assets

Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:

(i) A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or

(ii) A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or

(iii) A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.

Contingent assets is disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

Contingent Liability and Provisions needed against Contingent Liability and Contingent Assets are reviewed at each Reporting date.

Contingent Liability is net of estimated provisions considering possible outflow on settlement.

2.20 Fair Value Measurement

Assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole: -

Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities

Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

At the reporting date, the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be re-measured or re-assessed as per the accounting policies. For this analysis, the Company verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The Company also compares the change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to determine whether the change is reasonable.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

2.21 Financial instruments:-

(i) Initial recognition and measurement

Financial Instruments recognized at its fair value plus or minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instruments.

(ii) Subsequent measurement

Financial Assets

Financial assets are classified in following categories:

A. At Amortised Cost

A financial asset shall be measured at amortised cost if both of the following conditions are met:

(a) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and

(b) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets measured at amortised cost using effective interest rate method less impairment, if any. The EIR amortisation is included in finance income in the statement of Income & Expenditure.

B. **At fair value through other comprehensive income (FVTOCI)**

A 'debt instrument' is classified as at the Fair value through Other comprehensive income if both of the following criteria are met:

- The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and
- The asset's contractual cash flows represent solely payment of principal and interest (SPPI). Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Statement of Income & Expenditure. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to P&L. Interest earned is recognised using the EIR method.

C. **At Fair value through Profit & Loss (FVTPL)**

FVTPL is a residual category for financial Assets. Any financial assets, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate financial asset, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. If doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency. The company has not designated any financial asset as at FVTPL. Financial assets included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the Statement of Income & Expenditure.

Financial Liabilities

a) Financial liabilities at Amortised Cost

Financial liabilities at amortised cost represented by trade and other payables, security deposits and retention money are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

b) Financial liabilities at FVTPL

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.

(iii) De-recognition

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of Income & Expenditure.

(iv) Impairment of financial assets:

i) The company assesses at each date of balance sheet whether a financial asset is impaired. Ind AS-109 requires expected credit losses (ECL) to be measured through a loss allowance.

ii) For all Financial Assets other than contract assets/ Trade receivables, expected credit losses are to be measured at an amount equal to 12 months expected credit losses or at an amount equal to the life time ECL's if credit risk on the financial asset has increase significantly since its initial recognition.

iii) ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized as income/expense in the statement of Income & Expenditure.

2.22 Non-current Assets (or disposal groups) held for Sale

Non-current assets (or disposal groups) are classified as assets held for sale when their carrying amount is to be recovered principally through a sale transaction and a sale is considered highly probable. The sale is considered highly probable only when the asset or disposal group is available for immediate sale in its present condition, it is unlikely that the sale will be withdrawn and sale is expected within one year from the date of the classification. Disposal groups classified as held for sale are stated at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell. Property, plant and equipment and intangible assets are not depreciated or amortised once classified as held for sale. Assets and liabilities classified as held for sale are presented separately in the Balance sheet.

If the criteria stated by IND AS 105 "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations" are no longer met, the disposal group ceases to be classified as held for sale. Non-current asset that ceases to be classified as held for sale are measured at the lower of (i) its carrying amount before the asset was classified as held for sale, adjusted for depreciation that would have been recognised had that asset not been classified as held for sale, and (ii) its recoverable amount at the date when the disposal group ceases to be classified as held for sale.

2.23 Standard/Amendments issued but not yet effective

MCA had issued the Indian Accounting Standards Amendments Rules, 2022 vide notification dated 23rd March 2022. In the Indian Accounting Standards Amendments Rules, 2022, amendments has been made in following standards:-

1. First-time Adoption of Indian Accounting Standards (Ind AS-101)
2. Business Combinations (Ind AS-103)
3. Financial Instruments (Ind AS-109)
4. Property, Plant and Equipment (Ind AS-16)
5. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Ind AS-37)
6. Agriculture (Ind AS-41)

The effective date of these amendments is annual periods beginning on or after 1st April 2022. The Company is currently evaluating the impact of the amendments and has not yet determined the impact on the financial statements.

3 Property, Plant & Equipment

(₹ in Lakhs)

Particulars	Buildings Freehold	Buildings Leasehold	Furniture & Fixtures	Vehicles	Office Equipment	Computers	Total
Cost or Deemed Cost							
At 1 April 2020	**22.48**	**646.89**	**109.86**	**15.41**	**40.90**	**94.44**	**929.99**
Additions	-	-	1.06	8.02	2.15	11.03	22.26
Disposals/Adjustments	-	-	(0.06)	-	(2.68)	(31.86)	(34.60)
At 31 March 2021	**22.48**	**646.89**	**110.86**	**23.43**	**40.37**	**73.61**	**917.65**
Additions	-	-	5.72	0.28	4.04	6.64	16.68
Disposals/Adjustments	-	-	(1.12)	(7.46)	(3.22)	-	(11.80)
At 31 March 2022	**22.48**	**646.89**	**115.46**	**16.25**	**41.19**	**80.25**	**922.53**
Depreciation and Impairment							
At 1 April 2020	**17.04**	**239.35**	**99.83**	**13.77**	**35.09**	**88.46**	**493.55**
Depreciation charge for the year	0.26	23.04	1.32	0.55	2.50	6.41	34.08
Impairment							-
Disposals/Adjustments	-	-	(0.06)	-	(2.36)	(31.32)	(33.74)
At 31 March 2021	**17.30**	**262.39**	**101.09**	**14.32**	**35.23**	**63.55**	**493.89**
Depreciation charge for the year	0.25	16.35	1.44	2.48	2.90	5.78	29.20
Impairment							
Disposals/Adjustments	-	-	(1.06)	(7.06)	(3.01)	-	(11.13)
At 31 March 2022	**17.55**	**278.74**	**101.47**	**9.74**	**35.12**	**69.33**	**511.96**
Net book value							
At 31 March 2022	**4.92**	**368.15**	**14.00**	**6.51**	**6.07**	**10.92**	**410.57**
At 31 March 2021	**5.17**	**384.50**	**9.78**	**9.11**	**5.14**	**10.06**	**423.76**

Note :- 3.1 The company has applied the estimated useful lives as specified in Schedule II, of the Companies Act 2013, except in respect of certain assets as disclosed in Accounting Policy on Depreciation / Amortization on fixed assets. Accordingly, the unamortized carrying value is being depreciated /amortized over the revised / remaining useful lives.

Note :- 3.2 Buildings includes both leasehold and freehold buildings. Leasehold buildings premises at SCOPE Minar under right of use for 89 years from DDA/Scope is purchased on sub-lease pending transfer of title/sub-lease. Two flats purchased in Mumbai are under right of use for 90 years is yet to be executed between MHADA & Housing Society.

Note :- 3.3* The Company has adopted Ind-AS 116 – "Leases" w.e.f. April 1, 2019 as notified by the Ministry of Corporate Affairs in the Companies (India Accounting Standards) Amendment Rules, 2019, using modified retrospective method which requires lease arrangement to be recognized in the Balance Sheet of the lessee as a 'right of use' asset with a corresponding lease liability. For detail **refer note no. 41.**

Note:- 3.4 Details of the Property, not held in the name of the Company are as follows:-

	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Property, Plant & Equipment (PPE)	**Land Building Situated at Core 1, 14th Floor, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi**	646.89	Standing Committee of Public Enterprises	N/A	6/17/2005	**Refer 3.2 above**
Property, Plant & Equipment (PPE)	**Mumbai flats**	239.04	MHADA	N/A	25.06.1997	**Refer 3.2 above**

4 Investment Property

(₹ in Lakhs)

Particulars	Buildings	Total
Cost or Deemed Cost		
At 1 April 2020	**46.50**	**46.50**
Additions		
Disposals/Adjustments		
At 31 March 2021	**46.50**	**46.50**
Additions		
Disposals/Adjustments		
At 31 March 2022	**46.50**	**46.50**
Depreciation and Impairment		
At 1 April 2020	**33.66**	**33.66**
Depreciation charge for the year	0.62	0.62
Impairment		
Disposals/Adjustments		
At 31 March 2021	**34.28**	**34.28**
Depreciation charge for the year	0.59	0.59
Impairment		
Disposals/Adjustments		
At 31 March 2022	**34.87**	**34.87**
Net book value		
At 31 March 2022	**11.63**	**11.63**
At 31 March 2021	**12.22**	**12.22**

Note :- 4.1 The company has applied the estimated useful lives as specified in Schedule II, of the Companies Act 2013, except in respect of certain assets as disclosed in Accounting Policy on Depreciation / Amortization on fixed assets. Accordingly, the unamortized carrying value is being depreciated /amortized over the revised / remaining useful lives.

Note:- 4.2 Valuation of Investment Property

VALUATION OF PORTION "A"

Carpet Area	328.39 Sq.Mt.
Circle Rate for office space W.e.f. 15-12-2015	₹ 77000/Sq.Mt.
Value of office space portion A @Rs.77000	25,286,030.00
It is on 4th floor and on main road it is facing	
Flyover hence deduction @ 20%	5,057,206.00
Fair Market Value of Portion A	**20,228,824.00**
	202.00 Lakhs

VALUATION OF PORTION "B"

Carpet Area	57.704 Sq.Mt.
Circle Rate for office space W.e.f. 15-12-2015	₹ 77000/Sq.Mt.
Value of office space portion A @Rs.77000	4,443,208.00
It is on 4th floor and on main road it is facing	
Flyover hence deduction @ 20%	888,641.60
	3,554,566.40
Add for Wooden Partition Wall and other	150,000.00
Wood work after adjusting depreciation	
	3,704,566.40
Fair Market Value of Portion B	**37.04 Lakhs**
Fair Market Value of Property	**239.04**

Fair value determined based on an annual evaluation performed by a registered valuer as defined under rule 2 of Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 applying valuation model acceptable internationally.

5 Intangible Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Computer Software	Total
Cost or Deemed Cost		
At 1 April 2020	**31.78**	**31.78**
Addition during the year	**-**	-
Adjustment	**-**	-
At 31st March 2021	**31.78**	**31.78**
Addition during the year	1.81	1.81
Adjustment		
At 31st March 2022	**33.59**	**33.59**
Amortization and Impairment		
At 1 April 2020	**24.80**	**24.80**
Amortization during the year	5.53	5.53
Impairment during the year		
At 31st March 2021	**30.33**	**30.33**
Amortization during the year	1.19	1.19
Impairment during the year		
At 31st March 2022	**31.52**	**31.52**
Net Carrying Value		
At 31st March 2022	**2.07**	**2.07**
As at 31 March 2021	**1.45**	**1.45**

6 Financial assets - Loans

Non-current portion of the Loans has been classified under 'non-current financial assets - loans' and current portion of the Loans has been classified under 'current financial assets - loans'.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022		Total	As at 31st March 2021		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
I A. Loans (Considered good-Unsecured)						
i) Term Loan Disbursement (Refer note:6.1)	530,942.06		530,942.06	482,228.87	-	482,228.87
Less: Refund / Recall	(78,879.81)		-78,879.81	(69,186.41)	-	-69,186.41
Less: Re-payments	(275,080.91)		-275,080.91	(240,635.89)	-	-240,635.89
Less Current part	(74,868.46)	74,868.46	-	(67,886.79)	67,886.79	-
	102,112.88	**74,868.46**	**176,981.34**	**104,519.78**	**67,886.79**	**172,406.57**
ii) M.C.F. Disbursement	68,460.46		68,460.46	66,990.29	-	66,990.29
Less: Refund / Recall	(13,477.31)		-13,477.31	(12,849.62)	-	-12,849.62
Less: Re-payments	(49,781.47)		-49,781.47	(48,231.99)	-	-48,231.99
Less Current part	(3,860.28)	3,860.28	-	(4,578.52)	4,578.52	-
	1,341.40	**3,860.28**	**5,201.68**	**1,330.16**	**4,578.52**	**5,908.68**
iii) M.S.Y. Disbursement	84,409.53		84,409.53	78,194.39	-	78,194.39
Less: Refund / Recall	(12,368.43)		-12,368.43	(12,349.94)	-	-12,349.94
Less: Re-payments	(56,851.69)		-56,851.69	(52,027.93)	-	-52,027.93
Less Current part	(8,170.09)	8,170.09	-	(8,889.75)	8,889.75	-
	7,019.32	**8,170.09**	**15,189.41**	**4,926.77**	**8,889.75**	**13,816.52**
iv) M.K.Y. Disbursement	1,358.70		1,358.70	1,358.70	-	1,358.70
Less: Refund / Recall	(563.47)		-563.47	(560.07)	-	-560.07
Less: Re-payments	(621.65)		-621.65	(613.53)	-	-613.53
Less Current part	(96.51)	96.51	-	(87.66)	87.66	-
	77.07	**96.51**	**173.58**	**97.44**	**87.66**	**185.10**
v) S.S.Y. Disbursement	480.65		480.65	480.65	-	480.65
Less: Refund / Recall	-259.84		-259.84	(258.24)	-	-258.24
Less: Re-payments	-164.25		-164.25	(157.58)	-	-157.58
Less Current part	-26.67	26.67	-	(15.56)	15.56	-
	29.89	**26.67**	**56.56**	**49.27**	**15.56**	**64.83**
vi) E.L.S. Disbursement	6,878.70		6,878.70	6,359.02	-	6,359.02
Less: Refund / Recall	(576.73)		-576.73	(504.69)	-	-504.69
Less: Re-payments	(2,675.94)		-2,675.94	(2,137.86)	-	-2,137.86
Less Current part	(1,693.53)	1,693.53	-	(1,547.91)	1,547.91	-
	1,932.50	**1,693.53**	**3,626.03**	**2,168.56**	**1,547.91**	**3,716.47**
vii) VTLES	568.27		568.27	568.27	-	568.27
Less: Refund / Recall	-		-		-	-
Less: Re-payments	-175.61		-175.61	(61.96)	-	-61.96
Less Current part	-113.65	113.65	-	(113.65)	113.65	-
	279.01	**113.65**	**392.66**	**392.66**	**113.65**	**506.31**
viii) AMY DISBURSEMENT				-	-	-
Less: Refund / Recall				-	-	-
Less: Re-payments				-	-	-
Less Current part					-	-
TOTAL : I A	**112,792.07**	**88,829.19**	**201,621.26**	**113,484.65**	**83,119.84**	**196,604.48**

I B.	**Loans (Considered good-Secured)**			-			
i)	**AMY**	759.53	-	759.53	416.27	-	416.27
	Less: Refund / Recall	-	-	-	-	-	-
	Less: Re-payments	(336.52)	-	-336.52	(260.94)	-	-260.94
	Less Current part	(189.18)	189.18	-	(84.28)	84.28	-
		233.83	189.18	423.00	71.05	84.28	155.33
ii)	**UNY. Disbursement***	589.04		589.04	589.04	-	589.04
	Less: Refund / Recall	-		-	-	-	-
	Less: Re-payments	-589.04		-589.04	(438.13)	-	-438.13
	Less Current part				(52.74)	52.74	-
		-	**-**	**-**	**98.17**	**52.74**	**150.91**
iii)	**Staff Advances**	253.52	96.14	349.66	293.53	104.36	397.89
	TOTAL : I B	**487.35**	**285.32**	**772.66**	**462.75**	**241.38**	**704.13**
	* Against Lien of FDR'S ,PDC's						
I C.	**Loans Receivables which have Significant increase in credit risk**			-			
(i)	**Term Loan Disbursement**	605.65		605.65	666.27		666.27
	Less: Refund / Recall			-	-		-
	Less: Re-payments			-	-		-
	Less Current part			-	-		-
		605.65	-	605.65	666.27	-	666.27
(ii)	**M.C.F. Disbursement**	16.00		16.00	16.00		16.00
	Less: Refund / Recall			-	-		-
	Less: Re-payments			-	-		-
	Less Current part			-	-		-
		16.00	**-**	**16.00**	**16.00**	**-**	**16.00**
(iii)	**M.S.Y. Disbursement**	95.00		95.00	95.00		95.00
	Less: Refund / Recall			-	-		-
	Less: Re-payments			-	-		-
	Less Current part			-	-		-
		95.00	**-**	**95.00**	**95.00**	**-**	**95.00**
	TOTAL : I C	716.65	-	716.65	777.27	-	777.27
	Less: Allowance for Bad & Doubtful Loans (refer note:31)	(716.65)		(716.65)	(777.27)		(777.27)
	Total (1A+1B)	**113,279.42**	**89,114.51**	**202,393.93**	**113,947.40**	**83,361.22**	**197,308.62**

6.1 Details for the Year

Particulars	Op Balance 01.04.2021	Disbursements 2021-22	Repayments 2021-22	Refund / Recall 2021-22	Cl. Balance 31.03.22
Term Loan (TL)	173,072.85	48,652.57	34,445.02	9,693.40	177,587.00
Micro Credit Finance (MCF)*	5,924.68	1,470.17	1,549.48	627.69	5,217.68
Mahila Samridhi Yojna (MSY)	13,911.53	6,215.14	4,823.76	18.50	15,284.41
Mahila Kisan Yojna (MKY)	185.10	-	8.11	3.40	173.59
Shilpi Samridhi Yojna (SSY)	64.83	-	6.67	1.60	56.56
Education Loan Scheme (ELS)	3,716.47	519.67	538.08	72.04	3,626.02
VTLES	506.31	-	113.65	-	392.66
AMY	155.32	343.26	75.58	-	423.00
UNY	150.91	-	150.91	-	-0.00
Total	**197,688.00**	**57,200.81**	**41,711.28**	**10,416.63**	**202,760.91**
Previous Year Figures.	**190,001.15**	**54,823.13**	**42,349.47**	**4,786.81**	**197,688.00**

* Opening Balance includes an adjustment of ₹ 2333.45 lakhs from MCF to term loans.

6.1(A): Current Loans are loan amounts which are receivable during the next 12 months after end of the financial year.

6.1(B): The unutilized amount of loan beyond 120 days under the prevalent lending policy is eligible for refund. However, as the same is indeterminable due to various factor such as delay in completion of documentation by the beneficiaries with the SCA's, coverage of beneficiaries in remote rural areas, utlization certificates remaining in the pipeline etc stand in non-current.

6.1(C):Outstanding loan amounting to ₹ 2,460.72 lakh (2020-21 ₹ 1,985.47 lakh) is backed by total available Government Assurance of ₹ 21,651.15 lakh (previous year ₹19,151.15 lakh). As per legal opinion obtained by the company, government assurance do not amount to government deed/order. However, same can be enforced in disputed case by way of Arbitration. In view of above, company is adequately covered in case where outstanding loan amount is backed by Government Assurance.

6.1(D): (i) During the Financial Year 2021-22, Board in its 158th Board Meeting held on 07.03.2022 approved to waive the Interest on Refund levied on Indian Overseas Bank as per lending policy of NSFDC for Banks/RRBs amounting to ₹ 52,88,433/-.

(ii) Independent Audit Report require that despite having overdues more than three years, the company is not invoking State Government Guarantee resulting into blockage of funds. Accordingly, during the year 2020-21, the Corporation appointed Sole Arbitrator for recovery of dues as provided in the State Government Guarantee, in case of three SCAs namely:-

(a) Sahityaratna Lokshahir Annabhau Sathe Development Corporation Ltd. (LASDC).

(b) Dr. Ambedkar Antyodaya Development Corporation (DAADC)

(c) Manipur State SCs & STs Development Co-operative Bank Ltd. (MSTCB).

In the matters of LASDC and DAADC. Arbitral Tribunal has directed the parties to settle the claim amount to the extent of ₹ 93.24 crore in case of LASDC and ₹15.00 crore in case of DAADC. In case of MSTCB, the Arbitral Tribunal has passed Award Order to pay, the amount of ₹1.53 crore together with 9% interest thereon from the date of the filing of statement of claim till the date of actual payment by the Respondent to the claimant(NSFDC). For execution of Award Order, the Corporation has filed an Arbitration Execution Case in the Court of District Judge, Imphal, Manipur. The Corporation has deferred recognition of interest income at enhanced rate of 9% during the accounting period till 31.03.2022 in accordance with Ind AS 109.

7 Other financial assets - Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Considered good-Unsecured		
Security Deposit **(refer note:7.1)**	5.84	6.41
Interest Receivables but not due	121.14	110.52
Receivables which have Significant increase in credit risk		
Deposit recoverable (Doubtful)	1,539.99	1,539.99
Less: Allowance for Bad & Doubtful Loans **(refer note:31)**	(1,539.99)	(1,539.99)
Total	**126.98**	**116.93**

7.1 Security Deposits includes Telephone & Telex Security.

7.2 Deposit recoverable includes amount recoverable from Punwire ₹ 1,539.99/- Lakhs **(Refer Note 31.3)**.

8 Other Non Current Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Prepaid Expenses-Staff Cost **(refer note:8.1)**	52.12	54.37
	52.12	**54.37**

8.1 Prepaid expenses includes ₹52.12 lakhs (for 2020-21 ₹ 54.37 lakhs) towards unamortized portion of Staff Loans & Advances or difference between the fair value of financial assets at initial recognition & loans given.

9 Cash and cash equivalent (₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Cash and Bank Balances		
Saving Bank Account	6,888.34	7,700.72
Total	**6,888.34**	**7,700.72**

10 Bank Balance Other than Cash & Cash Equivalent (₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Other bank balance		
FDR's	-	50.60
Special Reserve Fund FDR's	6,351.95	5,069.99
Other **(refer note:10.1)**	3,597.53	3,177.45
Total	**9,949.48**	**8,298.04**

10.1 Other bank balances-It represent Grant Funds meant for utilization for training of target group.

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

11 Other Financial Assets

(₹ in Lakhs)

	Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
i)	**Interest Receivables**	4,995.20	6,204.44
	Less : Allowance for Bad & Doubtful Interest **(Refer note:11.1 & 31)**	(801.46)	(745.46)
		4,193.74	**5,458.98**
ii)	**Others**		
	Interest receivable on savings bank	0.36	8.40
	Interest receivable but not due on deposits	-	1.30
	Interest Receivable but not due on Special Reserve Fund	275.11	124.75
	Rent Receivable	1.30	-
	Amount recoverable	49.36	50.99
	Grant Receivable	-	436.13
	Total	**4,519.87**	**6,080.55**

11.1 During the year, repayment of Principal amount of ₹ 60.62 lakhs has been received from BSCDC, which resulted into write back of provision of Principalamount to that extent. Interest Provision of ₹ 56 lakhs (2020-21: ₹55.09 lakh) in respect of overdues from BSCDC has been booked in terms of Accounting Policy 2.11(i)(a). Therefore, cumulative provision of BSCDC as on 31.03.2022 is amounting to ₹ 1,518.11 lakh (previous year ₹ 1,522.73 lakh).

12 Current Tax Assets

(₹ in Lakhs)

	Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
i)	TDS receivable	15.75	15.75
	Total	**15.75**	**15.75**

13 Other Current Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Advances other than Capital Advances		
Advance to Staff	1.40	2.39
Advances to parties	30.53	47.01
Others		
Prepaid expenses	11.48	8.85
Total	**43.41**	**58.25**

13.1 Prepaid expenses includes ₹ 8.72 lakhs (2020-21: ₹ 8.41 lakhs) towards unamortized portion of Staff Loans & Advances or difference between the fair value of financial assets at initial recognition & loans given.

14 Share Capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Authorized share capital		
1,50,00,000 Equity Share of ₹ 1,000 each (as at 31-03-2021:1,50,00,000) Equity Share of ₹1,000 each	150,000	150,000
Issued/Subscribed and Paid up Capital		
1,50,00,000 Equity Share of ₹ 1,000 each (as at 31-03-2021:1,50,00,000) Equity Share of ₹1,000 each	150,000	150,000
	150,000	**150,000**

14.1 Reconciliation of the number of equity shares and share capital

Particulars	As at 31st March 2022		As at 31st March 2021	
	(No's of Shares in Lakhs)	(Amount in Lakhs)	(No's of Shares in Lakhs)	(Amount in Lakhs)
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the **beginning of the year**	150.00	150000.00	150.00	150,000.00
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors				
Restated Balance as at the beginning of the year	150.00	150000.00	150.00	150000.00
Add: Shares Issued during the year	-	-	-	-
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	**150.00**	**150,000.00**	**150.00**	**150,000.00**

Terms & Rights attached to Equity Shares

The Corporation has only one class of equity shares having par value of ₹ 1,000 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. The company has obtained Licence u/s 8 of the Companies Act, 2013 therefore dividend is not payable by the Company.

14.2 Details of Shares held by shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the company

Particulars	As at 31st March 2022		As at 31st March 2021	
	(No's of Shares in Lakhs)	% of holding	(No's of Shares in Lakhs)	% of holding
Equity shares				
President of India	150.00	100%	150.00	100%
	150.00	**100.00%**	**150.00**	**100.00%**

14.3 Details of Promoter's Shareholding-

Name of Promoter	As at 31st March 2022			As at 31st March 2021		
	No. of Shares	% of total share	%change during year	No. of Shares	% of total share	%change during year
President of India	150.00	100.00%	NIL	150.00	100.00%	NIL

15 Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Other Reserves		
Special Reserve	7,223.89	6,351.96
General Reserve	61,307.08	57,300.88
Retained Earnings	-	-
	68,530.96	**63,652.84**

15.1 Special Reserve

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Balance as at the beginning of the year	6,351.96	5,631.87
Add: Interest on Special Reserve Fund Investment	426.85	268.75
Add : Transferred from Retained Earnings	445.08	451.34
Closing Balance	**7,223.89**	**6,351.96**

15.2 General Reserve

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Balance as at the beginning of the year	57,300.88	53,291.87
Less: Prior period errors	-	-25.88
Restatred Balance as at the beginning of the year	57,300.88	53,317.75
Add : Transferred from Retained Earnings	4,006.19	3,983.13
Closing Balance	**61,307.08**	**57,300.88**

15.3 Retained Earnings

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Opening Balance	-	-
Add : Transfer from Income & Expenditure a/c	4,877.62	4,785.11
Less:-Interest on Special Reserve Fund Investment Trf to Special Reserve	(426.85)	(268.75)
Add: Prior period Adjustments (Net)	-	(2.99)
Income & Expenditure before considering the interest income from Special Reserve Fund Investment	**4,450.77**	**4,513.37**
Less : 10% Transferred to Special Reserve Fund	445.08	451.34
Less: 10% Amount pertain to the prior year exp reverse from amount t/f to Special Reseve Fund	-	-
Add: Other comprehensive income arising from remeasurement of defined benefit obligation	0.50	(81.91)
Balance Transferred to General Reserve	4,006.19	3,983.13
Closing Balance	**-**	**-**

16 Current & Non current provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022		Total	As at 31st March 2021		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
i) Provision for Employee Benefits						
- Leave Benefits	450.87	63.63	**514.50**	432.48	23.05	**455.53**
	-	-	**-**	-	-	**-**
-Provision for Performance Related Pay	-	376.22	**376.22**	-	345.41	**345.41**
-Gratuity (Net)	-	61.12	**61.12**	-	26.23	**26.23**
	-		**-**	-		**-**
ii) Other Provisions	-		**-**	-		**-**
-Provision for incentive to SCA	-	176.57	**176.57**	-	134.30	**134.30**
-Provision for Interest subvention (NMFC-MFI)	-	-	**-**	-	-	**-**
-Provision for Interest on Refund	-	-	**-**	-	32.84	**32.84**
-Provision for CSR	**-**	**24.25**	**24.25**	**-**	**99.00**	**99.00**
Total	**450.87**	**701.79**	**1,152.66**	**432.48**	**660.83**	**1,093.31**

16.1 Amount pertaining to person(s) superannuating in next 12 months from close of the financial year has been taken as current provision.

16.2 Details of provisions :

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2021	Additions during the year 2021-22	Utilized/payments during the year 2021-22	Written back during 2021-22	Provision Set off during the year	As at 31st March 2022
Leave Benefits	455.53	99.14	40.17	-	-	514.50
Provision for PRP	361.84	193.90	179.52	-	-	376.22
Provision for incentive to SCA	134.30	45.00	2.73	-	-	176.57
Provision for Interest subvention (NMFC-MFI)	5.50	-	-	5.50	-	-
Provision for Interest on Refund	32.84	-	-		32.84	-
Provision for CSR	99.00	6.51	81.26	-		24.25
Total	**1,089.01**	**344.55**	**303.68**	**5.50**	**32.84**	**1,091.54**

16.3 Disclosures as per Ind AS - 19 Actuarial Valuation (Gratuity, Leave Benefit)

The summarized position of defined benefits of gratuity and long term leave benefits recognized in the statement of Income and Expenditure and Balance Sheet along with the funded status is as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022		As at 31st March 2021	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Unfunded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Unfunded)
(I) Key Assumption of actuarial				
Mortality Rate	**IALM (20012-14)**		**IALM (2006-08)**	
Attrition rate				
Upto 30 yrs	5%	5%	3%	3%
31 to 44 years	5%	5%	2%	2%
above 44 years	5%	5%	1%	1%
Discount Rate	7.11	7.11	6.79	6.79
Salary rise (p.a)	6.00	6.00	6.00	6.00
Rate of return on plan assets (p.a)				
Remaining Working Life	10.91 Years		11.62 Years	
(II) Changes in the present value of obligations				
Present value of obligations at the beginning of the period	773.08	455.53	630.92	413.30
Interest cost	52.49	30.93	42.90	28.10
Current service cost	33.61	22.13	31.53	20.64
Past service cost	-		-	
Benefit paid (if any)	(21.08)	(40.17)	(20.35)	(34.61)
Actuarial (gain)/loss	14.16	46.08	88.08	28.10
Present value of the obligation at the end of the period	**852.26**	**514.50**	**773.08**	**455.53**

(III) The amount to be recognized in the Balance Sheet:				
Fair value of plan assets at the end of the year	791.14	-	746.84	-
Present value of obligation as at the end of the year	852.26	514.50	773.08	455.53
Net Asset/(Liability) recognized in the Balance sheet	**(61.12)**	**(514.50)**	**(26.24)**	**(455.53)**
(IV) Expenses recognized				
Current service cost	33.61	22.13	31.53	20.64
Past service cost			-	
Net Interest cost	1.78	30.93	0.04	28.10
Actuarial (gain)/ loss		46.08	-	28.10
Net cost recognized in the Income & Expenditure Statement	**35.39**	**99.14**	**31.57**	**76.84**
(V) Changes in the Fair Value of Planned Assets:				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	746.84	-	630.27	-
Expected Return on Plan Assets	65.38	-	49.02	-
Contributions	-	-	87.90	-
Benefits paid	(21.08)	-	(20.35)	-
Actuarial gain/(loss) on plan assets			-	
Fair Value of Plan Assets at the end of the Period	**791.14**	**-**	**746.84**	**-**
(VI) Actuarial Gain/(Loss) to be recognised in Other Comprehensive Income:	0.50	-	(81.91)	-
	0.50	**-**	**(81.91)**	**-**

Sensitivity analysis:
For the year ended 31st March 2022

		As at 31st March 2022	
Change in	**Change in assumptions**	**Effect on Gratuity obligation**	**Effect on Leave Encashment**
	Present value of obligation as at the end of the year	852.26	514.50
Discount Rate	impact due to increase of 0.50%	(20.91)	(13.38)
	impact due to decrease of 0.50%	21.79	13.88
	Present value of obligation as at the end of the year	852.26	514.50
Salary Growth	impact due to increase of 0.50%	21.92	13.99
Rate	impact due to decrease of 0.50%	(21.23)	(13.51)

Sensitivities due to mortality & withdrawls are not material & hence impact of change not calculated.

Sensitivities as to rate of inflation, rate of increase of pensions in payment, rate of increase of pensions before retirement & life expectancy are not applicable being a lumpsum benefit on retirement.

Maturity Profile of Defined Benefit Obligation **(₹ in Lakhs)**

	Year	Amount	Amount	Amount	Amount
i	0 to 1 year	87.05	63.63	32.19	23.05
ii	1 to 2 year	61.38	41.84	50.45	35.67
iii	2 to 3 year	95.19	54.19	30.57	20.89
iv	3 to 4 year	71.63	43.65	66.39	36.99
v	4 to 5 year	74.74	45.61	49.46	28.98
vi	5 to 6 year	118.39	72.67	54.99	33.63
vii'	6 year onwards	343.87	192.93	489.04	276.32

17 Financial liabilities

(₹ in Lakhs)

17.1 Others

	Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
	Grant in Aid towards :		
(i)	Grant for Skill Training (MOSJ&E)(9496) **(refer note:17.2)**	31.57	1,973.95
	Grant from Other Organisations	27.96	31.44
	Grant from Ministry of Textiles	9.69	18.78
	PM-DAKSH Scheme (9483) MOSJ&E	815.64	1,694.93
	PM-DAKSH (3965) MOSJE	2,637.09	-
	VISVAS Scheme (3886) MOSJ&E	86.71	962.48
	Grant from DGT,MSDE Govt	-	250.00
	BPCL CSR	-	
(ii)	Interest on grant payable to GOI	598.09	-
(iii)	Security Deposit Received	4.71	4.71
(iv)	EMD payable	16.47	13.85
(v)	Sundry Creditors	316.15	251.58
(vi)	Outstanding Expenses	34.18	43.34
(vii)	Other Payable	14.80	3.54
	Total	**4593.06**	**5248.60**

17.2 As advised by CAG, the Grants available are recognized as revenue grants and unspent balance is shown as Current Liabilities. The company has followed the Income Approach for the recognition of grant. The expenditure and receipts against the grants are recognized through Income and Expenditure account. The details of training grant and subsidy at the beginning, received, refunded, released during the year, and the balance as on 31.03.22 are as under :

(₹ in Lakhs)

S.No.	Particulars	Opening Balance as at 01.04.2021	Receipts/Receivable during the year 21-22	Interest Income during the year 21-22	Refund for the yesr 21-22	Recognized during the year 21-22 (Releases)	Interest Refundable to GOI	Closing Balance as on 31st March 2022
1	Skill Training Grant-(9496) MOSJ&E	1,973.95	0.00	52.54	-	1496.57	498.35	**31.57**
2	PM-DAKSH Scheme (9483) MOSJ&E	1,694.93	0.00	59.22	26.09	853.20	59.22	**815.64**
3	PM-DAKSH (3965) MOSJE	-	3321.00	9.24	-	683.91	9.24	**2,637.09**
4	VISVAS Scheme (3886) MOSJ&E	962.48	0.00	12.73	760.00	107.33	21.17	**86.71**
5	Grant from DGT,MSDE Govt	250.00	0.00	5.75	255.75	0.00	-	**-**
6	Textile Grant	18.78	0.00	1.02	-	0.00	10.11	**9.69**
7	Resource Linkage Program II							
	(i) RLP-BPCL	-	36.20	0.00	6.63	29.57		**-**
	(ii) RLP-SPMCIL	-	21.29	0.00	-	21.29		**-**
	(iii) RLP-Others PSUs	31.45	0.00	1.45	-	4.94		**27.96**
	Balance as per 31st March 2022	**4,931.60**	**3,378.49**	**141.95**	**1,048.47**	**3,196.81**	**598.09**	**3,608.67**
	Balance as per 31st March 2021	**3,334.85**	**87.16**	**138.77**	**-**	**1,536.59**	**-**	**4,931.60**

18 Other current liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Statutory Dues	137.47	75.91
Fair value adjustment	-	-
Total	**137.47**	**75.91**

19 Revenue From Operations

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2022	For the Year Ended 31st March 2021
Interest on Loan to SCAs/others		
Interest on Term Loan (TL)	5,718.84	5,525.42
Interest on Micro Credit Finance (MCF)	88.45	165.20
Interest on Mahila Kisan Yojana (MKY)	3.65	3.31
Interest on Mahila Samriddhi Yojana (MSY)	113.00	123.81
Interest on Shilpi Samridhi Yojna (SSY)	1.23	0.71
Interest on Education Loan Scheme (ELS)	51.74	58.48
Interest on VATLES	6.41	5.68
Interest on UNY	3.96	15.42
Interest on Refund (refer note:19.1)	59.12	86.62
Other Operating Revenue		
Interest Subvention VISVAS Scheme management charge(refer note: 19.2)	17.37	7.44
Admin. & Monitoring Charges booked under PM Daksh Scheme (refer note: 19.3)	34.14	-
Total	**6,097.91**	**5,992.09**

19.1 During the year 2021-22, an Interest on Refund of ₹58.34 lakh (₹40.74 lakh during the F.Y 2020-21) from SCAs, ₹0.78 lakh (₹45.88 lakh during the F.Y 2020-21) from RRBs/PSBs and ₹ NIL (₹ NIL during the F.Y 2020-21) from NBFC-MFIs was levied on refunded amount of ₹883.00 lakh (₹1,183.74 lakhs during the F.Y 2020-21).

Interest on Refund is levied as per existing Lending Policy as follows:-

(i) In case of SCAs, when disbursement amount is refunded in total.

(ii) In case of Channelizing Agencies:-

(a) Interest on funds not utilized within 120 days period and refunded shall be applicable @4% p.a. over and above the normal rate of interest charged by NSFDC from CA(s) and it shall be applicable from the date of disbursement to date of refund.

(b) NSFDC funds refunded unutilzed by the CA(s) even within 120 days shall attract the same interest as indicated above.

(c) The CA(s) shall be exempted from levy of such interest on unutilzed funds of the cumulative funds utilization level is 80% or above as the end of preceding financial year.

(iii) In case of NBFC-MFI, the CAs shall be exempted from levy of Interest on Refund, if the cumulative fund utilization level is 80% or above under the particular scheme.

(iv) "NBFC-MFI is eligible for interest subvention @ 2% per annum subject to timely full repayment of dues on yearly basis on claim basis".

19.2 During the F.Y 2020-21, the Corporation has implemented the Interest Subvention scheme launched by the Ministry with name Vanchit Ikai Samooh aur Vargon Ki Aarthik Sahayta (VISVAS). For this the Corporation is entitled for 1% management charge on Loan subvented.

19.3 During the year, the Corporation has implemented Pradhan Mantri Dakshta Aur Kaushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSHS) Yojana, a Central Sector Scheme of the Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India. Under PM-DAKSH Yojana, the Corporation has been implementing NSQF compliant Skill Development Training Programmes for the persons belonging to Scheduled Castes. Therefore, towards implementation of PM-DAKSH Yojana, the Corporation is entitled for Monitoring expenses @ 1% (@ 3% in previous year)of the Training Cost.

20 Other Income

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2022	For the Year Ended 31st March 2021
a) Interest Income		
Interest on deposits with Banks	294.59	674.82
Interest on Saving Bank Accounts	387.00	219.39
Interest on advance to employees & others **(Refer note-20.1)**	33.36	38.87
Interest on Special Reserve Fund **(Refer note -20.2)**	426.85	268.75
b) Other Non-Operating Income		
Miscellaneous Receipts	1.49	0.89
Rent Received	24.65	23.53
Modification gain/Loss	-	1.95
Provision written back	19.32	31.70
Total	**1,187.26**	**1,259.89**

20.1 ₹9.85 lakhs during the F.Y. 2021-22 (₹ 8.15 lakhs during the F.Y. 2020-21) for amortisation of deferred expenes recognised due to fair valuation of staff loan.

20.2 As directed by C&AG in (2006-07), the Board in their 101th Board meeting held on 24.01.2008, approved to create a Special Reserve Fund represented by earmarked investment (as per DPE guidelines). The interest earned on SRF remains reinvested in the same fund. Therefore, it is not used for operational purposes as per Accounting Policy 2.16 and is kept separately.

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

21 Employee Benefits Cost

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2022	For the Year Ended 31st March 2021
a) Salary, Wages & Benefits : CMD		
Salary & Allowances	46.57	8.20
Medical Reimbursement	-	-
LTC Exp	-	-
Leave Benefit	-	-
Foreign Service Contributions	9.04	2.16
	55.61	**10.36**
b) Salary, Wages & Benefits : Employees		
Salary & Allowances	1,189.18	1,110.65
Leave Benefit	99.14	76.84
LTC Encashment	0.31	1.46
LTC Exp	0.98	0.60
Medical Reimbursement	54.96	21.58
Overtime	1.51	1.35
Professional Membership Fees	0.12	0.10
PRP	193.90	118.32
Foreign Service Contributions	2.83	2.96
	1,542.93	**1,333.86**
c) Contribution to Provident Fund & Other Funds		
Corpn Cont. to PF/GSLIS	83.81	77.07
Corpn Cont to Pension	10.80	10.93
PF Admin Exp	3.96	3.70
Gratuity	35.39	31.57
Medical (Retiral)	23.63	21.98
Pension (Retiral)	78.78	73.27
	236.37	**218.52**
d) Staff welfare expenses	8.51	5.01
	8.51	**5.01**
e) Employee benefit expense on loans and advances	9.86	8.15
Total	**1,853.28**	**1,575.90**

22 Finance Costs

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2022	For the Year Ended 31st March 2021
Interest		
Interest Cost on Lease Liability	-	0.55
Total	**-**	**0.55**

23 Depreciation & Amortization Costs

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2022	For the Year Ended 31st March 2021
Depreciation on Tangible Assets **(refer note:3 & 4)**	29.79	28.95
Depreciation on Right of use assets **(refer note:3)**	-	5.75
Amortization of Intangible assets **(refer note:5)**	1.19	5.53
Total	**30.98**	**40.23**

24 Incentive to SCA

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2022	For the Year Ended 31st March 2021
Incentive to SCA for Recovery	45.00	44.30
Incentive to SCA- NAPE	45.00	45.00
	90.00	**89.30**

25 Other Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2022	For the Year Ended 31st March 2021
Advertisement Expenses	0.34	0.19
Hindi Expenses	-	0.37
Business Promotion Expenses	1.98	1.74
Computer and Website Exp	6.08	3.79
Corporation Membership fees	1.68	1.78
Directors/Board Meeting Expenses	0.76	0.14
Electricity Charges	15.06	12.98
Insurance Charges	19.60	4.83
Legal & Professional Expenses/Consultancy	8.11	83.52
Media Audio Visual Publ.Eva/Conf/Seminar	91.72	17.17
Office Building Exp	47.74	37.02
Office Expenses	83.77	76.50
Office Rent	2.91	0.34
Payments to Auditor **(refer note: 25.1)**	2.80	2.97
Auditor's Expense		-
Postage, Telegram	0.78	0.70
Printing and Stationery	8.93	3.67
Telephone & Telex	4.92	5.05
Training Exp - Staff	0.25	0.10
Traning Exp - Directors	-	-
Conveyance Expenses	0.54	0.69
Travelling Exp - Directors	1.57	0.13
Travelling Exp - Staff	17.62	10.58
Travelling Exp - Consultant	0.18	-
Vehicle Expenses	6.38	7.40
Rates & Taxes	21.66	4.97
Parliamentry Comittee Exp	4.96	7.37
Newspapers, Books & Periodicals	0.70	0.39
Interest Waiver under (OTS) **(refer note: 25.2)**	20.04	199.98
Grant Expenses	3,196.81	1,536.59
Less Grant Income	-3,196.81	(1,536.59)
Total	**371.08**	**484.37**

25.1 Auditors Remuneration

For Audit	2.80	2.49
For Audit Previous year	-	0.48
For taxation matters	-	-
For Company Law matters	-	-
For Management services	-	-
For other services	-	-
For reimbursement of expenses	-	-
Total	**2.80**	**2.97**

25.2 During the Financial Year 2021-22, Board in its 158th Board Meeting held on 07.03.2022 approved to waive the Interest on Refund levied on Indian Overseas Bank as per lending policy of NSFDC for Banks/RRBs amounting to Rs.52,88,433/- (refer note 16.2).

26 Exceptional Items

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2022	For the Year Ended 31st March 2021
Profit/ (Loss) on sale of assets (Net)	1.60	-0.40
Total	**1.60**	**-0.40**

27 Components of Other Comprehensive Income (OCI)

The disaggregation of changes to OCI by each type of reserve in equity is shown below:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	FVTOCI	FVTOCI
	For the Year Ended 31st March 2022	For the Year Ended 31st March 2021
Remeasurement of Defined benefit plans		
- Gratuity	0.50	(81.91)
Total	**0.50**	**(81.91)**

28 Earnings per share (EPS)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2022	For the Year Ended 31st March 2021
Basic EPS		
From continuing operation	32.52	31.90
Diluted EPS		
From continuing operation	32.52	31.90

28.1 Basic Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2022	For the Year Ended 31st March 2021
Profit attributable to equity holders of the company:		
Continuing operations	4,877.62	4,785.11
Earnings used in calculation of Basic Earning Per Share	4,877.62	4,785.11
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	150.00	150.00

28.2 Diluted Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2022	For the Year Ended 31st March 2021
Profit attributable to equity holders of the company:		
Continuing operations	4,877.62	4,785.11
Earnings used in calculation of diluted Earning Per Share from continuing operations	**4,877.62**	**4,785.11**

The weighted number of equity shares for the purpose of diluted earning per share reconciles to the weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share as follows:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2022	For the Year Ended 31st March 2021
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	150.00	150.00
Effect of Dilution :	-	-
Shares pending allotment	-	-
Weighted average number of shares for the purpose of Diluted earnings per share	**150.00**	**150.00**

29 Capital management

The company objective to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that company can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders.

Further, company manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants.

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended 31 March 2022.

30 Fair Value measurements

(i) The Carrying Value of Financial Instruments by categories are as follow:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022			As at 31st March 2021		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost
Financial Assets						
(i) Cash and Cash Equivalents	-	-	6,888.34	-	-	7,700.72
(ii) Other Bank balances	-	-	9,949.48	-	-	8,298.04
(iii) Other Financial Assets	-	-	4,646.85	-	-	6,197.48
(iv) Loan to SCA's & CA's	-	-	202,044.26	-	-	196,910.72
(v) Loan to employees	-	-	349.66	-	-	397.89
Total Financial Assets	**-**	**-**	**223,878.59**	**-**	**-**	**219,504.85**
Financial Liabilities						
(i) Security Deposits and EMD payable	-	-	21.18	-	-	18.56
(ii) Other financial liabilities	-	-	4,571.88	-	-	5,230.04
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**4,593.06**	**-**	**-**	**5,248.60**

(ii) Fair value of financial assets and liabilities that are measured at fair value:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022		As at 31st March 2021	
	Carrying Value	Fair Value	Carrying Value	Fair Value
Financial Assets				
(i) Loan to SCA's and CA's	202,044.26	202,044.26	196,910.72	196,910.72
(ii) Staff loans and Advances	349.66	345.68	397.89	379.70
Total Financial Assets	**202,393.92**	**202,389.94**	**197,308.61**	**197,290.42**
Financial Liabilities				
(i) Security Deposits and EMD payable	18.56	18.56	19.93	19.93
Total Financial Liabilities	**18.56**	**18.56**	**19.93**	**19.93**

i) The carrying amounts of cash and cash equivalents, other bank balances , EMD, other financial liabilities and loan to SCA's are considered to the same as their fair values, due to short term nature.

ii) The fair value of "Loans to employees" were calculated based on cash flows discounted using current market rate. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

Fair Value Hierarchy

Level 1- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

Level 2- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived form prices)

Level 3- Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs)

The following table presents the fair value measurement hierarchy of financial assets and liabilities measured at amortised cost:-

Fair Value hierarchy as on 31-03-2022 (₹ in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
(i) Loan to employees	31st March 2022	-	-	345.68	345.68
Total Financial Assets		**-**	**-**	**345.68**	**345.68**

Fair Value hierarchy as on 31-03-2021 (₹ in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
(i) Loan to employees	31st March 2021	-	-	379.70	379.70
Total Financial Assets		**-**	**-**	**379.70**	**379.70**

(iii) Financial risk management

The Company's principal financial liabilities comprise grants and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the company's operations and to provide guarantees to support its operation. The Company's principal financial assets include Term/Micro finance loans to SCA's/CA's that derive directly from its equity.

The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and those financial risks are identified, measured and managed in accordance with the companies policies and risk objectives. The board of directors review and agree on policies for managing each of these risk, which are summarised below:-

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises Interest rate risk. Financial instruments affected by market risk includes loan and advances, deposits and other non derivative financial instruments.

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The company is not exposed to interest rate risk.

c) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company's loans receivables from SCA's & CA's. The company is exposed to credit risk from its financial activities of loans given to SCA's & CA's.

The company assesses and manages credit risk based on company's internal policies. The company considers the probability of default upon initial recognition of assets and whether there has been a significant increase in credit risk on an ongoing basis through out each reporting period. To assess whether there is a significant increase in credit risk the company compares the risk of default occurring on the asset as at the reporting date with the risk of default as at the date of initial recognition. It considers available reasonable and supportive forward looking information. Especially the following indicators are incorporated.

- Significant changes in the value of collateral supporting the obligation or in the quality of third party guarantees.
- Significant changes in the expected performance and behaviours of the borrower (SCA's & CA's), including changes in the payments status of the borrowers (SCA's & CA's) in the group and changes in the operating results of the borrower (SCA's).

In general, it is presumed that the credit risk has significantly increased since initial recognition if the payments are due for more than 3 years.

A default on a financial asset is when the counter party fails to make payments whenever they fall due.

Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks and financial institutions is managed in accordance with the companies policy. Investment of surplus are made only with approved with counterparty on the basis of the financial quotes received from the counterparty.

d) Liquidity Risk

Ultimate responsibility for liquidity risk management rest with the board of directors the company manages maintaining adequate banking facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and by matching the maturities of financial liabilities.

31 Provisions

31.1 Provision for Expected Credit Losses of Loans and advances for the year ended 31st March, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount (Net of Impairment Provision)
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition*	**Loans**	202,044.26	0%	-	202,044.26
		Interest on Loans	4,193.74	0%	-	4,193.74
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	**Loans**	716.65	100%	716.65	-
		Interest on Loans	801.46	100%	801.46	-
		Advance	1,539.99	100%	1,539.99	-
			209,296.10		**3,058.10**	**206,238.00**

Provision for Expected Credit Losses of Loans and advances for the year ended 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount (Net of Impairment Provision)
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition*	**Loans**	196,910.72	0%	-	196,910.72
		Interest on Loans	5,458.98	0%	-	5,458.98
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	**Loans**	777.27	100%	777.27	-
		Interest on Loans	745.46	100%	745.46	-
		Advance	1,539.99	100%	1,539.99	-
			205,432.42		**3,062.72**	**202,369.70**

31.2 For SCA's where State Government Guarantee/Order/Assurances are available the Allowance for Doubtful loans is made @ 100% in the Books of Account if overdue for more than 3 years old on the date of Balance Sheet and shortfall in State Government Guarantee/Order/Assurances.

Other than SCAs (Where State Government Guarantee is not available)

(a) 100% provision on the amount due for payment but outstanding for the period of 3 years and above.

(b) 40% provision on the amount due for payment but outstanding for the period of 2 years and above but less than 3 years.

(c) 25% provision on the amount due for payment but outstanding for the period of 1 year and above but less than 2 years.

(d) No provision on the amount due for payment but outstanding for the period less than 1 year.

31.3 Provision for Bad and Doubtful Deposits

Provision for bad and doubtful deposits for ₹1,539.99/- Lakhs (2019-20 ₹1,539.99/- Lakhs) [being the principal amount ₹1,485.00/- Lakhs (2019-20 ₹1,485.00/- Lakhs) and interest receivable & due ₹54.99/- Lakhs (2019-20 ₹54.99/- Lakhs)] made in the books of accounts in respect of deposit made with PUNWIRE during the year 2000-01. As the principal amount itself is doubtful for recovery, provision for interest has not been made.

Two court cases by NSFDC against PUNWIRE under Negotiable Instruments Acts, 1881 are pending with the concerned court. The Company (PUNWIRE) was wound-up by an order dated 01.02.2001 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana. Thereafter, an Official Liquidator was appointed by the Court in the matter. As per information gathered from the Official Liquidator, assets of the PUNWIRE are not adequate enough even to settle the Company's liabilities towards its secured creditors. NSFDC, being an unsecured creditor, has no chance of recovery of its money and the money invested by NSFDC with the said Company is doubtful of recovery.

31.4 Reversal of allowance for doubtful loans and interest/ (Allowance for Doubtful Loans and Interest) - Net

(₹ in Lakhs)

Particluars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Reversal of allowance for doubtful loans and interest	60.62	-
Allowance for Doubtful Loans and Interest	56.00	55.09

32 Key sources of estimation uncertainty

The followings are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

a) Useful lives of property, plant & equipment

As described in **Note 2.7** company has estimated the useful life of property, plant & equipment .

The financial impact of the above assessment may impact the depreciation expenses in subsequent financial years.

b) Useful lives of Intangibles Assets

As described in **Note 2.8**, company has estimated the useful life of intangible assets.

The financial impact of the above assessment may impact the amortisation expenses in subsequent financial years.

c) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial assets and financial liabilities is measured the valuation techniques including the DCF model. The inputs to these method are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in arriving fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments. See **Note 30** for further disclosures.

d) Defined benefit Obligations

Employee benefit obligations are determined using actuarial valuations. An actuarial valuation involves making various assumptions that may differ from actual developments in the future. These include the determination of the discount rate, future salary increases and mortality rates. Due to the complexities involved in the valuation and its long term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions. All assumptions are reviewed at each reporting date.

33 Prior Period Errors

(₹ in Lakhs)

Particulars	Amount
Opening General Reserve as on 01.04.2020	53,291.87
Prior Period Adjustments	25.88
Restated Opening General Reserve as on 01.04.2020	**53,317.75**
Restated Excess of Income over expenditure for the period from continuing operations for year ended 2020-21	4,513.37
Transfer to Special Reserve during 2020-21	(451.34)
Other Comprehensive Income during 2020-21	(81.91)
Restated Opening General Reserve as on 31.3.2021	57,297.88

Impact of Prior period errors on equity, statement of Income and Expenditure and EPS

(₹ in Lakhs)

Particulars	For Year ended 31st March 2021
Impact on equity (increase/(decrease) in equity)	
Advances to parties	0.51
Outstanding Expenses	3.13
Provision for Performance Related Pay	(16.43)
Provision for Interest subvention (NMFC-MFI)	(5.50)
Advance to Staff	0.55
Other Payables	-11.13
Net Impact on Equity	**-28.87**

(₹ in Lakhs)

Particulars	For Year ended 31st March 2021
Impact on statement in Income & Expenditure (increase/(decrease) in profit)	
Other Expenses	-3.03
Employee Benefit Expense	0.04
Total Impact	**2.99**
Attributable to Equity Holders	2.99

Impact on basic and diluted earnings per share (EPS) (increase/(decrease) in EPS)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For Year ended 31st March 2021
Earnings per share for continuing operation	
Basic, profit from continuing operations attributable to equity holders	0.02
Diluted, profit from continuing operations attributable to equity holders	0.02

34 Related Party Disclosures

34.1 Key Managerial personnel of the company

Name	Position
Sh Rajnish Kumar Jenaw	CMD
Smt Annu Bhogal	Company Secretary
Sh Rajesh Bihari	Chief General Manager (Finance)
Dr K.Ramalingam	Independent Director
Sh Durga Prasad Roy	Independent Director
Smt Anjula Singh Mahur	Independent Director

34.2 Transaction with key management personnel:

Nature & volume of transactions with key management personnel during the year:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31st March 2022	Year ended 31st March 2021
Short Term Benefits	138.58	99.37
Sitting Fees to Independent Director	0.28	0.14
Post Employment Benefits	66.79	59.39
	205.65	**158.90**

Short term benefits includes remuneration paid to KMP's.

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31st March 2022	Year ended 31st March 2021
Loan To related party		
(i) **Sh Rajesh Bihari (Chief General Manager-Finance)**		
Amount owed by related parties at beginning of the year	1.34	2.77
Loan Given during the year	5.38	-
Interest	0.33	-
Repayment during the year	(2.40)	(1.42)
Closing Balance	**4.65**	**1.35**

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31st March 2022	Year ended 31st March 2021
(ii) Mrs. Annu Bhogal(Company Secretary)		
Amount owed by related parties at beginning of the year	8.44	10.66
Interest	0.16	0.41
Repayment during the year	(2.63)	(2.63)
Closing Balance	**5.97**	**8.44**
Total amount owed by related parties at end of the year	**10.62**	**9.79**

34.3 Transactions with the Government Related entities

Apart from transactions reported above, the company has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following:-

Name of Government: Government of India, through Ministry of Social Justice and Empowerment (100% Capital Contribution)

Certain significant Transactions:-

(₹ in Lakhs)

Party	Nature of Transactions	Year ended 31st March 2022	Year ended 31st March 2021
Ministry of Social Justice and Empowerment	(i) Capital Contributions	0.00	0.00
	(ii) Grant for PM-Daksh(3965)-Skill Training Scheme	3321.00	0.00
	(iii) Interest on Grant refunded to MOSJE to CFI for PM-Daksh(9483)-Skill Training Scheme	-26.09	17.61
	(iv) Grant received /refunded (alongwith interest) from/to DGT	-255.75	250.00
	(v) Grant received/refunded from/to MOSJE for VISVAS Interest Subvention Scheme	-7.60	10.00
	(vi) Other Schemes	64.74	9.79
NBCFDC	Awareness Programmes	50.47	16.30
NHFDC	Awareness Programmes	0.31	0
ALIMCO	Awareness Programmes	0.31	0
National Safai Karamcharis Finance and Development	Awareness Programmes	14.31	5.92
		3161.70	**309.62**

35 Disclosure required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31st March 2022	Year ended 31st March 2021
(i) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	4.83	9.61
(ii) Interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	-	-
(iii) The amount of interest paid along with the amounts of the payment made beyond the appointed date	-	-
(iv) The amount of interest due and payable for the year	-	-
(v) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the accounting year	-	-
(vi) The amount of further interest due and Payable even in the succeeding year, until such date when interest dues as above are actually paid	-	-

Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. This has been relied upon by the auditors.

36 On account of transaction entered into with national level corporation and MOSJ&E the total amount recoverable after setting off receivable/payable comes to ₹71.72 Lakhs (31.03.2021 ₹32.26 Lakhs) towards events held commonly/on their behalf.

37 Corporate Social Responsibility

Activity Wise detail of CSR expenditure is as given below :

(₹ in Lakhs)

CSR Expenditure	Financial Year	
	2021-22	2020-21
(i) Construction / acquisition of any asset	**NIL**	**NIL**
(ii) On purposes other than (i) above		
Activities under Health Care/Nurtrition	136.16	125.67
Activities under education/Equipment to SC Hostels/Laboratry/Construction etc.	-	26.91
TOTAL	**136.16**	**152.58**

37.1 Disclosures in respect of CSR Expenditure as per Section 135 of the Companies Act, 2013 read with Schedule VII thereof:

(a) Detail of amount required to be spent

(₹ in Lakhs)

Particulars	**For the year ended 31st March, 2022**	**For the year ended 31st March, 2021**
(i) EOIOE		
2016-17	-	-
2017-18	-	4,747.53
2018-19	5,126.67	5,126.67
2019-20	6,097.90	6,097.90
2020-21	4,782.13	
(ii) Total (EOIOE)	**16,006.70**	**15,972.10**
(iii) Less adjustment for sale of assets	-	-
(iv) Net Profit	16,006.70	15,972.10
(v) Average (iv/3)	5,335.57	5,324.03
(vi) 2% of (v)	**106.71**	**106.48**
(vii) Un-Spent amount as at beginning of the year	**60.12**	**106.22**
(viii) Amount Spent during the year	136.16	152.58
(ix) Un-Spent amount as at Year End (vi+vii-viii)	**30.67**	**60.12**

37.2 Unspent amount is pertaining to the Ongoing Projects. The detail of ongoing csr projects is as follows:

(₹ in Lakhs)

Agency Name	Name of the Project	Location of the Project	Starting Year	Sanctioned amount
IIT-Bombay	Social Entrepreneurship through promotion of Hirda Cultivation-IIT Bombay	Bhimashankar Sanctuary, Pune, Maharashtra	2019-20	5.61
IIT-Chennai	Psychometric Testing for School Students-IIT Madras	Nadia, South 24 Parganas, Birbhum, Paschimi Medinipur,, North 24 Parganas, Purlia and Hoogly of West Bengal Aligarh, Agra and Ghaziabad of Uttar Pradesh	2019-20	12.50
TSCDC	Equipment to SC Hostels-Tripura SC Corp.	Dhalai and Unakoti of Tripura State	2019-20	19.76
IICT	Development of Micro Carpet Cluster-Indian Institute of Carpet Technology	Bandipore of Jammu & Kashmir	2019-20	9.94
Manipur State Health Society	Hospital Laboratory Equipment's-State Health Society, Urban Primary Health Centers	East and West Imphal and Thoubal of Manipur	2019-20	21.87
The Goat Trust	Livelihood through Goat Rearing-Goat Trust	Lucknow, U.P.	2019-20	17.93
MMBA	500 Ration Kit distribution to Non Ration Card agriculture and daily wage laborers for distress mitigation due to COVID 19, Rajasthan State-MMBA	Barmer, Rajasthan	2020-21	2.25

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

(₹ in Lakhs)

Agency Name	Name of the Project	Location of the Project	Starting Year	Sanctioned amount
PVSS	Provision of 200 PPE Kits, Sanitizer etc. for treating COVID Patients, at SAS Mohali, Chandigarh-Punjab Virsa Sabhyacharak Society	SAS Mohali, Chandigarh	2020-21	2.97
RSCSTFDC	Construction of One Sanskartik Bhawan-RSCSTFDC	Pokran, Rajasthan	2020-21	3.00
BUDS	Mental Health of Survivor of North-East Delhi communel Roits of feburay 2020	Delhi	2020-21	3.00
Bal Umang Drishya Sanstha	Integrated Health Care Response During COVID-19 Pandemic Second Wave, Delhi NCR	Delhi	2021-22	4.90
Swamy Dayanand Hospital	Medical Equipments to treat COVID-19 Patients	Delhi	2021-22	5.03
Delhi Sikh Gurudwara Management Committee	Oxygen Control Panels for Expansion of 100 beds for COVID-19 treatment facility at Hari Nagar, Delhi	Delhi	2021-22	6.90
Surge Impact Foundation	Infrastructure for COVID-19 Isolation Centre, Hyderabad, Telangana	Telangana	2021-22	5.14
Netram Eye Foundation	Oxygen Cylinders to COVID-19 Patients at Delhi, NCR	Delhi	2021-22	2.73
Paryavaran Care Society	Provision of RO Plant and including COVID 19 Relief kits	Bihar	2021-22	4.77
District Collelctorate	Digital X-Ray Machine	Kushinagar, UP	2021-22	5.00
TSCDC	TSCDC Furniture to Govt. SC Hostel	Tripura	2021-22	11.05
Tarun Bharat Sangh	Ensuring Sustainable water security for Rural Comminities of Eastern Rajasthan	Rajasthan	2021-22	6.50
Mahavir International	Ration Kit distribution to Non Ration Card agriculture and daily wage labourers for distress mitigation due to COVID 19, Delhi State.	Delhi	2020-21	6.48

(₹ in Lakhs)

Agency Name	Name of the Project	Location of the Project	Starting Year	Sanctioned amount
Tech Mahindra Foundation	Disinfection and Sanitization of Public Toilets for COVID 19 safeguard at Dharavi, Mumbai, Maharashtra.	Maharashtra	2020-21	6.14
Anugraha Dristidaan	Health cum covid19 awareness camp & distribution of ration kits	Delhi	2020-21	4.93
Mahavir International	Oxygen Concentrators (05 nos.) under COVID-19 Relief Project, Delhi	Delhi	2021-22	5.50
				173.90

Details of the Unspent amount on the (Ongoing Project) as on 31.03.2021 (₹ in Lakhs)

Opening Balance		Amount required to be spent during the year	Amount spent during the year		Closing Balance	
With Company	In separate CSR Account		From Company's Bank Account	From Separate CSR Unspent Account	With Company	In separate CSR Account
106.22	-	106.48	152.58	-	-	60.12

Details of the Unspent amount on the (Ongoing Project) as on 31.03.2022 (₹ in Lakhs)

Opening Balance		Amount required to be spent during the year	Amount spent during the		Closing Balance	
With Company	In separate CSR Account		From Company's Bank Account	From Separate CSR Unspent Account	With Company	In separate CSR Account
	60.12	106.71	61.92	49.99	44.79	11.80

37.3 (i) ₹11.80 lakhs (previous year ₹ 60.12 lakhs) remains deposited with IDFC First Bank on account of unspent amount on Ongoing previous Years Project as on 31.03.2022.

(ii) Provision has been made/remains for CSR expenditure amounting to ₹24.25 lakhs (previous year ₹ 99 lakhs) at the year ending 31st March, 2022.

(iii) During the year 2021-22, the unspent amount is due to release of amount in installment or in phase wise manner on the basis of proportionate/required, completion of the project.

38. "Madhya Pradesh State Co-op. Scheduled Castes Finance & Development Corporation has bifurcated their NSFDC's loan portfolio as per Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000 which governs transfer of assets and liabilities between corporation/state government on account of bifurcation of the erstwhile State of Madhya Pradesh (MP) into Chattisgarh and Madhya Pradesh (M.P.). The matter of apportionment of loan liability between MPSCFDC & CSASFDC on account of bifurcation of erstwhile MPSCFDC was referred to the Madhya Pradesh Sahakari Adhikaran, Bhopal by the Additional Registrar Cooperative Society as the bifurcation carried out by MPSCFDC was not acceptable by CSASFDC. Judgment of the Tribunal given in favour of MPSCFDC was not accepted by CSASFDC and it filed an appeal against the judgment before Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur. The writ petition was admitted by the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur. The matter is still sub-judice.

Pending decision by the Court, the loan liability of ₹210.09 Lakhs along with due interest has been accepted and repaid by CSASFDC. For loan liability of ₹835.93 Lakhs (previous year ₹835.93 Lakhs) towards principal and ₹1,195.76 Lakhs (previous year ₹1,114.43 Lakhs) towards interest as on 31.03.2022 not accepted by CSASFDC, the same continues to be shown against MPSCFDC and demand for its repayment is being raised on them."

39. The total overdues of loans as on 31.03.2022 is ₹43,752.35 Lakhs (as at 31.03.2021 ₹41,216.51 lakhs) including interest of ₹3,636.82 Lakhs (as at 31.03.2021 ₹4,817.01 Lakhs).

39.1 "SCAs/CAs" having overdues more than three years are as below: (₹ in Lakhs)

S.No.	Agency	State	Total Overdues (As on 31.03.2022)
1	ASDC	Assam	676.44
2	BSCDC	Bihar	1,518.11
3	MPSCFDC	Madhya Pradesh	2,031.69
4	LASDC	Maharashtra	8,820.74
5	CTSCDC	Chattisgarh	2,389.93
6	LIDCOM	Maharashtra	1,872.22
7	JSCDC	Jharkhand	598.70
8	MSTCB	Manipur	156.25
	Total (A)		**18,064.08**

39.2 "SCAs/CAs" having overdues for less than three years are as below: (₹ in Lakhs)

S.No.	Agency	State	Total Overdues (As on 31.03.2022)
1	APSCDC	Andhra Pradesh	10,284.00
2	GSCDC	Gujarat	4,607.42
3	J&KSCDC	Jammu & Kashmir	282.72
4	MPBCDC	Maharashtra	1,047.40
5	PSLDFC	Punjab	600.00
6	PADCO	Puducherry	54.50
7	RSCDC	Rajasthan	3,387.56
8	TSCDC	Tripura	3,716.89
9	TAHDCO	Tarnil Nadu	24.29
10	UPSCDC	Uttar Pradesh	911.78
11	SSCBCDC	Sikkim	171.00
12	Remaining SCAs/CAs		600.71
	Total (B)		**25,688.27**
	Gross Total (A+B)		**43,752.35**

39.3 The utilization certificates for ₹41,152.81 lakh (as on 31.03.2021 ₹62,080.23 lakh) are pending as on 31.03.2022. The SCAs/CAs wise details of unutilized funds are as follows:

S.No.	Agency	State	Unutilized Funds (₹ in lakhs)	
			2021-22	2020-21
1	Andhra Pradesh	APSCCFC	5,982.87	19,269.92
2	West Bengal	WBSCSTDFC	8,167.64	7,005.86
3	Rajasthan	RSCDC	5,754.38	2,536.44
4	Karnataka	DBRADC	-	7,442.69
5	Gujarat	GSCDC	6,403.63	5,982.95
6	Maharashtra	MPBCDC	1,709.55	2,871.43
7	Tripura	TSCDC	896.79	931.72
8	Maharashtra	LASDC	1,862.34	1,862.34
9	Chhattisgarh	CGSCFDC	817.26	923.67
10	Kerala	KSDC	265.11	-
11	Maharashtra	LIDCOM	759.53	1,425.25
12	Kerala	KSWDC	1,719.78	1,894.87
13	Delhi	DSFDC	793.65	637.35
14	Jharkhand	JSCDC	301.77	301.77
15	Himachal Pradesh	HPSCSTDC	743.39	524.80
16	Gujarat	GSCMBCDC	305.71	305.71
17	Assam	ASCDC	304.75	304.75
18	Uttarakhand	UBVEVN	-	-
19	Punjab	PSCLDFC	617.58	251.43
20	Jharkhand	JHARCRAFT	250.00	250.00
21	Haryana	HSCDC	306.74	196.72
22	Jammu & Kashmir	JKSCSTBCDC	788.42	624.96
23	Sikkim	SSCSTBCDC	-	-
24	Madhya Pradesh	MPSCFDC	166.23	166.23
25	Uttar Pradesh	UPSCFDC	160.82	160.82
26	Chandigarh	CSCFDC	106.18	-
27	Odisha	OSFDC	110.79	110.79
28	Puducherry	PADCO	223.04	193.87
29	Manipur	NEDFI-MAN	-	100.00
30	Remaining Channel Partners		1,634.86	5,803.89
	Total		**41,152.81**	**62,080.23**

40 Exemption from Tax under the Income Tax Act, 1961

No Provision for Income Tax/Deferred Tax is required as the income of Corporation is exempt from tax under section 10 (26) (B) of the Income Tax Act, 1961.

Further CBDT had issued Circular No.18/2017 dated 29.05.2017 which laid down that in case of Corporation, body, institution or association established for promoting interests of members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or backward classes referred to in Section 10 Clause (26B); whose income is unconditionally exempt and who are also statutorily not required to file return of income as per section 139 of the Income-tax Act, 1961 there would be no requirement for tax deduction at source, since their income is anyway exempt under the Income-tax under Section 10(26B) of the Income Tax of India Act, 1961.

41 Leases Disclosures

(i) Leases Disclosures as per Ind As-116

a) Company as a Lessee

Lease Assets

The carrying amounts of Lease assets recognised and the movements during the year are disclosed below:-

(₹ in Lakhs)

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Balance at Beginning of year	**-**	**5.75**
Addition during the year	-	
Depreciation charge during the year	-	5.75
Balance at end of Year	**-**	**0.00**

Lease Liabilities
Set out below are the carrying amounts of lease liabilities recognised and the movements during the year:

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Balance at Beginning of year	-	6.29
Addition	-	-
Accredition of interest	-	0.55
Payments	-	4.89
Modification Gain		1.95
Balance at end of Year	**-**	**-**
Current	-	-
Non-current	-	-

The maturity analysis of the lease liability on an undiscounted basis as on 31st March 2022 are as follows :-

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2 year and above
Lease liabilities	-	-	-
	-	**-**	**-**

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2 year and above
Lease liabilities	-	-	-
	-	-	-

Amounts recognised in Statement of Profit and Loss (₹ in Lakhs)

Particulars	For Year ended 31st March 2022	For Year ended 31st March 2021
Depreciation expense of lease assets	-	5.8
Interest expense on lease liabilities	-	0.6
	-	**6.3**

b) Company as a Lessor

Details of the Assets given on the lease are given under the Note-4 Investment Property.

42 Exemption under Reserve Bank of India Act, 1934

The Reserve Bank of India vide letter No.DNBS.ND.NO.4175MI/10.01.001 /2010-11 dated 29.04.2011 has certified that NSFDC has been exempted by the Bank from the applicability of provisions of Section 45-1A of the Reserve Bank of India Act, 1934 and other regulatory and prudential norms on the basis of Company (NSFDC) being classified by Government of India as a 'No profit no loss' company engaged in 'community services'. RBI advised to submit a copy of Board Resolution stating that the company (NSFDC) will not accept deposits from the public. Accordingly, the Resolution has been passed in the 118th Board Meeting held on 30.05.2011 and the Resolution submitted to RBI vide letter No.NSFDC/SECT/193/2010/2704 dated 13.06.2011.

43 Application of IndAS on material items

The Prior Period Items and changes in accounting polices are applied retrospectively on account of materiality only in line with the provisions of Indian Accounting Standards.

44 Impact of COVID-19

The Ministry of Home Affairs, Govt. of India, vide Order No.40-3/2020 dated March 24, 2020 declared national lockdown which got extended from time to time till 17.05.2020.

However, the operations of the Company have not been disrupted. Considering the fact that the situation is exceptional, the Corporation has responded to the changed business environment. In order to continue as a going concern the Corporation has granted Extension in Moratorium Period for installment falling due for quarter ending June, 2020. Further as per RBI Circular dated 23.05.2020 permitting to extend the moratorium period along with repayment schedule, the company also decided to defer, the repayment schedule due on 30.06.2020, for a period of three months i.e. till 30.09.2020 without levy of penal interest. It does not have financial impact and no substantial impact has been observed on the Cash Flow as on 31.03.2022.

45 Segment Reporting

(a) Operating Segments

The Company is engaged in a single segment i.e. the business of indirect financing of income generating project for target groups from where it is earning its income and incurring expenditure. The operating

results of the single segment are regularly reviewed and performance is assessed by Chairman cum Managing Director who can be treated as a Chief Operating Decision Maker (CODM). All the company's resources are dedicated to this single segment and all the discrete financial information isavailable for this segment.

(b) Geographical Information

Since the company's activities/operations are within the country and considering the nature of services it deals in, the risks and returns are the same and as such, there is only one geographical segment.

46 Previous year figures have been regrouped to conform to the current year's presentation and to enhance comparability with the current year's financial statements.

47 Disclosures pursuant to amendment in Schedule III of the Companies Act 2013:

The MCA vide notification dated 23rd March 2021 has amended Schedule Ill to the Companies Act. 2013 in respect of certain disclosures which are applicable from 1st April 2021. The Company has incorporated the changes as per the said amendment in the financial statements and below disclosures are made in compliance of the said amendment :

(i) The Company has no transactions with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or Section 560 of Companies Act, 1956 during the period.

(ii) The Company has not traded or invested in Crypto Currency or Virtual Currency during the period.

(iii) The Company do not have any Benami property, where any proceeding has been initiated or pending against the company for holding any Benami property.

(iv) The Company do not have any charges or satisfaction which is yet to be registered with ROC beyond the statutory period,

(v) The Company have not advanced or loaned or invested funds to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall:

(a) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or

(b provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries

(vi) The Company have not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Company shall:

(a) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or

(b) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries,

(vii) The Company does not have any transaction which is not recorded in the books of accounts that has been subsequently surrendered or disclosed as income during the year as part of the on going tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961).

(viii) The Company has not been declared as willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.

(ix) The Company has complied with the number of layers prescribed under the Companies Act, 2013.

(x) Company is not required to submit statement of current assets with the bank and therefore reconciliation of the statement filed by the company with bank and the books of accounts is not applicable.

(xi) The Company does not have any transactions where the company has not used the borrowings from banks and financial institutions for the specific purpose for which it was taken at the balance sheet date

(xii) The Company have not entered into any scheme(s) of arrangements during the financial year.

(xiii) The following accounting ratios are disclosed:

Particulars	Numerator	Denominator	March 31, 2022	March 31, 2021	% change	Reason for change more than 25%
Current ratio	Current Assets	Current Liabilities	20.35	17.63	15.42%	NA
Debt-equity ratio	Total Debt	Shareholder's Equity	-	-	0.00%	
Debt service coverage ratio	Earnings for debt service = Net profit after taxes + Non-cash operating expenses	Debt service = Interest & Lease Payments + Principal Repayments	NA			
Return on equity ratio	Net Profits after taxes – Preference Dividend	Average Shareholder's Equity	0.02	0.02	-0.34%	NA
Inventory turnover ratio	Cost of goods sold	Average Inventory	NA			
Trade receivables turnover ratio	Net credit sales = Gross credit sales - sales return	Average Trade Receivable	NA			
Trade payable turnover ratio	Net credit purchases = Gross credit purchases - purchase return	Average Trade Payables	NA			
Net capital turnover ratio	Net sales = Total sales - sales return	Working capital = Current assets – Current liabilities	0.06	0.06	-3.63%	NA
Net profit ratio	Net Profit	Net sales = Total sales - sales return	0.80	0.80	0.16%	NA
Return on capital employed	Earnings before interest and taxes	Capital Employed = Tangible Net Worth + Total Debt + Deferred Tax Liability	0.02	0.02	-0.36%	NA
Return on investment*	Interest (Finance Income)	Investment	0.07	0.07	-9.44%	NA

* ROI is not annualized

48 Approval of financial statement

The financial statements were approved for issue by the Board of Directors on 25.08.2022

As per our Report of even date attached
For M/s. P.K. Chopra & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006747N

Sd/-
(Manjeet Singh Chhatwal)
AGM (Finance)

Sd/-
(Rajesh Bihari)
Chief General Manager (Finance)

Sd/-
(Annu Bhogal)
DGM (CS, Audit, OL)

Sd/-
C.A. Ruchika Bhagat
Partner
M. No. 096129

Place : New Delhi
Date : 25.08.2022

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Durga Prasad Rai)
Director
DIN- 09453376

Sd/-
Rajnish Kumar Jenaw
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 09056584

P K Chopra & Co.

— Chartered Accountants —

Flat No. 801, 8th Floor, Rohit House, 3 Tolstoy Marg
New Delhi – 110001 (INDIA)

T : +91 11 35007252
E : info@pkchopra.com
W : www.pkchopra.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Audit of the Ind AS Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the Financial Statements of NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2022, the Statement of Income and Expenditure and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matter described in the **Basis for Qualified Opinion paragraph and Emphasis of Matter paragraph,** the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2022, its income and total comprehensive income and its changes in equity for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1. Company is providing financial and other assistance to beneficiaries belonging to scheduled castes through SCAs and CAs. The lending policy entails that utilization certificates have to be provided by SCAs and CAs within 120 days in case of fresh disbursement from the date of disbursement. Further, in case of overall disbursements, utilization certificates have to be obtained from all SCAs and CAs on quarterly basis. However, in many cases utilization certificates were not received post the expiry of specified period because of which:

   As at 31st March 2022, utilization certificates for outstanding loans amounting to Rs 41,152.81/-lacs.,have not been received by the company. However, this has been reduced as compare to Previous year i.e as at 31st March 2021 which was Rs. 62,080.23/-lacs **(Refer Note 39.3).**

We are unable to quantify the amount of above qualifications due to non-availability of requisite information.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion

P K Chopra & Co. Chartered Accountants New Delhi

New Delhi | Gurugram | Mumbai | Uttarakhand | Kochi | Lucknow | Ahmedabad | Bihar

Emphasis of Matter

1. On March 11, 2020, the World Health Organization declared the novel corona virus (COVID-19) as a pandemic. The Ministry of Home Affairs, Govt. of India, vide Order No.40-3/2020 dated March 24, 2020 declared national lockdown, restricting the movement of the entire population of the country as a preventive measure against the spread of COVID-19. Besides the toll that this outbreak has had on human life, it has also disrupted the social, economic and financial structure resulting in significant reduction in global and local economic activities.

   However, the operations of the Company have not been disrupted. Considering the fact that the situation is exceptional and is changing dynamically, the Company is not in a position to gauge with certainty the future impact on its operations. The Company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions and the impact on the company's business in future will depend on the overall developments arising out of COVID-19 pandemic that cannot be reliably predicted at this stage.

   The Company is hopeful about adapting to the changing business environment and does not anticipate any major challenge in meeting its financial obligations. Hence, the Company believes that the ability to continue as a going concern and meeting its liabilities is not impacted. (Refer note no 44)

2. The Company has booked interest income of Rs. 56.00 lakhs during the year in respect of doubtful overdue from Bihar Scheduled Caste Development Corporation (BSCDC). The recording of revenue has the effect of overstatement of revenue from operation to the extent of 56.00 lakhs. However, there is no impact on excess of income over expenditure to the extent due to creation of provision for Bad and Doubtful debts of the same amount. Further, during the F.Y 2021-22 Rs. 60.62/- Lakh has been recovered from Bihar Scheduled Caste Development Corporation (BSCDC) for Principal – Term Loan of F.Y 2020-11 & 2011-12.

3. It was observed that many SCAs have defaulted in repayments which have resulted in overdue more than three years amounting to Rs. 43,752.35 Lakhs including the interest component. Although these loans are secured by State Government guarantees, these guarantees are never invoked which result in blockage of funds (Refer note no. 39)

4. Attention drawn to Note 6.1(d) regarding the matters of LASDC and DAADC. Arbitral Tribunal has directed the parties to settle the claim amount to the extent of Rs.93.24 crore in case of LASDC and Rs.15.00 crore in case of DAADC. In case of MSTCB, the Arbitral Tribunal has passed Award Order to pay, the amount of Rs.1.53 crore together with 9% interest thereon from the date of the filing of statement of claim till the date of actual payment by the Respondent to the claimant(NSFDC). For execution of Award Order, the Corporation has filed an Arbitration Execution Case in the Court of District Judge, Imphal, Manipur. The Corporation has deferred recognition of interest income at enhanced rate of 9% during the accounting period till 31.03.2022 in accordance with Ind AS 109.

5. Attention is drawn to Note 25.2 wherein waiver of penal interest amounting to Rs. 52.88 lac of Indian Overseas Bank was recorded as an expense 1n the financial year 2021-22 post Board approval in Board Meeting dated 07th March 2022.

6. Attention is drawn to the responsibility of the Company to arrange balance confirmations in respect of

K Chopra & Co. New Delhi Chartered Accountants

Loans and advances, creditor etc. balance confirmation has not been received in case of some of the SCAs, PSBs/RRBs, NBFC-MFIs and creditors. The impact, if any of the same on Ind AS financial statements is uncertain.

7. 'Attention is drawn to Note 17. The company has a closing balance of Rs. 3580.71 lacs for Government Grants and Rs. 27.96 lacs for grants from other PSUs toward unspent Grant Liability which is shown as 'Other financial liabilities' in the financials.

8. The Lending Policy of NSFDC provides for Liquidity Damages on Defaulted Payments (LDDP) of dues (Principal as well as Interest) beyond the stipulated / agreed dates of repayment @ 2% per annum over and above the normal rate of interest applicable on the dues. LDDP is recognized on realization due to uncertainty of its collectability. It is however, noticed that demand has been issued to SCAs for LDDP in FY2021-2022.

Our Opinion is not qualified/modified in respect of these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises Board's Report including Annexure to Board's Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act with rule 7 of the Companies(Accounts) Rules, 2014 and the companies(Indian Accounting Standards)Rules, 2015. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability

P K Chopra & Co. New Delhi Chartered Accountants

to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Ind AS financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the Magnitude of misstatements in the Ind AS Financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decision of a reasonably knowledgeable user of the Ind AS financial statement may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any unidentified misstatements in the IndAS financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and

P.K. Chopra & Co. New Delhi Chartered Accountants

timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, CARO 2020 ("the Order") is not applicable to the company. Hence, the Annexure on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, are not given.

2. As required by the Comptroller and Auditor General(C&AG) of India through direction issued u/s 143(5) of the Companies Act, 2013 on the basis of written representations received from the management, we give our report on the matters specified in the **"Annexure A"** attached.

3. As required by section 143(3) of the Companies Act 2013, we report that:

a) Except for the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs, we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs above, in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

c) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs above, the Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure and the Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account.;

d) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs above, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with rule 7of the Companies (Accounts) Rules,2014 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

e) In term of notification No. G.S.R 463(E) dated June 5th 2015, issued by Ministry of corporate affairs, Government of India; sub section (2) of section 164 of Companies Act 2013 is not applicable to Government Companies.

f) The matter described in the Basis of Qualified opinion paragraph above, in our opinion, does not have any adverse effect on the functioning of the Company.

g) The Qualification and other observations relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the basis for qualified opinion and Emphasis of Matter paragraph.

h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report **in "Annexure-B".**

i) With the respect to the matter to be included in the Auditor's report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended, the reporting requirements are not applicable in terms of

K Chopra & Co. New Delhi Chartered Accountants

notification number G.S.R463 (E) dated June 5th 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs.

j) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2016, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us: -

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial positions in the Ind AS financial statements.

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For P.K Chopra & Co.
Chartered Accountant
Firm's Registration Number: 006747N

Ruchika Bhagat
(FCA)
M.N.-096129

Place: New Delhi
Date: 25-08-2022

UDIN: 22096129APZAIJ3067

"ANNEXURE-A"

TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Below are the replies to the directions issued by the Comptroller and Auditors General of India u/s 143(5) of the companies Act, 2013 with respect to the Ind AS financial statements of M/s NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION for the Financial year ended on 31st March, 2022

(1). Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, maybe stated.	The financial accounting of the Company is done on tally ERP Software. However, the loan accounting of the Company is done on Manual Ledgers. As explained by management, the manual ledgers are reconciled with tally ERP software. As explained to us, the processing of loan transactions outside IT system does not have any adverse effect on the integrity of accounts and the same therefore does not have any financial implications.
(2). Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact maybe stated. **Whether such cases are properly accounted for?**	During the year under audit, there was no restructuring of an existing loans or waiver/write off of debts/loans/Interest made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loans.
(3). Whether funds **(grants/subsidy etc.)** received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs above, Funds **(grants/subsidy etc.)** received/receivable for specific schemes from central/state agencies have been properly accounted for/utilized.

For P.K Chopra & Co.
Chartered Accountant
Firm's Registration Number: 006747N

Ruchika Bhagat
(FCA)
M.N.- 096129

Place: New Delhi
Date: 25-08-2022

UDIN: 22096129APZAIJ3067

ANNU BHOGAL
COMPANY SECRETARY
National Scheduled Castes
Finance and Development Corporation
Core-1&2, Scopa Minar, Laxmi Nagar Distt. Centre
Delhi-110092

"ANNEXURE-B"

TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ("the Company") as at March 31, 2022 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

P.K. Chopra & Co. New Delhi Chartered Accountants

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our Qualified Audit Opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

(1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and

(3) Provide reasonable assurance regarding prevention and timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the Ind AS financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion Company has , in all material respects, except matter stated in clause 1 to 3 below, an adequate Internal financial controls system over financial reporting and such internal financial control over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of Internal control stated in the guidance note on Audit of Internal Financial Controls over financial reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

1. The Internal controls and systems designed by the management to verify the end use of the funds sanctioned and disbursed to SCA's & CA's are not reasonable enough considering the size of the company and the nature of its operations. The management has been asked to update the procedures commensurate with the size of the company and the nature of its operations. Further, we have been

informed by the management that the release of funds to eligible beneficiaries is the sole responsibilities of SCAs. Company must devise some audit system through which it can be ensured that the funds are properly disbursed to the eligible beneficiaries.

2. Company is providing financial and other assistance to beneficiaries belonging to scheduled castes through SCAs and CAs. However, utilization Certificates for Rs. 41,152.81/-lacs are pending as at 31st March 2022. Internal Control system should be strengthened to obtain utilization Certificates as earliest.

3. Matters referred to in clause 1 of our basis of qualified opinion and clause 5 and clause 6 of Emphasis of matter paragraph point to lapses in Internal Control over financial reporting system. The company should monitor and strengthen internal control System in respect of such issues.

For P.K Chopra & Co.
Chartered Accountant
Firm's Registration Number: 006747N

Ruchika Bhagat
(FCA)
M.N.- 096129

Place: New Delhi
Date: 25-08-2022

UDIN: 22096129APZAIJ3067

ADDENDUM 'B'

MANAGEMENT REPLY TO THE STATUTORY AUDITORS' REPORT ON THE ANNUAL ACCOUNTS 2021-22

Para No.	Audit Para	Management's Reply
1	Company is providing financial and other assistance to beneficiaries belonging to scheduled castes through SCAs and CAs. The lending policy entails that utilization certificates have to be provided by SCAs and SCAs within 120 days in case of fresh disbursement. Further, in case of overall disbursements, utilization certificate have to be obtained from all SCA and CAs on quarterly basis. However, in many cases utilization certificates were not received post the expiry of specified period because of which: As at 31st March, 2022, utilization certificates for outstanding loans amounting to Rs.41,15,281/- lacs, have not been received by the company. However, this has been reduced as compare to Previous year i.e. as at 31st March, 2021 which was Rs.62,08,023/- lacs (Refer Note 39.3)	It is evident from the Audit Para of the Statutory Auditors Report itself and our Note 39.3 that as at 31st March, 2022, utilization certificates for outstanding loans has been reduced due to continuous follow up, as compared to Previous year, amounting to Rs.411.53 crore, (previous year Rs.620.80 crore). Further, NSFDC implements various credit based schemes for the target group through a network of Channelizing Agencies spread across the country. One of the norms for disbursement of funds is minimum of 80% cumulative utilization level of funds. As per Lending Policy of NSFDC, the funds disbursed are to be utilized by SCAs within the prescribed period from the date of disbursement. Utilization of funds under various schemes is a continuous process and sometimes it spills over to next financial year as well. After the expiry of allowed timewithin the prescribed period, the matter is followed up with concerned SCAs/CAs. The SCA, after receiving the funds from NSFDC, release it to their District Offices. Thereafter, collecting Utilization Certificate from all their District Offices, takes some time. Further, in the channel finance system, utilization of 15-20% of the funds always remains in the pipeline and hence relaxation to this extent is given to the SCAs for considering fresh disbursements. Presently, fund utilization is 92.19% as on 31.03.2022. Therefore, Rs.411.53 crore of pending utilization certificate tantamount only to 7.81% only.

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

सत्यमेव जयते

No- AMG-I/9-109/NSFDC/2022-23/ 778 **Date: 29.11.2022**

To,
The Chairman cum Managing Director,
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation,
14th Floor, Core 1&2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre,
New Delhi 110092.

Sub: **Comments of the Comptroller & Auditor General of India under section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) for the year 2021-22.**

Sir,

Please find enclosed herewith Audit Certificate of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC)** for the year ended 31st march 2022.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours sincerely,

Encl: As above

(Rajiv Kumar Pandey)
Director General of Audit Central Expenditure

Ph. : 91-11-23702422
Fax : 91-11-23702271
E-mail : dgace@cag.gov.in
Website : https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC) FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of financial statements of **National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC)** for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 25.08.2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC)** for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi
Dated: 29.11.2022

(Rajiv Kumar Pandey)
Director General of Audit Central Expenditure

Address of Offices

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
(A Government of India Undertaking)
(An ISO 9001 : 2015 Certified Company)

Head Office

14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar,
Laxmi Nagar District Centre,
Delhi - 110 092
Ph : 011-22054394, 22054396 Fax : 011-22054395
Toll Free Number : 1800110396
e-mail : support-nsfdc@nic.in
Website : www.nsfdc.nic.in

Liaison Centres

1. **Smt. Vijay Laxmi,**
   Executive
   National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
   No. 1, 3rd Cross Road,
   15th Main, Mathikere (Near Subbaiah Hospital)
   Bengaluru- 560054
   Phone No: 080-23465175

2. **Shri H. L. Thanga ,**
   Deputy Manager
   National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
   New Market Phase-I, 5th Floor, HUDCO Building,
   15-N Nellie Sen Gupta Sarani
   Kolkata - 700 087
   Phone No: 033-22521395

3. **Sh. Prakash Bhosale,**
   National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
   Oshiwara MHADA Complex Building No.5,
   Flat No.004, Azad Nagar Post Office,
   Andheri (West)
   Mumbai – 400 053
   Phone No: 022-26361624

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी)
(An ISO 9001: 2015 Certified Company)

14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092
14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092
फोन/Phone: 011- 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स: 011-22054395
ई-मेल/E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/website: nsfdc.nic.in

Designed & Printed by : Censer Advt. Pvt. Ltd.
www.censer.in (Ph) 9810213218